


आर.आर.सैल
R.R. Cell

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये

प्रतिवेदन संख्या-3
राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्थान सरकार



विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
विहंगावलोकन	-	vii-xvi
अध्याय-I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	3
लेखापरीक्षा की ओर सरकार की अनुक्रिया	1.2	7
जवाबदेयता लागू करना एवं राज्य सरकार के हित की रक्षा करना	1.2.1	7
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.2.2	9
विभागों की अनुक्रिया	1.2.3	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	1.2.4	10
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना	1.2.5	10
लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्तियों के बारे में अपनायी गई कार्य-प्रणाली	1.3	11
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.3.1	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठये गये मामलों पर विभागों/सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन	1.3.2	12
लेखापरीक्षा योजना	1.4	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	13
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.5.1	13
यह प्रतिवेदन	1.5.2	14
अध्याय-II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर		
कर प्रशासन	2.1	17
बजट तैयारियों का विश्लेषण	2.2	17
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.3	18
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	2.4	19
मूल्य परिवर्धित कर की प्रति करदाता लागत	2.5	19
कर निर्धारण में बकाया	2.6	20
संग्रहण की लागत	2.7	20
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	2.8	21
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	2.9	21
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.10	23

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त होने वाले घोषणा प्रपत्रों का प्रति सत्यापन	2.11	24
अन्य अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	2.12	46
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	2.13	46
क्रय कर का अनारोपण	2.13.1	47
कर योग्य पण्यवर्त पर कर का कम आरोपण	2.13.2	48
अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	2.14	49
सर्राफा व्यवहारियों को प्रशमन योजना में कर की गलत स्वीकृति प्रदान करना	2.14.1	50
ईट भट्टा मालिकों को प्रशमन योजना में कर की गलत स्वीकृति प्रदान करना	2.14.2	51
पेट्रोलियम व्यवहारियों को प्रशमन योजना में कर की गलत स्वीकृति प्रदान करना	2.14.3	53
कर का गलत आस्थगन	2.14.4	55
प्रवेश कर का अनारोपण	2.14.5	57
विलम्ब से कर भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	2.14.6	57
अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	3.1	61
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3.2	61
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	3.3	62
संग्रहण की लागत	3.4	63
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	3.5	63
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	3.6	64
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.7	65
मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटाइजेशन	3.8	66
अन्य अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	3.9	82
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	3.10	82
मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना	3.10.1	83
परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में एकमुश्त कर की कम वसूली	3.10.2	85
गैर परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में एकबारीय कर की कम वसूली	3.10.3	86
वित्तीय नियंत्रण एवं निगरानी की कमी के कारण अस्थायी गबन एवं ब्याज की हानि	3.10.4	87

अध्याय-IV: भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	91
राजस्व की प्रवृत्ति	4.2	91
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	4.3	92
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	4.4	92
आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली	4.5	93
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.6	94
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	4.7	95
नियमों/परिपत्रों के प्रावधानों की अनुपालना न होना	4.8	95
भूमि की लागत की कम वसूली	4.8.1	96
फर्म को अदेय अनुग्रह	4.8.2	99
रूपांतरण प्रभारों की कम वसूली	4.8.3	100
अध्याय-V: राज्य आबकारी शुल्क		
कर प्रशासन	5.1	103
संग्रहण की लागत	5.2	103
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	5.3	103
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.4	104
आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण	5.5	105
अध्याय-VI: कर-इतर प्राप्ति		
प्रस्तावना	6.1	135
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	6.2	135
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	6.3	136
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली	6.4	136
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.5	137
अ. खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग		
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	6.6	138
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अवहेलना	6.7	138
लाईमस्टोन खनन पट्टों की अप्रधान खनिज के लिए अनियमित स्वीकृति	6.7.1	139
पट्टेधारियों को अदेय लाभ	6.7.2	140
अधिशुल्क की हानि	6.7.3	141
ईट मिट्टी की कीमत की मांग कम/नहीं किया जाना	6.7.4	144
खनिजों का अवैध उत्पादन	6.7.5	146
वन से खनिज का अनाधिकृत उत्खनन व निर्गमन	6.7.6	150
अनाधिकृत रूप से उत्खनित व निर्गमित खनिज की कीमत व अधिशुल्क की मांग कायमी का अभाव	6.7.7	151

लोक निर्माण ठेकेदारों द्वारा खनिज का अनाधिकृत उत्खनन व उपयोग	6.7.8	153
खनन पट्टेधारी द्वारा अनाधिकृत खनन	6.7.9	154
खनिज का अनाधिकृत उत्खनन/निर्गमन	6.7.10	155
शासकीय निर्देशों की पालना नहीं किया जाना	6.7.11	159
जब्त अमानत राशि की अनियमित वापसी/समायोजन	6.7.12	160
पट्टेदार को अदेय अनुग्रह	6.7.13	161
शास्ति की अवसूली	6.7.14	162
स्टोन क्रेशरो पर उपयोग में लिए खनिज की कीमत की मांग कायम नहीं करना	6.7.15	163
स्थिर भाटक व ब्याज की मांग कायम नहीं करना	6.7.16	164
ब. उपनिवेशन विभाग		
विशेष आवंटन में भूमि की कीमत की त्रुटिपूर्ण गणना	6.8	165
स. सामान्य प्रशासन विभाग		
सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों और बैंक से किराये की वसूली नहीं किया जाना	6.9	166
द. लोक निर्माण विभाग		
विभाग द्वारा निविदा बोली दर संशोधित नहीं करने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि	6.10	168

प्रस्तावना

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी शुल्क सहित राज्य की अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2010-11 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप की गई थी।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बन्धित ₹ 481.29 करोड़ के 28 अनुच्छेद तथा ₹ 106.89 करोड़ राजस्व सन्निहित की 'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त होने वाले घोषणा-पत्रों का प्रति-सत्यापन', 'मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटराईजेशन' तथा 'आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा, कुल ₹ 588.18 करोड़ सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2009-10 में ₹ 35,385.01 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 45,928.20 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 20,758.12 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 6,294.12 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 27,052.24 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 18,875.96 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग: ₹ 12,855.63 करोड़ तथा सहायताार्थ अनुदान: ₹ 6,020.33 करोड़) थी। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का 59 प्रतिशत एकत्रित कर सकी। वर्ष 2010-11 के दौरान कर एवं कर-इतर राजस्व के मुख्य स्रोत बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (₹ 11,901.24 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 2,861.41 करोड़), मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क (₹ 1,941.04 करोड़), मोटर वाहनों पर कर (₹ 1,612.25 करोड़) तथा अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (1,929.58 करोड़) थे।

(अनुच्छेद 1.1)

दिसम्बर 2010 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि 2,469 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 2,748.76 करोड़ सन्निहित के 7,464 अनुच्छेद विभिन्न विभागों द्वारा अनुपालना करने की प्रतीक्षा में जून 2011 के अन्त तक बकाया थे। उपर्युक्त में से 744 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ₹ 316.40 करोड़ के 1,429 अनुच्छेद पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.2.1 एवं 1.3.1)

विभागों/सरकार ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 से 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 1,122.39 करोड़ सन्निहित की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिनमें से दिसम्बर 2011 तक ₹ 154.68 करोड़ वसूल कर लिए गये थे।

(अनुच्छेद 1.2.5)

वर्ष 2010-11 के दौरान की गई मापक जाँच में 18,809 प्रकरणों में ₹ 2,049.08 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। सम्बन्धित विभागों ने 13,289 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 98.10 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 58.83 करोड़ सन्निहित के 9,465 प्रकरण वर्ष 2010-11 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। विभागों ने वर्ष 2010-11 के दौरान लेखापरीक्षा के आधार पर 3,284 प्रकरणों में ₹ 23.37 करोड़ वसूल किये।

(अनुच्छेद 1.5.1)

II. बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

‘अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त होने वाले घोषणा-पत्रों का प्रति-सत्यापन’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- ‘सी’ फार्म के 14 प्रकरणों एवं ‘एफ’ फार्म के आठ प्रकरणों में, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम/नियमों के विपरीत निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत घोषणा-पत्रों के मामलों में ₹ 58.07 करोड़ की छूट/राहत स्वीकृत की गई। आगे, 18 वृत्त कार्यालयों के 103 प्रकरणों में विलम्ब से प्रस्तुत फार्मों तथा विलम्ब को माफ करने के कारणों को अभिलिखित किये बिना ₹ 18.52 करोड़ की सृजित मांगों को गलत रूप से कम कर दिया गया।

(अनुच्छेद 2.11.10.1)

- निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) ने अन्तर कर की गलत दर एवं बिना ‘सी’ फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री के दो प्रकरणों में ₹ 15.29 लाख के ब्याज एवं ₹ 48.24 लाख का कर कम आरोपित किया।

(अनुच्छेद 2.11.10.3)

- नि.प्रा. ने ऐसे ‘एफ’ फार्मों पर ₹ 23.26 करोड़ की अनियमित कर छूट स्वीकृत की, जो कि उक्त माल के प्रेषण के सबूतों से समर्थित नहीं थे, जबकि अधिनियम के अनुसार ऐसा अनिवार्य था।

(अनुच्छेद 2.11.10.4)

- नि.प्रा. ने एक तिमाही/एक माह से अधिक के संव्यवहारों से सम्बन्धित अवैध ‘सी’ एवं ‘एफ’ फार्म घोषणा-पत्रों के आधार पर ₹ 3.93 लाख ब्याज के अतिरिक्त ₹ 10.40 लाख के कर की अनियमित छूट/राहत स्वीकृत की गई।

(अनुच्छेद 2.11.10.5)

- यद्यपि विभाग को बिहार राज्य के कुछ व्यवहारियों द्वारा राजस्थान के व्यवहारियों को जारी फर्जी घोषणा-पत्रों की जानकारी थी, विभाग द्वारा बिहार राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों से राजस्थान के व्यवहारियों को जारी

घोषणा-पत्रों का प्रति-सत्यापन नहीं किया और ₹ 3.15 करोड़ के कर की अनियमित छूट स्वीकृत की गई।

(अनुच्छेद 2.11.10.6)

- माल की खरीद के साथ-साथ बिक्री ₹ 118.33 लाख को छिपाये जाने के कारण हुए करापवंचन के कारण ₹ 4.73 लाख का कर, ₹ 2.60 लाख का ब्याज एवं ₹ 9.47 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

(अनुच्छेद 2.11.10.8)

- अन्तर्राज्यीय बिक्री के कम लेखांकन के कारण ₹ 31.52 लाख का कर छिपाया गया और 'एफ' फार्म के विरुद्ध एजेन्ट को अधिक माल के स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप ₹ 8.98 लाख का कर छिपाया गया। इसके अतिरिक्त ब्याज ₹ 24.62 लाख एवं शास्ति ₹ 80.99 लाख भी आरोपणीय थी।

(अनुच्छेद 2.11.10.9)

- घोषणा-पत्रों का उपयोग वास्तव में हकदार व्यवहारियों को जारी घोषणा-पत्रों के स्थान पर अन्य द्वारा किया गया जिससे व्यवहारियों द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत 'सी' एवं 'एफ' फार्म के गलत उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 34.15 लाख के कर के अतिरिक्त ₹ 17.44 लाख के ब्याज एवं ₹ 67.39 लाख के शास्ति की अनियमित रियायत/छूट प्रदान की गई।

(अनुच्छेद 2.11.10.10)

- सम्बन्धित राज्यों के निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा जारी नहीं किये गये घोषणा-पत्रों के मद्देनजर 'सी'/'एफ' फार्मों के फर्जी घोषणा-पत्रों के उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 4.04 लाख के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ब्याज एवं शास्ति भी आरोपणीय थी।

(अनुच्छेद 2.11.11)

- घोषणा-पत्रों के प्रति-सत्यापन प्रणाली स्थापित नहीं होने के परिणामस्वरूप 'सी' फार्मों से सम्बन्धित ₹ 2.59 करोड़ की कर, ब्याज एवं शास्ति का अपवंचन हुआ जिससे निर्धारण प्राधिकारी फर्जी घोषणा-पत्रों तथा अन्य अनियमितताओं का पता नहीं लगा सके।

(अनुच्छेद 2.11.12)

- विभाग द्वारा व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक घोषणा-पत्रों के प्रति-सत्यापन की प्रणाली विकसित नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप कर सूचना विनियम पद्धति (क.सू.वि.प.) से सम्बन्धित वेबसाइट पर उपलब्ध डाटाबेस से मिलान से पूर्व ही कर छूट/राहत प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा उन व्यवहारियों

का डाटा अद्यतन नहीं किया गया, जिनका पंजीयन निरस्त किया जा चुका, जिसके कारण अन्य राज्यों के विभाग/व्यवहारियों को व्यवहारी के बारे में सही स्थिति जानने में असुविधा हुई।

(अनुच्छेद 2.11.13)

कर के भुगतान के बिना क्रय किये गये माल तथा उसको कर मुक्त माल के निर्माण में उपयोग किये जाने से उस पर ₹ 16.82 लाख का क्रय कर आरोपित नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.13.1)

कर की प्रशमन योजना की शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सर्राफा व्यवहारियों, जिन्होंने नियत दिनांक 31 मार्च तक कर जमा नहीं कराया था पर ₹ 73.72 लाख का अन्तर कर आरोपणीय था।

(अनुच्छेद 2.14.1)

प्रशमन कर के भुगतान सम्बन्धी प्रशमन योजना की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण विभाग द्वारा पेट्रोलियम व्यवहारियों पर ₹ 39.94 लाख का अन्तर कर आरोपणीय था जो आरोपित नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.14.3)

उद्योगों के लिए बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नौ व्यवहारियों को ब्याज ₹ 97.95 लाख के साथ ₹ 3.11 करोड़ कर का अधिक आस्थगन गलत स्वीकृत किया गया था।

(अनुच्छेद 2.14.4)

अन्य राज्यों से व्यापार में उपभोग या उपयोग हेतु खरीदे गये माल पर प्रवेश कर के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 16.50 लाख की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 2.14.5)

III. मोटर वाहनों पर कर

‘मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटाईजेशन’ की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- ‘वाहन’ सॉफ्टवेयर शुरूआत में अलवर में मई 2005 में पायलट साईट के रूप में स्थापित करने से 52 से 57 माह के विलम्ब के उपरान्त शेष 36 प्रादेशिक परिवहन/जिला परिवहन कार्यालयों में अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 के दौरान कार्यान्वित किया गया। ‘वाहन’ के चरण-III का कार्यान्वयन 33 उप कार्यालयों में किया जाना अभी भी शेष है। ‘वाहन’ का परमिट एवं एनफोर्समेंट मोड्यूल अभी शुरू ही नहीं किया गया। यद्यपि ‘सारथी’ सॉफ्टवेयर 13 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में से सात कार्यालयों में कार्यान्वित किया

गया, स्टॉफ की कमी के कारण सॉफ्टवेयर केवल चार कार्यालयों में ही चल रहा था। शिक्षार्थी लाईसेन्स तथा कन्डक्टर लाईसेन्स के लिए ऑनलाइन आवेदन का कार्यान्वयन नहीं किया गया था। अतः कम्प्यूटराइजेशन का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुराने डाटा तथा 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर के डाटा के डाटाबेस के ढांचे में अन्तर होने के कारण पुराने डाटा को नये सॉफ्टवेयर में हस्तांतरण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 3.8.8 एवं 3.8.8.1)

- 'वाहन' सॉफ्टवेयर में अपर्याप्त वैधता नियंत्रण के कारण सिस्टम, निर्माण की तिथि, प्रदूषण नियंत्रण, वाहनों के लदान सहित भार एवं बैठक क्षमता के गलत तथा असम्भावित डाटा को स्वीकार करता है। इसके अलावा, बैक-एण्ड प्रविष्टियों के आधार पर इंजन नम्बर/चेसिस नम्बर की कई दोहरी प्रविष्टियाँ बिना रोक-टोक के की गई थी तथा बीमा कवर नोट्स के मुख्य फील्ड्स रिक्त थे या जाली नम्बर दर्शाये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप राज्य/राष्ट्रीय रजिस्टर का डाटाबेस, अपूर्ण एवं गलत था।

(अनुच्छेद 3.8.9)

- सिस्टम में डिजाइन की कमियाँ थी जिसे, गलत कर वसूली तथा गलत सूचना से बचने के लिए सही करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा लाईसेन्स जारी करने या पंजीयन आदि में विलम्ब को प्रदर्शित करने का, सिस्टम में प्रावधान नहीं था।

(अनुच्छेद 3.8.10.1)

- सॉफ्टवेयर में फ़ैन्सी नम्बर की फीस के निर्धारण का प्रावधान नहीं करने के कारण सात प्रकरणों में फ़ैन्सी नम्बर की फीस ₹ 19,200 कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.8.10.2)

- लाईसेन्स/परमिट जारी करने, फीस वसूली के डाटा का सत्यापन परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप गलतियों की पहचान नहीं हो सकी, जिसको अन्यथा कार्यकारी निर्देशों तथा दिशा-निर्देशों के माध्यम से प्रतिबन्धित/कम किया जा सकता था। लॉग्स उत्पन्न करने के लिए ट्रान्जेक्शन डाटा की समीक्षा के लिए आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र अप्रभावी था।

(अनुच्छेद 3.8.11.2)

- अपर्याप्त एप्लीकेशन नियन्त्रण के कारण, चालक लाईसेन्स के नमूना जाँच किए गए 1,61,754 प्रकरणों में से 853 प्रकरणों में अयोग्य आवेदक, जो अनपढ़, आठवीं क्लॉस से कम या जिनकी योग्यता अंकित नहीं थी या जिनकी आयु शून्य दर्शायी गयी थी, को लाईसेन्स जारी किये गये।

असम्भावित एवं गलत प्रविष्टियाँ, जारी किये गये लाईसेन्सों के राष्ट्रीय/राज्य रजिस्टर की विशुद्धता को प्रभावित करती है।

(अनुच्छेद 3.8.12.2)

- केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यालयों के लिए ₹ 8.65 करोड़ की राशि के हार्डवेयर स्वीकृत किये गये थे लेकिन आपूर्ति, स्थापना एवं उपयोग/अनुपयोग के विवरण पर निगरानी न तो परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा और न ही राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जयपुर द्वारा रखी जा रही थी।

(अनुच्छेद 3.8.14.3)

- मापक जाँच किये गये किसी भी कार्यालय के सर्वर कक्ष में आग का पता लगाने/किसी आकस्मिकता से लड़ने का कोई उपकरण नहीं था।

(अनुच्छेद 3.8.14.4)

- जिला परिवहन कार्यालय, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर तथा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा में कनेक्टिविटी स्थापित नहीं की गई। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पाली में नेटवर्क लाईनों में लगातार व्यवधान था जिसके परिणामस्वरूप बैकअप एवं सॉफ्टवेयर को अद्यतन करने सम्बन्धी समस्याएँ थी। इसके अलावा कर संग्रह केन्द्रों के साथ परिवहन आयुक्त/प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जुड़े हुए नहीं थे।

(अनुच्छेद 3.8.14.5)

- मापक जाँच किए गए कार्यालयों का स्टॉफ एवं अधिकारी न तो प्रशिक्षित थे न ही उनको यूजर मैनुअल उपलब्ध करायी गई थी जिसके कारण स्टॉफ, सॉफ्टवेयर प्रचालन में प्रतिदिन समस्याओं का सामना कर रहा था।

(अनुच्छेद 3.8.15.1)

4,946 वाहन स्वामियों से मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर ₹ 15.73 करोड़ वसूल नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 3.10.1)

परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर ₹ 42.46 लाख वसूल नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 3.10.2)

उडनदस्तों एवं कर संग्रह केन्द्रों द्वारा जनवरी, 2008 एवं मार्च, 2010 के मध्य संग्रहित कर ₹ 18.27 करोड़ में से ₹ 16.90 करोड़ विलम्ब से जमा कराये गये। विलम्ब एक से 424 दिनों के बीच था। इसके परिणामस्वरूप रोकड़ के अस्थायी गबन के साथ-साथ ₹ 49.65 लाख ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.10.4)

IV. भू-राजस्व

नई पर्यटन नीति, 2007 का उल्लंघन कर होटलो के लिए भूमि का आवंटन निर्धारित दरों से नहीं करने के परिणामस्वरूप राज्य को ₹ 6.50 करोड़ की संभावित राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.8.1.1)

तीन आवंटियों (राजकीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर भूमि की लागत ₹ 7.53 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 4.8.1.2)

होटल के लिए भूमि आवंटन पर वाणिज्यिक डी.एल.सी. दरों के स्थान पर कृषि भूमि की गलत डी.एल.सी. दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.04 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.8.2)

V. राज्य आबकारी शुल्क

‘आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण’ की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- राजस्व के पुराने बकाया की राशि ₹ 218.37 करोड़ की वसूली के लिए आबकारी विभाग के पास कोई रणनीति योजना/कार्यवाही योजना नहीं थी।

(अनुच्छेद 5.5.8)

- आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र (ई.वी.सी.) प्रस्तुत करने की समय सीमा का निर्धारण करने तथा इन्हे विलम्ब से प्रस्तुत करने पर आरोपणीय शास्ति की दर के लिए नियमों में प्रावधान नहीं है।

(अनुच्छेद 5.5.9.1)

- अनाज से प्राप्त के न्यूनतम उत्पादन के मापदण्ड निर्धारित नहीं करने के कारण प्राप्त का कम उत्पादन हुआ, जिसमें ₹ 284.17 करोड़ का सम्भावित आबकारी शुल्क सन्निहित था।

(अनुच्छेद 5.5.9.4)

- होटलों, मदिरालयों से उनके भारत सरकार तथा राज्य समिति से हेरिटेज होटल के प्रमाण-पत्र के सत्यापन के बिना ही विभाग के कार्मिकों द्वारा उनसे ‘हेरिटेज होटल श्रेणी’ की दर से लाईसेन्स फीस वसूल की। जल्दबाजी में तदर्थ अनुज्ञापत्र जारी करने से राजकोष को ₹ 1.69 करोड़ की हानि हुई जो अनुज्ञाधारियों से वसूल किये जाने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 5.5.11.1)

- दुकानों के लाईसेन्सों का पॉवर ऑफ अटॉर्नी की आड में अवैध हस्तान्तरण/दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा।

(अनुच्छेद 5.5.11.2)

- बंधित भण्डारगृह लाईसेन्स का नवीनीकरण नहीं होने के कारण विभाग ने वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान ₹ 55.00 लाख का राजस्व भी छोड़ दिया।

(अनुच्छेद 5.5.12)

- लाईसेन्सधारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने को न तो विभाग द्वारा दर्शाया गया और न ही नियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की गई।

(अनुच्छेद 5.5.17.1)

- प्रतिभूति जमा, आवेदन फीस तथा ठेका राशि के खाते में प्राप्त ₹ 22.89 करोड़ के 5,181 बैंक ड्राफ्ट सरकार के खाते में जमा कराने में दो से 140 दिनों तक का विलम्ब हुआ जो सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

(अनुच्छेद 5.5.20)

- आबकारी आयुक्त के कार्यालय में आन्तरिक निरीक्षणों के अभिलेखों के अभाव में विभाग के पास आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं अनुश्रवण नहीं था।

(अनुच्छेद 5.5.22)

VI. कर-इतर प्राप्तियाँ

क. खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग

खनन पट्टेधारियों द्वारा खनिज के अन्तिम उपयोग से हटकर सीमेन्ट कारखानों व स्टील संयंत्रों को लाइम स्टोन की आपूर्ति के परिणामस्वरूप ₹ 398.47 करोड़ की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.7.1)

नियमों की अवेहलना कर 17 प्रकरणों में ऐसे खनन पट्टेधारियों को खनन पट्टे स्वीकृत/हस्तान्तरित कर दिये गये जिनके पास पूर्व में ही दो खनन पट्टे थे। इस प्रकार अविधिक रूप से उत्खनित खनिज, जिसकी कीमत ₹ 104.88 करोड़ होती है, के परिणामस्वरूप पट्टेधारियों को अदेय लाभ रहा।

(अनुच्छेद 6.7.2)

खनि अभियन्ता द्वारा संविदा समाप्ति हेतु नोटिस जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं किये जाने के कारण सेण्ड स्टोन के अधिशुल्क संग्रहण ठेका में ₹ 2.85 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी। अतिरिक्त निदेशक (खान) द्वारा भी इसी संविदा में जमा प्रतिभूति राशि ₹ 1.16 करोड़ के प्रतिदाय की गलत स्वीकृति प्रदान की गई।

(अनुच्छेद 6.7.3.1)

अपेक्षित अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना व अधिशुल्क का भुगतान किये बिना ईट मिट्टी का अवैध रूप से उपयोग किये जाने पर सात भट्टा मालिकों से अधिशुल्क सहित मूल्य ₹ 186.77 लाख की वसूली नहीं की गई। विभाग ने ईट मिट्टी रियायत नियमों की अवेहलना कर गलत गणना से ईट मिट्टी के अवैध उपयोग को बढ़ावा दिया।

(अनुच्छेद 6.7.4)

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा अधिकृत मात्रा से अधिक खनिज के उत्खनन पर अवैध रूप से उत्खनित खनिज की अधिशुल्क सहित कीमत ₹ 2.74 करोड़ वसूलनीय थी। विभाग ने पर्यावरण कानूनों की अवेहलना कर खनिज के निर्गमन को अधिकृत किया।

(अनुच्छेद 6.7.5.1)

विभाग ने बिना अनुमोदित खनन योजना के खनिज मार्बल के निर्गमन को स्वीकृत किया, इस प्रकार अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत ₹ 170.05 लाख होती है।

(अनुच्छेद 6.7.5.2)

राजस्व, परिवहन, वन, पुलिस एवं खान विभागों में समन्वय के अभाव में खनिज का अवैध रूप से उत्खनन व निर्गमन हुआ जिसके कारण राज्य सरकार को हानि के साथ-साथ वन्य जीवन को बड़ी क्षति हुई एवं वन क्षेत्र व आसपास की आबादी में पारिस्थितिक सन्तुलन के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ। इस प्रकार उत्खनित खनिज की अधिशुल्क सहित कीमत की गणना ₹ 208.78 करोड़ थी।

(अनुच्छेद 6.7.6.1)

विभाग ने निर्गमित वास्तविक खनिज की मात्रा का पट्टाधारी के उत्पादन की मासिक विवरणियों से सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया। इस प्रकार विभाग द्वारा अवैध रूप से निर्गमित खनिज की कीमत ₹ 29.08 करोड़ वसूल नहीं की गई।

(अनुच्छेद 6.7.7)

निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा खनिजों का उत्खनन/उपयोग या तो अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक का किया जिसकी अधिशुल्क के साथ कीमत राशि ₹ 7.03 करोड़ वसूल नहीं की गई।

(अनुच्छेद 6.7.8)

निषेधात्मक आदेश के दौरान उत्खनित व निर्गमित खनिज अवैध था जिसके लिए खनिज की कीमत ₹ 2.49 करोड़ की वसूली वांछित है।

(अनुच्छेद 6.7.9)

खननाओं का दुरुपयोग कर पट्टा क्षेत्र के बाहर से अवैध रूप से निर्गमित खनिज मार्बल व ग्रेनाइट की अधिशुल्क सहित कीमत ₹ 2.51 करोड़ वसूल नहीं की गई।

(अनुच्छेद 6.7.10.2)

ख. उपनिवेशन विभाग

भूमि के विशेष आवंटन में भूमि की कीमत की गणना, वहीं आसपास की भूमि के लिये निर्धारित दरों के बजाय गलत रूप से निम्न दर से करने के परिणामस्वरूप भूमि की कीमत ₹ 13.00 लाख कम लगाई गई।

(अनुच्छेद 6.8)

ग. सामान्य प्रशासन विभाग

सरकार द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न निगमों के साथ उन्हें बीकानेर हाऊस, नई दिल्ली में उपयोग हेतु दी गई भूमि के लिए किराया अनुबन्ध को अन्तिम रूप नहीं दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 48.93 लाख के राजस्व की अवसूली रही।


(अनुच्छेद 6.9)

घ. लोक निर्माण विभाग

विभाग द्वारा टोल टैक्स संग्रहण के लिए संशोधित दरों को लागू नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 73.35 लाख की हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.10)

अध्याय-I
सामान्य



कार्यकारी सारांश: अध्याय-I

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	<p>राजस्थान सरकार की राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर प्राप्तियों, विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की कुल प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित है।</p> <p>वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व ₹ 27,052.24 करोड़ था जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 59 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11 के दौरान शेष 41 प्रतिशत प्राप्तियाँ (₹ 18,875.96 करोड़) भारत सरकार से थी।</p>
निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित आक्षेपों की अनुपालना नहीं करना	<p>दिसम्बर 2010 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि 2,469 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 2,748.76 करोड़ सन्निहित के 7,464 अनुच्छेद जून 2011 के अन्त तक बकाया थे। इनमें से 744 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ₹ 316.40 करोड़ सन्निहित के 1,429 अनुच्छेद, अनुपालना के अभाव में पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे।</p> <p>दिसम्बर 2010 तक जारी 103 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होने वाली प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई थी (30 जून 2011)। उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण भारी संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य का सूचक है कि महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में बतायी गयी कमियों, त्रुटियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने की कार्यवाही प्रारंभ करने में कार्यालय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष असफल रहे।</p>
पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा ध्यान में लाये गये आक्षेपों में विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	<p>वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सरकार/विभागों ने ₹ 1,122.39 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्वीकार की, जिनमें से दिसम्बर 2011 तक केवल ₹ 154.68 करोड़ (13.78 प्रतिशत)की वसूली हुई।</p>
विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि	<p>हमने पाया कि विभागों द्वारा की गई विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अनेकों लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निस्तारण में सहायक रही।</p> <p>सरकार को इन प्रयासों को लगातार रखने के लिए समुचित कार्यवाही करनी चाहिए जिससे लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की प्रणाली और सुदृढ़ हो।</p>

<p>वर्ष 2010-11 में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम</p>	<p>वाणिज्यिक कर,, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्राक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 486 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2010-11 के दौरान की गई मापक जाँच में 18,809 प्रकरणों में ₹ 2,049.08 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि ₹ 98.10 करोड़ के 13,289 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 58.83 करोड़ सन्निहित के 9,465 प्रकरण वर्ष 2010-11 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2010-11 के दौरान विभागों ने 3,284 प्रकरणों में ₹ 23.37 करोड़ संग्रहित किये।</p>
<p>इस अध्याय में हमने क्या दर्शाया है</p>	<p>इस अध्याय में हम राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, लेखापरीक्षा की ओर सरकार की अनुक्रिया, विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की स्थिति, पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सरकार द्वारा की गई अनुपालना की स्थिति, लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्तियों के बारे में सरकार/विभागों में अपनाई गई कार्य प्रणाली, निरीक्षण प्रतिवेदनों में बकाया अनुच्छेदों की स्थिति, पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न समीक्षाओं में दर्शायी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा वर्ष 2010-11 के दौरान की गई लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।</p>
<p>हमारा निष्कर्ष</p>	<p>लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र एवं उचित कार्यवाही करने के लिए सरकार में प्रक्रिया एवं तन्त्र विद्यमान नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र एवं समुचित अनुक्रिया के साथ-साथ निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समय में देने में असफल रहने तथा हानि/बकाया राजस्व की वसूली समयबद्ध तरीके से करने की कार्यवाही करने में भी असफल रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रभावी प्रक्रिया लागू करने हेतु सरकार को उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।</p> <p>स्वीकार किये गये अनुच्छेदों में सन्निहित राशि को वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक प्रभावी तन्त्र स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।</p> <p>हमने पाया कि विभागों द्वारा की गई लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसे निरन्तर रखना चाहिए।</p>

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 राजस्थान सरकार की राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्तियाँ तथा गत चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	• कर राजस्व	11,608.24	13,274.73	14,943.75	16,414.27	20,758.12
	• कर इतर राजस्व	3,430.61	4,053.93	3,888.46	4,558.22	6,294.12
	योग	15,038.85	17,328.66	18,832.21	20,972.49	27,052.24
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	6,760.37	8,527.60	8,998.47	9,258.13	12,855.63
	• सहायतार्थ अनुदान	3,792.96	4,924.36	5,638.17	5,154.39	6,020.33
	योग	10,553.33	13,451.96	14,636.64	14,412.52	18,875.96
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)	25,592.18	30,780.62	33,468.85	35,385.01	45,928.20 ¹
4.	1 की 3 से प्रतिशतता	59	56	56	59	59

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 27,052.24 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 59 प्रतिशत रहा। वर्ष 2010-11 के दौरान शेष 41 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से थीं।

¹ ब्यौरे के लिए कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2010-11 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपर्युक्त विवरण में 'राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व' में से घटाया गया है एवं 'विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग' में जोड़ा गया है।

1.1.2 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व का संयोजन प्रदर्शित करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11 में 2009-10 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	6,272.15	7,345.84	8,442.02	9,681.38	11,901.24	(+) 23
	केन्द्रीय बिक्री कर	448.56	404.90	462.48	482.15	728.35	(+) 51
2.	राज्य आबकारी शुल्क	1,591.09	1,805.12	2,169.90	2,300.48	2,861.41	(+) 24
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क						
	मुद्रांक-न्यायिक	48.84	30.61	30.61	30.47	43.07	(+) 41
	मुद्रांक-गैर-न्यायिक	863.74	1,316.41	1,137.54	1,104.79	1,522.01	(+) 38
	पंजीयन शुल्क	381.10	197.33	188.48	227.68	375.96	(+) 65
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	515.88	584.23	654.05	699.99	905.81	(+) 29
5.	मोटर वाहनों पर कर	1,023.61	1,164.40	1,213.56	1,372.87	1,612.25	(+) 17
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	247.60	160.61	189.87	176.10	230.69	(+) 31
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	(-) 50
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	46.04	58.91	64.52	58.52	64.43	(+) 10
9.	भू-राजस्व	116.71	155.29	162.52	147.66	222.17	(+) 50
10.	अन्य कर	52.86	51.04	228.16	132.14	290.71	(+) 120
	योग	11,608.24	13,274.73	14,943.75	16,414.27	20,758.12	(+) 26

सम्बन्धित विभागों ने अन्तर के निम्नलिखित कारण बताये:

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर: समुचित अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम एवं विभाग के राजस्व वसूली प्रयासों तथा कुछ वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि के कारण वृद्धि (23 प्रतिशत) हुई।

केन्द्रीय बिक्री कर: समुचित अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम एवं विभाग के राजस्व वसूली प्रयासों तथा कुछ वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि के कारण वृद्धि (51 प्रतिशत) हुई।

राज्य आबकारी शुल्क: वृद्धि (24 प्रतिशत) मुख्यतः विदेशी मदिरा तथा प्रासव की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क: गैर न्यायिक स्टाम्पस् की अधिक बिक्री, पंजीयन होने वाले दस्तावेजों की पंजीयन फीस एवं कोर्ट फीस में वृद्धि तथा जिला स्तरीय समिति की दरों में वृद्धि के कारण वृद्धि (42 प्रतिशत) हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: विद्युत के उपयोग एवं बिक्री पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (29 प्रतिशत) हुई।

मोटर वाहनों पर कर: राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष अभियान चलाने, परिवहन वाहनों से शास्ति की वसूली तथा एकबारीय कर की दरों में वृद्धि के कारण वृद्धि (17 प्रतिशत) हुई।

माल एवं यात्रियों पर कर: स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (31 प्रतिशत) हुई।

भू-राजस्व: सरकारी सम्पत्तियों की बिक्री एवं बंजर भूमि की बिक्री बढ़ने से अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (50 प्रतिशत) हुई।

अन्य कर: पुराने बकाया ₹ 109.31 करोड़ की वसूली के कारण वृद्धि (120 प्रतिशत) हुई।

1.1.3 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये कर-इतर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11 में 2009-10 पर वृद्धि (+)/ कमी(-) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	1,072.72	1,112.43	1,195.96	1,185.45	1,276.70	(+) 8
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	45.24	58.30	57.74	56.35	93.20	(+) 65
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1,196.52	1,226.61	1,275.59	1,612.26	1,929.58	(+) 20
4.	विविध सामान्य सेवाएँ	528.28	919.72	580.33	739.30	271.19	(-) 63
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	60.56	57.92	54.16	48.83	86.04	(+) 76
6.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	30.62	39.11	36.87	56.55	45.46	(-) 20
7.	सहकारिता	22.23	27.01	18.13	21.03	16.35	(-) 22
8.	सार्वजनिक निर्माण	47.47	53.41	93.43	62.75	62.10	(-) 1
9.	पुलिस	42.61	94.81	71.43	126.24	133.93	(+) 6
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	54.84	54.71	49.57	49.12	80.33	(+) 64
11.	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	329.52	409.90	455.25	600.34	2,299.24	(+) 283
	योग	3,430.61	4,053.93	3,888.46	4,558.22	6,294.12	(+) 38

सम्बन्धित विभागों ने अन्तर के निम्नलिखित कारण बताये:

वानिकी एवं वन्य जीवन: वृद्धि (65 प्रतिशत) मुख्यतः वन संरक्षक की भर्ती के लिए आवेदन पत्रों की बिक्री एवं फीस तथा वन उत्पादनों की बिक्री में अधिक प्राप्ति के कारण हुई।

अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग: वृद्धि (20 प्रतिशत) मुख्यतः खनिजों की रियायत फीस, किराये एवं रॉयल्टी की अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

विविध सामान्य सेवाएँ: राज्य सरकार द्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 से धारा 6अ को हटाने के बाद राजस्थान निर्धनता निधि से सम्बन्धित राशि को वर्ष 2009-10 के दौरान इस शीर्ष में हस्तान्तरित करने के कारण वर्ष 2010-11 में कमी (63 प्रतिशत) हुई।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई: वृद्धि (76 प्रतिशत) मुख्यतः सिंचाई एवं अन्य उद्देश्यों के लिए बेचे गये जल के प्रभारों में अधिक प्राप्ति के कारण हुई।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: कमी (20 प्रतिशत) मुख्यतः कर्मचारी राज्य बीमा योजना से कम प्राप्तियों के कारण हुई।

सहकारिता: कमी (22 प्रतिशत) मुख्यतः आडिट फीस एवं अन्य प्राप्तियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ: अन्य पार्टियों को होम गार्ड की सेवाएं देने, जुर्माना एवं जब्तियों के खाते में अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (64 प्रतिशत) हुई।

अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ: वृद्धि (283 प्रतिशत) मुख्यतः बाड़मेर क्षेत्र से कच्चे तेल के उत्पादन के कारण रॉयल्टी खाते में अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

1.2 लेखापरीक्षा की ओर सरकार की अनुक्रिया

लेखापरीक्षा टिप्पणियां सरकार को सूचित की जाती हैं जिनके उत्तर उनको एक माह के अन्दर देने होते हैं। महत्वपूर्ण अनियमितताओं पर प्रारूप अनुच्छेद वित्त विभाग के साथ-साथ सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को उत्तर भिजवाने के निवेदन के साथ अग्रेषित किये जाते हैं। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य निश्चित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये जाते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा विस्तृत उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा के उपरान्त राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करना होता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर जन लेखा समिति की सिफारिशों पर क्रियान्विति टिप्पणियाँ भेजने हेतु सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कदम उठाने होते हैं।

1.2.1 जवाबदेयता लागू करना एवं राज्य सरकार के हित की रक्षा करना

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के रख-रखाव का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की नमूना जाँच के लिए महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान, सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं जो निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष तथा उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रतिलिपि भेजते हुए जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2010 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि 2,469 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 2748.76 करोड़ सन्निहित के 7,464 अनुच्छेद जून 2011 के अन्त

तक बकाया थे, जैसा कि गत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	जून 2009	जून 2010	जून 2011
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,502	2,400	2,469
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	6,918	6,765	7,464
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	1,391.66	2,112.69	2748.76

30 जून 2011 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागानुसार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्यपरिवर्धित कर	427	1,680	344.60
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	27	27	7.29
		विद्युत कर	45	72	1.64
2.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	446	1,380	348.29
3.	भू-राजस्व	भू-राजस्व	253	388	236.69
		भूमि एवं भवन कर	11	16	0.71
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	871	2,155	92.52
5.	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	164	419	141.03
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	225	1,327	1,575.99
योग			2,469	7,464	2,748.76

दिसम्बर 2010 तक जारी 103 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होने वाली प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई थी (30 जून 2011)। उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण भारी संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य का सूचक है कि महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में बतायी गयी कमियों, त्रुटियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने की कार्यवाही प्रारंभ करने में कार्यालय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष असफल रहे।

हम सिफारिश करते हैं कि लेखापरीक्षा आक्षेपों पर शीघ्र एवं समुचित कार्यवाही करने हेतु एक प्रभावी प्रणाली शुरू करने के लिए सरकार उचित कदम उठाये तथा इसके साथ-साथ उन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें जो निर्धारित

समय सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के उत्तर भेजने में असफल रहे तथा राजस्व हानि/बकाया की वसूली के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करने में भी असफल रहे।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की निगरानी एवं शीघ्र प्रगति के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है। विभाग द्वारा एक वर्ष में कम से कम चार (प्रत्येक तिमाही में एक) लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करनी होती हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु विभाग में लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति तथा लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्यिक कर	3	13	401	155.14
परिवहन	4	1	19	1.72
भू-राजस्व	1	15	116	16.46
पंजीयन एवं मुद्रांक	3	13	349	9.01
राज्य आबकारी	3	2	12	1.99
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	2	2	74	104.70
योग	16	46	971	289.02

हमने पाया कि विभागों द्वारा की गई विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सरकार को इन प्रयासों को लगातार रखने के लिए समुचित कार्यवाही करनी चाहिए जिससे लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की प्रणाली और सुदृढ़ हो।

1.2.3 विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर, उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे। प्रारूप अनुच्छेद सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर तीन सप्ताह में भिजवा दें।

सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में आवश्यक रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद सम्बन्धित विभागों के सचिवों को जुलाई एवं नवम्बर 2011 के मध्य प्रेषित किये गये थे। जारी किये गये 89 प्रकरणों (इस प्रतिवेदन के 31 अनुच्छेदों में संकलित) में से 39 प्रकरणों में लेखापरीक्षा अनुच्छेदों को विभागों ने स्वीकार किया।

1.2.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के तीन माह के अन्दर उसमें सम्मिलित अनुच्छेदों के सम्बन्ध में अपने व्याख्यात्मक ज्ञापन लेखापरीक्षा द्वारा जांचोपरान्त राज्य विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करने होते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये तथा 31 दिसम्बर 2011 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई है। वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित कुल मिलाकर 92 अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिए वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्यविधियों के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर उन पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। हमने पाया कि परिशिष्ट 'ब' में दर्शायी 125 क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां 31 दिसम्बर 2011 को बकाया थी।

1.2.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना

वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सरकार/विभागों ने ₹ 1,122.39 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 154.68 करोड़ की वसूली दिसम्बर 2011 तक नीचे दर्शायेनुसार कर ली गई:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धन राशि	स्वीकार की गई धन राशि	की गई वसूली
2005-06	352.81	118.93	23.28
2006-07	315.25	254.28	6.55
2007-08	666.55	246.83	96.72
2008-09	392.71	71.80	21.63
2009-10			
I*	236.00	156.27	6.50
II**	402.85	274.28	-
योग	2,366.17	1,122.39	154.68

* राजस्व प्राप्तियाँ ** खनिज प्राप्तियाँ

गत पाँच वर्षों के दौरान स्वीकार की गई राशि ₹ 1,122.39 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 154.68 करोड़ (13.78 प्रतिशत) ही वसूल हुए।

1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्तियों के बारे में अपनायी गई कार्य-प्रणाली

गत दस वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों तथा पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित समीक्षाओं पर विभागों/सरकार द्वारा की गई कार्यवाही नीचे दर्शायी गई है:

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

30 जून 2011 को निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1.7.2010 को प्रारंभिक शेष ²			वर्ष के दौरान वृद्धि ³			वर्ष के दौरान निस्तारण ⁴			अन्तिम शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2001-02 तक	134	220	13.29	-	-	-	23	40	3.87	111	180	9.42
2002-03	92	143	8.95	-	-	-	18	26	0.63	74	117	8.32
2003-04	153	275	38.95	-	-	-	29	57	11.77	124	218	27.18
2004-05	242	509	184.21	-	-	-	42	108	120.52	200	401	63.69
2005-06	266	646	213.26	-	-	-	31	133	5.47	235	513	207.79
2006-07	336	867	178.20	-	-	-	29	122	20.81	307	745	157.39
2007-08	385	1,022	174.89	-	-	-	48	177	10.57	337	845	164.32
2008-09	471	1,744	482.17	-	-	-	77	400	38.25	394	1,344	443.92
2009-10	321	1,339	820.85	183	891	705.24	77	497	346.42	427	1,733	1,179.67
2010-11	-	-	-	289	1,497	491.62	29	129	4.56	260	1,368	487.06
योग	2,400	6,765	2,114.77	472	2,388	1,196.86	403	1,689	562.87	2,469	7,464	2,748.76

दिसम्बर 2010 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शित करते हैं कि 744 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ₹ 316.40 करोड़ के 1,429 अनुच्छेद अनुपालना के अभाव में पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे।

² प्रारम्भिक शेष का वर्ष 2010-11 के दौरान मिलान किया गया।

³ जुलाई 2009 से जून 2010 के मध्य की गई लेखापरीक्षा, जिनके निरीक्षण प्रतिवेदन जनवरी 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान जारी किये गये।

⁴ जुलाई 2010 से जून 2011 ।

1.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाये गये मामलों पर विभागों/सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन

1.3.2.1 स्वीकार किए गए प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित, विभागों द्वारा स्वीकार किए गए अनुच्छेदों तथा 31 दिसम्बर 2011 तक वसूल की गई राशि की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत प्रकरणों में कुल वसूली की स्थिति
2000-01	44	421.94	उपलब्ध नहीं	39.29	शून्य	22.54
2001-02	45	448.86	36	99.65	शून्य	30.52
2002-03	46	382.52	36	220.03	शून्य	62.83
2003-04	31	381.48	30	234.77	शून्य	49.52
2004-05	27	276.63	23	16.14	0.08	6.15
2005-06	39	352.81	27	118.93	1.10	23.28
2006-07	41	315.25	25	254.28	3.39	6.55
2007-08	39	666.55	33	246.83	14.71	96.72
2008-09	48	392.71	33	71.80	4.74	21.63
2009-10						
I*	27	236.00	15	156.27	6.50	6.50
II**	37	402.85	32	274.28	-	-
योग	424	4,277.60	290	1,732.27	30.52	326.24

* राजस्व प्राप्तियाँ ** खनिज प्राप्तियाँ

वर्ष 2000-01 से 2009-10 के दौरान ₹ 4,277.60 करोड़ सन्निहित के 424 अनुच्छेद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित थे। सरकार/विभागों ने ₹ 1,732.27 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्वीकार की, जिनमें से गत 10 वर्षों के दौरान केवल ₹ 326.24 करोड़ (18.83 प्रतिशत) ही वसूल किये गये (31 दिसम्बर 2011)।

हमारा सुझाव है कि सरकार को ऐसी प्रणाली तैयार करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम स्वीकार किये गये अनुच्छेदों में सन्निहित राशि की तो वसूली हो सके।

⁵ जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2011

1.3.2.2 विभिन्न समीक्षाओं में दर्शायी गई सिफारिशों पर कार्यवाही करना

सरकार से अपेक्षा है कि महालेखाकार द्वारा की गई विभिन्न समीक्षाओं में दर्शाई गई स्वीकार्य सिफारिशों पर समुचित कार्यवाही करें। गत पाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आठ विभागों की दस समीक्षाओं में दर्शायी गई स्वीकार्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति परिशिष्ट 'स' में दर्शायी गयी है। सरकार को इसमें निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने, नये दिशा-निर्देश जारी करने, प्रभारों/फीस की वसूली के मामलों में पुनः परीक्षण करने आदि की कार्यवाही करना सम्मिलित है।

1.4 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के अलावा सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन, जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदनों, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, गत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टता, गत पाँच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा किया गया क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध सभी 922 इकाइयों में से वर्ष 2010-11 के दौरान 486 इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना बनायी तथा लेखापरीक्षा की गई, जो लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध इकाइयों की 53 प्रतिशत है। इस अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त तीन निष्पादन लेखापरीक्षा भी इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता जाँचने के लिए की गई थी।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.5.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 486 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2010-11 के दौरान की गई मापक जाँच में 18,809 प्रकरणों में ₹ 2,049.08 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि ₹ 98.10 करोड़ के 13,289 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 58.83 करोड़ सन्निहित के 9,465 प्रकरण वर्ष 2010-11 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2010-11 के दौरान विभागों ने 3,284 प्रकरणों में ₹ 23.37 करोड़ संग्रहित किये।

1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ₹ 481.29 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 28 अनुच्छेद (ऊपर सन्दर्भित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान तथा पूर्व वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा खोजे गये, जिन्हें पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया, में से चयनित) तथा ₹ 106.89 करोड़ वित्तीय प्रभाव सन्निहित की 'अन्तर्राज्यीय/व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त होने वाले घोषणा-पत्रों का प्रति-सत्यापन', 'मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटराइजेशन' तथा 'आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' विषय पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षा (कुल ₹ 588.18 करोड़) सम्मिलित की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 313.81 करोड़ सन्निहित की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्वीकार की, जिनमें से ₹ 5.81 करोड़ वसूल कर लिए गये। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2011)। इन पर आगामी अध्याय-II से VI में चर्चा की गई है।

अध्याय-II

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर



कार्यकारी सारांश: अध्याय-II

कर संग्रह में बढ़ोतरी	वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष 2010-11 के लिये बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर मद में गत वर्ष से 24 प्रतिशत अधिक संग्रहण हुआ जो कि विभाग द्वारा वेट की दरों में बढ़ोतरी, प्रवर्तन कार्यवाही में वृद्धि, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में संशोधन और बकाया संग्रहण से हुआ।
विभाग द्वारा हमारे पूर्ववर्ती वर्षों के आक्षेपों पर न्यूनतम वसूली	वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान, हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 302.12 करोड़ राजस्व प्रभाव के 49 अनुच्छेद अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, पण्यवर्त को छिपाना/कर की गलत दर लगाना, कर की गलत गणना इत्यादि से सम्बन्धित दर्शाये गये हैं। इनमें से ₹ 173.97 करोड़ के 31 अनुच्छेदों को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया जिनमें से 20 अनुच्छेदों में केवल ₹ 3.45 करोड़ वसूल किये गये। वसूली की स्थिति की तुलना स्वीकार किये गये आक्षेपों के सम्बन्ध में केवल दो प्रतिशत थी।
आन्तरिक लेखापरीक्षा	आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के वृत्त/वार्ड की लेखापरीक्षा महत्ता एवं राजस्व प्राप्ति के आधार पर की गई थी। वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादन में 15 और 40 प्रतिशत के मध्य कमी रही। हमने पाया कि वर्ष 2010-11 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के बकाया 19,018 अनुच्छेदों को निपटाने के लिए विभाग ने गम्भीर प्रयास नहीं किये। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005-06 तक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 8,944 अनुच्छेद बकाया थे। इस प्रकार आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा उठाये गये मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने से आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।
वर्ष 2010-11 में हमारे द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2010-11 में बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर से सम्बन्धित 77 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच की और हमने 1,729 प्रकरणों में ₹ 327.32 करोड़ के कर, ब्याज, शास्ति आदि का कम/अवनिर्धारण पाया। वर्ष 2010-11 के दौरान, विभाग में 530 प्रकरणों में ₹ 4.69 करोड़ के कर का कम/अवनिर्धारण, अनियमित छूट, ब्याज का अनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 20.00 लाख के 45 प्रकरण वर्ष 2010-11 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। लेखापरीक्षा

	के इंगित करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 में 6 प्रकरणों में ₹ 2.00 लाख की वसूली हुई।
इस अध्याय में हमने क्या मुख्य बिन्दु दर्शाये हैं	इस अध्याय में 'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त होने वाले घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा ₹ 98.98 करोड़ की सम्मिलित है। वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जाँच में आक्षेपों में से ₹ 6.20 करोड़ के विभिन्न प्रकरण, कर का अनारोपण/कम अरोपण, छूट की अनियमित स्वीकृति, ब्याज का अनारोपण एवं अन्य अनियमितताएँ जिनमें अधिनियमों/नियमों की अनुपालना नहीं की गई, प्रस्तुत किए गये हैं। यह चिन्ता का विषय है कि इस प्रकार की कमियाँ हमारे द्वारा पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी दर्शाई गई थी, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की।
हमारे निष्कर्ष	'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त होने वाले घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रणाली एवं अनुपालना की कमियाँ पायी गई जिनमें सुधार की आवश्यकता है। हमारे द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं नियमों की पालना के सम्बन्ध में प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु विशिष्ट सिफारिशों की गई। हमारे द्वारा प्रशमन कर योजना के अन्तर्गत व्यवहारियों के निर्धारण प्रकरणों के सम्बन्ध में जहाँ योजना की शर्तों की पालना किए बिना योजना में लाभ स्वीकृत किया है, को दर्शाया गया है।
हमारी सिफारिशें	(i) 'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त होने वाले घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा आधारित विशिष्ट सिफारिशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं नियमों की पालना हेतु सरकार को प्रशासन को सुदृढ़ करना चाहिए; (ii) प्रशमन कर योजना के अनुसार योजना की कठोर शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावें; (iii) सरकार को बकाया की वसूली के लिए नियमित एवं सामयिक कार्यवाही करनी चाहिए और बकाया बढ़ोत्तरी से बचना चाहिए; (iv) अधिनियमों एवं नियमों की अनुपालना कराने एवं राजस्व की छीजत रोकने हेतु सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए; तथा (v) स्वीकार की गई राशि की वसूली एवं बकाया अनुच्छेदों के निपटान हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है।

अध्याय-II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

वाणिज्यिक कर विभाग मुख्य रूप से मूल्य परिवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर एवं विद्युत शुल्क से संबंधित कार्य देखता है, जो निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों से विनियमित होते हैं:

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (रा.मू.प.कर) अधिनियम, 2003;
2. केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956;
3. राजस्थान में स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999;
4. राजस्थान विलासिता कर (होटल और ठहराव घरों में) अधिनियम, 1990;
5. राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957; तथा
6. राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 ।

राजस्थान में मूल्य परिवर्धित कर के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (रा.मू.प.क.अ.), जो 01.04.2006 से लागू है, द्वारा शासित होते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्तर-राज्य बिक्री के मामलों में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के.बि.क.अ.) एवं उसके अधीन निर्मित नियम भी प्रचलन में हैं।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विभाग स्तर पर बिक्री/मूल्य परिवर्धित कर के प्रशासन के लिये उत्तरदायी है जबकि सचिव, वित्त विभाग, शासन स्तर पर प्रशासनिक शक्तियों को लागू करता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर की सहायता हेतु सात अतिरिक्त आयुक्त, 34 उपायुक्त, 48 सहायक आयुक्त, 101 वाणिज्यिक कर अधिकारी और 523 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी हैं।

2.2 बजट तैयारियों का विश्लेषण

वर्ष 2010-11 तक समाप्त गत पांच वर्षों का 'बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर' शीर्ष के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान निम्न प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अन्तर अधिक (+) या कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत
2006-07	6,240.00	6,650.00	(+) 410	(+) 6.57
2007-08	7,676.00	7,600.00	(-) 76	(-) 0.99
2008-09	8,500.00	9,100.00	(+) 600	(+) 7.06
2009-10	10,030.00	10,200.00	(+) 170	(+) 1.69
2010-11	11,730.00	12,300.00	(+) 570	(+) 4.86

बजट अनुमान मुद्रा स्फीति प्रवृत्ति व सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखकर तैयार किये गये थे। वर्ष 2006-11 में बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान में मामूली विचलन (-) 0.99 से (+) 7.06 प्रतिशत रहा। उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण वस्तुओं की कर दरों में बदलाव होना रहा।


2.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की वर्ष 2006-07 से 2010-11 की वास्तविक प्राप्तियों के साथ इसी अवधि की राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर अधिक(+)/कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	बढ़ोतरी की दर	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्ति का कुल कर प्राप्ति पर प्रतिशत
2006-07	6,650.00	6,720.71	(+) 70.71	(+) 1.06	20.15	11,608.24	57.90
2007-08	7,600.00	7,750.74	(+)150.74	(+) 1.98	15.33	13,274.73	58.39
2008-09	9,100.00	8,904.50	(-) 195.50	(-) 2.15	14.89	14,943.75	59.59
2009-10	10,200.00	10,163.53	(-) 36.47	(-) 0.36	14.14	16,414.27	61.92
2010-11	12,300.00	12,629.59	(+)329.59	(+) 2.68	24.26	20,758.12	60.84

वर्ष 2010-11 के दौरान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर से प्राप्तियों के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों (बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की प्राप्तियों को छोड़कर) को निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है:



बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की प्राप्तियाँ राज्य की कुल प्राप्तियों की 58 से 62 प्रतिशत रही। इस मद के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रहण में सतत वृद्धि रही। कुल प्राप्तियों के संदर्भ में वर्ष 2006-07 में 20.15 प्रतिशत से घटकर वर्ष

2007-08 से 2009-10 में 14 एवं 15 प्रतिशत तथा पुनः वर्ष 2010-11 में 24 प्रतिशत बढ़ोतरी दर रही।

2.4 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को राजस्व की बकाया राशि ₹ 3,019.69 करोड़ थी जिसमें से ₹ 857.26 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। निम्नलिखित सारणी में 31 मार्च 2011 को राजस्व के बकाया की स्थिति दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	1.4.2010 को बकाया का प्रारंभिक शेष	वर्ष 2010-11 के दौरान संग्रहित की गई राशि	31.3.2011 को बकाया का अन्तिम शेष
2005-06 तक	899.74	42.48	857.26
2006-07	199.47	17.04	182.43
2007-08	353.91	66.79	287.12
2008-09	1003.92	274.89	729.03
2009-10	2120.99	1157.14	963.85
योग	4,578.03	1,558.34	3,019.69

वर्ष 2009-10 तक कुल बकाया राशि ₹ 3,019.69 करोड़ रही। हमने पाया कि लगभग एक तिहाई (₹ 857.26 करोड़) 5 वर्षों से अधिक बकाया है, जिसकी वसूली की सम्भावना कम है।

हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार को बकाया की वसूली के लिए नियमित एवं समय से कार्यवाही करनी चाहिये और बकाया में बढ़ोतरी से बचना चाहिए।

2.5 मूल्य परिवर्धित कर की प्रति करदाता लागत

निम्नलिखित विवरण गत पांच वर्षों के दौरान बिक्री कर/मूल्य परिवर्धित कर की प्रति करदाता लागत दर्शाता है:

वर्ष	करदाताओं की संख्या	बिक्री कर राजस्व (₹ करोड़ में)	प्रति करदाता राजस्व (₹ प्रति लाख में)
2006-07	3,00,909	6,720.21	2.23
2007-08	3,19,537	7,750.74	2.43
2008-09	3,44,852	8,904.50	2.58
2009-10	3,76,688	10,163.53	2.70
2010-11	4,09,323	12,629.59	3.09

2.6 कर निर्धारण में बकाया

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान कर निर्धारण के लम्बित प्रकरणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	निर्धारण योग्य नये प्रकरण	योग	निपटाये गये प्रकरण	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण
2006-07	877	2,43,771	2,44,648	2,43,618	1,030
2007-08	1,030	2,57,923	2,58,953	2,57,609	1,344
2008-09	1,344	2,54,289	2,55,633	2,55,262	371
2009-10	371	3,03,950	3,04,321	3,04,222	99
2010-11	99	3,20,298	3,20,397	3,20,382	15

अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द 'निर्धारण' का आशय विवरणियों का स्व-निर्धारण निपटान या विभाग द्वारा निपटान माना जाए। विभाग द्वारा कितने प्रकरणों को कर लेखापरीक्षा हेतु चयन किया और कर लेखापरीक्षा पूर्ण की गई, सूचित नहीं किया गया, क्योंकि उनके द्वारा लेखापरीक्षा हेतु किसी भी प्रकरण का चयन नहीं किया गया। राज्य सरकार के समक्ष प्रकरण (अगस्त 2011) ध्यान में लाया गया। आयुक्त, वाणिज्यिक कर के साथ चर्चा की। विभाग ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के प्रकरणों का वैट लेखापरीक्षा के चयन हेतु विशिष्ट मापदण्डों का निर्धारण किया (नवम्बर 2009)। आगे, विभाग ने सूचित किया कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 की धारा 47 के अनुसार वर्ष 2008-09 में वैट लेखापरीक्षा प्रारम्भ की जा चुकी है (वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के लिए न तो विशिष्ट मापदण्ड निर्धारित थे और न ही वैट लेखापरीक्षा की गई)।

2.7 संग्रहण की लागत

राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान संग्रहण व्यय के सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1	2006-07	6,720.71	60.05	0.90	0.82
2.	2007-08	7,750.74	53.76	0.70	0.83
3.	2008-09	8,904.50	70.21	0.80	0.88
4.	2009-10	10,163.53	85.90	0.85	0.96
5	2010-11	12,629.59	86.97	0.69	उपलब्ध नहीं

2.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

वर्ष 2009-10 तक के गत पांच वर्षों में, हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 302.12 करोड़ राजस्व प्रभाव के 48 अनुच्छेद अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, पण्यवर्त को छिपाना/कर की गलत दर लगाना, कर की गलत गणना इत्यादि से सम्बन्धित दर्शाये। इनमें से ₹ 173.97 करोड़ के 30 अनुच्छेदों को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया और जिनमें से ₹ 3.45 करोड़ की वसूली (दिसम्बर 2011) कर ली गई जिसका विवरण नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2005-06	14	100.98	10	10.02	5	1.55
2006-07	11	150.60	6	144.26	3	0.14
2007-08	5	17.88	2	0.32	2	0.32
2008-09	10	28.24	8	17.79	6	0.96
2009-10	8	4.42	5	1.58	4	0.48
योग	48	302.12	31	173.97	20	3.45

18 प्रकरणों में स्वीकार की गई ₹ 7.19 करोड़ में से ₹ 3.45 करोड़ की वसूली हुई। स्वीकार की गई राशि से वसूली कम है क्योंकि कुछ प्रकरणों में मांग ऐसे व्यवहारियों के विरुद्ध लम्बित थी जिनका अता-पता नहीं था जबकि अन्य प्रकरणों में वसूली, विभिन्न स्तरों पर लम्बित थी।

स्वीकार की गई राशि की वसूली एवं बकाया अनुच्छेदों के निपटान हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है।

2.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का वित्तीय सलाहकार प्रमुख होता है। विभाग में, 13 आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं और प्रत्येक का सहायक लेखाधिकारी नेतृत्व करता है। इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना उसकी महत्ता एवं अर्जित राजस्व के आधार पर की जाती है। विगत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

की स्थिति निम्नानुसार रही:

वर्ष	लम्बित इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का बकाया होना	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा में बकाया इकाई	प्रतिशत कमी
2006-07	2	443	445	445	-	-
2007-08	0	443	443	378	65	15
2008-09	65	396	461	357	104	23
2009-10	104	393	497	299	198	40
2010-11	198	384	582	489	93	16

वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान 15 और 40 प्रतिशत के मध्य आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादन में कमी रही।

हमें यह भी ध्यान में आया कि वर्ष 2010-11 के अन्त तक बकाया आन्तरिक लेखापरीक्षा के 19,018 अनुच्छेदों के निपटान के लिए विभाग ने गम्भीर प्रयास नहीं किये। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2005-06 तक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	योग
अनुच्छेदों की संख्या	8,944	1,966	2,087	2,002	2,143	1,876	19,018

हमने पाया कि वर्ष 2005-06 तक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 8,944 अनुच्छेद बकाया थे। इस प्रकार आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने से आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण के लिए एक आवश्यक हिस्सा है।

अधिनियम व नियमों की अनुपालना कराने एवं राजस्व की छीजत रोकने हेतु सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ करने का विचार करना चाहिए।

2.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010-11 में वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित 77 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच की, हमने 1,729 प्रकरणों में ₹ 327.32 करोड़ के कर के कम/अवनिर्धारण, अनियमित छूट प्रदान करना, ब्याज का अनारोपण एवं अन्य अनियमितताएँ पायी, जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त होने वाले घोषणा प्रपत्रों का प्रति सत्यापन' (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	98.98
2.	कर योग्य पण्यवर्त का निर्धारण नहीं करना	441	62.04
3.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	112	2.33
4.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	71	4.83
5.	अनियमित छूट प्रदान करना	119	11.92
6.	क्रय कर का अनारोपण	16	0.37
7.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	64	2.06
8.	अन्य अनियमितताएँ	905	144.79
योग		1,729	327.32

वर्ष 2010-11 के दौरान, विभाग ने 530 प्रकरणों में ₹ 4.69 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 20.00 लाख के 45 प्रकरण वर्ष 2010-11 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2010-11 के दौरान 36 प्रकरणों में ₹ 26.00 लाख वसूल किये जिनमें से ₹ 2.00 लाख के 6 प्रकरण वर्ष 2010-11 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त होने वाले घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन' पर ₹ 98.98 करोड़ सन्निहित की एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं ₹ 6.20 करोड़ के कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

2.11 'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त होने वाले घोषणा पत्रों के प्रति सत्यापन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- 'सी' फार्म के 14 प्रकरणों एवं 'एफ' फार्म के आठ प्रकरणों में, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम/नियमों के विपरीत निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत घोषणा-पत्रों के मामलों में ₹ 58.07 करोड़ की छूट/राहत स्वीकृत की गई। आगे, 18 वृत्त कार्यालयों के 103 प्रकरणों में विलम्ब से प्रस्तुत फार्मों तथा विलम्ब को माफ करने के कारणों को अभिलिखित किये बिना ₹ 18.52 करोड़ की सृजित मांगों को गलत रूप से कम कर दिया गया।

(अनुच्छेद 2.11.10.1)

- निर्धारण प्राधिकारी ने अन्तर कर की गलत दर एवं बिना 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री के दो प्रकरणों में ₹ 15.29 लाख के ब्याज एवं ₹ 48.24 लाख का कर कम आरोपित किया।

(अनुच्छेद 2.11.10.3)

- निर्धारण प्राधिकारी ने ऐसे 'एफ' फार्मों पर ₹ 23.26 करोड़ की अनियमित कर छूट स्वीकृत की, जो कि उक्त माल के प्रेषण के सबूतों से समर्थित नहीं थे, जबकि अधिनियम के अनुसार ऐसा अनिवार्य था।

(अनुच्छेद 2.11.10.4)

- निर्धारण प्राधिकारी ने एक तिमाही/एक माह से अधिक के संव्यवहारों से सम्बन्धित अवैध 'सी' एवं 'एफ' फार्म घोषणा-पत्रों के आधार पर ₹ 3.93 लाख ब्याज के अतिरिक्त ₹ 10.40 लाख के कर की अनियमित छूट/राहत स्वीकृत की गई।

(अनुच्छेद 2.11.10.5)

- यद्यपि विभाग को बिहार राज्य के कुछ व्यवहारियों द्वारा राजस्थान के व्यवहारियों को जारी फर्जी घोषणा-पत्रों की जानकारी थी, विभाग द्वारा बिहार राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों से राजस्थान के व्यवहारियों को जारी घोषणा-पत्रों का प्रति-सत्यापन नहीं किया और ₹ 3.15 करोड़ के कर की अनियमित छूट स्वीकृत की गई।

(अनुच्छेद 2.11.10.6)

- माल की खरीद के साथ-साथ बिक्री ₹ 118.33 लाख को छिपाये जाने के कारण हुए करापवंचन के कारण ₹ 4.73 लाख का कर, ₹ 2.60 लाख का ब्याज एवं ₹ 9.47 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

(अनुच्छेद 2.11.10.8)

- अन्तर्राज्यीय बिक्री के कम लेखांकन के कारण ₹ 31.52 लाख का कर छिपाया गया और एजेंट को 'एफ' फार्म के विरुद्ध अधिक स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप ₹ 8.98 लाख का कर छिपाया गया। इसके अतिरिक्त, ब्याज ₹ 24.62 लाख एवं शास्ति ₹ 80.99 लाख भी आरोपणीय थी।

(अनुच्छेद 2.11.10.9)

- घोषणा-पत्रों का उपयोग वास्तव में हकदार व्यवहारियों को जारी घोषणा-पत्रों के स्थान पर अन्य द्वारा किया गया जिससे व्यवहारियों द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत 'सी' एवं 'एफ' फार्म के गलत उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 34.15 लाख के कर के अतिरिक्त ₹ 17.44 लाख के ब्याज एवं ₹ 67.39 लाख के शास्ति की अनियमित रियायत/छूट प्रदान की गई।

(अनुच्छेद 2.11.10.10)

- सम्बन्धित राज्यों के निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा जारी नहीं किये गये घोषणा-पत्रों के मद्देनजर 'सी'/'एफ' फार्मों के फर्जी घोषणा-पत्रों के उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 4.04 लाख के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ब्याज एवं शास्ति भी आरोपणीय थी।

(अनुच्छेद 2.11.11)

- घोषणा-पत्रों के प्रति-सत्यापन प्रणाली स्थापित नहीं होने के परिणामस्वरूप 'सी' फार्मों से सम्बन्धित ₹ 2.59 करोड़ की कर, ब्याज एवं शास्ति का अपवंचन हुआ जिससे निर्धारण प्राधिकारी फर्जी घोषणा-पत्रों तथा अन्य अनियमितताओं का पता नहीं लगा सके।

(अनुच्छेद 2.11.12)

- विभाग द्वारा व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक घोषणा-पत्रों के प्रति-सत्यापन की प्रणाली विकसित नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 'कर सूचना विनियम पद्धति' से सम्बन्धित वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा बेस से मिलान से पूर्व ही कर छूट/राहत प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा उन व्यवहारियों का डाटा अद्यतन नहीं किया गया, जिनका पंजीयन निरस्त किया जा चुका, जिसके कारण अन्य राज्यों के सम्बन्धित व्यवहारियों को व्यवहारी के बारे में सही स्थिति जानने में असुविधा हुई।

(अनुच्छेद 2.11.13)

2.11.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, पंजीकृत व्यवहारियों निर्धारित प्रपत्र 'सी' तथा 'एफ' में घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों पर निर्धारित रियायतों एवं कर छूट के पात्र है। राज्य सरकार व्यवहारियों को व्यापार एवं वाणिज्यिक के बढ़ावे लिये यह प्रोत्साहन प्रदान करती है। वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) का यह दायित्व है कि वह ऐसे घोषणा पत्रों का उचित लेखा

रखे तथा घोषणा पत्रों के दुरुपयोग के प्रति पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय करे जिन पर राजकोष से कर राहत के रूप में भारी मात्रा में राजस्व स्वीकृत करना निहित हो।

प्रपत्र 'सी'

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक व्यवहारी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान में किसी पंजीकृत व्यवहारी को किसी ऐसे माल की बिक्री करता है, जो क्रेता व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट हो तो वह ऐसे पण्यवर्त पर 31 मार्च 2007 तक चार प्रतिशत, 01 अप्रैल 2007 से 31 मई 2008 तक तीन प्रतिशत तथा इसके पश्चात् दो प्रतिशत की रियायती दर से कर का भुगतान करेगा बशर्ते इस प्रकार की बिक्री प्रपत्र 'सी' घोषणा पत्र से समर्थित हो।

प्रपत्र 'एफ'

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यवहारी माल की बिक्री न कर माल को उसके व्यवसायिक स्थान से राज्य के बाहर किसी दूसरे राज्य के किसी अभिकर्ता या उसके प्रमुख को हस्तान्तरित करता है तो वह माल के प्रेषण के प्रमाण के साथ दूसरे स्थान के प्रमुख अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ता जैसा भी प्रकरण हो, के द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रपत्र 'एफ' में प्रस्तुत करने पर कर से मुक्त है। यदि व्यवहारी इस प्रकार का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उस माल का चलन इस अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिये बिक्री से जनित अवसर माना जावेगा।

दण्डनीय उपाय

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2ए), जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 61(1) के साथ पठनीय है, के अनुसार यदि कोई व्यवहारी किसी भी रूप में कर की चोरी या अवहेलना करता है तो बचाये गये अथवा अवहेलना किये गये कर की राशि से दुगुनी राशि के बराबर राशि का भुगतान शास्ति के रूप करने के लिये उत्तरदायी होगा।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 6ए की उप धारा (1) अथवा धारा 8 की उपधारा (4) के अन्तर्गत घोषणा प्रस्तुत करता है जिसे वह जानता है अथवा उसे झूठा मानने के लिये पर्याप्त कारण है तो वह साधारण कैद जो छः माह तक बढ़ाई जा सकती है अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा। आगे, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10ए के अनुसार, यदि कोई क्रेता व्यक्ति केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (सी)¹ के अधीन अपराध का दोषी होता है तो अधिनियम के अधीन उसे पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने वाला, या जैसी भी स्थिति हो, जारी करने हेतु

¹ पंजीकृत व्यवहारी नहीं होते हुए भी, अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल खरीदते समय ऐसा झूठा दावा करते हैं कि वह पंजीकृत व्यवहारी है।

सक्षम प्राधिकारी, उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद लिखित आदेश द्वारा यदि ऐसी बिक्री धारा 8 की उपधारा (2) की परिधी में आती है तो कर की डेढ़ गुणा तक राशि उस पर शास्ति के रूप में लगा सकेगा।

कर सूचना विनियम पद्धति

‘कर सूचना विनियम पद्धति’ (टाइनेक्सस) अन्तर्राज्यीय व्यवहारियों का एक एकीकृत केन्द्र है जो भारत के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक कर विभागों में प्रभावी निगरानी तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार में सहायता करने हेतु इस वेबसाइट का निर्माण किया गया है। ‘कर सूचना विनियम पद्धति’ का इस्तेमाल किसी भी व्यवहारी द्वारा किसी भी राज्य में उसके अन्तर्राज्यीय व्यवहारी के सत्यापन हेतु भी किया जा सकता है व्यवहारियों के सत्यापन के अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों द्वारा भी दूसरे राज्यों द्वारा जारी किये गये केन्द्रीकृत वैधानिक प्रपत्रों तथा व्यवहारियों द्वारा उनको राहत/छूट के दावों के साथ प्रस्तुत किये जाने के सत्यापन हेतु भी ‘कर सूचना विनियम पद्धति’ के इस्तेमाल की मांग रहती है। कर सूचना विनियम पद्धति वाणिज्यिक कर विभागों को अन्तर्राज्यीय व्यापारिक गतिविधियों का निगरानी करने हेतु प्रबन्धकीय सूचना तथा व्यापारिक सूचनाये उपलब्ध कराता है तथा एम्पावर्ड समिति को अन्तर्राज्यीय व्यापार प्रवृत्तियों के निगरानी में सहायक होता है।

2.11.2 विषय का चयन

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में घोषणा प्रपत्र ‘सी’ एवं ‘एफ’ के आधार पर कर राशि में भारी मात्रा में राहत स्वीकृत होती है, जो व्यवहारियों को झूठे/गलत घोषणा प्रपत्रों आदि के द्वारा इन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है, इसी कारण हमने इस विषय का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु किया है।

2.11.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में आयुक्त वाणिज्यिक कर केन्द्रीय बिक्री कर प्राप्तियों का संचालन करता है। आयुक्त की सहायता के लिये सात अतिरिक्त आयुक्त, 34 उपायुक्त, 48 सहायक आयुक्त, 101 वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा 523 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी हैं।

2.11.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमारे द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गयी कि क्या:

- घोषणा प्रपत्रों की अभिरक्षा तथा जारी किये जाने हेतु सुस्पष्ट व्यवस्था है;
- करापवंचना को रोकने के लिये प्रपत्रों की सत्यता को सुनिश्चित करने की व्यवस्था है;

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कर राहत/छूट मूल घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित थी;
- व्यवहारियों के विवरण को कर सूचना विनियम पद्धति वेब-साईट पर डालने तथा उसमें उपलब्ध सूचना/तथ्यों का उपयोग प्रपत्रों की सत्यता की जाँच में किये जाने की व्यवस्था है;
- कपट पूर्ण अवैध तथा दोष पूर्ण (सही नहीं या पूरे विवरण का अभाव) प्रपत्रों की प्राप्ति अथवा पता लगाने के लिए उचित कदम उठाये गये हैं; तथा
- प्रभावी तथा पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की व्यवस्था है।

2.11.5 लेखापरीक्षा का मापदण्ड

वाणिज्यिक कर विभाग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित नियमों/अधिनियमों के प्रावधानों विरुद्ध किया गया:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकृत एवं पण्यवर्त) नियम, 1957;
- केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957;
- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003; तथा
- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 ।

2.11.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु चयनित 81 वाणिज्यिक कर इकाइयों में से 20 इकाइयों² को निष्पादन लेखापरीक्षा में, जिनमें वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण पूर्ण किये जा चुके थे, को लिया गया।

हमने घोषणा प्रपत्रों के विवरण जिनके विरुद्ध राहत एवं छूट प्रदान की गयी थी को सम्बन्धित राज्य महालेखाकार कार्यालयों को सत्यापन हेतु अग्रेषित किया। सम्बन्धित महालेखाकारों द्वारा इन विवरणों का सत्यापन सम्बन्धित राज्यों के वाणिज्यिक कर कार्यालयों के अभिलेखों से किया गया। सत्यापन परिणामों के प्राप्त होने के आधार पर इनकी आगे की जाँच हमारे द्वारा सम्बन्धित वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय से की गयी।

² वृत्त 'ए' अलवर, विशेष भरतपुर, विशेष भीलवाड़ा, 'बी' भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, जयपुर; 'ए', 'ई', 'आई', 'जे', विशेष-IV, विशेष-V, जोधपुर विशेष-I, 'सी', किशनगढ़, विशेष-III, कोटा, रामगंजमंडी, राजसमंद तथा उदयपुर 'बी', 'सी' विशेष।

2.11.7 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना तथा अभिलेख उपलब्ध कराने में सहयोग देने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार प्रकट करता है। दिनांक 07 दिसम्बर 2010 को आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर के कार्यालय में एक प्रवेश बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को समझाया गया था। प्रतिवेदन सरकार तथा आयुक्त को सितम्बर 2011 में अग्रेषित किया गया। दिनांक 23 जनवरी 2012 को आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग एवं सचिव वित्त (राजस्व) के साथ एक समापन बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों पर चर्चा की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा पर जबाब प्रतीक्षित था।

2.11.8 केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर में प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर कमी (-) आधिक्य (+)	अन्तर का प्रतिशत
2006-07	378.53	448.55	(+)70.02	(+) 18.50
2007-08	415.55	404.90	(-)10.65	(-)2.56
2008-09	455.36	462.48	(+)7.12	(+)1.56
2009-10	430.36	482.15	(+)51.79	(+)12.03
2010-11	630.00	728.35	(+)98.35	(+)15.61

हमने देखा कि केन्द्रीय बिक्री कर राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2006-07, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान संशोधित अनुमानों व वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक अन्तर था। वर्ष 2010-11 में संशोधित अनुमानों में 46 प्रतिशत की वृद्धि होने के उपरान्त भी वास्तविक प्राप्तियाँ 16 प्रतिशत तथा वर्ष 2009-10 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक थी।

जब हमने यह इंगित किया, विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2011) कि वर्ष 2006-07 में व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि होने के कारण प्राप्तियों में वृद्धि हुई, जो यह दर्शाता है कि संशोधित अनुमान भी केन्द्रीय बिक्री कर प्राप्तियों में वृद्धि प्राप्त करने में असफल रहे। वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में अनुमानों तथा प्राप्तियों में भारी अन्तर तथा वर्ष 2010-11 में व्यापक वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये।

2.11.9 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

2.11.9.1 प्रणाली की कमियाँ

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 जो केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा पण्यावर्त) नियम, 1957 के नियम, 12 तथा केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम 17 के साथ पठनीय है, में प्रपत्रों की सुरक्षा, उपयोग तथा निगरानी की प्रक्रिया दी गयी है।

हमारे द्वारा अभिलेखों की मापक जाँच में पाया गया कि:

2.11.9.2 विभाग द्वारा वर्तमान तथा अप्रचलित घोषणा-पत्रों का नमूना डाटाबेस नहीं रखा जाना

- (i) केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम 17(10) के अनुसार आयुक्त वाणिज्यिक कर अधिसूचना के द्वारा, यह घोषणा कर सकता है कि किसी प्रमुख शृंखला, रंग व प्रकृति के घोषणा पत्र उस तारीख से जो अधिसूचना में दी गयी है से अप्रचलित तथा अवैध माने जायेंगे। इस अधिसूचना की प्रतिलिपि अन्य राज्य सरकारों को उनके राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित की जावेगी।

हमारे द्वारा उक्त प्रावधानों की अनुपालना हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर से सूचना चाही गई थी (मार्च 2011) जो उपलब्ध नहीं कराई गयी (दिसम्बर 2011)।

- (ii) हमने यह भी पाया कि विभाग द्वारा कपटी या जाली घोषणा पत्रों की पहचान व तुलना करने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रपत्रों के रंग, प्रकृति एवं प्रारूप के नमूने नहीं रखे गये। इसलिये इसमें अवैध प्रचलित तथा अवैध घोषणा प्रपत्रों के स्वीकारने और परिणामस्वरूप कम कर वसूली का जोखिम था।

2.11.9.3 व्यवहारियों की शाखाओं के डाटाबेस का अभाव

हमने यह भी पाया कि व्यवहारियों द्वारा स्थानान्तरण के आधार पर कर में राहत के लिये प्रस्तुत किये गये दावों की विश्वसनीयता के सत्यापन हेतु कर निर्धारण अधिकारियों के पास उनके क्षेत्राधीन व्यवहारियों की शाखाओं का विवरण नहीं था। विभाग के पास शाखा स्थानान्तरण/कन्साइनमेन्ट बिक्री के आधार पर करों में स्वीकृत की गयी छूट का भी कोई डाटाबेस नहीं रखा था।

2.11.9.4 घोषणा प्रपत्रों का मुद्रण तथा अभिरक्षा

अन्तरराज्यीय व्यापार के दौरान पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर प्रपत्रों का उपयोग कर करों में छूट/राहत उठाते हैं। विभाग का यह दायित्व है कि वह

केन्द्रीय बिक्री कर प्रपत्रों का मुद्रण उच्च स्तरीय सुरक्षा मानकों से करावें तथा इन प्रपत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे।

हमने यह पाया कि विभाग द्वारा घोषणा प्रपत्रों के मुद्रण तथा सुरक्षित अभिरक्षा हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये थे। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्नलिखित अनियमितताएँ/कमियाँ पायी:

(अ) प्रपत्रों का मुद्रण राजकीय मुद्रणालय के स्थान पर सहकारी मुद्रणालय से कराया गया। विभाग ने सूचित किया (जून 2011) कि मुद्रण हेतु निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये, परन्तु वे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। इसलिये निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(ब) ई-1/ई-II प्रपत्रों का कागज खराब गुणवत्ता का था जिसके कारण जाली प्रपत्र आसानी से मुद्रित किये जा सकते थे तथा प्रपत्रों का टिकाउपन भी सन्देह में था।

(स) प्रपत्रों का भण्डारण उचित नहीं था। हमने यह पाया कि केन्द्रीय भण्डार, जयपुर में 406 'एफ' प्रपत्र, चित्तौड़गढ़ में 25 प्रपत्र तथा विशेष वृत्त-I जोधपुर में 175 'सी' प्रपत्र दीमक के कारण नष्ट हो गये थे।

(द) घोषणा प्रपत्रों के भण्डारण हेतु केन्द्रीय भण्डार जयपुर शहर में एक अलग भवन में स्थित था। भण्डार की सुरक्षा के सम्बन्ध में, विभाग को लेखापरीक्षा टिप्पणी जारी की गई थी, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आगे, भण्डार का भौतिक सत्यापन फरवरी 2004 से नहीं हुआ था। इस तरह प्रपत्रों की चोरी की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है।

2.11.9.5 विभाग द्वारा घोषणा प्रपत्रों का लेखांकन एवं जारी करना

(i) सक्षम अधिकारियों द्वारा स्टॉक पंजिका की जाँच नहीं किया जाना

सामान्य सिद्धान्तानुसार, सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषणा पत्रों के उचित लेखांकन को सुनिश्चित करने हेतु घोषणा पत्रों की स्टॉक पंजिका की जाँच की जानी चाहिये। परन्तु विभाग द्वारा ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। हमने पाया (नवम्बर 2010 तथा जनवरी 2011 के मध्य) कि नमूना जाँच किये गये 20 कार्यालयों में से 10 कार्यालयों³ में स्टॉक पंजिकाओं की सक्षम अधिकारियों द्वारा जाँच नहीं की गयी।

(ii) घोषणा प्रपत्रों का अनियमित जारी होना

हमने पाया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा घोषणा प्रपत्रों की प्राप्तियों तथा जारी करने में उचित सुनिश्चितता नहीं रखी गयी जैसा कि नीचे बताया गया है:

³ आयुक्त (प्रशासन) भरतपुर तथा वृत्त 'बी' भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, जयपुर 'जे', स्पेशल-IV, जोधपुर 'सी', रामगंज मंडी, राजसमंद, तथा उदयपुर 'सी'

(अ) उपायुक्त, कार्यालय भरतपुर के घोषणा प्रपत्रों की स्टॉक पंजिका की संवीक्षा में प्रकट हुआ (नवम्बर 2010) कि 'सी' प्रपत्रों को 'शून्य' स्टॉक दर्शाने के उपरान्त भी विभाग व्यवहारियों को 'सी' प्रपत्र जारी कर रहा था। दिनांक 31.01.2008 को स्टॉक में केवल आठ प्रपत्रों का शेष था परन्तु विभाग द्वारा दिनांक 31.01.2008 से 15.02.2008 के दौरान 105 'सी' प्रपत्र जारी कर दिये गये। हमने यह भी पाया कि पिछला शेष 'शून्य' था और प्रपत्र संख्या 1900001 से 1905000 दिनांक 13.02.2008 को प्राप्त हुये थे परन्तु विभाग ने 'सी' प्रपत्र क्रमांक 1151751 से 1151765 (15 प्रपत्र) तथा 1151776 से 1151800 (25 प्रपत्र) जारी (26.03.2008) कर दिये।

(ब) प्रपत्रों को लेखों में नहीं लिया जाना

हमने उपायुक्त, कार्यालय भरतपुर के स्टॉक पंजिका की संवीक्षा में यह पाया कि प्रपत्र ई-1/ई-II के लिये नई पंजिका खोली गयी और 25.09.2006 को प्राप्त हुये 2500 प्रपत्रों को उस नयी पंजिका में दर्ज किया गया परन्तु पुराना स्टॉक पंजिका में 15.12.2006 को शेष रहे 1,180 प्रपत्रों को नई पंजिका में अग्रेषित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप स्टॉक पंजिका में 1,180 प्रपत्रों की अनधिकृत कमी हुई।

(स) प्रपत्रों की कम प्राप्ति

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त 'सी' उदयपुर के स्टॉक पंजिका की संवीक्षा में हमने यह पाया कि भण्डारपाल ने स्टॉक पंजिका में आठ ई-1 प्रपत्रों की कम प्राप्ति (पाँच 15.05.2008 को तथा तीन 28.04.2009 को) का इन्द्राज किया गया, परन्तु यह उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के ध्यान में नहीं लाया गया। इस प्रकार, इन प्रपत्रों के दुरुपयोग होने की संभावना थी।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि स्टॉक पंजिकाओं का उचित रख-रखाव नहीं था। इससे अभिप्राय है कि प्रपत्रों के जारी किये जाने की प्रविष्टियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था तथा इनके दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता।

2.11.9.6 बाध्यकारी उपाय

केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम 16अ में उपबंधित है कि प्रत्येक व्यवहारी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री करता है तो वह उसकी एक सूची प्रपत्र केन्द्रीय बिक्री कर-11 में विवरणी केन्द्रीय बिक्री कर-1 के साथ प्रस्तुत करेगा। इसी के नियम, 19 में यह उपबंधित है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो को जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, जिसे ₹ 500 तक बढ़ाया जा सकेगा।

हमने मापक जाँच के दौरान (दिसम्बर 2010 और जनवरी 2011) यह पाया कि वर्ष 2007-10 के दौरान छः वृत्तों⁴ के 103 व्यवहारियों द्वारा ₹ 467.83 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिये केन्द्रीय बिक्री कर-11 प्रस्तुत नहीं किये। परन्तु विभाग

⁴ वृत्त जयपुर: 'आई', विशेष-IV और विशेष-V, विशेष-I, जोधपुर तथा 'बी' उदयपुर।

द्वारा इन प्रपत्रों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के लिए कोई शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

उक्त प्रपत्रों के प्रस्तुत हुए बिना, विभाग बिक्री हुए माल का विवरण, दिनांक जिससे क्रेता व्यवहारी की पंजीकरण की वैधता थी, तथा ₹ 467.83 करोड़ की बिक्री पर प्रभारित किये जाने वाले कर (केन्द्रीय बिक्री कर) की दर को सुनिश्चित नहीं कर सका। आगे, यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा इन उपबन्धों के अनुसार शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

2.11.10 अनुपालना की कमियाँ

2.11.10.1 विलम्ब से प्रस्तुत घोषणा पत्रों पर अनियमित राहत/छूट स्वीकृत करना

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा पण्यावर्त) नियम, 1957 के नियम 12(7) के अनुसार घोषणा पत्र प्रपत्र 'सी' या 'एफ' में और प्रमाण-पत्र प्रपत्र ई-1/ई-11 में उनसे सम्बन्धित अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिये। यदि निर्धारण प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि प्रपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास निर्धारित समय बाद प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण है, तो प्राधिकारी निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत घोषणा-प्रपत्रों की अवधि आगामी समय तक बढ़ा सकता है। किल्लोसकर ब्रदर्स बनाम तमिलनाडु राज्य (1999) 113 एस.टी.सी., के प्रकरण में यह निर्णय हुआ था कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किया गया मूल निर्धारण आदेश सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिये अन्तिम होगा तथा व्यवहारियों द्वारा मूल निर्धारण आदेशों के बाद प्रस्तुत किये प्रपत्रों के सम्बन्ध में कोई राहत नहीं दी जा सकेगी।

(अ) छ: वाणिज्यिक कर कार्यालयों⁵ की मापक जाँच में, हमने पाया कि कर निर्धारण को अन्तिम रूप देने के दौरान कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 14 प्रकरण में प्रपत्र 'सी' तथा आठ प्रकरणों में प्रपत्र 'एफ' स्वीकार किये जो कि तीन माह की निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् बिना विलम्ब का कारण बताये, जिनमें चार से 606 दिनों का विलम्ब था, प्रस्तुत किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप व्यवहारियों को ₹ 58.07 की करों में तथा वसूलनीय ब्याज ₹ 20.93 करोड़ की अनियमित छूट/राहत दी गई।

(ब) 18 वाणिज्यिक कर कार्यालयों⁶ में, हमने यह पाया कि 92 निर्धारितियों द्वारा बिना विलम्ब का कारण बताये कर निर्धारण के पश्चात् घोषणा पत्र प्रस्तुत किये

⁵ वृत्त 'ई', 'जी' विशेष-V, जयपुर, किशनगढ़, राजसमंद, तथा सूरतगढ़।

⁶ वृत्त अलवर-'ए', भिवाड़ी-'बी', भीलवाड़ा विशेष, जयपुर - 'ए', ई, आई, विशेष-IV तथा V, जोधपुर विशेष-I, किशनगढ़, कोटा विशेष-III, राजसमंद, रामगंज मण्डी, उदयपुर-'बी', 'सी' तथा विशेष, तथा जयपुर विशेष-राजस्थान

गये, पर 103 मामलों में ₹ 18.52 करोड़ (कर ₹ 14.34 करोड़ तथा ब्याज ₹ 4.18 करोड़) की मांग को घटा दिया गया, जो उपरोक्त नियमों के प्रावधानों विरुद्ध था।

2.11.10.2 'सी' प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतिलिपियों पर अनियमित छूट

केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम 17(2) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत व्यवहारी किसी दूसरे पंजीकृत व्यवहारी को बिक्री करने का दावा करता है तो वह दावे के समर्थन में उसे क्रेता व्यवहारी से प्राप्त हुये घोषणा पत्र का 'मूल' अंकित भाग केन्द्रीय बिक्री कर-1 में विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा।

वृत्त-1 जयपुर के निर्धारण वर्ष 2009-10 के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स फेमस इण्डस्ट्रीज) ने घोषणा-प्रपत्र 'सी' के विरुद्ध अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में ₹ 5.65 लाख के माल की बिक्री की और 'सी' प्रपत्र की 'मूल' चिन्हित प्रति के स्थान पर 'डुप्लीकेट' प्रति प्रस्तुत की। परन्तु

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण करते समय नियमों के विपरीत इन प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियों पर कर छूट स्वीकृत की।

इसके परिणामस्वरूप कर में ₹ 0.54 लाख की अनियमित रियायत दी गयी। इसके अतिरिक्त ₹ 0.20 लाख का ब्याज भी आरोपणीय है।

2.11.10.3 अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर की गलत दर लगाने के कारण कर की कम वसूली

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किसी दूसरे पंजीकृत व्यवहारी को माल की बिक्री करता है, वह 01.04.2007 से 31.05.2008 तक तीन प्रतिशत एवं इसके बाद दो प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेगा एवं विक्रेता व्यवहारी द्वारा बिक्री के समर्थन में प्रपत्र 'सी' में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया हो, अन्यथा उस दर से जो सम्बन्धित राज्य के भीतर ऐसे माल की खरीद या बिक्री पर लागू होती है, से कर की वसूली की जावेगी। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अनुसार, बुश माल पर 12.5 प्रतिशत की दर से वैट वसूलनीय है।

(i) विशेष वृत्त-अलवर के अभिलेखों की मापक जाँच में, हमने यह पाया (मार्च 2010) कि एक व्यवहारी (मैसर्स आटो बुशिंग, अलवर) ने अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में 'सी' प्रपत्र प्रस्तुत किये बिना ही ₹ 3.25 करोड़ की बिक्री की, परन्तु निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण (मार्च 2010) के दौरान कर की अन्तर राशि की सही दर 9.5 प्रतिशत के विपरीत एक प्रतिशत की दर से प्रभारित की गयी। बुश पर कर की दर 12.5 प्रतिशत है न कि चार प्रतिशत।

इस प्रकार, बिना 'सी' प्रपत्र के समर्थित बिक्री पर रियायती दर से किये गये अनियमित कर निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 9.38 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 27.59 लाख के कर का कम निर्धारण हुआ।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2010) उनके द्वारा सूचित किया गया (नवम्बर 2010) कि ब्याज सहित ₹ 37.52 लाख की मांग कायम कर दी गयी (सितम्बर 2010) तथापि हमें वसूली की स्थिति प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 2011)।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, की धारा 8(2) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में वसूलनीय कर जो धारा 8(1) की परिधि में नहीं आता है, उस पर कर की दर वही होगी जो सम्बन्धित राज्य के बिक्री कर कानून के अधीन लागू हो। राजस्थान में वनस्पति घी पर लागू कर की दर चार प्रतिशत थी।

(ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 'बी' भिवाड़ी के वर्ष 2009-10 के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया (दिसम्बर 2010) कि एक व्यवहारी (मैसर्स स्वास्तिक आयल मिल) ने वर्ष 2007-08 के दौरान घोषणा पत्र 'सी' के विरुद्ध अन्तर्राज्यीय व्यापार के

क्रम में एक प्रतिशत की दर से ₹ 10.33 करोड़ के वनस्पति घी की बिक्री की। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण के दौरान (मार्च 2010) घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अन्तर कर प्रचलित दर तीन प्रतिशत के विरुद्ध एक प्रतिशत की दर से कर लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 20.65 लाख तथा ब्याज ₹ 5.91 लाख की कम वसूली हुयी।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2011), निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (जनवरी 2011) कि कर तथा उस पर ब्याज से सम्बन्धित ₹ 27.40 लाख की मांग कायम की जा चुकी है (जनवरी 2011)। इसकी वसूली की स्थिति से अवगत नहीं कराया गया (दिसम्बर 2011)।

2.11.10.4 माल प्रेषण के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर भी प्रपत्र 'एफ' पर कर में अनियमित छूट

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(अ) के अन्तर्गत कर में छूट प्राप्त करने के लिये यह प्रमाणित करने का दायित्व व्यवहारी का है, कि माल का गमन उसके किसी अन्य व्यापार स्थल या उसके किसी एजेन्ट या मालिक जैसी भी स्थिति हो, बिक्री से भिन्न अन्य कारणों से किया गया है। इसके लिये वह निर्धारण प्राधिकारी को निर्धारित अवधि में प्रपत्र 'एफ' में घोषणा पत्र जो अन्य व्यवसाय स्थान के मुख्य अधिकारी या व्यवहारी के एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे माल के प्रेषण से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, यदि वह इस प्रकार की घोषणा प्रस्तुत करने में विफल होता है तो इस अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिये माल का गमन बिक्री से जनित माना जावेगा।

हमने पाया (नवम्बर 2010 से जनवरी 2011) कि माल के प्रेषण के साथ में प्रपत्र 'एफ' के साथ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना एक सामान्य प्रथा थी तथा इन प्रावधानों की अवहेलना के प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारियों को छूट अस्वीकृत करने हेतु निर्देश जारी नहीं किये गये थे।

वृत्त विशेष-III कोटा में एक व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत 65 'एफ' प्रपत्रों की संवीक्षा में यह प्रकट हुआ (नवम्बर 2010) कि ₹ 186.09 करोड़ के माल के प्रेषण के समर्थन में प्रमाण, प्रपत्रों के साथ संलग्न नहीं थे, परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी का सम्बन्धित वर्ष के कर निर्धारण के दौरान अनियमित रूप से इन प्रपत्रों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणामस्वरूप कर में ₹ 23.26 करोड़ की अनियमित छूट दी गयी, जिसकी जाँच की जानी चाहिए।

हम अनुशंसा करते हैं कि आयुक्त को सभी निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने चाहिए कि ऐसे माल के प्रेषण के साक्ष्य 'एफ' फार्म के साथ प्रस्तुत करने से सम्बन्धित अधिनियम के नियमों की पालना सुनिश्चित करे।

2.11.10.5 अवैध प्रपत्रों पर अनियमित छूट/राहत स्वीकृत करना

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन एवं पण्यावर्त) नियम, 1957 के नियम 12(1) के अनुसार प्रपत्र 'सी' तथा ई-1/ई-2 में एक घोषणा-पत्र, वित्त वर्ष की एक तिमाही में दो व्यवहारियों के मध्य होने वाले सभी सौदों/बिक्री को आवृत्त किया जा सकता है, तथा नियम 12(5) के अनुसार प्रपत्र 'एफ' में एक घोषणा में व्यवहारी द्वारा एक स्थल या उसके एजेन्ट या मुखिया जैसी भी स्थिति हो, को प्रेषित किया गया हो, के एक कैलेण्डर माह में हस्तान्तरित माल के संव्यवहारों को आवृत्त किया जा सकता है।

प्रपत्रों से मांगी गयी कर छूट को अस्वीकृत करना था, परन्तु निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवहारियों के सम्बन्धित वर्ष का कर निर्धारण के दौरान इन प्रपत्रों को स्वीकार कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के ₹ 3.55 लाख एवं ₹ 9.32 लाख की कर की अनियमित छूट स्वीकृत की गयी।

पाँच वृत्तों⁷ के वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (मई 2010 से जनवरी 2011) कि सात व्यवहारियों द्वारा घोषणा प्रपत्र 'सी' तथा ई-1/ई-2 के विरुद्ध ₹ 2.31 करोड़ के माल की बिक्री की गई। घोषणा प्रपत्रों की संवीक्षा में यह पाया गया कि एक ही प्रपत्र में ₹ 95.88 लाख के एक तिमाही की अवधि से अधिक समय के सौदों को सम्मिलित किया गया था। निर्धारण प्राधिकारी को इन

⁷ अलवर वृत्त 'बी' तथा विशेष वृत्त-चित्तौड़गढ़, विशेष वृत्त-1, जोधपुर तथा वृत्त किशनगढ़।

आगे, दो व्यवहारियों द्वारा ₹ 53.76 लाख के मूल्य का सामान प्रपत्र 'एफ' के विरुद्ध स्थानान्तरित किया गया था जिसमें ₹ 27.10 लाख के लेन-देन एक माह से अधिक के भी आवृत कर लिया गया, जो इन नियमों के विपरीत था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवहारियों के सम्बन्धित वर्ष के कर निर्धारण के दौरान इन प्रपत्रों को स्वीकार कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.38 ब्याज के अतिरिक्त ₹ 1.08 लाख की कर में अनियमित छूट दी गयी।

2.11.10.6 अन्य राज्यों के अभिलेखों से घोषणा प्रपत्रों का सत्यापन नहीं करना

सीसीटी के परिपत्र क्रमांक एफ16(57)कर/वेट/सीसीटी/08/64 दिनांक 24.04.2008 के द्वारा 26 सितम्बर 2005 के पश्चात् रियायती दर से कर निर्धारण के लिये 'सी' प्रपत्र से समर्थित सभी लेन-देनों के सत्यापन के अभिलेख व्यवहारी के कर निर्धारण अभिलेखों में रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

(अ) दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों⁸ के अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया (जनवरी 2011) कि पत्रावली में ऐसे कोई समर्थित दस्तावेज नहीं थे जिनसे यह सिद्ध होता है कि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 19.12 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री में जिसमें

₹ 1.14 करोड़ की कर छूट स्वीकृत की गयी थी, के घोषणा प्रपत्रों का सत्यापन किया गया था।

(ब) भरतपुर के दो कर निर्धारण अधिकारियों⁹ के अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया (नवम्बर 2010) कि 50 प्रकरणों में बिहार राज्य के व्यवहारियों द्वारा राजस्थान के 30 विक्रेता व्यवहारियों को प्रस्तुत ₹ 121.82 करोड़ के 'सी' प्रपत्रों को जब विभाग द्वारा सत्यापन हेतु बिहार राज्य वाणिज्यिक कर कार्यालयों को भेजा गया तो उनका सत्यापन नहीं हो सका जिसके लिये विभाग द्वारा कर, शास्ति एवं ब्याज के ₹ 15.41 करोड़ आरोपित किये गये। आगे, यह भी पाया (जुलाई 2011) कि जोधपुर के तीन कर निर्धारण अधिकारियों¹⁰ द्वारा निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2009-10 में 35 व्यवहारियों से 115 प्रपत्रों का सत्यापन नहीं होने के कारण ₹ 2.85 करोड़ अन्तर कर के तथा ₹ 34.16 लाख ब्याज के आरोपित किये गये। इसी प्रकार, कर निर्धारण अधिकारी, प्रति करापवंचन, कोटा ने 3 व्यवहारियों से असत्यापित प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ₹ 14.18 लाख अन्तर कर के तथा ₹ 28.36 लाख की शास्ति आरोपित की गई।

⁸ वृत्त-चित्तौड़गढ़ एवं 'सी' उदयपुर।

⁹ विशेष वृत्त एवं प्रति करापवंचन।

¹⁰ वृत्त जोधपुर 'ए', 'सी' तथा 'डी'।

हमने निम्न लिखित कमियाँ पायी:

- इस तथ्य के बावजूद, कि बिहार राज्य के व्यवहारियों द्वारा जारी किये गये 'एफ' प्रपत्रों का सत्यापन नहीं हुआ था, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उन्ही व्यवहारियों को बिहार के अतिरिक्त दूसरे राज्यों के व्यवहारियों द्वारा जारी किये गये ₹ 119.05 करोड़ के 'सी' प्रपत्रों के सत्यापन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की एवं ₹ 3.15 करोड़ की कर छूट स्वीकार की गई।
- तीन कर निर्धारण अधिकारियों¹¹ ने कर चोरी के लिये कोई शास्ति आरोपित नहीं की और निर्धारण अधिकारी, प्रति करापवंचन, कोटा ने अन्तर कर पर ब्याज प्रभारित नहीं किया।
- कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10¹² के अनुसार कार्यवाही नहीं की।

जब हमने इन वृत्तों के केन्द्रीय बिक्री कर प्रपत्रों की मापक जाँच/प्रति-सत्यापन किया, तब हमने यह पाया कि ₹ 1.60 लाख की कर चोरी के अतिरिक्त ₹ 0.81 लाख ब्याज एवं ₹ 3.21 लाख की शास्ति वसूली योग्य थे, जिसकी चर्चा आगामी अनुच्छेद में की गयी है। आगे, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के साथ पठनीय है, के तीन कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 35 व्यवहारियों पर ₹ 5.70 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्यवाही नहीं करने के कारण व्यवहारियों को नैतिक समर्थन मिला जिन्होंने राज्य को देय विधिसम्मत कर की जानबूझ कर उपेक्षा की।

इस प्रकार, घोषणा प्रपत्रों के उपयोग में होने वाली अनियमितताओं के पता लगाने के अवसरों की उपेक्षा की गयी, तथा इन निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति के ₹ 5.76 करोड़ अधिरोपित नहीं किये गये।

2.11.10.7 घोषणा प्रपत्रों का प्रति सत्यापन

हमारे द्वारा राजस्थान राज्य के विक्रेता तथा क्रेता व्यवहारियों के 12,976 'सी' तथा 'एफ' प्रपत्रों¹³ के प्रति सत्यापन अन्य राज्यों के कर निर्धारण अभिलेखों से करने पर पाया कि 133 प्रपत्रों जिनसे ₹ 102.53 करोड़ का विक्रय/क्रय किया तथा ₹ 5.55 करोड़ की कर चोरी, ब्याज तथा शास्ति की अनियमितताएँ निहित थी, जिनकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी है। यह निष्कर्ष मुख्यतः विक्रय

¹¹ वृत्त जोधपुर 'ए', 'सी' तथा 'डी'।

¹² केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धारा 6ए(1) या धारा 8(4) के अधीन कोई ऐसा घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है जिसके झूठा होने के बारे में उसे जानकारी हो या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो, तो वह अधिकतम छः माह तक के साधारण कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा।

¹³ राजस्थान के क्रेता व्यापारियों के 'सी' प्रपत्र 4,495, 'एफ' प्रपत्र 1,006 तथा राजस्थान के विक्रेता व्यवहारी के 'सी' प्रपत्र 6,358 एवं 'एफ' प्रपत्र 1,117 ।

व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत मूल घोषणा पत्रों, क्रेता व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों तथा घोषणा प्रपत्रों को जारी करने की पंजिका में दिये गये विवरण का प्रति सत्यापन पर आधारित है। यह विभाग के लिए आवश्यक है कि वह इन प्रकरणों की गहन जाँच कर एवं विधि अनुसार कार्यवाही करे।

आगे, 17 राज्यों से प्राप्त 219 प्रपत्रों, जिनमें दूसरे राज्यों द्वारा त्रुटियाँ इंगित की गयी थी, परन्तु सम्बन्धित वाणिज्य कर विभागों से वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुये।

2.11.10.8 घोषणा प्रपत्र 'एफ' के द्वारा प्राप्त माल का कम लेखांकन किया जाना

अभिलेखों की मापक जाँच के साथ ही साथ राजस्थान राज्य के व्यवहारी के निर्धारण अभिलेखों की माल स्थानान्तरण करने वाले हरियाणा राज्य के निर्धारण अभिलेखों के प्रति सत्यापन में यह पाया कि वृत्त 'बी' भिवाड़ी के नियन्त्रणाधीन राजस्थान के एक व्यवहारी ने ₹ 118.33 लाख राशि के माल का लेखांकन नहीं किया गया। इस प्रकार, व्यवहारी द्वारा ₹ 118.33 लाख के माल की खरीद के साथ-साथ बिक्री को भी छिपाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.73 लाख की कर चोरी हुयी। इसके अतिरिक्त, ब्याज ₹ 2.60 लाख तथा शास्ति ₹ 9.47 लाख भी वसूली योग्य थी।

2.11.10.9 विक्रेता व्यवहारी द्वारा प्रपत्रों में बताये गये तथा जो क्रेता व्यवहारी द्वारा घोषित प्रपत्रों में अंकगणितीय भिन्नताएँ

(अ) राजस्थान के क्रेता व्यवहारी

पाँच वृत्तों¹⁴ के छः क्रेता व्यवहारियों के अभिलेखों के प्रति सत्यापन पर हमने पाया कि छः प्रकरणों में दूसरे राज्य के विक्रेता व्यवहारियों जारी किये गये मूल 'सी' प्रपत्र में उल्लिखित राशि से ₹ 40.75 लाख की कम खरीद दर्शायी गयी।

निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस भिन्नता को नहीं पकड़ पाये। इसके परिणामस्वरूप खरीद में कम लेखांकन हुआ जिससे ₹ 2.67 लाख का कर प्रभाव के अतिरिक्त ₹ 1.24 लाख ब्याज तथा ₹ 5.33 लाख शास्ति आरोपणीय थी।

(ब) राजस्थान के विक्रेता व्यवहारी

(i) हमारे द्वारा राजस्थान के 18 विक्रेता व्यवहारियों के 25 'सी' फार्मों का अन्य राज्यों के खरीद व्यवहारियों के उपभोग खातों के प्रति सत्यापन में पाया कि राजस्थान के विक्रेता व्यवहारियों द्वारा ₹ 14.65 करोड़ की कम बिक्री की गई जिन्हें निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय पकड़ नहीं पाये।

¹⁴ वृत्त बीकानेर 'ए', भीलवाड़ा विशेष, भिवाड़ी 'बी', विशेष-II तथा वृत्त पाली।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.85 लाख का करापवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 19.21 लाख के ब्याज एवं ₹ 57.70 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

(ii) हमारे द्वारा राजस्थान के तीन स्थानान्तरित व्यवहारियों के 12 'एफ' फार्मों का अन्य राज्यों में स्थानान्तरित व्यवहारियों के उपभोग खातों के प्रति सत्यापन में पाया कि राजस्थान के व्यवहारियों ने ₹ 36.57 करोड़ के माल का अधिक हस्तान्तरण किया, जिसे निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय पकड़ नहीं पाये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.98 लाख का करापवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 4.17 लाख के ब्याज एवं ₹ 17.96 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

2.11.10.10 अन्य व्यवहारियों को जारी अवैध प्रपत्रों पर अनियमित राहत/छूट स्वीकृत करना

(अ) राजस्थान के क्रेता व्यवहारी

घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन के दौरान हमने पाया कि एक व्यवहारी मैसर्स ऐनक्स टेक्नोलोजीज इण्डिया लिमिटेड, भरतपुर द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के व्यवहारी से माल क्रय के सम्बन्ध एक ऐसे 'सी' प्रपत्र का उपयोग किया जो उसके विभाग द्वारा उसे जारी नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.11 लाख के माल की खरीद में घोषणा पत्र का दुरुपयोग हुआ जिस पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 1.80 लाख की कर में अनियमित छूट स्वीकृत की गयी, इसके अतिरिक्त ₹ 1.23 लाख ब्याज तथा ₹ 2.70 लाख शास्ति भी आरोपणीय थी।

(ब) राजस्थान के विक्रेता व्यवहारी

14 कर निर्धारण अधिकारियों¹⁵ के कार्यालयों में 'सी' तथा 'एफ' प्रपत्रों का सम्बन्धित दूसरे राज्यों के क्रेता व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों से प्रति सत्यापन करने पर यह पाया कि राजस्थान के 24 विक्रेता व्यवहारियों द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान माल की बिक्री हेतु 47 प्रकरणों में 'सी' तथा 'एफ' प्रपत्र कर में छूट हेतु प्रस्तुत किये जो इन्हें मूल क्रेता व्यवहारी जिनको विक्रेता व्यवहारी द्वारा बिक्री दर्शायी गयी थी, के भिन्न दूसरे व्यवहारी को जारी किये गये थे।

इसके परिणामस्वरूप कर में ₹ 32.35 लाख की अनियमित राहत/छूट के अलावा ₹ 16.21 लाख ब्याज तथा ₹ 64.69 लाख शास्ति भी आरोपणीय थी।

¹⁵ वृत्त: अलवर 'ए', भरतपुर 'ए', 'बी', विशेष, प्रति करापवंचन, चित्तौड़गढ़, जयपुर-'आई', विशेष-V, जोधपुर-'सी', किशनगढ़; कोटा विशेष-III, राजसमंद, उदयपुर 'सी' तथा भिवाड़ी 'बी',

2.11.10.11 क्रेता व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में माल की आवृत्ति नहीं होने कारण करापवंचन

प्रपत्रों के प्रति सत्यापन पर, हमने पाया (नवम्बर 2010) कि निर्धारण प्राधिकारी भरतपुर ने मैसर्स श्री भगवती उद्योग, भतरपुर को एक 'सी' प्रपत्र पर जो अरूणाचल प्रदेश के क्रेता व्यवहारी द्वारा खाद्य तेल क्रय के सम्बन्ध में दिया गया था, जो उस व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में सम्मिलित नहीं था, पर कर छूट स्वीकृत कर दी, इसके परिणामस्वरूप कर में ₹ 4.43 लाख की अनियमित छूट के अलावा ₹ 3.10 लाख ब्याज तथा ₹ 8.85 लाख शास्ति भी आरोपणीय थी।

2.11.11 फर्जी घोषणा प्रपत्रों के उपयोग होने के कारण करापवंचन

यदि कोई व्यवहारी झूठे/फर्जी घोषणा पत्र प्रस्तुत/जारी करता है और इन घोषणा पत्रों के समर्थन से कर में छूट का दावा करता है, तो वह व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 61(1) के अन्तर्गत शास्ति के भुगतान के लिये उत्तरदायी है तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसा घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है जिसके झूठे होने की उसे जानकारी हो या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो तो वह साधारण कारावास जिसे छः माह तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जावेगा।

हमारे द्वारा राजस्थान राज्य के व्यवहारियों/अधिकर्ताओं द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री/स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत 'सी' तथा 'एफ' प्रपत्र का प्रति सत्यापन, जब छः राज्य¹⁶ के खरीदार व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्रपत्रों के उपभोग खातों से किया तो पाया कि दस व्यवहारियों/अधिकर्ताओं ने 16 घोषणा पत्रों (15 'सी' फार्म एवं एक 'एफ' फार्म) से राशि ₹ 1.67

करोड़ पर कर मुक्ति/छूट का दावा किया तथा प्राप्त की, जो कि फर्जी थे एवं इन व्यवहारियों को जारी नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.04 लाख के केन्द्रीय बिक्री कर का कम आरोपण हुआ। इसके अलावा ₹ 2.15 लाख ब्याज तथा ₹ 8.08 लाख शास्ति भी आरोपणीय थी। सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारियों¹⁷ द्वारा इन व्यवहारियों के विरुद्ध केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 (पूर्व उल्लेखित) के अन्तर्गत कार्यवाही भी शुरू की जानी थी।

¹⁶ छत्तीसगढ़, नागालैण्ड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश

¹⁷ वृत्त: भरतपुर, जोधपुर विशेष-'I' एवं जयपुर-I

2.11.12 अन्य अनियमितताएँ

राजस्थान के विक्रेता व्यवहारियों के सम्बन्ध में नो निर्धारण प्राधिकारियों¹⁸ के निर्धारण अभिलेखों के प्रति सत्यापन में हमने पाया कि ₹ 34.24 करोड़ के सौदों से सम्बन्धित 22 'सी' प्रपत्रों में कई अनियमितताएँ जैसे अप्रासंगिक पंजीयन प्रमाण-पत्र (आर सी) संख्या, अज्ञात व्यवहारी, असत्यापित प्रपत्र, निरस्त पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा प्रपत्रों का वृत्त को जारी न होना आदि पायी गयी। परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी इन अनियमितताओं को पकड़ नहीं पाये और ₹ 70.40 लाख की कर छूट/राहत स्वीकृत की। इन प्रपत्रों पर ₹ 47.53 लाख के ब्याज एवं ₹ 140.80 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

26 सितम्बर 2005 के पश्चात् होने वाले सभी लेन देनों जिनमें केन्द्रीय बिक्री कर प्रपत्रों के आधार पर कर की दर में राहत/छूट मांगी गयी थी का सत्यापन करने हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने निर्देश जारी किये (अप्रैल 2008) थे। निर्देशों की अनुपालना नहीं होने के कारण निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ब्याज व शास्ति के अतिरिक्त करापवंचन नहीं पकड़ा जा सका।

2.11.13 'कर सूचना विनियम पद्धति' (टाइनेक्सिस) का उपयोग नहीं होना

'कर सूचना विनियम पद्धति' (टाइनेक्सिस) वेबसाइट, विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शास्ति प्रदेशों के वाणिज्यिक कर विभागों द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु तैयार किया गया था। विभागीय अधिकारियों द्वारा इस वेबसाइट 'कर सूचना विनियम पद्धति' का उपयोग दूसरे राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों द्वारा जारी केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्रों के सत्यापन हेतु किया जाना था, जो व्यवहारियों द्वारा छूट दावों के समर्थन में प्रस्तुत किये जाते हैं। यह विभाग को प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली तथा व्यावसायिक सूचना प्रतिवेदन उपलब्ध कराता है तथा ई सी को अन्तर्राज्यीय व्यापारिक प्रवृत्तियों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

(अ) 11 वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा निरस्त हुये व्यवहारियों की दी गयी सूचना की मापक जाँच में हमने यह पाया (मार्च 2011) कि व्यवहारियों के निरस्त किये जाने की सूचना 'कर सूचना विनियम पद्धति' पर नहीं डाली गयी थी।

¹⁸ वृत्त: भरतपुर 'ए', चित्तौड़गढ़, जयपुर 'ए', ई, आई, 'जे', विशेष-V, किशनगढ़ तथा कोटा विशेष-III

मापक जाँच के परिणामों को निम्नानुसार सारणीकृत किया गया है:

क्र. सं.	वृत्त का नाम	निरस्त किये गये व्यवहारियों की कुल संख्या	'कर सूचना विनियम पद्धति' पर उपलब्ध नहीं हुये व्यवहारियों की संख्या	व्यवहारी जो निरस्त किये गये 'कर सूचना विनियम पद्धति' पर क्रियाशील दर्शाये गये की संख्या	वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा गलत टीन उपलब्ध कराये जाने के कारण सत्यापित नहीं किये जा सके
1	'बी' उदयपुर	116	65	4	5
2	'बी' भिवाड़ी	3	0	3	-
3	'सी' उदयपुर	6	2	3	1
4	विशेष-V जयपुर	5	1	4	-
5	राजसमंद	14	14	0	-
6	'जे' जयपुर	73	10	36	-
7	विशेष-I जोधपुर	11	6	2	-
8	विशेष-III कोटा	8	4	0	-
9	'सी' जोधपुर	24	9	12	-
10	रामगंजमण्डी	118	88	12	1
11	'ई' जयपुर	13	2	11	-
योग		391	201 (51 प्रतिशत)	87 (22 प्रतिशत)	7

हमने पाया कि 51 प्रतिशत निरस्त व्यवहारियों का विवरण 'कर सूचना विनियम पद्धति' पर अपलोड नहीं किया गया तथा 22 प्रतिशत निरस्त व्यवहारियों को क्रियाशील दर्शाया गया।

निरस्त हुए व्यवहारियों की सूचना अपलोड नहीं किये जाने के कारण, विभाग ने दूसरे राज्यों के वाणिज्यिक कर अधिकारी/व्यवहारियों को व्यवहारियों की पात्रता की जाँच करने से वंचित रखा।

(ब) हमने पाया (अक्टूबर 2010) कि एक व्यवहारी मैसर्स श्री भगवती उद्योग, भतरपुर ने मैसर्स शंकर एन्टरप्राइजेज, धनबाद को ₹ 28.34 लाख की बिक्री के सम्बन्ध में 'सी' प्रपत्र प्रस्तुत किया। निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी की पात्रता की जाँच किये बिना इस 'सी' प्रपत्र पर ₹ 0.57 लाख की कर छूट स्वीकृत कर दी। जब हमने क्रय व्यवहारी की 'कर सूचना विनियम पद्धति' पर जाँच की तो यह सत्यापित नहीं हो सका।

(स) चार सम्भागों¹⁹ के 1,160 केन्द्रीय बिक्री कर घोषणा प्रपत्रों की मापक जाँच में (नवम्बर 2010 से जनवरी 2011 के बीच) यह पाया कि राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा 1,143 प्रपत्र (98.53 प्रतिशत) 'कर सूचना विनियम पद्धति' वेबसाईट पर अपलोड नहीं किये गये।

इस प्रकार विभाग द्वारा इस वेबसाईट के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

2.11.14 दूसरे राज्यों से प्राप्त प्रपत्रों के प्रति सत्यापन से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करना

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान नौ निर्धारण प्राधिकारियों²⁰ द्वारा निर्धारण अभिलेखों जैसे निर्धारण आदेश, क्रेता व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उपयोगी प्रमाण-पत्र इत्यादि से सम्बन्धित 146 घोषणा पत्रों जो दूसरे राज्यों से सत्यापन हेतु प्राप्त हुये (नवम्बर 2010 से जनवरी 2011) प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों के उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त प्रपत्रों का विवरण सत्यापित नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने के कारणों से अवगत नहीं कराया।

2.11.15 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा किसी संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण तकनीक का एक महत्वपूर्ण घटक होती है जो उस संगठन को उसके द्वारा निर्धारित क्रियाविधियों की अनुपालना की सीमा को सुनिश्चित करने में सहायक होती है।

हमने पाया कि, विभागीय निर्देशिका, आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं करायी थी। लेखापरीक्षा दलों को केन्द्रीय बिक्री कर के सम्बन्ध में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा 'कर सूचना विनियम पद्धति' का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

2.11.16 निष्कर्ष

'अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के क्रम में प्रयोग में लाये जाने वाले घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रणाली तथा अनुपालना से सम्बन्धित कई कमियाँ पायी गईं। विभाग द्वारा राजस्थान के साथ-साथ दूसरे राज्य के प्रचलित तथा अप्रचलित घोषणा प्रपत्रों के नमूने नहीं रखे गये। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 'कर सूचना विनियम पद्धति' का प्रभावी उपयोग नहीं किया गया। विभाग में दूसरे राज्य के घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन हेतु सौदों के चयन की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा फर्जी/अवैध प्रपत्रों को नहीं पकड़ा जा सका तथा अस्वीकार्य राहत/घटी दरों का लाभ स्वीकृत किये गये। प्रपत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी स्वीकार किये गये थे।

¹⁹ अलवर, भतरपुर, भीलवाड़ा तथा जयपुर-'I'

²⁰ वृत्त: अलवर-'बी', विशेष, भिवाड़ी-'बी', विशेष-'I', विशेष-'II', हनुमानगढ़-'बी' एवं उदयपुर-'बी', 'सी', विशेष

समेकित दिशा-निर्देशों तथा घोषणा प्रपत्रों को स्वीकृत किये जाने से पूर्व देखे जाने वाले बिन्दुओं की जाँच सूची के अभाव में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ऐसे घोषणा प्रपत्र स्वीकार कर लिये गये जो सामान के गमन के प्रमाणों से समर्थित नहीं थे, तथा विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर थी, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में इंगित की गयी कमियों से पता चलता है।

2.11.17 सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि सरकार विचार करे:

- रंग, आकृति तथा सीरीज पर आधारित संदेहास्पद प्रपत्रों की सुगम पहचान हेतु दूसरे राज्यों के घोषणा प्रपत्रों के नमूने प्राप्त कर प्रचारित किया जावे;
- घोषणा प्रपत्रों की पात्रता तथा केन्द्रीय बिक्री कर की निर्धारित समयावधि में प्राप्ति अवधि तथा घोषणा प्रपत्रों पर स्वीकृत की जाने वाली राहत/छूट की संवीक्षा हेतु जाँच सूची तैयार की जावे;
- घोषणा प्रपत्रों के सत्यापन हेतु मापदण्डों का निर्धारण हो;
- शाखा स्थानान्तरण/कन्साइनमेंट बिक्री के मामलों में कर छूट से सम्बन्धित डाटाबेस तैयार करना;
- आयुक्त को सभी निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने चाहिए कि ऐसे माल के प्रेषण के समय 'एफ' प्रपत्र के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करने से सम्बन्धित अधिनियम के नियमों की पालना सुनिश्चित करे; तथा
- बिक्री/खरीद के संव्यवहारों के सत्यापन हेतु घोषणा प्रपत्रों का विवरण 'कर सूचना विनियम पद्धति' में अपलोड किया जाना चाहिए।

2.12 अन्य अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

वाणिज्यिक कर विभाग में हमने बिक्री कर/मूल्य परिवर्धित कर के कर-निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में, अधिनियमों/नियमों की अनुपालना नहीं करने के विभिन्न प्रकरण, कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत गणना करना, आगत कर क्रेडिट की गलत छूट, कर का गलत आस्थगन, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम/राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन कर की रियायती दर गलत लगाना ज्ञात हुए। इनमें से कुछ कमियाँ हमारे द्वारा पिछले वर्षों में भी दर्शाई गई थी, लेकिन न केवल अनियमितताएँ विद्यमान हैं बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं लगा। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा सुदृढ़ करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

2.13 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियमों एवं नियमों में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

- (क) जहाँ अपंजीकृत व्यवहारियों से कच्चा माल का क्रय किया गया, वहाँ क्रय कर का आरोपण;
- (ख) राज्य के अन्दर पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय पर आगत कर क्रेडिट स्वीकृत करना;
- (ग) जहाँ आ.क.क्रे. का गलत अनुज्ञात था, वहाँ प्रतिवर्ती कर का आरोपण करना;
- (घ) करयोग्य पण्यवर्त में अन्तर-राज्य व्यापार के दौरान बिक्री या खरीद को शामिल करके कर का आरोपण करना; तथा
- (ङ) निर्धारित दरों पर कर का आरोपण करना।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनुच्छेद 2.13.1 से 2.13.2 के मामलों में उपरोक्त कुछ प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.00 लाख के कर/ब्याज का आरोपण/कम आरोपण/अवसूली हुई।

2.13.1 क्रय कर का अनारोपण

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 18 (1) (ई) के साथ पठित धारा (4) (2) के अनुसार प्रत्येक व्यवहारी, जो अपने व्यवसाय के दौरान कर मुक्त माल के अलावा किसी भी माल के क्रय पर धारा 4 उप धारा (1) के अन्तर्गत विक्रय किये गये माल पर किसी भी प्रकार का कर नहीं चुकाता है और धारा 18 की उप धारा (1) के पैरा (ए से जी) में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा माल का निपटान करता है तो निर्धारित दर से ऐसे माल पर क्रय कर के भुगतान का दायित्व होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अनुसार 12 प्रतिशत की दर से ब्याज आरोपण योग्य है।

दो कार्यालयों के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में (अगस्त 2010) हमने पाया कि वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में चार व्यवहारियों के अन्तिम निर्धारण में, निर्धारण अधिकारियों ने जो बिना कर चुकाये खरीदे गये एवं कर मुक्त माल क्रमशः प्रमाणित बीज एवं ब्रेड के निर्माण में काम में लिए कर योग्य कच्चे माल नरमा/कपास (रूई) एवं

मैदा/आटा पर क्रय कर का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप निम्नानुसार ₹ 16.82 लाख के क्रय कर एवं ₹ 6.30 लाख (मार्च 2010 तक संगणित) के ब्याज का अनारोपण हुआ।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम (व्यवहारियों की संख्या)	निर्धारण वर्ष निर्धारण का माह	कर मुक्त बिक्री के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल का मूल्य	आरोपणीय क्रय कर (4 प्रतिशत कर की दर से)	ब्याज 12 प्रतिशत की दर से (मार्च 2010 तक)
1.	'विशेष' श्रीगंगानगर (1)	2006-07, 2007-08 मार्च 2009 और अक्टूबर 2009	254.94	10.20	3.65
2.	'बी' श्रीगंगानगर (3)	2006-07, 2007-08 दिसम्बर 2008 से मार्च 2010	165.42	6.62	2.65
कुल योग				16.82	6.30

जब हमारे द्वारा विभाग को गलती ध्यान में लाई गयी (अगस्त 2010 से सितम्बर 2010) और सरकार को सूचित किया (नवम्बर 2010)।

वृत्त 'बी' श्रीगंगानगर और 'विशेष वृत्त' श्रीगंगानगर के बारे में सरकार ने सूचित (सितम्बर 2011 और अक्टूबर 2011) किया कि एक व्यवहारी (मैसर्स सम्पत इण्डस्ट्रीज) ने अपंजीकृत व्यवहारी से कच्चे माल का क्रय नहीं किया, उसने

पंजीकृत व्यवहारी से कर चुकाया हुआ कच्चे माल का क्रय किया। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि वेट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 के भाग-11 के अनुसार व्यवहारी ने अपंजीकृत व्यवहारियों से ₹ 1.01 करोड़ के कच्चे माल का क्रय किया।

दो व्यवहारियों (मैसर्स लक्ष्मी सीड्स कॉरपोरेशन और मैसर्स दयाल सीड्स) के बारे में सरकार ने सूचित किया कि उन्होंने किसानों से कच्चे माल का क्रय किया। सरकार का यह जवाब भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 18 (1) (ई) के साथ पठित धारा 4 (2) के अनुसार प्रत्येक व्यवहारी को, जो कर मुक्त माल के अतिरिक्त बिना कर चुकाये किसी भी प्रकार के माल के क्रय करके कर मुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त करता है, तो उसके क्रय मूल्य पर कर देने का दायित्व होगा। एक व्यवहारी (मैसर्स बिहानी सीड्स) के बारे में निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया कि ₹ 16.05 लाख की मांग कायम की जा चुकी है (दिसम्बर 2011)।

2.13.2 कर योग्य पण्यावर्त पर कर का कम आरोपण

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 4 और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी द्वारा विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्धारित दरों के अनुसार कर योग्य पण्यावर्त पर कर अवधारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कर भुगतान में देरी की दशा में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज आरोपण योग्य है।

कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-‘बी’ भिवाड़ी के वर्ष 2009-10 के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में हमने पाया (जनवरी 2011) कि एक व्यवहारी (मैसर्स डी.के. ट्रेड सेंटर, भिवाड़ी) ने वर्ष 2007-08 में ₹ 24.99 करोड़ का अन्तरराज्यीय व्यापार किया। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मात्र ₹ 22.99 करोड़ के पण्यावर्त पर कर का निर्धारण (मार्च 2010)

किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.00 लाख के कर का कम आरोपण (तीन प्रतिशत की दर से ₹ 6.00 लाख एवं एक प्रतिशत की दर से अन्तर कर ₹ 2.00 लाख) हुआ। आगत कर क्रेडिट के समायोजन के बाद शेष कर पर राशि ₹ 0.30 लाख का ब्याज भी देय था (मार्च 2010 तक संगणित)।

हमारे द्वारा विभाग को गलती ध्यान में लाई गई (दिसम्बर 2010) और सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2011)।

सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2011) कि ₹ 8.72 की अन्तर कर एवं ब्याज की मांग कायम करके (जनवरी 2011) इसे 30 मई 2011 को आगत कर क्रेडिट में से समायोजित कर दिया गया था। हम ब्याज सहित शेष राशि की वसूली की सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

2.14 अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

जारी सरकारी अधिसूचनाओं में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

- (क) सर्राफा व्यवहारियों/जैम्स एवं स्टोन्स व्यवहारियों, ईट भट्टा मालिकों और पेट्रोलियम व्यवहारियों को कुछ उल्लिखित शर्तों की पूर्ति करने पर प्रशमन योजना का लाभ देना;
- (ख) कर मुक्त इकाइयों को आगत कर क्रेडिट कम करने के बाद एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत आंशिक छूट की स्वीकृति;
- (ग) योग्य इकाइयों को प्रशमन का लाभ स्वीकृत करना जिन्होंने निर्धारित देय दिनांक तक आवेदन किया;
- (घ) प्रवेश कर का आरोपण; तथा
- (ङ.) निर्धारित दरों पर ब्याज का आरोपण करना।

अभिलेखों की मापक जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनुच्छेद 2.14.1 से 2.14.6 के मामलों में उपरोक्त अधिसूचनाओं के कुछ प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.89 करोड़ का कर/ब्याज का आरोपण/कम आरोपण/अवसूली हुई।

2.14.1 सर्राफा व्यवहारियों को प्रशमन योजना में कर की गलत स्वीकृति प्रदान करना

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत जारी सर्राफा व्यवहारियों एवं जेम्स एण्ड स्टोन्स, व्यवहारियों की प्रशमन योजना, 2006 के अनुच्छेद 4 के अनुसार, जहां वार्षिक प्रशमन राशि ₹ 1.20 लाख से कम है, वहां यह राशि चार त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाना है, जो संबंधित वर्ष की 7 अप्रैल, जुलाई अक्टूबर एवं जनवरी होगी। जहां वार्षिक प्रशमन राशि ₹ 1.20 लाख या अधिक है वहां यह राशि 12 समान मासिक किश्तों में चुकाया जाना है, जो संबंधित वर्ष के अप्रैल माह से शुरू होकर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक चुकायी जायेगी। यदि व्यवहारी निर्धारित समय में प्रशमन राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसे योजना का लाभ तभी स्वीकृत किया जा सकता है, यदि वह सम्पूर्ण बकाया राशि मय ब्याज राशि के एवं प्रशमन राशि के 25 प्रतिशत के बराबर विलम्ब शुल्क 31 दिसम्बर तक जमा कराता है; यदि वह बकाया किश्तें 31 दिसम्बर के बाद और 31 मार्च से पूर्व जमा कराता है तो बकाया राशि का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देगा। इसके अतिरिक्त, किसी मामले में व्यवहारी द्वारा योजना की शर्तों में उल्लंघन की दशा में, योजना के अनुबन्ध 7.6 (सर्राफा) एवं 7.7 (जेम्स एवं स्टोन्स) के अन्तर्गत निर्धारण प्राधिकारी प्रशमन प्रमाण पत्र निरस्त कर सकता है और इन मामलों में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत व्यवहारी पर कार्यवाही की जा सकेगी।

पांच कार्यालयों²¹ के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में, हमने पाया (सितम्बर 2010 से दिसम्बर 2010) कि 14 व्यवहारियों, जिन्होंने सर्राफा/जेम्स एवं स्टोन्स प्रशमन योजना का विकल्प लिया, संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक प्रशमन योजना के अनुसार निर्धारित प्रशमन राशि जमा कराने में विफल रहे। व्यवहारी योजना की शर्तों की पालना करने में असमर्थ रहने के कारण ये व्यवहारी योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं थे। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अनुसार उन्हें सामान्य व्यवहारी मानते हुए कर की अन्तर की राशि वसूलने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 73.72 लाख की अन्तर कर राशि के अतिरिक्त ब्याज ₹ 23.02 लाख (मार्च 2010 तक संगणित) का अनारोपण हुआ।

प्रकरणों को विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010) और सरकार को सूचित किया (फरवरी 2011 से मार्च 2011)। विभाग ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 'बी' जयपुर के प्रकरण में सूचित किया

²¹ वृत्त 'आई' जयपुर, वृत्त 'बी' जयपुर, वृत्त 'डी' जयपुर, विशेष वृत्त 'V' जयपुर एवं वृत्त 'जे' जयपुर।

(दिसम्बर 2011) कि ₹ 20.96 लाख की मांग कायम की जा चुकी है। सरकार ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 'जे' जयपुर के प्रकरण में सूचित किया (दिसम्बर 2011) कि ₹ 11.76 लाख की मांग कायम की जा चुकी है, शेष प्रकरणों में हम उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

2.14.2 ईट भट्टा मालिकों को प्रशमन योजना में कर की गलत स्वीकृति प्रदान करना

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 06.05.2006 को जारी अधिसूचना द्वारा सरकार ने ईट भट्टा मालिकों के लिए प्रशमन योजना, 2006 लागू की, जिसमें उनके द्वारा निर्मित ईटों के विक्रय पर व्यवहारियों को कर दायित्व के स्थान पर प्रशमन राशि के भुगतान का विकल्प दिया गया। योजना के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार, प्रशमन राशि दो वर्ष की प्रशमन अवधि के लिये वैध होगी और प्रथम वर्ष का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

- (क) जहां भट्टे की उत्पादन क्षमता 8 लाख से कम ईटें प्रति चक्र है वहां ₹ 90,000 प्रतिवर्ष प्रति भट्टा,
- (ख) जहां भट्टे की उत्पादन क्षमता प्रति चक्र 8 लाख या अधिक है लेकिन 11 लाख ईटों से कम है, वहां ₹ 1,44,000 प्रतिवर्ष प्रति भट्टा, तथा
- (ग) जहां भट्टे की उत्पादन क्षमता प्रति चक्र 11 लाख या अधिक ईटों की है वहां ₹ 1,44,000 प्रतिवर्ष प्रति भट्टा और प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख या उसके भाग के लिये ₹ 1,300 प्रति लाख।

प्रशमन राशि तुरन्त बाद के वर्ष के लिये गत वर्ष की प्रशमन राशि का 110 प्रतिशत होगी। प्रशमन राशि चार समान किशतों में देय होगी जो प्रत्येक त्रैमास के प्रारम्भ की 14 तारीख तक जमा होगी। यदि व्यवहारी निर्धारित अवधि में प्रशमन राशि जमा कराने में असफल रहता है, तो उसे योजना का लाभ तब ही स्वीकृत किया जा सकता है, यदि वह सम्पूर्ण बकाया राशि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित दर से ब्याज के साथ जमा करा देगा। साथ ही यदि वह बकाया राशि 31 दिसम्बर तक जमा कराता है तो बकाया प्रशमन राशि का 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में जमा करायेगा एवं यदि वह बकाया किशत 31 दिसम्बर के बाद और 31 मार्च से पूर्व जमा कराता है तो विलम्ब शुल्क बकाया प्रशमन राशि का 50 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, किसी मामले में व्यवहारी योजना की शर्तों का उल्लंघन करता है तो योजना के अनुबन्ध 7.6 के अन्तर्गत निर्धारण प्राधिकारी प्रशमन प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकता है और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है।

वाणिज्यिक कर कार्यालय, वृत्त-आई, जयपुर के वर्ष 2008-10 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया कि (नवम्बर 2010) एक भट्टा मालिक मैसर्स जय श्री दयाल ब्रिक्स, जयपुर ने प्रशमन योजना का विकल्प दिया लेकिन निर्धारण प्राधिकारी ने उन्हें प्रशमन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया। फिर भी व्यवहारी ने वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 दोनों वर्षों में प्रशमन राशि ₹ 1.44 लाख से योजना का लाभ लिया। हमने देखा कि व्यवहारी ने किश्त का भुगतान विलम्ब से किया और योजना के लाभ का उपयोग करने हेतु 31 मार्च से पूर्व बकाया किश्त की राशि मय ब्याज एवं विलम्ब शुल्क के भुगतान नहीं किया।

हमने पाया कि निर्धारण प्राधिकारी, वर्ष 2007-08 एवं 2007-08 के निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अनुसार पण्यावर्त के आधार पर निम्नानुसार कर आरोपण में असफल रहे :-

(₹ लाख में)

वर्ष	पण्यावर्त	कर की प्रतिशत दर	वेट की राशि	जमा राशि	शेष बकाया कर	ब्याज राशि (मार्च 2010 तक)
2006-07	39.49	12.5	4.94	1.44	3.50	1.47
2007-08	39.66	12.5	4.95	1.44	3.51	1.05
योग			9.89	2.88	7.01	2.52

इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 7.01 लाख एवं ब्याज ₹ 2.52 लाख (मार्च 2010 तक संगणित) का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2010) और सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 2011)। हम उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

2.14.3 पेट्रोलियम व्यवहारियों को प्रशमन योजना में कर की गलत स्वीकृति प्रदान करना

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 09 मार्च 2007 को सरकार द्वारा पेट्रोलियम कम्पनियों के लिये खुदरा निर्गम वाले पंजीकृत व्यवहारियों के लिए प्रशमन योजना जारी की जिसके तहत लुब्रिकेन्ट, पीला कपड़ा और फेन-बेल्ट विक्रय करने वाले व्यवहारियों को कर दायित्व के स्थान पर प्रशमन राशि का विकल्प दिया गया। योजना के अनुच्छेद 4.01 के अनुसार, प्रशमन राशि का भुगतान चार त्रैमासिक किश्तों में होगा जो सम्बन्धित वर्ष में जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के समाप्त होने वाले त्रैमास की समाप्ति के अगले माह की 7 तारीख को देय होगी। अनुच्छेद 5.4 के अनुसार, यदि व्यवहारी निर्धारित समय में प्रशमन राशि जमा कराने में असमर्थ रहता है, तो योजना का लाभ तब ही स्वीकृत किया जा सकता है, जब वह योजना के तहत सम्पूर्ण बकाया राशि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में अधिसूचित दर से ब्याज के साथ जमा करा देगा। इसके साथ देय किश्त राशि देय तिथि से तीन माह के भीतर जमा कराने पर देय प्रशमन राशि का 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा। बकाया राशि यदि उपरोक्त तीन माह के बाद और सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व जमा कराता है तो विलम्ब शुल्क देय राशि का 50 प्रतिशत होगा। और इसके बाद वह योजना में लाभ के योग्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, व्यवहारी द्वारा योजना की शर्तों के उल्लंघन की दशा में, योजना के अनुच्छेद 8.8 के अन्तर्गत निर्धारण प्राधिकारी प्रशमन प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकता है और व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही का भागी होगा।

चार कार्यालयों के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में, हमने पाया (अगस्त 2010 और वर्ष 2011 के मध्य) कि 32 पेट्रोलियम व्यवहारियों जो उक्त योजना के लाभ का उपभोग कर रहे थे, ने विनिर्दिष्ट अवधि तक निर्धारित प्रशमन राशि का भुगतान नहीं किया। योजना की शर्त की पालना करने में असमर्थ रहने से, ये व्यवहारी योजना के अन्तर्गत लाभ के योग्य नहीं थे। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा योजना के अनुच्छेद 8.8 के प्रावधानानुसार उन्हें राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य करदाता मान करके अन्तर कर की राशि वसूलने की कार्यवाही करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप अन्तर कर

₹ 30.37 लाख एवं ब्याज 9.57 लाख (31 मार्च 2010 तक संगणित) का अनारोपण हुआ जो निम्नानुसार तालिका में दर्शाया गया है :-

(₹ लाख में)

वृत्त का नाम (व्यवहारियों की संख्या)	निर्धारण वर्ष (निर्धारण का माह)	योजना के अन्तर्गत कुल कर योग्य पण्यावर्त	रा.मू.प.क. अधि. के तहत आरोपणीय कर की दर से 12.5 प्रतिशत	जमा प्रशामन राशि	वसूलनीय शुद्ध कर	ब्याज (मार्च 2010 तक)
जालोर (18)	2007-08 (जून 2009 से सितम्बर 2009)	123.20	15.40	1.24	14.16	4.25
सुमेरपुर (पाली) (8)	2006-07, 2007-08 (मार्च 2009 से मार्च 2010)	38.77	4.85	0.26	4.59	1.55
'बी' जयपुर (3)	2007-08 (अगस्त 2009, फरवरी 2010, और मार्च 2010)	46.80	5.85	0.47	5.38	1.61
गंगापुर सिटी (3)	2006-07, 2007-08 (मार्च 2009 से मार्च 2010)	54.46	6.81	0.57	6.24	2.16
योग		263.23	32.91	2.54	30.37	9.57

जब हमने इसे विभाग के ध्यान में लाया (सितम्बर 2010 से अप्रैल 2011) और सरकार को सूचित किया (नवम्बर 2010 से मई 2011)। सरकार ने वाणिज्यिक कर कार्यालय, वृत्त-जालोर के प्रकरण में सूचित किया (सितम्बर 2011) कि सभी 18 प्रकरणों में ₹ 19.07 लाख की मांग कायम की जा चुकी है (मई 2011) और इनमें से 16 प्रकरणों में ₹ 6.13 लाख की आंशिक वसूली भी कर ली गई है। अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) ने 14 प्रकरणों में शेष मांग राशि की वसूली पर स्थगन दिया है और वृत्त-गंगापुर सिटी के प्रकरण में, सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2011) कि सभी तीनों प्रकरणों में ₹ 9.70 लाख की मांग कायम (जुलाई 2011) कर दी गई है एवं मांग की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। वाणिज्यिक कर कार्यालय, वृत्त-सुमेरपुर (पाली) के प्रकरण में सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2011) कि आठ में से सात प्रकरणों में ₹ 5.30 लाख की मांग कायम की जा चुकी है और वृत्त-बी जयपुर के प्रकरण में सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2011) कि दो प्रकरणों में ₹ 4.24 लाख की मांग कायम की गई है और मांग की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.14.4 कर का गलत आस्थगन

- वे औद्योगिक इकाइयों जो उद्योगों हेतु नई प्रोत्साहन योजना (प्रोत्साहन योजना) 1989 या राजस्थान बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर औद्योगिक छूट योजना (प्रोत्साहन योजना) 1998 के अन्तर्गत कर छूट का उपभोग करती थी, उनको अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 के अनुसार इसमें उल्लिखित सीमा तक, उनके द्वारा देय कर को आस्थगित करने की अनुमति दी गई थी।
- बढ़ी हुई अवधि में कर आस्थगन का प्रतिशत तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में लागू कर आस्थगन प्रतिशत के समान/बराबर हो।
- अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के अन्तर्गत, कोई व्यवहारी राजस्थान राज्य में माल का निर्माण करता है तो वह अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान देय कर में आंशिक कर छूट का दावा कर सकता है। आस्थगन स्वीकृति से पूर्व आंशिक कर छूट को भी आउटपुट कर में से घटायेगा।
- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 17 में व्यवहारी द्वारा 'देय कर' का अर्थ द्वारा आगत कर क्रेडिट को अधिनियम के अनुसार आरोपणीय कर से कम करेंगे।

सात कार्यालयों के निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में (अप्रैल 2010 एवं मार्च 2011 के मध्य) हमने पाया कि नौ व्यवहारियों के निर्धारण में, निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा राशि ₹ 3.11 करोड़ के कर का गलत आस्थगन अनुमत्य किया जिस पर ₹ 97.95 लाख ब्याज (मार्च 2010 तक संगणित) भी आरोपणीय था। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:-

(i) आगत कर क्रेडिट को नहीं घटाना

पाँच कार्यालयों में, हमने पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने आउटपुट कर में से आगत कर क्रेडिट बिना घटाये ही गलत कर आस्थगन अनुमत्य किया। इसके परिणामस्वरूप परिशिष्ट 'डी' में अंकित विवरणानुसार ₹ 2.11 करोड़ के कर का अधिक आस्थगन हुआ और जिस पर ₹ 58.87 लाख (मार्च 2010 तक संगणित) ब्याज भी आरोपणीय था।

प्रकरणों को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2010 से अप्रैल 2011) और सरकार को सूचित किया (मार्च 2011 से अप्रैल 2011) हम उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

(ii) प्रतिशत की गलत दर अपनाना

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर

हमने पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स पीकोक इण्डस्ट्रीज, उदयपुर) योजना की शेष अवधि वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में क्रमशः 30 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत देय कर में आस्थगन के योग्य था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण को अन्तिम रूप

देते समय योजना की शेष अवधि को उसकी बढ़ी हुई अवधि मानते हुये वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के लिए देय आस्थगन ₹ 19.16 लाख और ₹ 17.24 लाख के बजाय 40 प्रतिशत की दर से क्रमशः ₹ 25.55 लाख एवं ₹ 34.49 लाख कर का गलत आस्थगन अनुमत्य किया। इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 23.64 लाख एवं ब्याज ₹ 7.86 लाख (मार्च 2010 तक संगणित) का अधिक आस्थगन हुआ।

हमारे द्वारा इसे विभाग को ध्यान में लाया गया (मार्च 2011) और सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2011)। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2011) कि अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 के अनुच्छेद 6 के अनुसार व्यवहारी को 40 प्रतिशत की दर से कर आस्थगन लाभ दिया गया। हम उत्तर स्वीकार नहीं करते क्योंकि अनुच्छेद 6 के प्रावधान केवल बढ़ी हुई अवधि पर ही लागू होते हैं जो कि योजना में स्वीकृत अवधि पूर्ण होने के बाद शुरू होता है। इस प्रकरण में, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 मूल स्वीकृत (शेष रही) अवधि में है। इसलिये व्यवहारी क्रमशः 30 एवं 20 प्रतिशत कर आस्थगन लाभ का ही पात्र था।

**(iii) आगत कर क्रेडिट को नहीं घटाना एवं प्रतिशत की गलत दर अपनाना
वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘बी’, श्रीगंगानगर**

हमने पाया कि एक व्यवहारी (मै. सरावगी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा.लि., श्रीगंगानगर) 30 प्रतिशत कर दायित्व के आस्थगन के योग्य था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2007-08 के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, आउटपुट कर में से आगत कर क्रेडिट घटाये बिना कर का गलत आस्थगन अनुमत्य किया गया, और अनुमत्य ₹ 2.31 लाख कर आस्थगन के स्थान पर ₹ 9.57 लाख का कर आस्थगन अनुमत्य किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 7.26 लाख एवं ब्याज ₹ 2.18 लाख (मार्च 2010 तक संगणित) का अधिक आस्थगन हुआ।

जब हमने इसे विभाग के ध्यान में लाया (अगस्त 2010) एवं सरकार को सूचित किया (नवम्बर 2010 और अप्रैल 2011) तो विभाग ने सूचित किया (जून 2011) कि अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 में अनुच्छेद 6 के अनुसार व्यवहारी को 40 प्रतिशत कर आस्थगन अनुमत्य किया गया। हम उनका उत्तर स्वीकार नहीं करते क्योंकि अनुच्छेद 6 के प्रावधान केवल बढ़ी हुई अवधि पर लागू होते हैं जो कि योजना की स्वीकृत अवधि पूर्ण होने के बाद शुरू होती है। इस प्रकरण में, वर्ष 2007-08 मूल स्वीकृत (शेष रही) अवधि में था। अतः व्यवहारी केवल 30 प्रतिशत कर आस्थगन के योग्य था। हम उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

**(iv) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत आंशिक छूट को नहीं घटाना
विशेष राजस्थान वृत्त, जयपुर**

हमने पाया कि एक व्यवहारी, (मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लि., जयपुर) के वर्ष 2006-07 के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, निर्धारण प्राधिकारी ने आस्थगन स्वीकृत करने से पूर्व अधिसूचना 06 मई 1986 के अनुसार आंशिक कर छूट को आउटपुट कर (के.बि.क.) में से नहीं घटाया एवं कर का गलत आस्थगन अनुमत्य

किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2006-07 के लिए कर ₹ 69.15 लाख एवं ब्याज ₹ 29.04 लाख (मार्च 2010 तक संगणित) का अधिक आस्थगन हुआ। प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2011) हम उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

2.14.5 प्रवेश कर का अनारोपण

राजस्थान में स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 08.03.2006 जारी कर एक व्यवहारी द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर देय कर की दरें निर्धारित की हैं।

सहायक आयुक्त वृत्त-‘बी’ अलवर के वर्ष 2009-10 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में, हमने पाया (जून 2010) में कि एक व्यवहारी (मैसर्स साउथ एशिया ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड, अलवर) ने प्रवेश कर चुकाये बिना राज्य के

बाहर से माल, व्यवसाय में उपयोग या उपभोग करने के लिये क्रय किया जिस पर प्रवेश कर आरोपणीय था। प्रवेश कर के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 16.50 लाख के प्रवेश कर एवं ब्याज ₹ 4.95 लाख (मार्च 2010 तक संगणित) की अवसूली हुई।

ध्यान में लाये जाने पर (जून 2010), निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (जनवरी 2011) कि ₹ 16.05 लाख के प्रवेश कर एवं ब्याज ₹ 5.12 लाख की मांग कायम की जा चुकी थी (सितम्बर 2010) एवं राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे थे (अप्रैल 2011)।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2010) और सरकार को सूचित किया (सितम्बर 2010)। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

2.14.6 विलम्ब से कर भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 55(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.05.2006 जारी करके विलम्ब से कर भुगतान पर आरोपण योग्य ब्याज की दर 12 प्रतिशत निर्धारित की है।


वाणिज्यिक कर कार्यालय, विशेष वृत्त, उदयपुर के वर्ष 2009-10 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में, हमने पाया (फरवरी 2011) कि एक व्यवहारी मैसर्स राजस्थान सिन्टैक्स लि., उदयपुर ने राजस्थान विनियोजन संवर्धन नीति, 2003 के अन्तर्गत स्वीकृत ब्याज अनुदान एवं

मजदूरी अनुदान ₹ 64.95 लाख को देय कर के विरुद्ध समायोजित किया। वर्ष 2007-08 के देय कर के विरुद्ध अनुदान राशि मार्च 2009 में राजकोष में जमा कराई गई जो नियत दिनांक के बाद के कारण कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 11.69 लाख ब्याज आरोपणीय था। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण

(जनवरी 2010) को अन्तिम रूप देते समय ब्याज का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 11.69 का अनारोपण हुआ ।

जब हमने इसे विभाग को बताया (मार्च 2011) एवं सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2011) तो सरकार ने सूचित (सितम्बर 2011) किया कि ₹ 11.69 लाख की मांग (जुलाई 2011) कायम की जा चुकी थी और मांग राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे थे।

अध्याय-III
मोटर वाहनों पर कर



कार्यकारी सारांश: अध्याय-III

कर संग्रहण में मामूली वृद्धि	मोटर वाहनों पर कर की प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 17.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मोटर वाहनों से प्राप्तियाँ, कुल कर प्राप्तियों का गत वर्ष के 8.36 प्रतिशत की तुलना में 7.77 प्रतिशत था।
पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा बताये गये अनुच्छेदों में बहुत कम वसूली	2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान हमने कर, फीस आदि के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली के ₹ 114.22 करोड़ राजस्व सन्निहित के 28 अनुच्छेद बताये थे। उनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 67.87 करोड़ सन्निहित के 27 अनुच्छेद स्वीकार किये लेकिन 25 अनुच्छेदों में केवल ₹ 24.20 करोड़ ही वसूल किये।
आन्तरिक लेखापरीक्षा के अनुच्छेदों की अनुपालना नहीं करना	हमने पाया कि वर्ष 2010-11 के अन्त में वर्ष 2010-11 तक के 984 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 11,443 अनुच्छेद बकाया थे। जिनमें से कुछ अनुच्छेद 1991-92 से बकाया थे। इस प्रकार, भारी संख्या में बकाया अनुच्छेदों से आन्तरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य विफल रहा।
2010-11 में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम	24 इकाइयों के ₹ 933.92 करोड़ प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमें 6,634 प्रकरणों में ₹ 46.03 करोड़ के कर की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला। विभाग ने 5,895 प्रकरणों में ₹ 20.74 करोड़ की कम निर्धारण एवं अन्य कमियाँ स्वीकार की, जिनमें से ₹ 19.32 करोड़ के 5,064 प्रकरण वर्ष 2010-11 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2010-11 के दौरान 1,063 प्रकरणों में ₹ 2.34 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 0.85 करोड़ के 440 प्रकरण 2010-11 में तथा शेष ₹ 1.49 करोड़ के 623 प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

<p>इस अध्याय में हमने क्या दर्शाया है</p>	<p>'मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटराइजेशन' की निष्पादन लेखापरीक्षा में सिस्टम तथा अनुपालना की कमियों के कई प्रकरण पाये गये जिनमें सुधार की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर में चेसिस नम्बर एवं इंजन नम्बर आदि के गलत डाटा की प्रविष्टी के कारण हम राज्य/राष्ट्रीय रजिस्टर के डाटा पर विश्वास नहीं कर सकते। हमने अनुच्छेद संख्या 3.8.18 में विशेष सिफारिशों दी है। हमने मोटर वाहनों पर अवसूली/कम वसूली से सम्बन्धित प्रकरण भी दर्शाये है।</p>
<p>हमारे निष्कर्ष</p>	<p>उपयोगकर्ताओं को बेहतर एवं समय पर सेवा देने तथा राजस्व छीजत को रोकने के उद्देश्य से मोटर वाहन विभाग में किये गये कम्प्यूटराइजेशन के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, जैसे हमने पाया कि मोड्यूल्स के कुछ घटक प्रचालन में नहीं थे तथा सॉफ्टवेयर में कमियाँ थी। कुछ प्रोदेशिक परिवहन कार्यालयों में यद्यपि कम्प्यूटराइजेशन कार्यान्वित कर दिया गया था, स्टॉफ की कमी तथा प्रशिक्षण के अभाव में हाथ से कार्य किया जाना जारी था।</p> <p>अपर्याप्त पर्यवेक्षीय जाँच के कारण उड़नदस्तो एवं कर संग्रह केन्द्रों द्वारा संग्रह किया गया कर एक दिन से 424 दिन के विलम्ब के बाद जमा किया गया। इन प्रकरणों में राशि के अस्थायी दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता।</p>

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग, वाहनों के पंजीयन, वाहनों के लिए अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने तथा राज्य में संचालित वाहनों पर नियंत्रण की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। विभाग, चालकों, परिचालकों एवं व्यवसायियों को लाईसेंस तथा वाहनों के उपयुक्तता प्रमाण-पत्र भी जारी करता है। मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 तथा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के प्रावधानों के अधीन करारोपण तथा कर, फीस एवं शास्ति की वसूली विभाग के अन्य उत्तरदायित्व हैं। विभाग में वाहनों के पंजीयन एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, लाईसेंस स्वीकृत करना, कर, फीस, शास्ति आदि की वसूली से सम्बन्धित कार्य कम्प्यूटराईज्ड कर दिये हैं।

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष होता है। मुख्यालय स्तर पर उसकी सहायता के लिए तीन अतिरिक्त आयुक्त तथा सात उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 37 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय हैं जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति


वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+)/ कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006-07	950.00	1,023.61	(+) 73.61	(+) 7.74	11,608.24	8.82
2007-08	1,075.00	1,164.40	(+) 89.40	(+) 8.32	13,274.73	8.77
2008-09	1,200.00	1,213.56	(+) 13.56	(+) 1.13	14,943.75	8.12
2009-10	1,300.00	1,372.87	(+) 72.87	(+) 5.61	16,414.27	8.36
2010-11	1,500.00	1,612.25	(+) 112.25	(+) 7.48	20,758.12	7.77

वर्ष 2010-11 के दौरान मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों (मोटर वाहनों पर कर की प्राप्तियों को छोड़कर) को निम्नलिखित

पाई चार्ट में दर्शाया गया है:



यद्यपि, वास्तव में मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों में प्रतिवर्ष मामूली वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन राज्य की कुल कर प्राप्तियों की तुलना में मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों की प्रतिशतता में वर्ष 2006-07 की तुलना में प्रतिवर्ष गिरावट रही है। वर्ष 2010-11 में ये प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों का 7.77 प्रतिशत दर्ज की गईं।

3.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को राजस्व की बकाया की राशि ₹ 39.47 करोड़ थी जिसमें से ₹ 19.32 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2011 को राजस्व की बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01.4.2010 को बकाया का प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2010-11 के दौरान संग्रहित राशि	31.3.2011 को बकाया का अन्तिम शेष
2005-06 तक	22.12	2.80	19.32
2006-07	3.72	0.63	3.09
2007-08	5.47	0.11	5.36
2008-09	7.40	0.98	6.42
2009-10	5.87	0.59	5.28
योग	44.58	5.11	39.47

पाँच वर्ष से अधिक से बकाया राजस्व ₹ 19.32 करोड़ की वसूली की संभावना कम है।

हमारा सुझाव है कि बकाया की वसूली के लिए सरकार समुचित कार्यवाही करें।

3.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ इसी अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	सकल संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2006-07	1,023.61	15.56	1.52	2.47
2.	2007-08	1,164.40	17.44	1.50	2.58
3.	2008-09	1,213.56	29.25	2.41	2.93
4.	2009-10	1,372.87	27.04	1.97	3.07
5.	2010-11	1,612.25	30.82	1.91	उपलब्ध नहीं

वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व के संग्रहण पर व्यय में वृद्धि राज्य में छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से कार्मिकों के वेतन में वृद्धि के कारण थी। हमने देखा कि मोटर वाहनों पर कर के संग्रहण पर व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता की तुलना में हमेशा कम रही। इसे कम रखने के लिए सरकार को निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए।

3.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

हमने हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा गत पाँच वर्षों के दौरान ₹ 114.22 करोड़ राजस्व संनिहित के 28 अनुच्छेदों में अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लागू करना, कर की गलत गणना आदि के मामले ध्यान में लाये थे। उनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 67.87 करोड़ संनिहित के 27 अनुच्छेद स्वीकार किये तथा अब तक (दिसम्बर 2011) 25 अनुच्छेदों में ₹ 24.20 करोड़ की वसूली की, जैसा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2005-06	6	19.07	6	5.65	6	2.09
2006-07	6	7.23	6	5.92	6	2.40
2007-08	9	25.15	9	21.50	9	13.60
2008-09	3	47.75	2	19.98	1	0.57
2009-10	4	15.02	4	14.82	3	5.54
योग	28	114.22	27	67.87	25	24.20

इन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में बहुत अधिक संख्या में वाहनों से वसूली होनी थी। विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन स्वामी से आक्षेपित राशि वसूल करनी है।

सरकार को, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में संनिहित राशि को प्राथमिकता से वसूल करने हेतु विभाग को निर्देश जारी करने चाहिए।

3.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

वित्तीय सलाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का शीर्ष अधिकारी होता है तथा उसकी सहायता एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं दो लेखाधिकारी करते हैं। विभाग में पाँच आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं तथा प्रत्येक में सहायक लेखाधिकारी शीर्ष अधिकारी होता है। गत पाँच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु नियत इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु कुल नियत इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाइयाँ	लेखापरीक्षा नहीं हुई इकाइयाँ	कमी प्रतिशत में
2006-07	-	77	77	77	-	-
2007-08	-	79	79	75	4	5
2008-09	4	79	83	67	16	19
2009-10	16	79	95	89	6	6
2010-11	6	43	49	49	-	-

हमने पाया कि वर्ष 2010-11 के अन्त में वर्ष 2010-11 तक के 984 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 11,443 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1991-92 से 2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	योग
अनुच्छेद	6,821	989	887	764	969	1,013	11,443

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेद 1991-92 से बकाया थे। इस प्रकार, भारी संख्या में अनुच्छेद बकाया रहने से आन्तरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य विफल रहा।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के कार्य को प्रभावशाली बनाना चाहिए जिससे कि राजस्व छीजत को रोकने एवं अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना के लिए उचित उपाय किये जा सकें। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु विभाग को समुचित निर्देश जारी करने चाहिए।

3.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

24 इकाइयों के ₹ 933.92 करोड़ प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमें 6,634 प्रकरणों में ₹ 46.03 करोड़ के कर की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटराइजेशन (निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	0.00
2.	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन फीस की अवसूली/कम वसूली	5,109	40.06
3.	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना न करना/कम करना	1,516	5.96
4	अन्य अनियमितताएं	8	0.01
योग		6,634	46.03

विभाग ने 5,895 प्रकरणों में ₹ 20.74 करोड़ की कम निर्धारण एवं अन्य कमियाँ स्वीकार की, जिनमें से ₹ 19.32 करोड़ के 5,064 प्रकरण वर्ष 2010-11 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2010-11 के दौरान 1,063 प्रकरणों में ₹ 2.34 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 0.85 करोड़ के 440 प्रकरण 2010-11 में तथा शेष ₹ 1.49 करोड़ के 623 प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

'मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटराइजेशन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 16.72 करोड़ सन्निहित की कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायी गई हैं।

3.8 'मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटराइजेशन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- 'वाहन' सॉफ्टवेयर शुरूआत में अलवर में मई 2005 में पायलट साईट के रूप में स्थापित करने से 52 से 57 माह के विलम्ब के उपरान्त शेष 36 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों जिला परिवहन कार्यालयों में अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 के दौरान कार्यान्वित किया गया। 'वाहन' के चरण-III का कार्यान्वयन 33 उप कार्यालयों में किया जाना अभी भी शेष है। 'वाहन' का परमिट एवं एनफोर्समेंट मोड्यूल अभी शुरू ही नहीं किया गया। यद्यपि 'सारथी' सॉफ्टवेयर 13 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में से सात कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया, स्टॉफ की कमी के कारण सॉफ्टवेयर केवल चार कार्यालयों में ही चल रहा था। शिक्षार्थी लाईसेन्स तथा कन्डक्टर लाईसेन्स के लिए ऑनलाइन आवेदन का कार्यान्वयन नहीं किया गया था। अतः कम्प्यूटराइजेशन का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुराने डाटा तथा 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर के डाटा के डाटाबेस के ढांचे में अन्तर होने के कारण पुराने डाटा को नये सॉफ्टवेयर में हस्तांतरण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद संख्या 3.8.8 एवं 3.8.8.1)

- 'वाहन' सॉफ्टवेयर में अप्रत्याप्त वैधता नियंत्रण के कारण सिस्टम, निर्माण की तिथि, प्रदूषण नियंत्रण, वाहनों के लदान सहित भार एवं बैठक क्षमता के गलत तथा असम्भावित डाटा को स्वीकार करता है। इसके अलावा, बैक-एण्ड प्रविष्टियों के आधार पर इंजन नम्बर/चेसिस नम्बर की कई दोहरी प्रविष्टियाँ बिना रोक-टोक के की गई थी तथा बीमा कवर नोट्स के मुख्य फील्ड्स रिक्त थे या जाली नम्बर दर्शाये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप राज्य/राष्ट्रीय रजिस्टर का डाटाबेस, अपूर्ण/गलत था।

(अनुच्छेद संख्या 3.8.9)

- सिस्टम में डिजाइन की कमियाँ थी जिसे, गलत कर वसूली तथा गलत सूचना से बचने के लिए सही करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा लाईसेन्स जारी करने या पंजीयन आदि में विलम्ब को प्रदर्शित करने का, सिस्टम में प्रावधान नहीं था।

(अनुच्छेद संख्या 3.8.10.1)

- सॉफ्टवेयर में फ़ैन्सी नम्बर की फीस के निर्धारण का प्रावधान नहीं करने के कारण सात प्रकरणों में फ़ैन्सी नम्बर की फीस ₹ 19,200 की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद संख्या 3.8.10.2)

- लाईसेन्स/परमिट जारी करने, फीस वसूली के डाटा का सत्यापन परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप गलतियों की पहचान नहीं हो सकी, जिसको अन्यथा कार्यकारी निर्देशों तथा दिशा-निर्देशों के माध्यम से प्रतिबन्धित/कम किया जा सकता था। लॉग्स उत्पन्न करने हेतु ट्रान्जेक्शन डाटा की समीक्षा के लिए आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र अप्रभावी था।

(अनुच्छेद संख्या 3.8.11.2)

- अप्रत्याप्त एप्लीकेशन नियन्त्रण के कारण, चालक लाईसेन्स के नमूना जाँच किए गए 1,61,754 प्रकरणों में से 853 प्रकरणों में अयोग्य आवेदक, जो अनपढ़, आठवीं क्लास से कम या जिनकी योग्यता अंकित नहीं थी या जिनकी आयु शून्य दर्शायी गयी थी, को लाईसेन्स जारी किये गये। असम्भावित एवं गलत प्रविष्टियाँ, जारी किये गये लाईसेन्सों के राष्ट्रीय/राज्य रजिस्टर की विशुद्धता को प्रभावित करती है।

(अनुच्छेद संख्या 3.8.12.2)

- केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यालयों के लिए ₹ 8.65 करोड़ की राशि के हार्डवेयर स्वीकृत किये गये थे लेकिन आपूर्ति, स्थापना, एवं उपयोग/अनुपयोग के विवरण पर निगरानी न तो परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा और न ही राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जयपुर द्वारा रखी जा रही थी।

(अनुच्छेद संख्या 3.8.14.3)

- मापक जाँच किये गये किसी भी कार्यालय के सर्वर कक्ष में आग का पता लगाने/किसी आकस्मिकता से लड़ने का कोई उपकरण नहीं था।

(अनुच्छेद संख्या 3.8.14.4)

- जिला परिवहन कार्यालय, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर एवं प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा में कनेक्टिविटी स्थापित नहीं की गई। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पाली में नेटवर्क लाईनों में लगातार व्यवधान था जिसके परिणामस्वरूप बैकअप एवं सॉफ्टवेयर को अद्यतन करने सम्बन्धी समस्याएँ थी। इसके अलावा कर संग्रह केन्द्रों के साथ परिवहन आयुक्त/प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जुड़े हुए नहीं थे।

(अनुच्छेद संख्या 3.8.14.5)

- मापक जाँच किए गए कार्यालयों का स्टॉफ एवं अधिकारी न तो प्रशिक्षित थे न ही उनको यूजर मैनुअल उपलब्ध करायी गई थी जिसके कारण स्टॉफ, सॉफ्टवेयर प्रचालन में प्रतिदिन समस्याओं का सामना कर रहा था।

(अनुच्छेद संख्या 3.8.15.1)

3.8.1 प्रस्तावना

मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा तेज, बेहतर एवं पारदर्शी सेवा की प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (एन.आई.सी.) के माध्यम से दो मानक सॉफ्टवेयर 'वाहन' एवं 'सारथी' विकसित किये। इन्हें सभी राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया गया। राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग को अनुकूलन एवं बैकेंड एकीकरण के लिए एन.आई.सी. से निशुल्क तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करायी गई।

राष्ट्रीय माल वाहक वाहनों के लिए नेशनल परमिट कम्पोजिट फीस योजना 7 मई 2007 से प्रभावी हुई। सड़क परिवहन एवं उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा एन.आई.सी., नई दिल्ली के परामर्श से नेशनल परमिट जारी करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित की। राज्य को इस सॉफ्टवेयर में काम करने की सुविधा नेशनल पोर्टल के द्वारा उपलब्ध करायी गई।

राजस्थान सरकार का परिवहन विभाग मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213 के प्रावधानों के अधीन कार्य करता है। राज्य में विभाग की स्थापना का प्रारम्भिक उद्देश्य मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989, राजस्थान मोटरयान नियम, 1990, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियम, 1951 के प्रावधानों को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करना है। विभाग के मुख्य कार्य, वाहनों का पंजीयन तथा परमिट, लाइसेन्स एवं वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करना है। विभाग, सड़क से आने-जाने वाले यात्रियों एवं माल के प्रयाप्त एवं मितव्ययी परिवहन हेतु सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन, मोटर वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण का नियंत्रण, नियमों को लागू करना, कराधान एवं वसूली, नये मार्ग खोलना आदि का कार्य भी देखता है।

3.8.2 संगठनात्मक ढांचा

विभाग प्रमुख के रूप में परिवहन आयुक्त एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव विभागाध्यक्ष होता है। उसकी सहायतार्थ अन्य सहायक स्टॉफ के साथ-साथ तीन अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, सात उप परिवहन आयुक्त एवं एक वित्तीय सलाहकार है। विभाग में कुल 1624 का स्टॉफ है। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सह पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, कार्यालय प्रमुख होते हैं। 37 वाहन पंजीयन कार्यालय है जिनमें जिला परिवहन अधिकारी सह कराधान अधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.8.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि:

- क्या एन.आई.सी. द्वारा विकसित सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर 'वाहन', 'सारथी' तथा नेशनल परमिट सिस्टम के माध्यम से कम्प्यूटराईजेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई थी;

- क्या सड़क परिवहन एवं उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा तय की गई समय सीमा में राज्य द्वारा 'वाहन' एवं 'सारथी' का चरणबद्ध कार्यान्वयन का लक्ष्य प्राप्त किया था;
- क्या कम्प्यूटराईज्ड प्रणाली का कार्यान्वयन पूर्ण (मोड्यूल वाईज) कर लिया था तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा सही एवं पूर्ण डाटा प्राप्त कर लिए थे;
- क्या वाहनों एवं लाईसेन्सों के रजिस्टर तथा राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने के लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में कनेक्टिविटी स्थापित कर ली गई है तथा ऊपर बताये गये उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सर्वर लगा दिया गया था;
- क्या डाटा सुरक्षा एवं लेखापरीक्षा ट्रेल सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय सामान्य एवं सुरक्षा नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। इसके साथ ही सिस्टम के नुकसान से बचने के लिए बैकअप लेने तथा बताये गये उद्देश्यों के लिए कम्प्यूटराईज्ड सिस्टम की कार्य प्रणाली की सभी प्रकार की गारण्टी/विश्वास उपलब्ध थे; तथा
- क्या दोनों सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु राज्य स्तर पर आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र मौजूद था।

3.8.4 लेखापरीक्षा का मापदण्ड

'मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटराइजेशन' की निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध 'वाहन' 'सारथी' सॉफ्टवेयर एवं नेशनल परमिट सिस्टम के कार्यान्वयन एवं कार्यप्रणाली की स्थिति जाँचने के लिए की गई थी:

- मोटरयान अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989;
- राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियम, 1951; तथा
- राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 ।

3.8.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में 'वाहन', 'सारथी' एवं नेशनल परमिट सिस्टम (एन.पी.एस.) के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा तथा नियन्त्रण की जाँच सम्मिलित है। अभिलेखों की सुरक्षा तथा डाटा की शुद्धता के साथ-साथ सिस्टम में डाटा प्राप्त करने की सुनिश्चितता जाँचने हेतु

हमने जुलाई 2011 से अक्टूबर 2011 के मध्य पाँच कार्यालयों¹ का निरीक्षण किया। हमने एम.एस.एक्सस एवं एम.एस.एक्सल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए 10 चयनित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों² के अगस्त 2011 तक के डाटा को परिवहन आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त करके उनका विश्लेषण भी किया।

3.8.6 आभार

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग आवश्यक सूचनाएँ एवं लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने में आयुक्त के सहयोग के लिए आभारी है। आयुक्त तथा जयपुर स्थित एन.आई.सी. के तकनीकी निदेशक एवं परियोजना समन्वयक के साथ 9 जून 2011 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं पद्धति को स्पष्ट किया गया था। परिवहन विभाग के साथ दिनांक 13 जनवरी 2012 को परिवहन आयुक्त एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव के साथ एक समापन सम्मेलन किया गया जिसमें समीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन सम्मेलन के दौरान तथा समीक्षा के दौरान प्राप्त उत्तरों को इस समीक्षा के प्रासंगिक अनुच्छेदों में सम्मिलित कर लिया गया है।

3.8.7 एन.आई.सी. द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का विवरण

एन.आई.सी. ने सॉफ्टवेयर विकसित कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराया। एप्लीकेशन सिस्टम लीनूक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर तथा डाटाबेस ओरेकल (सम्बन्धपरक डाटाबेस प्रबन्धन प्रणाली) पर एवं डवलपर विन्डोज बैकेंड के अनुसार था। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित की गई थी:

- (i) 'वाहन'- प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों के पंजीकरण एवं पथ कर वसूली के लिए एन.आई.सी. द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन है। यह, विभाग को वाहनों के पंजीयन, कर वसूली, विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों एवं परमिटों को जारी करने तथा वाहनों के फिटनेस का रिकार्ड रखने में सहायता करता है।
- (ii) 'सारथी'- विभिन्न प्रकार के लाईसेन्स, जिनमें शिक्षार्थी लाईसेन्स, स्थायी चालक लाईसेन्स, कन्डक्टरों के लिए लाईसेन्स तथा चालक स्कूल लाईसेन्स सम्मिलित है, को जारी करने के लिए एन.आई.सी. द्वारा विकसित एप्लीकेशन है।

¹ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर एवं पाली; जिला परिवहन कार्यालय, बाड़मेर, जालौर एवं सिरौही।

² प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर, पाली, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, बाड़मेर, डीडवाना, धौलपुर, जालौर, कोटपुतली एवं सिरौही।

- (iii) डाटा ट्रांसफोरमेशन सर्विस (डीटीएस)- प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों से केन्द्रीय डाटाबेस को ऑरेकल डाटा इन्टिग्रेटर के रूप में वेब पर 'वाहन' एवं 'सारथी' के लिए डाटा हस्तान्तरित करने तथा डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एन.आई.सी. द्वारा विकसित डाटा रूपान्तरण सेवा है।
- (iv) नेशनल परमिट सिस्टम- माल वाहकों के लिए नेशनल परमिट जारी/नवीनीकरण करने के लिए एन.आई.सी. की सहायता से विकसित इलेक्ट्रॉनिक पद्धति। इस इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से दिनांक 15.9.2010 से पूरे देश में भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में कम्पोजिट फीस जमा करायी जा सकती है।

परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उप परिवहन आयुक्त (आधुनिकीकरण) को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभाग के साथ-साथ राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं एन.आई.सी. से दो अधिकारियों³ को पर्यवेक्षण के लिए परिवहन विभाग में नियत किया गया।

इन तीन एप्लीकेशनस् से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.8.8 सिस्टम के कार्यान्वयन एवं योजना में पायी गयी कमियाँ

दिनांक 14.07.2011 को तीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के चरणबद्ध कार्यान्वयन को नीचे दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	कार्यान्वयन की स्थिति	उद्देश्य	लक्ष्य (कार्यालयों की संख्या)	कार्यान्वित (कार्यालयों की संख्या)	
1	'वाहन'	चरण-1	'वाहन' कार्यान्वयन	14	14
		चरण-2	'वाहन' कार्यान्वयन	23	23
		चरण-3	उप कार्यालयों में 'वाहन' के कुछ मोड्यूल्स का कार्यान्वयन	35	2
2	'सारथी'	'सारथी' कार्यान्वयन	13	7	
3	'नेशनल परमिट सिस्टम'	11 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में कार्यान्वयन	11	11	

'वाहन' सॉफ्टवेयर'

'वाहन' सॉफ्टवेयर शुरूआत में अलवर में मई 2005 में पायलट साईट के रूप में स्थापित किया गया था। सॉफ्टवेयर के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के उपरान्त भी यह सॉफ्टवेयर शेष 36 कार्यालयों में अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 के दौरान

³ तकनीकी निदेशक एवं प्रोजेक्ट समन्वयक तथा वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक एवं प्रोजेक्ट समन्वयक।

कार्यान्वित किया गया जिसके कारण 52 से 57 माह की अवधि का विलम्ब हुआ। जैसा कि ऊपर तालिका से देखा जा सकता है 'वाहन' के चरण-III का कार्यान्वयन 33 उप कार्यालयों में किया जाना अभी भी शेष है।

'सारथी' सॉफ्टवेयर

सितम्बर 2009 से अप्रैल 2010 तक सात कार्यालयों⁴ में "सारथी" सॉफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया। तथापि, हमने देखा (अक्टूबर 2010) कि सॉफ्टवेयर केवल चार कार्यालयों⁵ में ही चल रहा था। कार्मिकों की कमी के कारण 30 कार्यालयों तथा सभी 35 उप परिवहन कार्यालयों में 'सारथी' का कार्यान्वयन अभी किया जाना है। इसके अलावा, विभाग शिक्षार्थी लाइसेन्स तथा कन्डक्टर लाइसेन्स जारी करने में ऑनलाइन आवेदन के कार्यान्वयन में सक्षम नहीं है।

'सारथी' का कार्यान्वयन नहीं करने के कारणों के लिये पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि कार्मिकों की कमी के कारण ऐसा हुआ जिसके लिये कार्मिकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

नेशनल परमिट सिस्टम

नेशनल परमिट के ऑनलाइन अथोराइजेशन का कार्य सितम्बर 2010 से शुरू हुआ था तथा राष्ट्रीय रजिस्टर एवं केन्द्रीय सर्वर दिनांक 13.01.2010 को संचालित हुए थे।

3.8.8.1 पुराने डाटा का स्थानान्तरण

विभाग में पंजीकृत वाहनों एवं चालक लाइसेन्सों के पुराने डाटा को मिश्रित करने की प्रक्रिया प्रगति पर थी। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2011) कि पुराने डाटा तथा 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर के डाटा के डाटाबेस के ढांचे में अन्तर था, अतः उन्हें पुराने डाटा को नये सॉफ्टवेयर में डालने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था।

3.8.8.2 सिस्टम का आंशिक उपयोग

सॉफ्टवेयर को वाहन पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाओं को स्वतः प्रबन्धन के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन परमिट मोड्यूल (केवल जगतपुरा, जयपुर में ट्राइल पर कार्यरत) तथा एनफोर्समेंट मोड्यूल को अभी परिचालित किया जाना शेष था। 33 उप परिवहन कार्यालयों में सॉफ्टवेयर शुरू नहीं किया गया था।

सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पंजीकृत मोटर वाहनों तथा चालक लाइसेन्सों के राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए सभी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में दोनों सिस्टम का कार्यान्वयन शीघ्रतापूर्वक करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

⁴ अलवर, डीडवाना, जालौर, कोटपुतली, पाली, सीकर एवं सिरौही।

⁵ अलवर, डीडवाना, सीकर एवं सिरौही।

3.8.9 'वाहन' में डाटा की सटीकता

अपर्याप्त एप्लीकेशन नियन्त्रण

डाटा की समग्रता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रर्याप्त इनपुट प्रोसेसिंग एवं आऊटपुट नियन्त्रणों को डिजाइन किये जाने की आवश्यकता है। नमूना जांच किए गए 10 कार्यालयों के 4,52,751 पंजीकृत वाहनों के डाटाबेस के विश्लेषण में हमने देखा कि:

(अ) इनपुट तथा वैधता नियंत्रण

- 10,037 प्रकरणों में पंजीयन क्रमांक, राज्य/पंजीयन प्राधिकरण की पहचान के लिए पंजीयन क्रमांक के पहले लगने वाले कोड नम्बर के बिना थे। इस विवरण के बिना यह क्रमांक अधिकृत नहीं हो सकते।
- डाटाबेस में 994 प्रविष्टियां दोहरी थी जिसमें से 181 प्रकरणों में एक ही चेसिस नम्बर को एक से अधिक वाहनों के पंजीयन में तथा 813 प्रकरणों में एक ही इंजन नम्बर को एक से अधिक वाहनों के पंजीयन में उपयोग में लिए गये थे। इंजन एवं चेसिस नम्बर की विशिष्टता के लिए बुनियादी इनपुट नियंत्रण जांच, सिस्टम में मौजूद नहीं थी। एन.आई.सी. के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने सूचित किया कि ऐसा बैक-एण्ड प्रविष्टी के कारण हुआ है क्योंकि सिस्टम में बैक-एण्ड प्रविष्टी पर कोई जाँच नहीं है।
- यद्यपि, प्रचालन की तिथि (डाटा प्रविष्टि की तिथि) 17.5.2005 (अलवर) से 11.8.2011 (बाड़मेर) तक थी लेकिन 27 प्रकरणों में वाहन निर्माण का वर्ष, वर्ष 2014 (बाड़मेर) से 3200 (अलवर) तक की रेंज में थे जो कि गलत थे क्योंकि वाहन निर्माण की तिथि वाहन के पंजीयन या उससे बाद की तिथि होने पर स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी। यह, इंगित करता है कि उन तिथि के फील्ड्स में इनपुट वैधता नियंत्रण लागू नहीं किया गया है।
- प्रदूषण के मापदण्डों के लिए एक से दस तथा 99 कोड नम्बर की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में की गई थी लेकिन 8,706 वाहनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित फील्ड रिक्त छोड़ दिये गये तथा उदयपुर के 286 वाहनों में कोड नम्बर 11 एवं दो में कोड 12 नम्बर डाले गये, जो सही नहीं थे।
- हमने यह भी देखा कि कुछ फील्ड्स के आंकड़ों की कोई जांच नहीं थी, उदाहरणार्थ:
 - विभिन्न प्रकार के 100 वाहनों के प्रकरणों में लदान सहित भार 49,000 किलोग्राम से अधिक था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के 31 वाहनों का लदान रहित भार लदान सहित भार के समान या उससे अधिक था।

- 28 प्रकरणों में वाहनों की बैठक क्षमता 81 से 999 इंगित थी, जो सही नहीं है।
- मापक जांच किये गये कार्यालयों के सम्बन्ध में वाहन स्वामी तालिका के 4,52,751 अभिलेखों के विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि कुछ डाटा फील्ड रिक्त थे। 17 प्रकरणों में चेसिस नम्बर एवं 6,414 प्रकरणों में इंजन नम्बर दर्ज नहीं थे। 8,335 प्रकरणों में बैठक क्षमता दर्ज नहीं थी। 3,279 प्रकरणों में क्यूबिक क्षमता (सीसी) दर्ज नहीं थी तथा 8,612 प्रकरणों में लदान रहित भार दर्ज नहीं था। इसके अलावा 1,09,384 प्रकरणों में लदान सहित भार दर्ज नहीं था तथा 55,474 प्रकरणों में 151 किलोग्राम से कम था। इसके अलावा कुछ फील्ड, जैसे प्रचालन तिथि, पिता का नाम, पता, शहर, निर्माता, मोडल, निर्माण का वर्ष, क्रय तिथि, रसीद नम्बर तथा वाहन की श्रेणी भी रिक्त थे।

(ब) समान बीमा कवर नोट से दो या अधिक वाहनों का पंजीयन

- 4,41,744 अभिलेखों के विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि 8,246 प्रकरणों में एक ही बीमा कवर नोट नम्बर एक से अधिक वाहनों के पंजीयन के लिए प्रयोग में लिया गया था। इस प्रकार, एक वाहन एक बीमा के मापदण्ड की जांच नहीं की जा सकी। इसके अलावा 4,869 प्रकरणों में कवर नोट नम्बर या तो रिक्त थे या डाटा फील्ड में जाली नम्बर दर्शाये गये थे। 4,696 प्रकरणों में बीमा की वैधता अवधि रिक्त थी। वैध बीमा कवर नोट की प्रविष्टि करना सिस्टम में अनिवार्य नहीं बनाया गया था।

उपर्युक्त सभी टिप्पणियां इनपुट नियंत्रण में कमी और पर्यवेक्षण के अभाव को इंगित करती हैं। डाटा प्रविष्टि ऑपरेटर द्वारा रिक्त छोड़े गये मुख्य फील्ड्स को भरना अनिवार्य करने की आवश्यकता है जिससे सम्पूर्ण डाटाबेस संधारित हो सके। प्रकरण में एन.आई.सी. के अधिकारियों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि यह बैक-एण्ड प्रविष्टि के कारण हुआ है क्योंकि बैक-एण्ड से डाटा प्रविष्टि करने पर कोई जांच नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसके कारण गलत डाटा प्रविष्टि हो रहे हैं तथा उसे ही राज्य/राष्ट्रीय पंजिका में हस्तान्तरित किया जा रहा है।

3.8.10 व्यवसायिक नियमों का निर्धारण

3.8.10.1 सिस्टम डिजाइन में कमियां

विकसित किये गये किसी भी सिस्टम में सभी नियमों तथा उन पर लागू दरों को शामिल करना चाहिए। हमने 'वाहन' में निम्नलिखित कमियां पायीं:

- हमने पाया कि 23 प्रकरणों में गैर परिवहन वाहनों की पंजीयन अवधि 15 वर्ष की अनुमत्य अवधि से अधिक थी।

- हमने पाया कि सिस्टम द्वारा 30 दिनों की रियायती अवधि की अनुमति दिये बिना क्रय की तिथि से एकबारीय कर पर शास्ति आरोपित की गई।

3.8.10.2 फ़ैन्सी नम्बरों के आवंटन पर कम वसूली

राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 4.3 के सन्दर्भ में दिनांक 18.8.2007 को जारी अधिसूचना के अनुसार पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा अग्रिम में विशिष्ट फ़ैन्सी पंजीयन नम्बर आवंटित करने के लिए दुपहिया एवं दुपहिया के अलावा वाहनों के लिए क्रमशः ₹ 1,000 तथा ₹ 5,000 आरोपित किये जाने थे।

फ़ैन्सी नम्बर तालिका के डाटा के विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि सात प्रकरणों में विभाग ने निर्धारित शुल्क ₹ 1000 एवं ₹ 5000 के विरुद्ध ₹ 500 से ₹ 1000 तक वसूल किये। ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ कि सॉफ्टवेयर में फ़ैन्सी नम्बरों की दरें निर्धारित नहीं की थी। इस प्रकार दरें निर्धारित नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹ 19,200 कम वसूल किये गये।

3.8.11 डाटा की संरक्षा एवं सुरक्षा

3.8.11.1 भौतिक एवं तार्किक एक्सस नियंत्रण

तार्किक एक्सस नियंत्रण, कम्प्यूटर सूचना प्रणाली में पहचान अधिकृत करने एवं जवाबदेही के लिए उपयोग में लिए जाने वाला साधन है। ये, सिस्टम, प्रोग्रामस, प्रोसेस एवं सूचना के लिए प्रभावी एक्सस नियंत्रण मापदण्ड के घटक है। तार्किक एक्सस नियंत्रण को ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशनस, सुरक्षा पैकेज या डाटाबेस में सन्निहित किया जा सकता है।

यह देखा गया कि यद्यपि प्रत्येक ऑपरेटर के अलग-अलग यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड थे, ऑपरेटर अपने पासवर्ड को आपस में साझा करते थे तथा किसी एक ऑपरेटर के अनुपलब्ध रहने के प्रकरण में उसका कार्य अन्य ऑपरेटर द्वारा उसके पासवर्ड का उपयोग करते हुए किया जाता था। इस अनौपचारिक पद्धति को अपनाना, छल कपट के साथ-साथ अनधिकृत प्रविष्टि करने की जोखिम से भरा तथा ऐसी किसी प्रविष्टि के पथ को नष्ट करने वाला भी था। इसके अलावा, पासवर्ड को समय-समय पर बदलने की आवश्यकता को निर्दिष्ट करने वाली 'प्रलेखित पासवर्ड नीति' परिचालित नहीं थी। अनधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा लॉगऑन करने के प्रयास को रोकने हेतु कोई प्रतिबन्ध भी नहीं था। इस प्रकार, सिस्टम, अनधिकृत एक्सस की जोखिम के साथ-साथ डाटा की हानि/हस्तांतरण के लिए खुला था।

हमने यह भी देखा कि सर्वर, नेटवर्क तथा स्वीचों आदि सहित सिस्टम, स्वतंत्र रूप से सुलभ था। कोई भी अनधिकृत व्यक्ति कार्यालय परिसर में प्रवेश के बाद

आसानी से इन स्थानों पर पहुँच सकता था। हमने देखा कि एक पीसी, जिला परिवहन कार्यालय, बाड़मेर से चोरी हो गया था।

3.8.11.2 डाटा का सत्यापन

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय/जिला परिवहन कार्यालय स्वतंत्र रूप से लाइसेंस, परमिट जारी करने, कर का संग्रह आदि से सम्बन्धित लेन-देन के क्लाइन्ट तथा सर्वर, दोनों, के डाटा को जांच हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय में भेजते हैं। यद्यपि, यह देखा गया कि डाटा का सत्यापन परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप गलतियों एवं राजस्व की हानि की पहचान नहीं हो सकी जिसको अन्यथा कार्यकारी निर्देशों तथा दिशा निर्देशों के माध्यम से प्रतिबंधित/कम किया जा सकता था।

हमने देखा कि प्रबन्धन द्वारा लेन-देन के डाटा की समीक्षा करने के लिए विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण तंत्र प्रभावी नहीं था। उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों की रिकार्डिंग के लिए लॉग्स उत्पन्न करने की कोई प्रणाली नहीं थी जो सिस्टम प्रशासक के लिए नियंत्रण के कुछ स्तर उपलब्ध करा सके।

3.8.11.3 आपदा नुकसान की भरपायी करने की योजना तथा व्यवसायिक निरन्तरता की कमी

किसी आपदा से नुकसान की घटना में व्यवसाय को न्यूनतम हानि के साथ व्यवसाय के प्रोसेस की पुनः भरपायी तथा न्यूनतम सम्भव समय में सिस्टम को पुनः प्रचालित करने के लिए 'व्यवसायिक निरन्तरता योजना' आवश्यक है। सिस्टम की जाटिलताओं को समझते हुए परिवहन विभाग को आपदा नुकसान भरपायी की योजना बनाने, अभिलिखित करने एवं जांच करने तथा व्यवसायिक निरन्तरता को सुनिश्चित करने हेतु स्टॉफ अपने उत्तर दायित्व के प्रति सजग है, को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

'व्यवसायिक निरन्तरता योजना' नहीं बनाने के निम्नलिखित प्रभाव थे:

- बैकअप अनियमित अन्तराल से लिए जाते रहे थे;
- बैकअप रजिस्टर नहीं बनाया गया था;
- डाटा के पुनः भण्डारण की जाँच के लिए बैकअप में भण्डारित डाटा की जाँच नहीं की जा रही थी;
- बैकअप डाटा को अलग जगह अग्नि रक्षित कक्ष में नहीं रखा जा रहा था;
- सर्वर में डाटा को नष्ट करने से सम्बन्धित विभिन्न फ्रीवेयर स्थापित होने वाले वायरस को रोकने हेतु एन्टीवायरस नीति नहीं बनायी गई थी; तथा
- लूट आदि के विरुद्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर/आई.टी. सम्पत्तियों के लिए बीमा कवर नहीं लिया था।

3.8.12 'सारथी' से सम्बन्धित लेखापरीक्षा टिप्पणियां

3.8.12.1 इनपुट एवं प्रोसेसिंग नियन्त्रण

विभाग द्वारा शिक्षार्थी लाइसेन्स जारी करने हेतु कम्प्यूटराईज्ड परीक्षा आयोजित की जाती थी। डाटाबेस की मापक जांच के दौरान हमने पाया कि शिक्षार्थी लाइसेन्स जारी करने हेतु एक से छः तक प्रश्न पूछे जाते थे जिसके आधार पर आवेदक की योग्यता जांची जाती थी। विभाग ने आवेदक को योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले पूछे जाने वाले प्रश्नों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप आयोजित की जाने वाली परीक्षा की निष्पक्षता की जांच नहीं की जा सकी।

इसके अलावा, 10 चयनित कार्यालयों के 99,717 आवेदकों के डाटा की मापक जांच के दौरान हमने पाया कि:

- यद्यपि 2,862 आवेदकों ने 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये लेकिन सॉफ्टवेयर द्वारा नियमों के प्रावधानों के विपरीत उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया।
- 101 प्रकरणों में उत्तर दिये गये प्रश्नों की संख्या, सिस्टम द्वारा पूछे गये प्रश्नों की संख्या से अधिक थी।

यह, इंगित करता है कि सॉफ्टवेयर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तथा अयोग्य आवेदक को लाइसेन्स जारी होने को नियंत्रित करने हेतु कोई मैनुअल जांच नहीं थी।

3.8.12.2 अपर्याप्त एप्लीकेशन नियंत्रण

डाटा अखण्डता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में पर्याप्त इनपुट, प्रोसेसिंग एवं आउटपुट नियंत्रण डिजाइन किये जाने की आवश्यकता है। 1,61,754 डाटा की मापक जांच के दौरान हमने नीचे दर्शायेनुसार सिस्टम की एप्लीकेशन नियंत्रण प्रणाली में अपर्याप्तता पायी:

- 3,030 प्रकरणों में ऐसे आवेदकों को लाइसेन्स जारी किये गये, जिनकी उम्र 'शून्य' दर्शायी गई थी।
- 1,512 प्रकरणों में आवेदकों को तीन वर्ष से अधिक के लिए परिवहन यान के लाइसेन्स जारी किये गये थे।
- 1,297 प्रकरणों में 30 वर्ष से कम आयु के आवेदकों को 20 वर्ष से कम के गैर परिवहन लाइसेन्स जारी किये गये थे।
- 853 प्रकरणों में अयोग्य आवेदक, जो अनपढ़, आठवीं क्लास से कम या जिनकी योग्यता अंकित नहीं थी, को परिवहन लाइसेन्स जारी किये गये।

- 435 प्रकरणों में 50 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के गैर परिवहन लाईसेन्स पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए नवीनीकरण किये गये।
- 359 प्रकरणों में 50 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के गैर परिवहन लाईसेन्स पांच वर्ष से कम के लिए नवीनीकरण किये गये।
- 33 प्रकरणों में आवेदकों को 20 वर्ष से अधिक के लिए गैर परिवहन लाईसेन्स जारी किये गये।

यह, इनपुट नियंत्रण में कमी को इंगित करता है। इन फील्ड्स में आवश्यक रेन्ज दी जाने की आवश्यकता है जिससे कि डाटाबेस में असत्य या असम्भावित सूचनाएं नहीं डाली जा सके। ये गलत सूचनाएँ जारी किये गये लाइसेन्सों के राज्य/राष्ट्रीय पंजिकाओं की शुद्धता को भी प्रभावित कर सकती है।

3.8.13 'नेशनल परमिट सिस्टम'

समान पहचान द्वारा अनियमित ट्रान्जेक्शन

एन.आई.सी. पोर्टल से विशिष्ट ट्रान्जेक्शन आई.डी. दो बार नहीं बनाई जा सकती। तथापि, हमने पाया कि वाहन नम्बर आरजे-27 जीए-8287 के लिए श्री भागू बाई ट्रांसपोर्टर ने ट्रान्जेक्शन आई.डी. 110400249380 द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2011 को ₹ 15,000 उदयपुर शहर (राजस्थान) में जमा कराये। अन्य ट्रांसपोर्टर मैसर्स पी.वी.आई. इण्डिया लिमिटेड ने समान ट्रान्जेक्शन पहचान (110400249380) से वाहन नम्बर जेके-02 एजी-7984 के लिए दिनांक 28 अप्रैल 2011 को ₹ 15,000 पुरानी मण्डी, जम्मू (जे एण्ड के) में जमा कराये गये। यह, इंगित करता है कि सॉफ्टवेयर में विशिष्ट डाटा वैधता जांच नहीं थी।

3.8.14 कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य मामलें

3.8.14.1 डाटाबेस पर स्वामित्व

यद्यपि विभाग के कर्मचारी विभागीय काउन्टरों से सम्पूर्ण डाटा प्रविष्टियाँ सम्भालते हैं, डाटाबेस प्रशासन अभी भी एन.आई.सी. द्वारा सम्भाले हुए है। समेकित डाटा एन.आई.सी. प्राधिकारियों द्वारा कब्जे में लिए जा रहे थे तथा परिवहन विभाग विस्तृत एवं समेकित डाटा उपलब्ध कराने हेतु एन.आई.सी. पर निर्भर है। इस प्रकार, डाटा पर स्वामित्व, परिवहन विभाग के बजाय एन.आई.सी. द्वारा रखे हुए है।

3.8.14.2 अन्य एजेन्सियों के साथ डाटाबेस का साझा करना

सर्वर में धारित 'वाहन' से सम्बन्धित सूचना यथा पंजीयन संख्या, चेसिस नम्बर, वाहन की श्रेणी, इंजन नम्बर आदि को चोरी, हानि आदि के प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए पुलिस विभाग के साथ साझा करनी थी। अब पुलिस

विभाग के कार्य भी कम्प्यूटराइज्ड कर दिये गये है, पुलिस विभाग को महत्वपूर्ण सूचना समय पर साझा करने में सक्षम बनाने के लिए दोनों विभागों के डाटाबेस को संबद्ध किया जाना चाहिए।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2011) कि इस सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जा रही थी।

3.8.14.3 हार्डवेयर सम्पत्तियों का प्रबन्धन

आई.टी. सम्पत्तियों की निगरानी नहीं करना

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यालयों के लिए ₹ 8.65 करोड़ की राशि के हार्डवेयर स्वीकृत किये गये थे लेकिन आपूर्ति, स्थापना, उपयोग/अनुपयोग के विवरण पर निगरानी न तो परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा और न ही एन.आई.सी., जयपुर द्वारा रखी जा रही थी।

3.8.14.4 सर्वर कक्ष में आग से बचने के उपकरण का प्रावधान नहीं होना

यह आवश्यक है कि कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा सख्त अग्नि सुरक्षा उपायों के तहत रखा जाना है। हमने पाया कि नमूना जांच किये गये किसी भी कार्यालय के सर्वर कक्ष में आग का पता लगाने/किसी आकस्मिकता से लड़ने का कोई उपकरण नहीं था। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2011) कि इस सम्बन्ध में अलग से प्रावधान नहीं किया गया था।

3.8.14.5 नेटवर्क के आधारभूत ढांचे की कमी

सिस्टम के पूर्ण रूप से संचालन हेतु प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों के बीच इन्टर कनेक्टिविटी नेटवर्क की आवश्यकता है लेकिन यह नेटवर्किंग नहीं की गई है। यह पाया गया कि जिला परिवहन कार्यालय, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा में कनेक्टिविटी स्थापित नहीं की गई। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पाली में नेटवर्क लाइनों में लगातार व्यवधान था जिसके परिणामस्वरूप बैकअप एवं सॉफ्टवेयर को अद्यतन करने सम्बन्धी समस्याएँ थी। इसके अलावा कर संग्रह केन्द्रों के साथ परिवहन आयुक्त/प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जुड़े हुए नहीं थे।

कनेक्टिविटी नहीं होने तथा नेटवर्क लाइनों में व्यवधान होने के कारण राष्ट्रीय रजिस्टर एवं राज्य रजिस्टर सही एवं अद्यतन सूचना नहीं दर्शा रहे थे।

3.8.14.6 कर, शास्ति तथा जुर्माने की कम/अधिक वसूली

मोटरयान अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान है कि प्रत्येक वाहन स्वामी/चूक कर्ता द्वारा कर, शास्ति एवं जुर्माने का भुगतान किया जाना है। पांच कार्यालयों की मापक जांच में हमने पाया कि कर, शास्ति एवं जुर्माने के, 50 प्रकरणों में ₹ 2.02 लाख की कम वसूली तथा 19 प्रकरणों में ₹ 0.84 लाख की अधिक वसूली हुई थी।

3.8.15 अन्य रूचिकर बिन्दु

3.8.15.1 कार्मिकों को अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा विभाग में तकनीकी दक्षता विकसित नहीं करना

‘वाहन’ एवं ‘सारथी’ सॉफ्टवेयर प्रणाली का संचालन सीधे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है। सिस्टम का कार्यान्वयन एवं संधारण भी एन.आई.सी. के सहयोग से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के स्टॉफ द्वारा किया जा रहा है। कार्यालयों की मापक जांच के दौरान हमने पाया कि अलवर, पाली, जालौर, सिरौही, बाड़मेर, धौलपुर, सीकर, डीडवाना, कोटपुतली एवं उदयपुर का स्टॉफ एवं अधिकारी न तो प्रशिक्षित थे न ही उनको परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा यूजर मैनुअल उपलब्ध करायी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉफ, सॉफ्टवेयर संचालन से सम्बन्धित समस्याओं का सामना कर रहा था।

कोई आई.टी. सिस्टम हालांकि प्रारम्भ में आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकसित/कार्यान्वित किया जाता है, उसको विभाग में दक्षता विकसित करते हुए वास्तव में निरपवाद रूप से विभाग द्वारा ले लिया जाता है। “वाहन” द्वारा लिए गये डाटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें वाहन स्वामियों से सम्बन्धित व्यक्तिगत डाटा, बीमा विवरण के अलावा राजस्व विवरण तथा मांग वसूली एवं शेष का विवरण-पत्र सम्मिलित होते हैं।

यद्यपि विभागीय काउन्टरों पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा डाटा एन्ट्री संचालन किया जाता है, फिर भी डाटाबेस प्रशासन का संचालन एन.आई.सी. द्वारा किया जा रहा है। हमने देखा कि डाटाबेस प्रशासन का कार्य विभाग के अन्दर ही करने हेतु दक्षता विकसित करने के प्रयास नहीं किये जा रहे थे।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2011) कि “वाहन” के लिए स्टॉफ/अधिकारियों (पंजीयन शाखा से सम्बन्धित) को प्रशिक्षण दिया जा चुका था तथा यूजर मैनुअल उपलब्ध कराने हेतु एन.आई.सी. से अनुरोध किया गया है।

3.8.15.2 राज्य का हिस्सा हस्तान्तरण में विलम्ब

दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य परिवहन आयुक्त/प्रमुख शासन सचिव (परिवहन) द्वारा राज्यवार सूचना का संकलन करने के बाद उसको प्रत्येक माह की पांचवी तिथि तक ई-मेल के माध्यम से मंत्रालय को भेजना होता है। यह कहा गया था कि यह राज्यों को निधियों का शीघ्र वितरण करने में सुविधाजनक होगा। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की एमआईएस से प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन के बाद मंत्रालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के माध्यम से मासिक आधार पर निधियां जारी की जाती हैं।

हमने पाया कि भारतीय रिजर्व बैंक से माह जुलाई 2010 के लिए राज्य का हिस्सा प्राप्त करने में 93 दिनों तक का विलम्ब था।

3.8.16 आन्तरिक लेखापरीक्षा

चयनित कार्यालयों की मापक जांच के दौरान हमने पाया कि यद्यपि 'वाहन' अपने आप में वर्ष 2005 में कार्यान्वित किया गया था (अलवर में) तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रचालित था, कम्प्यूटराईज्ड सिस्टम की कार्यप्रणाली पर आशय होने के लिए अभी भी आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

3.8.17 निष्कर्ष

परिवहन विभाग के कम्प्यूटराईजेशन का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को बेहतर, कुशल एवं समय पर सेवा प्रदान करने तथा राजस्व रिसाव को रोकने के लक्ष्य से किया गया था। तथापि, यह पाया गया कि त्रुटिपूर्ण एप्लीकेशन नियंत्रण के साथ-साथ त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षण नियंत्रण के कारण प्रविष्ट एवं प्रोसस किये गये डाटा की पूर्णता, सटीकता और अखंडता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह, वाहनों तथा लाइसेन्सों के राष्ट्रीय/राज्य रजिस्ट्रों की शुद्धता एवं पूर्णता पर विपरीत प्रभाव डालता है। मोड्यूलस् के कई घटक प्रचालन में नहीं थे तथा सॉफ्टवेयर में कमियां पायी गई थी जिसमें सुधार के लिए मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक है, जिससे सिस्टम की अविश्वनीयता हटाई जा सके। इस प्रकार बेहतर नागरिक सेवाओं, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों एवं प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार, कुशल एवं पारदर्शी राजस्व संग्रह आदि के लिए 'वाहन' एवं 'सारथी' के कार्यान्वयन के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाना अभी शेष है।

3.8.18 सिफारिशें

सिस्टम की कमियों को दूर करने तथा उसे उन्नत करने के लिए सरकार/परिवहन विभाग निम्नलिखित सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर विचार करे:

- 'वाहन' एवं 'सारथी' सिस्टम को सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण कार्यान्वयन हेतु तत्काल उपाय करने पर;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम में गलत एवं अपूर्ण डाटा नहीं डाले जाये, इनपुट एवं वैधता नियंत्रण सुविधाओं को मजबूत बनाने पर;
- स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया जाये तथा आई.टी. सुरक्षा नीति, बैकअप नीति, प्रबन्धकीय प्रक्रिया में बदलाव तथा पासवर्ड नीति बनानी चाहिए जिससे कि स्टॉफ का उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके तथा ट्रान्जेक्शन के लिए लेखापरीक्षा ट्राइल संधारित करने पर;
- समान नम्बर की पुनः प्रविष्टि को रोकने हेतु सिस्टम में जाँच की व्यवस्था करने पर;
- एन.आई.सी. के साथ मिलकर सभी अशुद्ध/असम्भावित डाटा तथा सिस्टम की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने पर;
- पंजीकृत वाहनों एवं चालक लाइसेन्सों के पुराने डाटा को 'वाहन' एवं 'सारथी' के डाटा के साथ मिश्रित करना प्राथमिकता से सुनिश्चित करने पर; तथा
- राष्ट्रीय/राज्य रजिस्ट्रों के गलत/अपूर्ण डाटा को सही करने पर।

3.9 अन्य अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

परिवहन विभाग में अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान कर, फीस एवं शास्ति के अनारोपण के कई प्रकरण हमारे ध्यान में आये। उनमें से कुछ आक्षेप पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे, लेकिन ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थी, अपितु लेखापरीक्षा करने तक इनका पता नहीं लगा। ये प्रकरण निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा की गयी मापक जाँच पर आधारित हैं। हमने पाया कि कर, फीस एवं अन्य प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत वाहनों के कर खातों के समुचित संधारण के अनुश्रवण हेतु विभाग में कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। इसके अलावा वाहनों की संख्या, जिन पर कर देय था लेकिन वसूल नहीं हुआ, को दर्शाने वाली विवरणी निर्धारित नहीं थी। यहाँ पर आन्तरिक लेखापरीक्षा को प्रभावी बनाने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने तथा कर, फीस आदि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सामयिक विवरणियों के माध्यम से निगरानी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

3.10 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान हैं:

- (i) सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाना;
- (ii) गैर परिवहन वाहनों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से एकबारीय कर का आरोपण किया जाना; तथा
- (iii) सभी परिवहन वाहनों पर निर्धारित दरों से एकमुश्त कर का आरोपण तथा भुगतान में दोषी के लिए शास्ति का आरोपण किया जाना।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमारे ध्यान में आया कि अनुच्छेद 3.10.1 से 3.10.4 में दर्शाये गये प्रकरणों के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रावधानों में से कुछ को विभागीय प्राधिकारियों ने ध्यान में नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.72 करोड़ के राजस्व की अवसूली रही।

3.10.1 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा। इसके अलावा, विलम्ब से कर के भुगतान पर उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन शास्ति भी आरोपणीय है।

20 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों के 2009-10 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया (जून 2010 तथा मार्च 2011 के मध्य) कि 4,946 वाहनों के सम्बन्ध में इनके वाहन स्वामियों द्वारा

अप्रैल 2006 तथा मार्च 2010 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का भुगतान नहीं किया गया। अभिलेखों में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं पायी गई कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चले थे अथवा किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित हो गये थे। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार कर राशि ₹ 15.73 करोड़ की अवसूली रही। कर के अतिरिक्त, कर भुगतान की

वास्तविक तिथि तक शास्ति भी आरोपणीय है।

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालयों का नाम
1.	भार वाहन	1,884	अप्रैल 2007 से मार्च 2010	3.32	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, भरतपुर, भीलवाडा, हनुमानगढ़, जयपुर (भार वाहन), झालावाड, झुन्झुनु, कोटपुतली, नागौर, श्रीगंगानगर एवं टौक।
2.	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले)	1,456	अप्रैल 2006 से मार्च 2010	3.28	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, भरतपुर, भीलवाडा, हनुमानगढ़, झालावाड, झुन्झुनु, कोटपुतली, नागौर, श्रीगंगानगर एवं टौक।
3.	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	174	अप्रैल 2006 से मार्च 2010	3.60	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अजमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, दौसा, जोधपुर, पाली, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनु।
4.	मंजिली वाहन	235	अप्रैल 2008 से मार्च 2010	1.02	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर, जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, झालावाड, झुन्झुनु, नागौर एवं श्रीगंगानगर।
5.	संलग्नक भार वाहन	502	अप्रैल 2007 से मार्च 2010	1.82	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, दौसा, जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, भरतपुर, भीलवाडा, जयपुर (भार वाहन), झुन्झुनु, कोटपुतली, नागौर, सिसोही, श्रीगंगानगर एवं टौक।
6.	बिना अनुज्ञा-पत्र के यात्री वाहन	174	अप्रैल 2007 से मार्च 2010	1.17	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, हनुमानगढ़, झुन्झुनु, कोटपुतली, नागौर एवं श्रीगंगानगर।
7.	डम्पर/टिप्पर	464	अप्रैल 2007 से मार्च 2010	1.23	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, दौसा, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, भरतपुर, भीलवाडा, जयपुर (भार वाहन), झालावाड, झुन्झुनु एवं नागौर।
8.	निजी सेवा वाहन	57	अक्टूबर 2006 से मार्च 2010	0.29	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर एवं उदयपुर।
योग		4,946		15.73	

मोटर वाहनों पर कर की अवसूली/कम वसूली ₹ 13.94 करोड़ के समान प्रकृति के प्रकरण वर्ष 2009-10 के भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) राजस्थान सरकार में अनुच्छेद संख्या 3.8.1 के रूप में सम्मिलित किए गए थे। विभाग ने लेखापरीक्षा परिणामों को स्वीकार किया तथा दिसम्बर 2011 तक ₹ 5.32 करोड़ की वसूली कर ली गई थी।

विभागीय नियमपुस्तिका के अनुच्छेद 5.7.10 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, जहां वाहन का कर जमा नहीं हुआ/कम जमा हुआ, ऐसे प्रकरण में विभाग को मांग पत्र जारी करना होता है। उस मांग पत्र को मांग एवं वसूली पंजिका में दर्ज करना होता है। आगे, ऐसे वाहनों के प्रकरणों में, जहां कर का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे वाहनों की सूची, बकाया कर तथा रूट विवरण के साथ वसूली हेतु प्रवर्तन शाखा को सूचित करना होता है। इसके अलावा, उन वाहनों के सम्बन्ध में, जहां चालू वर्ष का कर/बकाया कर जमा नहीं कराया गया तथा वे वाहन उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं, वाहन स्वामी की चल/अचल सम्पत्ति से बकाया की वसूली की कार्यवाही करनी होती है।

हमारे द्वारा इसे ध्यान में लाये जाने पर (जुलाई 2010 एवं मार्च 2011 के मध्य) सरकार ने बताया (सितम्बर 2011) कि 1,161 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 2.72 करोड़ की वसूली कर ली गई थी।

3.10.2 परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में एकमुश्त कर की कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-स तथा उसके अधीन समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत सभी परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से किया जायेगा। एकमुश्त कर का भुगतान सम्पूर्ण एक साथ या एक वर्ष की अवधि में समान तीन किशतों में किया जा सकेगा। आगे, अधिनियम की धारा 6 के अधीन विलम्ब से किये गये कर के भुगतान पर शास्ति आरोपणीय थी।

(i) तीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों⁶ के वर्ष 2009-10 के पंजीयन अभिलेखों तथा कर खातों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया (जुलाई 2010 एवं फरवरी 2011 के मध्य) कि 112 परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में, जिनमें एकमुश्त कर का भुगतान तीन समान किशतों में करने का विकल्प मार्च 2006 एवं सितम्बर 2009 के मध्य दिया गया था, उन वाहनों

के स्वामियों ने शेष एक या दो किशतों का भुगतान नहीं किया। कराधान अधिकारियों ने देय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 26.21 लाख की अवसूली रही। कर के अलावा, कर के भुगतान की वास्तविक तिथि तक की शास्ति भी आरोपणीय थी।

⁶ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय दौसा, जोधपुर एवं पाली।

हमारे द्वारा इसको ध्यान में लाये जाने पर (अगस्त 2010 एवं मार्च 2011 के मध्य) सरकार ने बताया (नवम्बर 2011) कि 47 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 9.34 लाख की वसूली कर ली गई।

(ii) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पाली के वर्ष 2009-10 के पंजीयन अभिलेखों एवं कर खातों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (दिसम्बर 2010) कि 74 परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में कराधान अधिकारी द्वारा एकमुश्त कर की गणना कम दर से की गई। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 16.25 लाख की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इसे ध्यान में लाये जाने पर (जनवरी 2011) सरकार ने बताया (नवम्बर 2011) कि 27 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 5.55 लाख की वसूली कर ली गई थी।

3.10.3 गैर परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में एकबारीय कर की कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 (1) (ब) के अधीन अधिसूचना दिनांक 27.3.2006 जारी करके राज्य सरकार ने गैर परिवहन वाहनों पर आरोपणीय एकबारीय कर की दरों का निर्धारण किया। इसके अतिरिक्त विलम्ब से कर के भुगतान पर उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन शास्ति भी आरोपणीय है।

जिला परिवहन कार्यालय, नागौर के वर्ष 2009-10 के पंजीयन अभिलेखों एवं कर खातों की मापक जाँच के दौरान हमारे ध्यान में आया (नवम्बर 2010) कि 45 गैर परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में कराधान अधिकारी द्वारा वाहन की कम कीमत पर (मूल्यवर्धित कर को शामिल नहीं करने के कारण) तथा/अथवा कर की कम

दर पर एकबारीय कर की गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप एकबारीय कर की राशि ₹ 6.89 लाख की अवसूली रही।

हमारे द्वारा इसे ध्यान में लाये जाने पर (दिसम्बर 2010) सरकार ने बताया (नवम्बर 2011) कि 4 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 0.39 लाख की वसूली कर ली गई थी।

3.10.4 वित्तीय नियंत्रण एवं निगरानी की कमी के कारण अस्थायी गबन एवं ब्याज की हानि

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 5,7,45(4) एवं 170 द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि सरकार की ओर से प्राप्त सभी धन (राशि) बिना विलम्ब के सरकार के खाते में जमा किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग तथा नियंत्रक अधिकारी यह देखते हैं कि क्या सरकार के सभी बकाया का सही एवं तुरन्त निर्धारण, संग्रहण, लेखांकन तथा कोषालय में जमा कराया गया है। बिना व्यय किये बकाया शेष, यदि कोई हो, का सरकारी सेवक को बिना किसी सन्दर्भ के, उसके वेतन से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ सीधे वसूली कर ली जायेगी। प्राप्त की गई, जारी की गई, उपयोग में ली गई तथा शेष रही रसीद पुस्तिकाओं का समुचित लेखा रखा जायेगा।

परिवहन आयुक्त ने कार्यालय आदेश दिनांक 9.10.2002 एवं 23.10.2002 द्वारा कार्यालय, उडनदस्ते या कर संग्रह केन्द्रों द्वारा संग्रहित धन राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के लिए निम्नानुसार समयवधि निर्धारित की थी:

सरकारी धन का संग्रहण	धन जमा कराने के लिए निर्धारित अवधि
कार्यालय द्वारा	धन प्राप्ति के अगले दिन
उडनदस्ते एवं कर संग्रह केन्द्र द्वारा	(i) ₹ 1.00 लाख तक: सप्ताह में एक बार (ii) ₹ 1.00 लाख से अधिक: धन प्राप्ति से शीघ्रातिशीघ्र

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर की वर्ष 2009-10 की रोकड़ पुस्तिकाओं, रसीद पुस्तकों तथा रोकड़/बैंक राजस्व संग्रहण पंजिकाओं की मापक जाँच (फरवरी एवं मार्च 2011) में निम्नांकित अनियमितताएँ हमारे ध्यान में आयी:

- फलोदी एवं पीपाड़ उप कार्यालय में रोकड़ पुस्तिका की पृविष्टियों की जाँच एवं सत्यापन सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन कभी भी नहीं किया गया।
- रोकड़ पुस्तिका की पृविष्टियों, राजस्व संग्रहण पंजिका तथा वाहनों की सामान्य सूची पंजिकाओं का फील्ड स्टॉफ द्वारा प्रस्तुत रसीद पुस्तिकाओं/चालानों के साथ सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार एवं कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नहीं किया गया। जिनके अभाव में इस सम्बन्ध में संधारित विभिन्न अभिलेखों की विशुद्धता का पता हम नहीं लगा सके।
- उडनदस्तों एवं कर संग्रह केन्द्रों द्वारा संग्रहित (जनवरी 2008 तथा मार्च 2010 के मध्य) कर ₹ 18.27 करोड़ में से ₹ 16.90 करोड़ विलम्ब से जमा कराये गये। विलम्ब एक दिन से 424 दिनों के मध्य रहा। इसके परिणामस्वरूप, रोकड़ के अस्थायी गबन के साथ-साथ ₹ 49.65 लाख ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार, रसीद पुस्तकों का अनुचित लेखांकन, रोकड़ पुस्तिका का अनियमित संधारण, रोकड़ के भौतिक सत्यापन का अभाव, अपर्याप्त पर्यवेक्षणीय जाँच तथा निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं करने के परिणामस्वरूप सरकारी धन के अस्थायी गबन में सुगमता रही एवं ₹ 49.65 लाख ब्याज की हानि हुई।

हमारे द्वारा इसे ध्यान में लाने पर (मार्च 2011), सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2011) कि रोकड़ पुस्तिका का नियमित सत्यापन, राजस्व संग्रहण पंजिका का उचित संधारण तथा उनकी जाँच लेखाकार तथा अन्य अधिकारी द्वारा किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है।

अध्याय-IV

भू-राजस्व

कार्यकारी सारांश: अध्याय-IV

<p>राजस्व संग्रहण में असामान्य वृद्धि/कमी</p>	<p>वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान हमने राजस्व संग्रहण में असामान्य वृद्धि/कमी को देखा। वर्ष 2007-08 और 2008-09 में राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 33.03 और 4.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2009-10 में यह पिछले वर्ष की तुलना में 9.14 प्रतिशत कम थी। वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में 50.46 प्रतिशत की सरकारी सम्पतियों एवं बंजर भूमि के विक्रय के कारण असामान्य वृद्धि हुई।</p>
<p>हमारे द्वारा पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाए गए मामलों पर विभाग द्वारा कम वसूली</p>	<p>वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान हमने अनारोपण/कम आरोपण, अप्राप्ति/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, कर की गलत दर लागू करने, गलत गणना इत्यादि के 10 अनुच्छेदों में राजस्व राशि ₹ 504.67 करोड़ को इंगित किया था। विभाग/सरकार ने 10 अनुच्छेदों में ₹ 367.01 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया, जिसमें से दिसम्बर 2011 तक केवल ₹ 94.21 करोड़ (25.06 प्रतिशत) की ही वसूली की गयी थी।</p>
<p>वर्ष 2010-11 में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम</p>	<p>वर्ष 2010-11 के दौरान भू-राजस्व विभाग की 113 इकाइयों के दस्तावेजों की मापक जाँच के दौरान हमने 1403 मामलों में ₹ 419.95 करोड़ की अवसूली/राजस्व की हानि आदि को देखा। वर्ष 2010-11 के दौरान 1132 मामलों में विभाग ने ₹ 27.39 करोड़ के कम निर्धारण और अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 6.12 करोड़ के 921 मामलों वर्ष 2010-11 के दौरान और शेष पूर्व के वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में ध्यान में लाए गए थे। वर्ष 2010-11 के दौरान विभाग ने 220 मामलों में ₹ 12.64 करोड़ वसूल किए, जिनमें से ₹ 0.87 करोड़ के 65 मामले वर्ष 2010-11 तथा शेष पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।</p>
<p>इस अध्याय में हमने क्या उजागर किया है</p>	<p>इस अध्याय में हमने अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई मापक जाँच के दौरान हमारे ध्यान में आए हुए आक्षेपों में से ₹ 300.37 करोड़ के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली एवं राजस्व की हानि से संबंधित उद्धृत मामलों को प्रस्तुत किया है, जिनमें हमने पाया कि</p>

	<p>अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।</p> <p>यह चिंता की बात है कि इसी तरह की चूकों को हमारे द्वारा विगत कई वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बारम्बार बताया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कदम नहीं उठाए। यह भी चिंतनीय है कि हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से ये गलतियाँ स्पष्ट थी, तथापि विभाग इन गलतियों का पता लगाने में असमर्थ रहा।</p>
<p>हमारे निष्कर्ष</p>	<p>एक मामले में होटलों को भूमि सस्ती दरों पर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई पर्यटन नीतियों का उल्लंघन कर तथा अन्य मामले में वाणिज्यिक दर के स्थान पर कृषि दर से आवंटित की गई थी। तीन मामलों में आवंटित भूमि की कीमत वसूल नहीं की गई थी। दो मामलों में रूपांतरण प्रभार वसूल नहीं किए गए थे।</p> <p>हमारे द्वारा ध्यान में लाए गए राजस्व अप्राप्ति, कर का कम निर्धारण किया जाना इत्यादि में तथा विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ इनको स्वीकार कर लिया गया है, वसूली हेतु विभाग को तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है।</p>

अध्याय-IV: भू-राजस्व

4.1 कर प्रशासन

भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यतः भूमि का किराया, पट्टे का किराया, प्रीमियम, कृषि भूमि के अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग पर देय रूपान्तरण शुल्क, सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्ति आदि शामिल होती हैं।

विभाग के प्रशासनिक विभाग की शक्तियाँ सरकार के राजस्व विभाग में निहित हैं। राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ-साथ राजस्व से संबंधित न्यायिक मामलों का समग्र नियंत्रण राजस्व मण्डल के पास है। राजस्व मण्डल में भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित सभी मामलों में सहायता हेतु जिला स्तर पर 33 कलेक्टर, उप संभाग स्तर पर 191 उप संभाग अधिकारी और तहसील स्तर पर 244 तहसीलदार हैं। राजस्थान में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राजस्व मण्डल राज्य स्तरीय क्रियान्वयन प्राधिकरण का भी कार्य करता है।

4.2 राजस्व की प्रकृति

वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और विभाग द्वारा प्राप्त वास्तविक राजस्व निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संग्रहित भू-राजस्व	बजट अनुमानों एवं संग्रहण के मध्य भिन्नता का प्रतिशत
2006-07	90.05	116.71	(+) 29.61
2007-08	122.06	155.29	(+) 27.22
2008-09	145.01	162.52	(+) 12.08
2009-10	160.16	147.66	(-) 7.80
2010-11	185.06	222.17	(+) 20.05

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि बजट तैयारी में पूरी सावधानी नहीं बरती गयी और बजट अनुमान वर्ष 2009-10 को छोड़कर वास्तविक आंकड़ों से समर्थित नहीं थे, जैसे कि बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहणों में अंतर (+) 12.08 प्रतिशत (2008-09) से (+) 29.61 प्रतिशत (2006-07) के बीच रहा। वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व में गिरावट का मुख्य कारण भूमि की बिक्री तथा

नगरीय विकास विभाग से रूपांतरण प्रभारों की कम प्राप्ति रहा। हमने वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व संग्रहण में असामान्य वृद्धि देखी, जो अनुपयोगी भूमि तथा सरकारी सम्पत्तियों की बिक्री से अधिक प्राप्ति के कारण हुई।

4.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को राजस्व की ₹ 75.21 करोड़ राशि बकाया थी, जिसमें से ₹ 13.91 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे। 31 मार्च 2011 को राजस्व की बकाया राशि की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01.04.2010 को बकाया आरंभिक शेष	वर्ष 2010-11 के दौरान संग्रहित राशि	31.03.2011 को बकाया का अंतिम शेष
2005-06 तक	15.96	2.05	13.91
2006-07	38.47	0.33	38.14
2007-08	3.75	0.94	2.81
2008-09	12.78	4.38	8.40
2009-10	49.58	37.63	11.95
योग	120.54	45.33	75.21

पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया ₹ 13.91 करोड़ की वसूली की संभावनाएँ क्षीण हैं।

हम अनुशांसा करते हैं कि सरकार को बकाया राशि की वसूली के लिए समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।

4.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2009-10 तक लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा 10 अनुच्छेदों में निहित राशि ₹ 504.67 करोड़ के राजस्व अनारोपण/कम आरोपण, राजस्व की अप्राप्ति/कम प्राप्ति, राजस्व का कम निर्धारण/हानि, गलत छूट, कर की गलत दर लगाना, गलत गणना इत्यादि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/सरकार ने 10 अनुच्छेदों में निहित राशि ₹ 367.01 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की हैं तथा उनमें से अब तक ₹ 94.21 करोड़ की

राशि वसूल की है (दिसम्बर 2011)। विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूल राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2005-06	2	40.71	2	30.14	1	16.32
2006-07	1	22.14	1	22.14	-	-
2007-08	4	260.68	4	196.05	3	76.64
2008-09	-	1.13	-	1.13	-	1.13
2009-10	3	180.01	3	117.55	1	0.12
योग	10	504.67	10	367.01	5	94.21

सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई शेष राशि की शीघ्र वसूली हेतु प्रयास करने चाहिए।

4.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा के 15 दल हैं, प्रत्येक दल में तीन सदस्य हैं, जोकि वार्षिक आधार पर कार्यालयों की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं। 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा के लिए योजित इकाइयाँ, वास्तव में लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या तथा शेष रही इकाइयों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

वर्ष	इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए योजित इकाइयों की संख्या	वास्तव में लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	शेष रही इकाइयों की संख्या	शेष रही इकाइयों की प्रतिशतता
2006-07	567	567	486	81	14
2007-08	567	557	502	55	10
2008-09	570	532	436	96	18
2009-10	570	468	398	70	15
2010-11	570	535	707*	35	5

*बकाया सहित।

रिक्त पद, स्थानीय निकाय के चुनावों में कर्मचारियों को लगाना, लेखापरीक्षा दल के सदस्यों द्वारा अवकाश लिया जाना इत्यादि के कारण लेखापरीक्षा बकाया रही।

4.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010-11 के दौरान भू-राजस्व विभाग की 113 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान हमने 1403 मामलों में राशि ₹ 419.95 करोड़ की राजस्व की हानि इत्यादि पाई। विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	सिंचित/असिंचित/निष्क्रान्त/सीलिंग इत्यादि भूमि की कीमत की अवसूली	162	70.29
2.	केंद्रीय/ राज्य सरकार के विभागों/प्रतिष्ठानों से प्रीमियम और किराए की अवसूली	267	306.88
3.	खातेदारों से संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली	297	1.63
4.	राजकीय भूमि पर अतिचारियों के प्रकरणों का नियमितिकरण न होना	181	6.13
5.	अन्य अनियमितताएँ	496	35.02
योग		1403	419.95

वर्ष 2010-11 के दौरान, विभाग ने 1132 प्रकरणों में ₹ 27.39 करोड़ का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 6.12 करोड़ के 921 प्रकरण वर्ष 2010-11 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाए गए थे। विभाग ने वर्ष 2010-11 के दौरान 220 प्रकरणों में ₹ 12.64 करोड़ वसूल किए, जिनमें ₹ 0.87 करोड़ के 65 प्रकरण वर्ष 2010-11 के तथा शेष पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।

कुछ निर्दशी प्रकरण जिनमें ₹ 300.37 करोड़ सन्निहित है, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए हैं।

4.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

भू-राजस्व विभाग के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान, हमें अनारोपण/कम आरोपण/राजस्व की माँग की कम वसूली पाई गयी जिन्हें इस अध्याय के आगामी अनुच्छेदों में दर्शाया गया है। विशेष रूप से हमने अपर्याप्त प्रक्रियाएँ तथा प्रणालियों पायी, जो यह सुनिश्चित नहीं करती थी कि सरकारी भूमि का आवंटन तथा आवंटियों को कब्जा केवल सरकार द्वारा विभिन्न नीति-निर्देशों के तहत निर्धारित दरों पर भुगतान के पश्चात् किया गया था। हमने देखा कि केन्द्रीय विभागों ने सरकार के निर्देशों के अनुसार भूमि की देय लागत चुकाए बिना राजकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था। ऐसी कुछ गलतियों को पूर्व के वर्षों में भी बताया गया था, लेकिन न केवल अनियमितताएँ जारी रही, बल्कि लेखापरीक्षा आयोजित होने तक इनका पता भी नहीं चला। ये मामले उदाहरणात्मक हैं और हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच के आधार पर हैं। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत बनाने सहित सुधार लाने की आवश्यकता है।

4.8 नियमों/परिपत्रों के प्रावधानों की अनुपालना न होना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं उसके अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी नियमों/अधिसूचनाओं के साथ-साथ निम्न के प्रावधान भी भूमि आवंटन/रूपांतरण पर लागू होते हैं:

1. पर्यटन इकाई नीति, 2007;
2. राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 2 मार्च, 1987;
3. राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959; तथा
4. राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण) नियम, 2007 ।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने देखा कि विभागीय प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त नीतियों/नियमों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसके परिणामस्वरूप ₹ 300.37 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई, जैसाकि आगामी अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है।

4.8.1 भूमि की लागत की कम वसूली

4.8.1.1 नई पर्यटन नीति 2007 का उल्लंघन कर होटलों के लिए भूमि आवंटित करना

सभी प्रकार के होटल एवं पर्यटन इकाइयों के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, 2007 प्रस्तुत की (27 नवंबर 2007)। 2007 की नीति के अनुसार सितारा श्रेणी होटल के अलावा अन्य पर्यटन इकाई के लिए भूमि का आवंटन विशेष आरक्षित मूल्य यानि उस क्षेत्र की भूमि के वाणिज्यिक आरक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत पर आवंटित की जानी थी। विशेष आरक्षित मूल्य प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित तथा आरक्षित भूमि के निपटान के लिए आधार मूल्य था। इसके अतिरिक्त, सभी संबंधित विभागों को नीति के अनुसार संबंधित नियमों/उप-नियमों और अधिसूचनाओं में आवश्यक संशोधन करने थे।

सचिव, राजस्व (ग्रुप-III) विभाग, राजस्थान, जयपुर और जिला कलेक्टर (राजस्व), जैसलमेर द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और सूचना की मापक जाँच (दिसम्बर 2010- फरवरी 2011) के दौरान हमने पाया कि चार मामलों में पर्यटन इकाइयों अर्थात् होटल, मोटल आदि की स्थापना के लिए बिना प्रतिस्पर्धात्मक

बोली प्रक्रिया अपनाए राजकीय भूमि का आवंटन (मई 2008 से दिसम्बर 2008) किया गया था। भूमि की कीमत राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, 2007 के स्थान पर राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के अनुसार (जो पूर्व में लागू थे) वसूल की गई थी। इन चार मामलों में भूमि की कीमत ₹ 675.18 लाख (वाणिज्यिक डी. एल. सी. दरों के आधार पर, क्योंकि उन क्षेत्रों की वाणिज्यिक आरक्षित कीमते उपलब्ध नहीं कराई गई थी) बनती है जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा ₹ 25.00 लाख वसूल किए गए। जिसके परिणामस्वरूप नई पर्यटन नीति, 2007 लागू न करने से राजकोष को ₹ 6.50 करोड़ की संभावित हानि हुई।

मामला विभाग की जानकारी (दिसंबर 2010-फरवरी 2011) में लाया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित रहे (दिसम्बर 2011)। हालांकि हमने प्रमुख सचिव (भू-राजस्व) से वार्ता की, जिन्होंने वार्तालाप के दौरान कहा कि वे इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं कि नई पर्यटन नीति, 2007 अधिसूचित हो गई है। इसके अतिरिक्त विभाग ने ग्राम पंचायत/स्थानीय निकायों/जेडीए द्वारा, जैसाकि नीति में प्रावधान किया गया था, द्वारा भूमि बैंक के विकास के बारे में हमारे द्वारा पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया।

4.8.1.2 भूमि की लागत की अवसूली/कम वसूली

राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 2 मार्च, 1987 के अनुसार ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों और उनकी परिधि में केन्द्रीय सरकार के विभागों/संगठनों को आवंटित राजकीय भूमि की लागत समय समय पर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित आवासीय दरों के अनुसार प्रभार्य है। यदि आवंटन वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो वाणिज्यिक दरें प्रभार्य हैं। भू-राजस्व अधिनियम के नियम 90 बी (12) के स्पष्टीकरण IV (i) के अनुसार यदि किसी गाँव का कोई भाग पैराफेरी क्षेत्र में आता है तो उस संपूर्ण गाँव को पैराफेरी क्षेत्र के अन्दर माना जाएगा।

(अ) कलेक्टर (राजस्व), जैसलमेर के कार्यालय में सीमा सुरक्षा बल को भूमि के आवंटन से संबंधित फाइलों की मापक जाँच के दौरान (सितम्बर 2010) हमने पाया कि जैसलमेर में सम रोड पर खसरा नम्बर 541 की 12 बीघा राजकीय भूमि 1966 से सीमा सुरक्षा बल के कब्जे में थी। यह भूमि नगरपालिका सीमा के आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसलिए सीमा

सुरक्षा बल से भूमि के उचित आवंटन के पश्चात् प्रचलित आवासीय डी.एल.सी. दरों पर गणना कर ₹ 7.53 करोड़ भूमि की कीमत वसूल की जानी थी। हालांकि, न तो भूमि का आवंटन किया गया और न ही भूमि की लागत वसूल की गई, परिणामस्वरूप ₹ 7.53 करोड़ की अवसूली रही।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितंबर 2010-मई 2011) कलेक्टर, जैसलमेर ने सूचित (मई 2011) किया कि सीमा सुरक्षा बल के अनुरोध पर 12 बीघा राजकीय भूमि का आवंटन परिपत्र दिनांक 02.03.1987 के अनुसार भुगतान के आधार पर किया गया था। तदनुसार ₹ 8.66 करोड़ एक माह की अवधि में जमा कराने के लिए एक मांग पत्र सीमा सुरक्षा बल को जारी (मार्च 2011) किया गया। हालांकि, वसूली का विवरण सूचित (दिसम्बर 2011) नहीं किया गया।

(ब) कलेक्टर, जैसलमेर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (सितंबर 2010) कि जैसलमेर में सम रोड पर 483 एकड़ राजकीय भूमि का आवंटन (27.04.1968) सेना को किया गया। सेना प्राधिकरण ने भूमि की लागत जमा नहीं कराई और बताया (14 जनवरी 1977) कि उन्हें अब भूमि की आवश्यकता नहीं थी, अतः आवंटन रद्द (सितंबर 1989) कर दिया गया था। तत्पश्चात् रक्षा मंत्रालय ने 1950 से उनके कब्जे में रही भूमि आवंटित करने का पुनः अनुरोध किया (अक्टूबर 1989)। सेना और राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार, गिरधर कैम्प, जैसलमेर में ₹ 284.17 करोड़ मूल्य की (13.10.09 से आवासीय भूमि के लिए प्रभावी डी.एल.सी. दरों के अनुसार गणना) 453.03 बीघा भूमि सेना के कब्जे में पायी गयी। हालांकि, मामला अभी भी

लंबित है (मार्च 2011) और सरकार कम से कम ₹ 284.17 करोड़ के राजस्व से वंचित रही।

मामला हमारे द्वारा जानकारी (मई 2010) में लाए जाने पर सरकार ने अवगत कराया (दिसंबर 2011) कि सिविल मिलिटरी लाईजन कांफ्रेंस के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी (सितंबर 2011) तथा सेना प्राधिकरण ने आक्षेपित राशि वर्तमान जिला स्तरीय समिति की दरों से जमा कराने पर सहमति प्रदान की है। हम मामले में आगामी प्रगति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(स) उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-III) विभाग, राजस्थान, जयपुर और जिला कलेक्टर (राजस्व), जयपुर के अभिलेखों की मापक जाँच (जनवरी-मार्च 2011) के दौरान और उपलब्ध कराई गई सूचना में हमने पाया कि सरकार ने तहसील चाकसू के गाँव महाचन्दपुरा में 1.20 हैक्टर (खसरा नम्बर 798 की गैर मुमकिन आबादी सिवायचक भूमि) भूमि आवंटन की स्वीकृति (दिसंबर 2009) पॉवर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के नाम जारी की। जैसाकि पॉवर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की गतिविधियाँ सरकार द्वारा व्यावसायिक मानी गई थीं, विभाग ने, ₹ 1200 प्रति वर्ग मीटर की वाणिज्यिक दर पर भूमि की कीमत ₹ 144.00 लाख की वसूली के बजाय ₹ 600 प्रति वर्ग मीटर की आवासीय दर पर ₹ 72.00 लाख की मांग कायम कर वसूल किए (फरवरी 2010)। अतः निगम से आवंटित भूमि के लिए वाणिज्यिक दर पर भूमि की कीमत की वसूली की जानी चाहिए थी। वाणिज्यिक दरों के बजाए आवासीय दर पर भूमि की कीमत वसूलने से ₹ 72.00 लाख की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा ध्यान में लाए जाने पर (जुलाई 2011) विभाग ने अवगत कराया (नवम्बर 2011) कि संपूर्ण राशि की वसूली कर ली गई है।

हमारे द्वारा मामला सरकार को प्रतिवेदित (जनवरी से मार्च 2011) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित रहे (दिसम्बर 2011)।

4.8.2 फर्म को अदेय अनुग्रह

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3अ के अनुसार, भूमि की कीमत, आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध कृषि भूमि के उसी वर्ग के बाजार मूल्य के बराबर वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियमों के नियम 7 के तहत दो वर्ष के भीतर उद्योग स्थापित हो जाना चाहिए इसमें असफल रहने पर भूमि वापस सरकार में निहित हो जाएगी, बशर्ते आवंटन प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त अवधि को बढ़ाया न गया हो।

संभागीय आयुक्त, जोधपुर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (अक्टूबर 2010) कि कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम और शर्तों के तहत मैसर्स पायल होटल एण्ड रिसोर्ट, जैसलमेर (फर्म) को एक होटल की स्थापना के लिए 8.08 बीघा (1,45,926 वर्ग फुट) भूमि

का एक भूखण्ड पट्टे पर आवंटित (27.08.2001) किया गया था। नीलामी दिनांक 05.12.1998 के अनुसार भूमि का आवंटन ₹ 25.50 लाख की कीमत पर किया गया था। वास्तविक कब्जा 27 मार्च 2003 को सौंपा गया एवं पट्टा विलेख 31.03.2003 को निष्पादित किया गया था। आवंटन के नियम एवं शर्तों का पालन नहीं करने के कारण कलेक्टर, जैसलमेर ने भूमि वापस सरकार के पक्ष में करने का आदेश दिया (28.12.2006)। फर्म ने उपरोक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व मंत्री को एक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। राजस्व मंत्री ने उस समय प्रचलित डी.एल.सी. की दर से भूमि की कीमत, फर्म द्वारा पहले जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुए, वसूली की शर्त पर पट्टे को बहाल (20.08.2007) किया। क्योंकि प्रारंभ में भूमि का आवंटन एक वाणिज्यिक भूखण्ड की तरह नीलामी से हुआ था, विभाग ने वाणिज्यिक डी.एल.सी. दरों पर भूमि की लागत लेने के बजाए, ₹ 2.50 लाख प्रति बीघा की कृषि दर से जमीन की कीमत ₹ 21.00 लाख निर्धारित की। जैसाकि फर्म ने नीलामी राशि के रूप में पूर्व में ही 04.12.1998 और 24.01.1999 को ₹ 25.50 लाख जमा करा दिए थे, विभाग ने भूमि के लिए कोई भी राशि लिए बिना पट्टा विलेख को बहाल (17.10.2007) कर दिया। भूमि की लागत औद्योगिक क्षेत्र की वाणिज्यिक डी.एल.सी. दरों के अनुसार ₹ 500 प्रति वर्ग फुट की दर से ₹ 729.63¹ लाख होती है। इस प्रकार, गलत डी.एल.सी. दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.04² करोड़ का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया (अक्टूबर 2010) और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2011); उनके उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2011) रहे।

¹ ₹ 729.63 लाख (1,45,926 x ₹ 500)

² ₹ 7.04 करोड़ (₹ 7.30 करोड़ - ₹ 0.26 करोड़)

4.8.3 रूपांतरण प्रभारों की कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का रूपांतरण) नियम, 2007 के नियम 9 और 16 के तहत कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग करने से पहले रूपांतरण शुल्क का भुगतान अग्रिम में किया जाता है। व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए रूपांतरण शुल्क ₹ 10 प्रति वर्ग मीटर या कृषि भूमि की डी. एल. सी. दर का 10 प्रतिशत राशि, जो भी अधिक हो, देय है। यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट समय के भीतर देय रूपांतरण शुल्क जमा करने में विफल रहता है तो देरी की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा।

4.8.3.1 प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) और तहसील, कोलायत नम्बर 1 के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने (मार्च 2011) पाया कि राज्य सरकार ने गाँव गुड़ा (पूर्व) तथा चक बन्धा नम्बर 1 में स्थित 79.37 हैक्टेयर भूमि मै. मरूधर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड (अब

मै. वी.एस. लिग्नाईट पावर प्राइवेट लिमिटेड) को आवंटित (18.10.2007) की। आयुक्त, उपनिवेशन ने भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए रूपांतरण शुल्क के ₹ 79.37 लाख जमा करने के लिए एक मांग पत्र जारी (12.06.2008) किया। इसके विरुद्ध फर्म ने मात्र ₹ 20.00 लाख जमा (13.07.2010) कराए। फर्म ने रूपांतरण प्रभार जमा कराए बिना गैर कृषि प्रयोजनों के लिए 12 नवंबर 2008 से भूमि का उपयोग शुरू कर दिया। शेष वसूलनीय राशि ₹ 59.37 लाख और उस पर ₹ 17.14 लाख का ब्याज (31 मार्च 2010 तक संगणित) फर्म से वसूल नहीं किया गया था।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2011), उनके उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2011) रहे।

4.8.3.2 प्रमुख शासन सचिव, (राजस्व) और जिला कलेक्टर, सीकर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि (दिसंबर 2010) पलसाना गाँव में स्थित 7.01 हैक्टेयर जमीन (खसरा नं. 1452) सीकर और झुन्झुनू दुग्ध उत्पादन डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड को डेयरी प्लांट (वाणिज्यिक उपयोग) के लिए सरकार द्वारा आवंटित (जनवरी 2003) की गई थी। हालांकि, न तो कलेक्टर, सीकर ने ₹ 13.58 लाख के रूपांतरण शुल्क की मांग जारी की और न ही आवंटी ने भूमि के रूपांतरण के लिए आवेदन किया। इसके परिणामस्वरूप रूपांतरण शुल्क ₹ 13.58 लाख की प्राप्ति नहीं हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (दिसंबर 2010) किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2011) था।

अध्याय-V
राज्य आबकारी

कार्यकारी सारांश: अध्याय-V

कर संग्रहण में वृद्धि	राज्य आबकारी विभाग का राजस्व संग्रहण वर्ष 2006-07 में ₹ 1,591.09 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 2,861.45 करोड़ हो गया। वर्ष 2010-11 के लिए राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष से 24 प्रतिशत वृद्धि थी।
पूर्ववर्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा बताये गये आक्षेपों पर विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान हमने ₹ 128.00 करोड़ राजस्व सन्निहित के 17 अनुच्छेदों में कर के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लगाना, कर की गलत संगणना आदि के प्रकरण ध्यान में लाये। उनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 32.82 करोड़ सन्निहित के सात अनुच्छेदों को स्वीकार किया तथा दिसम्बर 2011 तक सात अनुच्छेदों में केवल ₹ 2.31 करोड़ (सात प्रतिशत) वसूल किये।
वर्ष 2010-11 में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम	28 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान अवसूली/कम वसूली, आबकारी फीस तथा लाइसेन्स फीस की हानि एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 67.35 करोड़ सन्निहित के 470 प्रकरण हमारे ध्यान में आये। विभाग ने 21 प्रकरणों में ₹ 13.64 लाख की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएँ स्वीकार की। विभाग ने 80 प्रकरणों में ₹ 84.74 लाख की वसूली की जिनमें से ₹ 2.06 लाख के आठ प्रकरण वर्ष 2010-11 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।
'आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	हमने 'आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की जिसमें ₹ 292.74 करोड़ का राजस्व सन्निहित है, जिसमें से ₹ 7.91 करोड़ वसूलनीय तथा शेष ₹ 284.83 करोड़ अधिनियम/नियमों में कमी के कारण सम्भावित राजस्व की हानि है। विभाग ने ₹ 2.05 करोड़ की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य कमियाँ स्वीकार की तथा ₹ 1.85 करोड़ वसूल किये।

<p>इस अध्याय में हमने क्या दर्शाया है</p>	<p>हमने देखा कि विभाग में 10 वर्षों से अधिक से भारी मात्रा में राजस्व बकाया लम्बित है। यद्यपि, यह विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दोहराया गया था, विभाग ने अनाज से प्रासव के न्यूनतम उत्पादन के मापदण्ड तय नहीं किये थे। हमने, प्रणाली की कमियाँ जैसे- नियमों में कमियाँ, परमिट फीस के खाते में राजस्व अवरूद्ध होना तथा अधिसूचनाएँ जारी नहीं होना आदि बताये हैं। आबकारी शुल्क तथा ब्राण्ड लेबल फीस का नियमों के विरुद्ध अनारोपण/कम आरोपण के भी कई प्रकरण हमारे ध्यान में आये। इसके अलावा विभाग ने होटलों को हेरिटेज श्रेणी के अन्तर्गत मदिरालय लाइसेन्स को अनुमत्य करते हुए तथा डिस्टलरी को हेरिटेज मदिरा के उत्पादन में अनुमत्य से अधिक क्षति को स्वीकार करते हुए अदेय लाभ दिया। आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में भी विभाग का नियन्त्रण कमजोर रहा।</p>
<p>हमारी सिफारिशें</p>	<p>सरकार निम्न पर विचार करे:</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनाज से प्रासव के न्यूनतम उत्पादन के मापदण्ड निर्धारण के लिए; • अनुमत्य क्षति को दूरी के साथ जोड़ने के लिए; • लाइसेन्सधारी द्वारा अन्य व्यक्ति को पॉवर ऑफ अटार्नी देने पर फीस वसूलने के लिए; • आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुतीकरण के लिए समय सीमा तथा आरोपणीय शास्ति की दर के सम्बन्ध में मार्गदर्शन जारी करने के लिए। इसके अलावा पूर्व में प्रेषित प्रासव/मदिरा की रसीद प्राप्त हो जाने के बाद ही पुनः प्रेषित करने के लिए; • मद्यसंयम नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मदिरा/चिरे हुए ड़ोडा-पोस्त/भांग के हानिकारक प्रभावों को बड़ी संख्या में लोगों को बताने के लिए विज्ञापित करने के लिए; तथा • बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के लिए आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र का सुदृढीकरण के लिए।

अध्याय-V: राज्य आबकारी

5.1 कर प्रशासन

राज्य आबकारी राजस्व में, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित या आदेशित भुगतान, फीस, कर, जुर्माना या जब्ती की प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। इसमें मदिरा, भांग एवं चिरे हुये डोडा-पोस्ट के विनिर्माण, अधिग्रहण एवं बिक्री से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित है।

5.2 संग्रहण की लागत

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ समान अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सकल संग्रहण से सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	सकल संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1	2006-07	1,591.09	42.52	2.67	3.30
2	2007-08	1,805.12	48.51	2.69	3.27
3	2008-09	2,169.90	64.46	2.97	3.66
4	2009-10	2,300.48	85.74	3.73	3.64
5	2010-11	2,861.45	87.45	3.06	उपलब्ध नहीं

राज्य आबकारी शुल्क के राजस्व के संग्रहण पर व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता की तुलना में वर्ष 2008-09 तक हमेशा कम रही लेकिन वर्ष 2009-10 में अधिक रही।

5.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

हमने गत पाँच वर्षों के हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा ₹ 128.00 करोड़ राजस्व सन्निहित के 17 अनुच्छेदों में कर के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लगाना, कर की गलत संगणना आदि के प्रकरण ध्यान में लाये। जिनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 32.82 करोड़ सन्निहित के सात अनुच्छेदों को स्वीकार किया तथा दिसम्बर 2011 तक सात अनुच्छेदों में केवल ₹ 2.31 करोड़ वसूल किये जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2005-06	2	31.62	1	31.35	1	0.85
2006-07	5	19.88	-	-	-	-
2007-08	4	29.18	4	0.96	4	0.95
2008-09	4	45.44	2	0.42	2	0.42
2009-10	2	1.88	-	0.09	-	0.09
योग	17	128.00	7	32.82	7	2.31

5.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 28 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जाँच में अवसूली/कम वसूली/आबकारी शुल्क तथा लाइसेन्स फीस की हानि एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 67.35 करोड़ सन्निहित के 470 प्रकरण हमारे ध्यान में आये। 'आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी सम्पादित की गई, जिसमें ₹ 7.91 करोड़ का राजस्व सन्निहित है। विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण (निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	7.91
2.	आबकारी शुल्क एवं लाइसेन्स फीस की अवसूली/कम वसूली	374	62.54
3.	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	85	4.66
4.	अन्य अनियमितताएँ	11	0.15
	योग	471	75.26

वर्ष 2010-11 के दौरान विभाग ने 21 प्रकरणों में ₹ 13.64 लाख की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएँ स्वीकार की। विभाग ने 80 प्रकरणों में ₹ 84.74 लाख की वसूली की जिनमें से ₹ 2.06 लाख के आठ प्रकरण वर्ष 2010-11 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

तथ्यात्मक विवरण-पत्र जारी करने के पश्चात् वर्ष 2010-11 में ध्यान में लाये गये एक प्रकरण में राशि ₹ 1.85 करोड़ की वसूली से विभाग द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2011)।

हमने 'आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' पर ₹ 7.91 करोड़ वित्तीय प्रभाव की एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की, जिसे आगामी अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

5.5 'आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- राजस्व के पुराने बकाया की राशि ₹ 218.37 करोड़ की वसूली के लिए आबकारी विभाग के पास कोई रणनीति योजना/कार्यवाही योजना नहीं थी।
(अनुच्छेद 5.5.8)
- आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा का निर्धारण करने तथा इन्हे प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति के आरोपण के सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान नहीं है।
(अनुच्छेद 5.5.9.1)
- अनाज से प्राप्त के न्यूनतम उत्पादन के मापदण्ड निर्धारित नहीं करने के कारण प्राप्त के कम उत्पादन से आबकारी शुल्क के ₹ 284.17 करोड़ की सम्भावित हानि हुई।
(अनुच्छेद 5.5.9.4)
- होटलों के मदिरालयों से उनके भारत सरकार तथा राज्य समिति से हेरिटेज होटल के प्रमाण-पत्र के सत्यापन के बिना ही विभाग के कार्मिकों द्वारा उनसे 'हेरिटेज होटल श्रेणी' की दर से लाइसेन्स फीस वसूल की गई। जल्दबाजी में तदर्थ लाइसेन्स जारी करने से राजकोष को ₹ 1.69 करोड़ की हानि हुई, जिसे लाइसेन्सधारियों से वसूल किये जाने की आवश्यकता है।
(अनुच्छेद 5.5.11.1)
- दुकानों के लाइसेन्सों का पॉवर ऑफ अटॉर्नी की आड में अवैध हस्तान्तरण/दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा।
(अनुच्छेद 5.5.11.2)
- बंधित भण्डारगृह लाइसेन्स का नवीनीकरण नहीं होने के कारण विभाग ने वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान ₹ 55.00 लाख का राजस्व भी छोड़ दिया।
(अनुच्छेद 5.5.12)
- लाइसेन्सधारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने को न तो विभाग द्वारा दर्शाया गया और न ही नियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की गई।
(अनुच्छेद 5.5.17.1)
- प्रतिभूति जमा, आवेदन फीस तथा ठेका राशि के खाते में प्राप्त ₹ 22.89 करोड़ के 5,181 बैंक ड्राफ्ट सरकार के खाते में जमा कराने में दो से 140 दिनों तक का विलम्ब हुआ जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 5 एवं 7 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
(अनुच्छेद 5.5.20)
- आबकारी आयुक्त के कार्यालय में आन्तरिक निरीक्षणों के अभिलेखों के अभाव में विभाग के पास आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का सुदृढीकरण एवं अनुश्रवण नहीं था।
(अनुच्छेद 5.5.22)

5.5.1 प्रस्तावना

संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की II तालिका की 51वीं प्रविष्टि के अधीन राज्य आबकारी शुल्क, राज्यों द्वारा आरोपित किया जाता है। राजस्थान राज्य में आबकारी राजस्व के अन्तर्गत राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं नियमावली में फीस, कर, जुर्माना एवं जब्तियों से प्राप्त राजस्व सन्निहित है। इनमें मदिरा, भांग एवं चिरे हुये डोडा-पोस्त के उत्पादन, अधिग्रहण एवं विक्रय से प्राप्त राजस्व भी शामिल है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राज्य सरकार को कालावधि के लिये आबकारी नीति निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है जो भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर, देशी मदिरा, चिरे हुये डोडा-पोस्त एवं भांग की दुकानों/दुकानों के समूह की एकाकी विशेषाधिकार राशि (आरक्षित राशि) निर्धारण की विधि नियत करती है। आबकारी आयुक्त, आबकारी नीति के निर्धारण तथा क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के थोक विक्रय हेतु लाइसेन्स, राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं और एकाकी विशेषाधिकार पद्धति में आबकारी वस्तुओं के खुदरा विक्रय हेतु मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित कर या नीलामी या समझौता-वार्ता या अन्य निर्धारित विधि अपनायी जाती है। चिरे हुये डोडा-पोस्त के लाइसेन्स राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटेन्सेज रूल्स, 1985 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं।

वर्ष 2005-06 के दौरान, आठ डिस्टिलरीज, चार ब्रेवरीज और 25 बोटलिंग प्लान्ट्स अस्तित्व में थे। वर्ष 2009-10 के दौरान डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज की संख्या में क्रमशः 11 और छः की वृद्धि हुई। तथापि बोटलिंग प्लान्ट्स की संख्या में 14 की कमी हुई। बोटलिंग प्लान्ट्स की संख्या में कमी मुख्यतः वर्ष 2005-06 के दौरान आबकारी नीति में परिवर्तन के कारण हुई जिसमें सरकार ने शोधित प्रासव के उपयोग पर रोक इस आधार पर लगा दी कि एकसट्रा न्यूट्रल एल्कोहल से उत्पादित भारत निर्मित विदेशी मदिरा उत्कृष्ट होती है। शोधित प्रासव पर रोक के कारण उत्पादन की लागत बढ़ गई जिसके कारण कुछ बोटलिंग प्लान्ट्स या तो बन्द हो गये या उन्होंने भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उत्पादन रोक दिया।

वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि में प्रचलित पद्धति और प्रक्रिया की प्रयाप्तता एवं प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिये 'आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी।

5.5.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के राज्य स्तर पर सम्पूर्ण नियन्त्रण की जिम्मेदारी वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव में निहित है। राज्य आबकारी विभाग के प्रमुख, आबकारी आयुक्त है। आठ अतिरिक्त आबकारी आयुक्त- छः सम्भागीय मुख्यालयों अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा एवं उदयपुर पर, एक प्रवर्तन तथा एक उदयपुर में प्रशासन के पद पर रहते हुये आबकारी आयुक्त की सहायता करते हैं। 33 जिलों के लिए 34 जिला आबकारी कार्यालय एवं जयपुर और जोधपुर में दो जिला आबकारी कार्यालय (अभियोजन) हैं। विभाग की प्रवर्तन शाखा के प्रमुख, एक अतिरिक्त आबकारी आयुक्त एवं वित्त शाखा के प्रमुख, वित्तीय सलाहकार हैं।

5.5.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा यह तर्क-पूर्ण आश्वासन सुनिश्चित करने के लिये की थी कि:

- आबकारी शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण, अधिनियम/नियमों, नियमावली और वार्षिक राज्य आबकारी नीति के अनुसार किया गया है;
- अधिनियम/नियमों/नीति में कोई कमी या प्रावधानों का अभाव तो नहीं रहा, जिससे राजकीय राजस्व प्रभावित हुआ हो;
- आबकारी करों के समय पर सही निर्धारण और वसूली करने हेतु विभाग में समुचित पद्धति एवं प्रक्रिया थी; तथा
- विभाग में प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र अस्तित्व में है।

5.5.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों/नियमावलियों के प्रावधानों के विरुद्ध आबकारी विभाग के कार्य निष्पादन की जाँच की गई:

- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाएँ;
- राजस्थान आबकारी नियम, 1956;
- राजस्थान राज्य आबकारी नियमावली, 1988;
- राजस्थान की आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2005-06 से 2009-10;
- राजस्थान डिस्टिलरी रूल्स, 1977;
- राजस्थान ब्रेवरीज रूल्स, 1972;
- राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार एवं फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति) नियम, 1982;

- राजस्थान आबकारी (होटल मदिरालय/क्लब मदिरालय लाइसेन्स स्वीकृत करना) नियम, 1973;
- राजस्थान स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर रूल्स, 1959;
- राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं सायकोट्रोपिक सब्सटेनसेज रूल्स, 1985; तथा
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान कोषालय नियम।

5.5.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 6.2 में वर्ष 2004-05 तक की समाहित अवधि के लिए 'आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित की गई थी, जिस पर जन लेखा समिति द्वारा नवम्बर 2011 में चर्चा की गई, तथापि, उनकी सिफारिशों प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2011)। हमने जिला आबकारी कार्यालय (अभियोजन), जयपुर और आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के कार्यालय सहित 34 जिला आबकारी कार्यालयों में से 14 कार्यालयों¹ द्वारा संधारित वर्ष 2005-06 से 2009-10 के लेखों की मापक जाँच की (जुलाई 2010 से मार्च 2011)। इन इकाइयों का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साईज विद रिप्लेशमेन्ट (पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर.) रेन्डम सैम्पलिंग मैथड के द्वारा किया गया था।

5.5.6 आभार


भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराने में राज्य आबकारी विभाग के सहयोग के लिए आभारी है। लेखापरीक्षा के उद्देश्य और प्रणाली पर परिचर्चा करने हेतु सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग और आबकारी आयुक्त के साथ दिनांक 16 सितम्बर 2010 को एक प्रवेश सम्मेलन किया गया। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को जुलाई 2011 में सरकार को सूचित किया गया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर परिचर्चा करने हेतु सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग के साथ दिनांक 18 अक्टूबर 2011 को एक समापन सम्मेलन आयोजित किया गया।

5.5.7 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राज्य की कर प्राप्तियों में राज्य आबकारी एक प्रमुख घटक है तथा यह कुल कर प्राप्तियों का लगभग 14-15 प्रतिशत के रूप में है। वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान राज्य के कर राजस्व में विभिन्न घटकों का भाग निम्नलिखित पाई-चार्ट

¹ अलवर, बांरा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, झालावाड़, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण) कोटा, नागौर, प्रतापगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर, एवं उदयपुर।

में दर्शाया गया है:



वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान राज्य आबकारी विभाग के बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	पिछले वर्ष की तुलना से वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों की कुल कर प्राप्तियों के साथ प्रतिशतता
2005-06	1,508.00	1,521.80	(+) 13.80	-	9,880.23	15.40
2006-07	1,600.00	1,591.09	(-) 8.91	(+) 4.55	11,608.24	13.71
2007-08	1,720.00	1,805.12	(+) 85.12	(+) 13.45	13,274.73	13.60
2008-09	1,910.00	2,169.90	(+) 259.90	(+) 20.21	14,943.75	14.52
2009-10	2,200.00	2,300.48	(+) 100.48	(+) 6.02	16,414.27	14.02
योग	8,938.00	9,388.39	(+) 450.39	-	66,121.22	14.20

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में अन्तर की प्रतिशतता बढ़ती हुई प्रवृत्ति में थी। वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में उल्लेखनीय वृद्धि, इन दो वर्षों के दौरान आबकारी नीति में परिवर्तन जैसे भारत निर्मित विदेशी मदिरा के शुल्क पर पाँच प्रतिशत अधिभार का आरोपण, देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क ₹ 2.00 से ₹ 70.00 प्रति ब्लक लीटर संशोधित करना, भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर मूल्यानुसार शुल्क के नये स्लेब 43 एवं 50 प्रतिशत लागू करने, के कारण थी।

5.5.8 राजस्व की बकाया

31 मार्च 2010 को ₹ 218.37 करोड़ के 253 प्रकरण वसूली के लिए बकाया थे। अवधिवार विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अवधि	31.03.2005 को बकाया शेष		31.03.2010 को बकाया शेष		निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वसूली	वसूली की प्रतिशतता
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि		
20 वर्षों से अधिक	168	12.75	76	8.75	4.00	31.37
10 वर्षों से अधिक तथा 20 वर्ष तक	70	43.96	53	34.67	9.29	21.13
5 वर्षों से अधिक तथा 10 वर्ष तक	56	156.63	55	153.48	3.17	2.02
5 वर्ष तक	-	-	69	21.47	-	-
योग	294	213.34	253	218.37	16.46	7.72

हमने पाया कि ₹ 218.37 करोड़ में से ₹ 196.90 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। बकाया शेष वर्ष 1962-63 से शुरू बहुत पुरानी अवधि से सम्बन्धित है तथा ₹ 43.42 करोड़ 10 वर्षों से अधिक से बकाया है।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2011) कि 31 मार्च 2011 को कुल बकाया में से ₹ 80.18 करोड़ के 35 प्रकरण न्यायालयों में लम्बित चल रहे हैं। 84 प्रकरणों में ₹ 46.93 करोड़ की राशि देनदारों के पास कोई सम्पति नहीं होने के कारण वसूल नहीं हो रही थी। ₹ 90.30 करोड़ राशि के 73 प्रकरणों में यद्यपि वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई लेकिन सम्पति पर परिवार का संयुक्त अधिकार होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नीलामी में बोली नहीं लगने के कारण वसूली नहीं हो रही थी। इसके अलावा इन 73 प्रकरणों में से ₹ 47.50 करोड़ के 10 प्रकरण अन्य राज्यों में निवास करने वाले देनदारों से सम्बन्धित थे जिसके लिए विभाग को पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता।

सरकार ने समापन बैठक (18 अक्टूबर 2011) के दौरान आगे फिर बताया कि कुल प्रकरणों में से 35 प्रकरण, जिनमें ₹ 138.16 करोड़ (63 प्रतिशत) राजस्व सन्निहित था, वर्ष 1999-2001 की अवधि के बन्दोबस्त से सम्बन्धित है। उस अवधि के दौरान लाइसेन्सधारियों द्वारा बकाया जमा नहीं कराने के कारण सरकार ने लाइसेन्स निरस्त कर दिये थे।

विभाग ने तथापि उनके द्वारा प्रारम्भ की गई राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र की संख्या एवं प्रक्रिया के परिणाम सूचित नहीं किये थे (अक्टूबर 2011)। इस प्रकार, वहाँ राजस्व के बकाया की वसूली हेतु कोई प्रभावी रणनीति नहीं थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.5.9 प्रणाली की कमियाँ

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राज्य सरकार को कालावधि के लिये आबकारी नीति निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है जो भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर, देशी मदिरा, चिरे हुये डोडा-पोस्त एवं भांग की दुकानों/दुकानों के समूह की एकाकी विशेषाधिकार राशि (आरक्षित राशि) निर्धारण की विधि नियत करती है। आबकारी आयुक्त, आबकारी नीति के निर्धारण तथा क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के थोक विक्रय हेतु लाइसेन्स, राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं और एकाकी विशेषाधिकार पद्धति में आबकारी वस्तुओं के खुदरा विक्रय हेतु मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित कर या नीलामी या समझौता-वार्ता या अन्य निर्धारित विधि अपनायी जाती है। चिरे हुये डोडा-पोस्त के लाइसेन्स राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेन्सेज रूल्स, 1985 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं।

5.5.9.1 नियमों में कमी

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम, 37(2) में प्रावधान है कि यदि आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं या बन्ध-पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो निर्यात करने वाले जिले के जिला/सहायक आबकारी अधिकारी निष्पादन कर्ता से बन्ध-पत्र के अधीन देय शास्ति वसूल करेगा।

जिला आबकारी कार्यालय अलवर, जयपुर (ग्रामीण) एवं सीकर के अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया कि आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले बन्ध-पत्र के निर्धारित प्रपत्र में आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि, आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा बन्ध-पत्र की शर्तों के अन्य किसी

उल्लंघन पर वसूली योग्य राशि या शास्ति की दर का उल्लेख नहीं था। इसके परिणामस्वरूप विभाग उपर्युक्त नियम, 37(2) के अन्तर्गत आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की कोई समयावधि तथा आरोपणीय राशि या शास्ति की दर लागू करने में असमर्थ था।

हमारे द्वारा इसे बताये जाने पर, सरकार, लेखापरीक्षा के विचार से सहमत थी (अगस्त 2011) तथा नियमों में शीघ्र ही संशोधन का विश्वास प्रकट किया।

सरकार को आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण की समयावधि तथा आरोपणीय शास्ति की दर निर्धारित करनी चाहिए।

5.5.9.2 परमिट फीस के खाते में राजस्व का अवरूद्ध होना

आबकारी आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि मैसर्स यूनाईटेड स्प्रीट्स लिमिटेड, उदयपुर एवं अलवर की इकाइयों (याचिकाकर्ता) द्वारा राजस्थान सरकार, आबकारी आयुक्त, तथा जिला आबकारी अधिकारी, अलवर व उदयपुर (प्रतिवादी) के विरुद्ध राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन किये गये औद्योगिक प्रासव, मानव उपभोग के लिये उचित प्रासव को छोड़कर, से सम्बन्धित फीस की वसूली के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

विभाग द्वारा आबकारी आयुक्त कार्यालय में दिनांक 26.11.2009 को नोटिस प्राप्त किया गया। प्रकरण में विभाग की ओर से पैरवी करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन), जयपुर को दिनांक 27.11.2009 को नियुक्त किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन), जयपुर को नियुक्ति पत्र दिनांक 07.12.2009 को दिया गया जबकि सुनवाई की दिनांक 04.12.2009 थी। परिणामतः माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक-पक्षीय अन्तरिम आदेश (04.12.2009) कर दिया जिसमें प्रतिवादी को औद्योगिक प्रासव, मानव उपभोग के लिए उचित प्रासव को छोड़कर, के राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन पर, अगली सुनवाई होने तक, फीस नहीं लेने के निर्देश दिए। परिणामतः लगातार स्थगन के कारण सरकार को ₹ 65.60 लाख की परमिट फीस (मार्च 2010 तक गणना की गई) से वंचित होना पड़ा।

जब हमने यह इंगित किया, विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि वाद-सूची में विभागीय वकील का नाम उल्लिखित नहीं होने के कारण वे सुनवाई की दिनांक का पता नहीं कर सके।

हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राजस्व प्रभाव को जानते हुए विभाग को न्यायालय में विभाग का प्रतिनिधित्व करने के प्रयास करने चाहिये थे।

5.5.9.3 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल को एक इकाई मानने के लिए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 71(2) के अधीन अधिसूचना जारी नहीं करना

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 का नियम 69(3) दर्शाता है कि देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के प्रत्येक निर्माता को उन ब्राण्ड लेबल्स (इस बात के प्रभाव के बिना कि वह किस आकार जैसे बोतल, अद्दा या पच्चा है) का अनुमोदन करवाना होगा और आबकारी आयुक्त के यहां अभिलेखित करवाना होगा जिसे वह राजस्थान में बेचना अथवा उत्पादित करना चाहता है और इसके लिए प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए प्रति ब्राण्ड ₹ 25,000 फीस का भुगतान करना होगा।

10 जिला आबकारी कार्यालयों² के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल की देशी मदिरा निर्माण करने वाली 10 इकाइयों द्वारा 2005-06 से 2009-10 के दौरान देशी मदिरा के 93 ब्राण्डों का ब्राण्ड लेबल पंजीकृत करवाए बिना उत्पादन एवं विक्रय किया गया। इस नियम के उल्लंघन के

परिणामस्वरूप राशि ₹ 23.25 लाख की ब्राण्ड लेबल फीस की अवसूली हुई।

जब हमने यह इंगित किया, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि सरकार के पत्र दिनांक 26.02.2005 के अनुसार राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल को एक इकाई माना गया है।

हम उत्तर को स्वीकार नहीं करते क्योंकि राजस्थान आबकारी नियमों के नियम, 69(3) के अनुसार देशी मदिरा के प्रत्येक उत्पादक द्वारा उत्पादित या विक्रय की गई प्रत्येक ब्राण्ड के सम्बन्ध में ब्राण्ड लेबल फीस वसूली योग्य है तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल की सभी उत्पादक इकाइयों के पास देशी मदिरा निर्माण के लिए पृथक लाइसेन्स है। हमने यह भी देखा कि दिनांक 26.02.2005 का पत्र उप सचिव के स्तर पर जारी किया गया है जबकि शुल्क, कर या फीस में छूट केवल राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 71(2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के द्वारा ही दी जा सकती है।

समापन परिचर्चा (18.10.2011) के दौरान सरकार ने पत्र दिनांक 26.02.2005, जिसमें राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल को एक इकाई माना गया है, को अधिसूचित करने के लिए सहमति दी।

² अलवर, बाँरा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जयपुर (अभियोजन), कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर।

5.5.9.4 अनाज से प्रासव उत्पादन के मापदण्ड निर्धारित नहीं करना

राजस्थान डिस्टलरी रूल्स, 1977 में डिस्टलरीज के प्रबन्ध, प्रासव के निर्गम एवं प्रपत्रों तथा रजिस्ट्रो के संधारण के लिए निर्देशों का प्रावधान किया गया है। तथापि नियमों में अनाज से प्रासव के उत्पादन के मापदण्डों का प्रावधान नहीं किया गया।

वर्ष 2005-06 के पश्चात् प्रासव के उत्पादन के लिए मोलासिस का उपयोग धीरे-धीरे बन्द कर दिया गया एवं अनाज का उपयोग प्रारम्भ कर दिया गया। तकनीकी आबकारी निर्देशिका के अनुच्छेद 39 के अनुसार 220 पौंड (एक क्विंटल) चावल से अल्कोहल के 7.7 गैलन प्राप्त होते हैं, जो प्रति क्विंटल चावल में 61.2 लन्दन प्रूफ लीटर में परिवर्तित होती है। विभाग द्वारा न तो इनकी पालना की गई और न ही नियमों में कोई मापदण्ड निर्धारित किए गए।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने देखा कि प्रति क्विंटल अनाज यानि चावल या अन्य से पाँच डिस्टलरीज³ द्वारा 63.4 लन्दन प्रूफ लीटर⁴ से 92.53 लन्दन प्रूफ लीटर के मध्य प्रासव उत्पादन कर रही थी जबकि दो डिस्टलरीज⁵ द्वारा 38.21 लन्दन प्रूफ लीटर से 57.18 लन्दन प्रूफ लीटर के मध्य प्रासव प्राप्त किया गया। यदि हम तकनीकी आबकारी निर्देशिका⁶ के अनुसार प्रति क्विंटल 61.2 लन्दन प्रूफ लीटर का उत्पादन ले तो नीचे दर्शाए अनुसार डिस्टलरीज द्वारा वर्ष 2006-07 से 2009-10 के मध्य 1,67,16,075.17 लन्दन प्रूफ लीटर प्रासव का कम उत्पादन किया गया जिसमें राशि ₹ 284.17 करोड़ का

³ एग्री बायोटेक, अजीतगढ़, ग्लोबस स्प्रीटस्, बहरोड़, एच एस वी एग्रो इन्डस्ट्रीज, रीगस, पेरनोर्ड रिकार्ड, बहरोड़ एवं यूनाइटेड स्प्रीटस् लिमिटेड, अलवर

⁴ "लन्दन प्रूफ लीटर यानि लन्दन प्रूफ के माप के बराबर का मदिरा का लीटर

⁵ विन्टेज डीस्टलर्स, अलवर एवं यूनाइटेड स्प्रीटस् लिमिटेड, उदयपुर

⁶ भारत सरकार के आदेशों के अधीन लेफ्टिनेन्ट कर्नल सी.एच. बेडफोर्ड द्वारा बनाये गए एवं आबकारी विभाग द्वारा सामान्यतः सन्दर्भित किया जाता है।

आबकारी शुल्क निहित था:

क्र. सं.	डिस्टलरी का नाम	वर्ष	उपयोग में लिया गया अनाज (चावल) (क्विंटल में)	वास्तविक प्राप्त मात्रा (लन्दन प्रूफ लीटर में)	61.2 लन्दन प्रूफ लीटर प्रति क्विंटल के अनुसार न्यूनतम उत्पादन (लन्दन प्रूफ लीटर में)	कम उत्पादन लन्दन प्रूफ लीटर में)	₹ 170 प्रति लन्दन प्रूफ लीटर की दर से सन्निहित आबकारी शुल्क (₹ में)
1	विन्टेज डिस्टलरी लिमिटेड अलवर	2006-07	108387.00	4141960.66	6633284.40	2491323.74	423525036
		2007-08	131676.00	5135388.15	8058571.20	2923183.05	496941119
		2008-09	221691.00	8477273.24	13567489.20	5090215.96	865336713
		2009-10	274332.00	10973291.60	16789118.40	5815826.80	988690556
2	यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड उदयपुर	2006-07	98284.00	5619455.18	6014980.80	395525.62	67239355
योग			834370.00	34347368.83	51063444.00	16716075.17	2841732779

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

प्रासव के न्यूनतम उत्पादन के मापदण्ड का निर्धारण नहीं करने के कारण आबकारी शुल्क के रूप में ₹ 284.17 करोड़ के राजस्व की हानि की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रासव, बीयर, भांग एवं चिरे हुये डोडा-पोस्त के लिए विभाग द्वारा मापदण्डों का निर्धारण नहीं करने से सम्बन्धित मामलों को पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियों) वर्ष 1995-96, 2000-01 एवं 2005-06 के द्वारा सरकार के ध्यान में लाया गया था।

हमारे द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर सरकार ने बताया (नवम्बर 2011) कि मापदण्डों को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

कच्चे माल से प्रासव के न्यूनतम उत्पादन के मानदण्ड निर्धारित करने के लिए सरकार अधिनियम/नियमों में आवश्यक संशोधनों पर विचार कर सकती है।

अनुपालना की कमियाँ

5.5.10 प्रासव की क्षति

5.5.10.1 प्रासव की अधिक क्षति के कारण राजस्व की हानि

राजस्थान स्टॉक टेकिंग एवं वेस्टेज ऑफ लिकर रूल्स, 1959 के नियम, 5(अ) के उपनियम 1(ब) के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा या अन्य प्रकार की मदिरा के निर्माण के लिए आवश्यक फल मशालेदार प्रासव या अनुच्चरित प्रासव के निर्माण हेतु, प्रासव के री-डिस्टिलेशन की प्रक्रिया में अधिकतम 2.5 प्रतिशत (स्थिर बर्तनों में) प्रासव की क्षति अनुमत्य है।

एच.एस.बी. एगो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (जिला आबकारी अधिकारी, सीकर के क्षेत्राधीन निहित एक डिस्टलरी) के अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया कि इकाई द्वारा 2007-08 से 2009-10 की अवधि के लिए हेरिटेज मदिरा उत्पादन हेतु री-डिस्टिलेशन प्रक्रिया के दौरान नियमों में अनुमत्य अधिकतम क्षति से 1,594.11 लन्दन प्रूफ लीटर प्रासव की अधिक क्षति को दर्शाया गया, जिसमें ₹ 350 प्रति लन्दन प्रूफ लीटर की दर से राशि ₹ 5.58 लाख का आबकारी फीस निहित था।

जब हमारे द्वारा यह इंगित किया गया, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि केसर कस्तूरी के उत्पादन के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त क्षति अनुमत्य है। पूर्व में केसर कस्तूरी ही एक मात्र हेरिटेज किस्म थी जबकि वर्तमान में अन्य हेरिटेज शराब की किस्में बाजार में आ गई हैं जिनके उत्पादन की प्रक्रिया केसर कस्तूरी के समान है। जैसा कि समस्त प्रकार की हेरिटेज शराब के उत्पादन की प्रक्रिया समान है, अतः डिस्टलरी द्वारा उसी अनुसार क्षति को दर्शाया गया है।

हम उत्तर को स्वीकार नहीं करते क्योंकि नियमों में केवल केसर कस्तूरी के मामलों में अतिरिक्त क्षति की अनुमति दी गई है।

5.5.10.2 परिवहन के दौरान हुई प्रासव की वास्तविक क्षति को अभिलेखित नहीं करना

राजस्थान स्टॉक टेकिंग एवं वेस्टेज ऑफ लिकर रूल्स, 1959 के नियम 5 के अनुसार प्रासव के धातु पात्रों में बन्ध-पत्र के अधीन परिवहन के दौरान रिसने या वाष्पीकरण के कारण हुई वास्तविक क्षति, जो यात्रा की अवधि के अनुसार अधिकतम 0.2 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत के मध्य है, अनुमत्य है। क्षति का निर्धारण, डिस्टलरी द्वारा भेजी गई प्रासव की मात्रा में से गन्तव्य स्थान पर प्राप्त मात्रा को घटाकर किया जाएगा। दोनो मात्राओं को लन्दन प्रूफ के रूप में दर्शाया जाएगा। अनुमत्य क्षति की गणना एक कन्साईनमेन्ट के प्रत्येक पात्र की मात्रा की वास्तविक माप एवं सत्यापन के पश्चात् की जाएगी। नियम 5(5) के अनुसार अनुमत्य सीमा से अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क आरोपणीय है।

सात जिला आबकारी कार्यालयों⁷ के क्षेत्राधीन विभिन्न डिस्टलरीज, बोटलिंग प्लॉन्ट्स एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल के देशी मदिरा निर्माण केन्द्रों द्वारा संधारित अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि 1,547.97 लाख लन्दन प्रूफ लीटर भेजे गए शोधित प्रासव के विरुद्ध गन्तव्य स्थान पर 1,545.11 लाख लन्दन प्रूफ लीटर शोधित प्रासव प्राप्त होना दर्शाया गया और 2.86 लाख लन्दन प्रूफ लीटर शोधित प्रासव को, बिना वास्तविक क्षति पर विचार किए, पंचनामा या फर्द रिपोर्ट

बनाए या वास्तविक क्षति के कारणों को अभिलेखित किए, अधिकतम अनुमत्य क्षति के रूप में दर्शाया गया। मापक जाँच के दौरान पाया गया कि एक से दो

⁷ अलवर, बांरा, हनुमानगढ़, जयपुर (ग्रामीण), सीकर, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर।

किलोमीटर की कम दूरी के प्रकरणों में तथा 500 किलोमीटर की लम्बी दूरी के प्रकरणों में परिवहन के दौरान हुई क्षति की, अधिकतम अनुमत्य सीमा बराबर ही थी।

समापन सम्मेलन (अक्टूबर 2011) के दौरान विभाग द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी पर सहमति व्यक्त की एवं क्षति को दूरी से जोड़ने पर सहमत हुआ।

5.5.11 लाइसेन्स जारी करना

5.5.11.1 हेरिटेज श्रेणी में होटल मदिरालय लाइसेन्स की अनियमित स्वीकृति

राजस्थान आबकारी (होटल मदिरालय/क्लब मदिरालय लाइसेन्स की स्वीकृति) नियम, 1973 के अनुसार लाइसेन्स फीस की वसूली के लिए होटलो को मुख्यतः तीन श्रेणियों-लक्जरी, हेरिटेज एवं अन्य में विभाजित किया गया है। हेरिटेज होटल वे होटल होते हैं जिनको भारत सरकार द्वारा हेरिटेज होटल की मान्यता प्राप्त हो। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.04.2006 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा हेरिटेज होटलो को पुनः तीन श्रेणियों 'अ', 'ब' एवं 'स' में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक हेरिटेज श्रेणी की होटल के लिए होटल मदिरालय लाइसेन्स फीस भिन्न-भिन्न है।

आबकारी आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान आबकारी आयुक्त द्वारा 23 होटलों को तदर्थ आधार पर हेरिटेज श्रेणी का लाइसेन्स जारी किया गया (आगामी वर्षों में नवीनीकृत किया गया)। हमने देखा कि इन होटलों को भारत सरकार द्वारा हेरिटेज होटल नहीं माना गया था। तथापि, विभाग द्वारा 'स' श्रेणी के हेरिटेज होटल के लिए लागू

न्यूनतम दर से लाइसेन्स फीस वसूल की गयी। अन्य होटलों, जो होटलों की श्रेणी में निम्नतम है, के लिए निर्धारित दरों तथा विभाग द्वारा प्रभारित दरों से तुलना करने पर भी वसूल की गई लाइसेन्स फीस की राशि में ₹ 1.69 करोड़ का अन्तर की गणना की गई। इस प्रकार, हेरिटेज प्रमाण-पत्र के बिना हेरिटेज होटल की दर से लाइसेन्स फीस प्रभारित करना सही नहीं था।

जब हमने यह इंगित किया, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि भारत सरकार द्वारा हेरिटेज प्रमाण-पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राज्य सरकार ने होटलों को हेरिटेज होटल की श्रेणियों में वर्गीकृत करने के दिशा-निर्देश बना रखे थे।

हमें उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि नियमों के अनुसार होटलों के वर्गीकरण के लिए भारत सरकार से हेरिटेज प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए गठित कमेटी के माध्यम से केवल हेरिटेज होटलों का वर्गीकरण किया था। तथापि, उल्लिखित अवधि में राज्य सरकार ने हेरिटेज होटलों के वर्गीकरण के लिए कमेटी भी गठित नहीं की थी। आबकारी विभाग द्वारा जल्दबाजी

में तदर्थ लाइसेन्स जारी करने से राजकोष को ₹ 1.69 करोड़ की हानि हुई जिसे लाइसेन्सधारियों से वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि भारत सरकार द्वारा हेरिटेज प्रमाण-पत्र जारी किए बिना एवं कमेटी द्वारा वर्गीकरण किए बिना हेरिटेज श्रेणी के अन्तर्गत लाइसेन्स स्वीकृत नहीं किया जाए।

5.5.11.2 पॉवर ऑफ अटार्नी की आड़ में लाइसेन्स का दुरुपयोग

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में मदिरा/डोडा-पोस्त की दुकानों को दूसरे व्यक्ति के पक्ष में पॉवर ऑफ अटार्नी करके चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, नियम 72(ब) में यह प्रावधान है कि लाइसेन्स फीस की 50 प्रतिशत राशि का सरकार को भुगतान कर मदिरा/डोडा-पोस्त विक्रय के लाइसेन्स को हस्तान्तरित कर सकते हैं। तदनुसार एक दुकान, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही हो जिसके नाम मूल लाइसेन्सधारी द्वारा पॉवर ऑफ अटार्नी निष्पादित किया गया हो, वह लाइसेन्स का अवैध हस्तान्तरण/दुरुपयोग माना जाएगा। हमने पाया कि आन्ध्रप्रदेश आबकारी (लीज, ऑफ राईट ऑफ सेलिंग बाई शॉप एण्ड कन्डीशन्स ऑफ लाइसेन्स) नियम, 2005 के नियम 14 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक दुकानों का पट्टा प्राप्त नहीं कर सकता।

जिला आबकारी कार्यालय बून्दी, चित्तौड़गढ़ एवं जयपुर (शहर) के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने देखा कि 28 दुकानों के प्रकरणों में, लाइसेन्सधारियों द्वारा पॉवर ऑफ अटार्नी बनाकर दूसरे व्यक्तियों को अनधिकृत तरीके से दुकानें चलाने की अनुमति दी गई। तथापि, विभाग द्वारा इस हस्तान्तरण पर कोई फीस प्रभारित नहीं की गयी।

जब हमने इसे इंगित किया, सरकार ने बताया (नवम्बर 2011) कि वर्तमान विधान के अनुसार लाइसेन्सधारी पॉवर ऑफ अटार्नी हस्तान्तरित कर सकता है। लाइसेन्सधारी द्वारा केवल अपने व्यापार को संचालित करने के लिए पॉवर ऑफ अटार्नी दिया गया, मालिकाना हक अथवा वैधानिक दायित्व और अधिकार लाइसेन्सधारी के पास ही रहें।

हम उत्तर को स्वीकार नहीं करते क्योंकि लाइसेन्सधारियों द्वारा अपने वैधानिक और प्रशासनिक अधिकारों को लाइसेन्स के पूर्ण वर्ष के लिए अन्य व्यक्तियों को पॉवर ऑफ अटार्नी की आड़ में हस्तान्तरित कर दिया गया जो कि लाइसेन्स के हस्तान्तरण की श्रेणी में आता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि भविष्य के लिए लाइसेन्सधारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को पॉवर ऑफ अटार्नी देने पर फीस प्रभारित किया जाना चाहिए।

5.5.12 लाइसेंस फीस की अवसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 17(द) के अनुसार आबकारी आयुक्त, एक ऐसा भण्डागार स्थापित कर सकता है या उसके लिए लाइसेंस दे सकता है जहाँ किसी भी आबकारी वस्तु को शुल्क का भुगतान किए बिना जमा किया एवं रखा जा सकता है तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम, 68(6सी)(सी) एवं नियम 13 के अनुसार मदिरा निर्माताओं द्वारा बोटलिंग प्लान्ट के लिए ₹ 5.00 लाख थोक विक्रेताओं को थोक विक्रय के लिए सम्भागीय मुख्यालयों पर ₹ 6.00 लाख एवं सम्भागीय मुख्यालयों के अलावा अन्य स्थानों के लिए ₹ 5.00 लाख लाइसेन्स फीस देय है। 2004-05 एवं उसके आगे के वर्षों के की आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार देशी मदिरा के निर्माण के लिए लाइसेन्स केवल उन निजी पार्टियों को स्वीकृत किया जायेगा जो भारत निर्मित विदेशी मदिरा भरने हेतु बोटलिंग प्लान्ट या डिस्टिलरी के कार्य का लाइसेन्स रखता हो। इसके अलावा, नियम 68(12) के प्रावधानानुसार देशी मदिरा के निर्माण के लिए लाइसेन्स फीस ₹ 1.00 लाख आरोपणीय थी।

जिला आबकारी कार्यालय, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि मैसर्स एच.एच. बोटलिंग प्लान्ट, श्री गंगानगर को दिनांक 14.01.2005 एवं मैसर्स महामाया लिकर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, उदयपुर को दिनांक 30.01.1997 को भारत निर्मित विदेशी मदिरा के बोटलिंग हेतु लाइसेन्स जारी किया गया। इसी प्रकार, इन लाइसेन्सधारियों को बन्धित भण्डागार की स्थापना के लिए क्रमशः दिनांक 13.01.2005 व 28.01.1991 को लाइसेन्स जारी किए गए। लाइसेन्सधारियों को ₹ 1.00 लाख अतिरिक्त लाइसेन्स फीस जमा कराने के पश्चात् देशी मदिरा के भराव की अनुमति दी गई। हमने देखा कि मैसर्स

महामाया लिकर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड ने 2005-06 से बोटलिंग प्लान्ट एवं बन्धित भण्डागार के लाइसेन्स का नवीनीकरण नहीं कराया एवं मैसर्स एच.एच. बोटलिंग प्लान्ट द्वारा केवल वर्ष 2005-06 के लिए अपने बोटलिंग प्लान्ट के लाइसेन्स का नवीनीकरण कराया गया।

जब हमने यह इंगित किया, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि आबकारी नीति, 2006-07 के बिन्दु संख्या-11 में यह प्रावधान है कि ऐसे बोटलिंग प्लान्ट, जो केवल देशी मदिरा का निर्माण कर रहे थे, उन्हें लाइसेन्स फीस के ₹ 1.00 लाख का भुगतान करना था। वे भारत निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माण नहीं कर रहे हैं इसलिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोटलिंग की लाइसेन्स फीस वसूली योग्य नहीं है।

सरकार का उत्तर सही नहीं है क्योंकि:

- (i) बोटलिंग प्लान्टस् को अतिरिक्त लाइसेन्स फीस ₹ 1.00 लाख जमा कराने पर देशी मदिरा की अतिरिक्त सुविधा दी गई थी;
- (ii) लाइसेन्स के नवीनीकरण न करने का कारण, भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोटलिंग न करना बताया गया था। तथापि, इन बोटलिंग प्लान्टस् द्वारा प्रति वर्ष लाइसेन्स फीस ₹ 1.00 लाख जमा करवाकर देशी मदिरा का उत्पादन जारी रखा गया। इन बोटलिंग प्लान्टस् को केवल देशी मदिरा के निर्माण की अनुमति देना अनियमित था क्योंकि यह सुविधा केवल उन बोटलिंग प्लान्टस् को अनुमत्य थी जो भारत निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माण करते हैं; तथा
- (iii) बंधित भण्डागारों के वर्ष 2005-06 से 2009-10 के मध्य की अवधि के लाइसेन्सों का नवीनीकरण नहीं कराने के कारण विभाग को ₹ 55.00 लाख का राजस्व छोड़ना पड़ा।

5.5.13 चिरे हुए डोडा-पोस्त की खेती के आंकड़े संग्रहित नहीं करना

लाइसेन्स की शर्त संख्या 1 तथा चिरे हुए डोडा-पोस्त के खुदरा व थोक व्यापार हेतु आवेदन पत्र के दिशानिर्देशों के बिन्दु संख्या 8.5 के अनुसार लाइसेन्स फीस में छूट देय नहीं है।

वर्ष 2008-09 के दौरान विभाग ने 1,348.95 हैक्टेयर क्षेत्र पर चिरे हुए डोडा-पोस्त का उत्पादन 8,821.18 क्विंटल दर्शाया था जिससे 6.54 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की दर आती है। खेती योग्य वास्तविक क्षेत्र,

1,829.71 हैक्टेयर उपलब्ध था तथा विभाग ने 480.76 हैक्टेयर से चिरा हुआ डोडा-पोस्त संग्रहित नहीं किया जिसकी मात्रा 6.54 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की दर से 3,144.17 क्विंटल बनती है। चिरे हुए डोडा-पोस्त के संग्रहण की कमी को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने 3,093.38 क्विंटल चिरा हुआ डोडा-पोस्त अन्य राज्यों से आयात करने की अनुमति प्रदान की (अक्टूबर 2008) तथा ₹ 20.00 प्रति किलोग्राम थोक लाइसेन्सधारियों को एवं ₹ 180.00 प्रति किलोग्राम खुदरा लाइसेन्सधारियों को लाइसेन्स फीस में छूट की अनुमति भी दी जो वर्ष 2008-09 में राशि ₹ 2.34 करोड़ थी।

हमारे द्वारा इसे बताये जाने पर, सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2011) कि 2008-09 में केन्द्रीय सरकार द्वारा अफीम की खेती के लिए भूमि का आवंटन कम कर देने से चिरे हुए डोडा-पोस्त का कम संग्रहण हुआ। हमें उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विभाग, सम्पूर्ण आवंटित भूमि से चिरा हुआ डोडा-पोस्त संग्रहण करने में असफल रहा है तथा चिरे हुए डोडा-पोस्त के आयात पर दी गई छूट लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार अनियमित थी।

5.5.14 प्रासव के अनियमित लेखांकन के कारण राजस्व की हानि

राजस्थान डिस्टलरी नियम, 1977 के नियम 113 के अनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के बिना, लेखों के लिए निर्धारित पंजिकाओ एवं प्रपत्रों को नहीं बदला जा सकता है। लीटर एवं डिग्री या तीव्रता की सभी भिन्नों को दशमलव के प्रथम नजदीकी अंक तक दर्शाया जाएगा ताकि तीव्रता परिवर्तन की व्यवस्था में एकरूपता लाई जा सके।

जिला आबकारी कार्यालय, अलवर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि दो इकाइयों अर्थात् बीम ग्लोबल स्पिट (ई) प्राईवेट लिमिटेड और परनार्ड रिकार्ड (ई) प्राईवेट लिमिटेड, बहरोड़ ने अपने लेखों में प्रासव की तीव्रता को दशमलव के एक स्थान की जगह दशमलव के चार स्थानों

तक दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप लेखों में 2,425.295 लन्दन पुफ लीटर सान्द्रित प्रासव को कम दर्शाया गया⁸ जिससे आबकारी राजस्व ₹ 12.13 लाख से वंचित होना पड़ा।

जब हमने यह इंगित किया, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) की नियम 113 के प्रावधान केवल लेखों में एकरूपता लाने के लिये है न कि आबकारी शुल्क की वसूली के लिये।

हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आबकारी शुल्क की संगणना लेखों में दर्शायी गई प्रासव की मात्रा के आधार पर की जाती है तथा नियम 113 के अनुसार दशमलव के एक स्थान तक प्रासव की तीव्रता को दर्शाया जाना बाध्यकारी है। इसके अतिरिक्त, लेखांकन प्रक्रिया में आबकारी आयुक्त के स्पष्ट आदेशों के बिना कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

5.5.15 परमिट फीस का अनारोपण/कम आरोपण

5.5.15.1 परमिट फीस की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69(बी) के अनुसार देशी मदिरा के निर्माण के लिए राज्य में परिवहनित शोधित प्रासव, एकसट्टा न्यूट्रल एल्कोहल, तेज सुगन्ध प्रासव एवं समान प्रकार के प्रासव/एल्कोहल पर ₹ 2.50 प्रति बल्क लीटर परमिट फीस देय होगी।

जिला आबकारी कार्यालय जयपुर (ग्रामीण), श्रीगंगानगर एवं उदयपुर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि चार बोटलिंग प्लान्ट्स⁹ ने देशी मदिरा के निर्माण के लिए राज्य में स्थित डिस्टलरीज¹⁰ से शोधित प्रासव/

⁸ उदाहरणार्थ एक डिस्टलरी द्वारा प्राप्त की गई 24,133 बल्क लीटर प्रासव जिसकी शक्ति 5.1524 ऑवर प्रूफ थी। राजस्थान डिस्टलरी नियम, 1977 के नियम, 113 के अनुसार मात्रा का लेखांकन नहीं करने के कारण उसे 25,387.92 लन्दन पुफ लीटर (24,133x 105.2 x100) दर्शाने के बजाय 25,376.43 लन्दन पुफ लीटर (24,133x 105.1524x100) दर्शाया गया परिणामस्वरूप 11.49 लन्दन पुफ लीटर कम दर्शाया गया।

⁹ नैशनल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जेतपुरा, राजस्थान लिकरस, कालाडेरा (जयपुर ग्रामीण), एच.एच. बाटलिंग प्लांट (श्री गंगानगर) तथा महामाया लिकर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड (उदयपुर)।

¹⁰ ग्लोबस् स्पीटस् लिमिटेड, विन्टेज डिस्टलर्स लिमिटेड (अलवर) एवं एग्रीबायोटेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (सीकर)।

एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल का आयात किया, लेकिन 2006-07 से 2009-10 के दौरान 238 परमितों पर, जिसमें 45,88,000 बल्क लीटर शोधित प्रासव/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल निहित था, कोई परमित फीस वसूल नहीं की गई। परिणामस्वरूप परमित फीस के ₹ 1.15 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

जब हमने यह इंगित किया, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि आबकारी नीति, 2006-07 के बिन्दु संख्या 11 की अनुपालना में विभाग ने अपने दिनांक 12.04.2006 के पत्र में निर्देश जारी किए थे जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि स्थानीय डिस्टिलरीज को स्थानीय बोटलर्स के साथ फ्रेन्चाइजी व्यवस्था करने की अनुमति दी जाए। इस व्यवस्था द्वारा बोटलर को शोधित प्रासव के विक्रय पर लगने वाले परिवहन प्रभारों एवं परिवहन फीस को बचाने की अनुमति दी गई क्योंकि फ्रेन्चाइजी स्थिति में कोई विक्रय नहीं होता है क्योंकि बोटलर डिस्टीलर की तरफ से डिस्टीलर के ब्राण्ड की भराई करता है। सरकार ने आगे जबाब दिया कि दिनांक 13.08.2007 को इसकी दो अधिसूचनाओं द्वारा दिनांक 17.09.2005 से 13.08.2007 तक परमित फीस की छूट दी गई थी। इसके पश्चात् सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05.05.2008 द्वारा बोटलिंग फीस में वृद्धि कर दी गयी, इसके पश्चात् परमित फीस देय नहीं है।

हम उत्तर स्वीकार नहीं करते क्योंकि:

- (i) आबकारी नीति, 2006-07 के बिन्दु संख्या 11, परमित फीस से सम्बन्धित नहीं है बल्कि यह राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति से सम्बन्धित है।
- (ii) दर्शाई गई दो अधिसूचनाएँ उन डिस्टिलरीज से सम्बन्धित हैं जिनके स्वयं के परिसर में बोटलिंग प्लान्ट स्थित है एवं अन्य बोटलर्स पर लागू नहीं है।
- (iii) अधिसूचना दिनांक 05.05.2008 परमित फीस की छूट से सम्बन्धित नहीं थी बल्कि यह बोटलिंग फीस में वृद्धि करने के सम्बन्ध में थी। विभाग द्वारा आज दिनांक तक फ्रेन्चाइजी व्यवस्था के तहत प्रासव के परिवहन पर परमित फीस हटाने के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

इस प्रकार विभाग द्वारा बोटलर्स को अनियमित रूप से लाभान्वित किया गया।

5.5.15.2 मदिरा निर्माण से भिन्न प्रयोजन हेतु आयातित शोधित प्रासव पर परमित फीस की कम वसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69(बी) के परन्तुक 2(बी) के अनुसार मदिरा आदि निर्माण से भिन्न प्रयोजनार्थ शोधित प्रासव के आयात पर ₹ 15.00 प्रति बल्क लीटर परमित फीस देय है।

जिला आबकारी कार्यालय (अभियोजन), जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर के अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया कि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल की चार विनिर्माण इकाईयों ने देशी मदिरा के निर्माण के लिए ₹ 3.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परमित फीस का

भुगतान करके शोधित प्रासव का आयात किया तथा इसे अन्य को मदिरा निर्माण से भिन्न प्रयोजनार्थ विक्रय किया जिस पर ₹ 15.00 प्रति बल्क लीटर परमिट फीस प्रभार्य थी। ये इकाइयां ₹ 25.97 लाख परमिट फीस भुगतान करने के लिये दायी थी जिसके विरुद्ध विभाग ने ₹ 5.66 लाख वसूल किये, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.31 लाख की कम वसूली हुई।

विभाग ने शोधित प्रासव के अन्तिम उपयोग पर निगरानी रखने हेतु कोई तन्त्र स्थापित नहीं कर रखा है जिसके कारण विभाग इस स्थिति में नहीं था कि उन इकाइयों द्वारा की गई शोधित प्रासव की ऐसी बिक्री पर ₹ 15.00 प्रति बल्क लीटर की दर से फीस वसूल कर सके। उन इकाइयों ने भी देय फीस की राशि का भुगतान स्वतः नहीं किया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि वसूली कर ली जावेगी।

5.5.16 फीस का अप्रभावी संग्रहण

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 70 के अनुसार वसूलनीय परमिट फीस व वेण्ड फीस सरकारी लेखों में अग्रिम जमा करानी होती है।

जिला आबकारी कार्यालय, जयपुर (शहर) के अभिलेखों की मापक जाच में हमने पाया कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के खुदरा विक्रेताओं को निर्धारित प्रोफार्मा में बिल एवं ट्रांजिट

पास जारी करने के लिए राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड को अधिकृत किया गया था (12.05.2006)। सरकार ने पत्र दिनांक 24.04.2006 द्वारा राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड को खुदरा विक्रेताओं को बिल एवं ट्रांजिट पास जारी करते समय ही उनसे परमिट फीस व वेण्ड फीस का संग्रह कर सप्ताह में एक बार सरकारी लेखों में जमा कराने की अनुमति प्रदान की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त पत्र राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 70 के प्रावधानों के विपरीत जारी किया गया था। इसके अलावा, राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड ने खुदरा विक्रेताओं से संग्रहित परमिट फीस व वेण्ड फीस को सात से 33 दिनों के विलम्ब से सरकारी लेखों में जमा कराया था।

हमारे द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड सरकारी स्वामित्व की कम्पनी है अतः ब्याज वसूलना न्यायसंगत नहीं है।

हम सिफारिश करते हैं कि विभाग को राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड से मदिरा के विक्रय के समय ही आबकारी राजस्व संग्रह कर अलग चालान से सीधे ही सरकारी लेखों में जमा कराना चाहिये।

5.5.17 नियम एवं नीतियाँ

5.5.17.1 बन्धपत्राधीन परिवहनित मदिरा के आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति

राजस्थान आबकारी नियम, 1956, राजस्थान ब्रेवरीज नियम, 1972, राजस्थान डिस्टिलरी नियम, 1977 एवं 1986 में अधिसूचित बन्धित भण्डागार की स्थापना या लाइसेन्स की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार पूर्व में शुल्क चुकाए बिना मदिरा, बीयर या शोधित प्रासव के बन्धपत्राधीन परिवहन हेतु लाइसेन्सधारी द्वारा बन्धपत्र का निष्पादन किया जायेगा। लाइसेन्सधारी मदिरा की नियत स्थान या गन्तव्य पर तय समयावधि में सुपुर्दगी के साक्ष्य के रूप में आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र, बन्धपत्र मुक्ति से पूर्व प्रस्तुत करेगा। यदि बन्धपत्र या पारपत्र (पास) में वर्णित समयावधि में आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो तत्समय लागू दर से असुपुर्द/कम सुपुर्द मात्रा पर आबकारी शुल्क वसूलनीय है।

- जिला आबकारी कार्यालय, अलवर, जयपुर (ग्रामीण) एवं सीकर के अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया कि आठ निर्माता इकाइयों¹¹ द्वारा 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान 21,61,224 बल्क लीटर बीयर एवं 10,39,800 लन्दन प्रुफ लीटर एकसट्रा न्यूट्रल एल्कोहल राज्य के बाहर तथा 85,59,561 लन्दन प्रुफ लीटर शोधित प्रासव/ एकसट्रा न्यूट्रल एल्कोहल एवं

1,57,85,964 लन्दन प्रुफ लीटर देशी मदिरा राज्य के भीतर बन्ध-पत्रों के अधीन परिवहनित की गई जिसमें आबकारी शुल्क, राज्य के बाहर के लिए

¹¹ मैसर्स एग्रीबायोटेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कार्लसबर्ग इण्डिया लिमिटेड, दीवान मार्टन ब्रेवरी, ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड, एच.एस.बी. एग्री इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर डिस्टिलरी, लिमिटेड, एवं युनाईटेड ब्रेवरी।

₹ 26.02 करोड़ एवं राज्य के भीतर के लिए ₹ 329.69 करोड़ निहित था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

डिस्टिलरीज/ ब्रेवरीज का नाम	शोधित प्रासव				देशी मदिरा		बीयर	
	राज्य के भीतर		राज्य के बाहर		राज्य के भीतर		राज्य के बाहर	
	परमितो की संख्या	लन्दन पुफ लीटर में मात्रा (आबाकरी शुल्क ₹ में)	परमितो की संख्या	लन्दन पुफ लीटर में मात्रा (आबाकरी शुल्क ₹ में)	परमितो की संख्या	लन्दन पुफ लीटर में मात्रा (आबाकरी शुल्क ₹ में)	परमितो की संख्या	लन्दन पुफ लीटर में मात्रा (आबाकरी शुल्क ₹ में)
जयपुर डिस्टिलरी	113	26,16,160 (44,47,47,200)	4	1,49,400 (2,53,98,000)	389	12,60,360 (14,70,46,201))	-	-
ग्लोबस स्पिरिटस्	15	5,58,049 (9,48,68,303)	-	-	2,172	83,11,284 (96,96,77,504)	-	-
एग्रीबायोटेक इण्डस्ट्रीज	112	36,27,520 (61,66,78,400)	19	5,10,720 (8,68,22,400)	-	-	-	-
एच.एस.बी. एग्रो इन्डस्ट्रीज	60	17,57,832 (29,88,31,440)	12	3,79,680 (6,45,45,600)	1,918	62,14,320 (72,50,24,714)	-	-
मार्डन ब्रेवरी	-	-	-	-	-	-	160	14,46,405 (5,41,33,828)
युनाईटेड ब्रेवरी	-	-	-	-	-	-	43	3,24,372 (1,45,43,044)
कार्लसबर्ग इण्डिया	-	-	-	-	-	-	47	3,10,226 (1,14,64,703)
रोचीज ब्रेवरी	-	-	-	-	-	-	14	80,221 (33,14,447)
योग	300	85,59,561 (1,45,51,25,343)	35	10,39,800 (17,67,66,000)	4,479	1,57,85,964 (1,84,17,48,419)	264	21,61,224 (8,34,56,022)

स्रोत: सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई।

यद्यपि लाइसेन्सधारियों द्वारा आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र एक से पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये, विभाग नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने से असफल रहा।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2011) कि डाक की देरी के कारण आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र विलम्ब से प्राप्त हुए। सरकार ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा अवधि के ₹ 78.62 करोड़ के आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं तथा शेष आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र भी समय से प्राप्त हो जायेंगे।

हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक सप्ताह से अधिक का डाक विलम्ब औचित्यपूर्ण नहीं है। विभाग, आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण की निगरानी के प्रति गम्भीर नहीं था तथा जिसके कारण लाइसेन्सधारियों ने भी आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब किया था।

• जिन प्रकरणों में आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं हुए थे उनमें से दो इकाइयों¹² द्वारा प्रेषित मदिरा की, गन्तव्य पर प्राप्ति के साथ प्रति-सत्यापन करने का हमने प्रयास किया। हमारे द्वारा किये गये प्रति-सत्यापन में पता चला कि एक परमिट (2009-10) जिसमें 33,600 लन्दन पुफ लीटर प्रासव निहित था, जाली पाया गया तथा छः परमिट (2008-09), जिनके द्वारा 2,01,600 लन्दन पुफ लीटर प्रासव प्रेषित किया था, की गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी नहीं हुई थी। इन परमितो में (2,35,200 लन्दन पुफ लीटर) ₹ 4.00 करोड़ का शुल्क निहित था। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 37(2) के अन्तर्गत शुल्क ₹ 4.00 करोड़ मय शास्ति वसूल करने की आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि मैसर्स एग्रोबायोटेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं मैसर्स एच.एस.बी. एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सीकर ने 2006-07 से 2010-11 के दौरान शोधित प्रासव/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल का निर्यात किया, उनमें से 79 परमितो में, जिनमें 19,82,400 लन्दन पुफ लीटर शोधित प्रासव/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल निहित था, जाली पाये गये और 2,35,200 लन्दन पुफ लीटर शोधित प्रासव/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, जो सात वैध परमितो से परिवहनित किया गया, गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँचा था। विभाग ने नवम्बर 2010, दिसम्बर 2010 एवं जनवरी 2011 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी थी तथा उपरोक्त डिस्टलरीज के विरुद्ध ₹ 37.70 करोड़ की शास्ति आरोपित की गई थी जिसमें से ₹ 6.50 करोड़ की वसूली हो गई थी।

यदि हम 2009-10 तक हमारे द्वारा सत्यापित सात परमित को अलग कर दे, यह देखा जा सकता है कि शोधित प्रासव/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर शुल्क की राशि ₹ 37.70 करोड़ वसूल नहीं हुई थी। विभाग ने उत्तर में आबकारी शुल्क की वसूली के संबंध में भी संकेत नहीं दिये।

सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रासव/मदिरा के अगले प्रेषण की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब पूर्व प्रेषण के आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाये। सरकार, आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र समय पर प्राप्त करने का दायित्व भी इकाईयों पर निर्धारित करे।

5.5.17.2 मदिरा की मद्यसंयम नीति के क्रियान्वयन का अभाव

2005-06 से 2009-10 तक की आबकारी नीतियों के अनुसार राज्य सरकार को मदिरा की मद्यसंयम नीति का क्रियान्वयन करना था जिसके अन्तर्गत मदिरा के हानिकारक प्रभाव को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित (विज्ञापित) करके मदिरा की खपत को कम करना था।

आबकारी आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि गत पांच वर्षों के दौरान मदिरा की खपत 1,465.35 लाख बल्क लीटर (2005-06) से 2,227.22 लाख बल्क लीटर (2009-10) तक 52 प्रतिशत बढ़ी है। यह दर्शाता है

¹² मैसर्स एच.एस.बी. एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, रीगस तथा मैसर्स एग्रोबायोटेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, अजीतगढ़।

कि विभाग द्वारा मदिरा की मद्यसंयम नीति का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया गया था। विभाग द्वारा मदिरा की मद्यसंयम नीति के क्रियान्वयन हेतु की गयी कार्यवाही, वर्षवार बजट प्रावधान एवं उसके विरुद्ध किये गये व्यय से सम्बन्धित विस्तृत सूचना हमें उपलब्ध नहीं करायी गयी।

हमारे द्वारा इंगित करने पर, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि मदिरा की खपत, आबादी एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ने तथा अवैध मदिरा पर नियन्त्रण के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के कारण बढ़ी है। समापन परिचर्चा में सरकार ने बताया कि इसके अतिरिक्त, मदिरा की दुकानों को रात 8.00 बजे बन्द करना लागू किया, मदिरा की बोटलो के लेबलो पर, मदिरा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, की चेतावनी तथा मदिरा की दुकानों की अवस्थिति, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थानों तथा कमजोर वर्ग की बस्तियों से दूर रखी जाती है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सरकार ने मदिरा की मद्यसंयम नीति की प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए न तो बजट प्रावधान रखे तथा न ही मदिरा सेवन के हानिकारक प्रभावों को विज्ञापित कराया।

हम सिफारिश करते हैं कि सरकार, मद्यसंयम नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मदिरा सेवन के हानिकारक प्रभावों को विज्ञापित करे।

अन्य रोचक बिन्दु

5.5.18 आबकारी तालो की अपर्याप्त आपूर्ति

सरकार द्वारा दिनांक 22.01.1986 को अधिसूचित बंधित भण्डागार की स्थापना या लाइसेन्स की शर्तों एवं प्रतिबन्धों की शर्त संख्या 12 व 13 के अनुसार मदिरा के आवक-जावक के पाइप, भण्डार टैंक एवं सभी पात्र जो मदिरा के भण्डारण में काम आते हैं ऐसे टैंक या पात्र के सभी मुख्य दरवाजे तथा प्रासव भण्डार के सभी दरवाजे ऐसे लगाये जाएंगे जिनमें आबकारी आयुक्त के द्वारा अनुमोदित तरीके के आबकारी ताले लगाये जा सके। सभी भवनों या कमरों, जिनका उपयोग प्रासव के भण्डारण के लिए किया जाता है, में दो ताले उपलब्ध कराये जाएंगे। उनकी तालियाँ ऐसी हो जो परस्पर बदली नहीं जा सके तथा उनमें एक ताला आबकारी ताला होगा जो कार्यालय प्रभारी के प्रभार में तथा दूसरा ताला बंधित भण्डागार स्वामी के प्रभार में होगा।

दस जिला आबकारी कार्यालयों¹³ के अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया कि विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान वांछित संख्या में आबकारी ताले

¹³ अलवर, बांरा, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जयपुर (ग्रामीण), जयपुर (अभियोजन), झालावाड़, सीकर, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर।

उपलब्ध नहीं कराये गये थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(संख्या में)

वर्ष	वांछित आबकारी ताले	विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ताले	कमी
2005-06	258	14	244
2006-07	270	20	250
2007-08	274	13	261
2008-09	276	13	263
2009-10	268	15	253
योग	1,346	75	1,271

वांछित 1,346 तालो के विरुद्ध केवल 75 ताले (5.6 प्रतिशत) उपलब्ध कराये गये थे। वांछित आबकारी ताले उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, प्रासव के दुरुपयोग एवं रिसाव से इन्कार नहीं किया जा सकता।

हमारे द्वारा इंगित करने पर, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि इकाइयों की आवश्यकता के अनुसार आबकारी ताले मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये थे। आबकारी ताला की उपलब्धता में नामी कम्पनीयों के ताले काम में लिये गये थे तथा चाबीयाँ आबकारी विभाग के पास रही थी। इसके अलावा, 25 आबकारी ताले भण्डार में उपलब्ध है जिन्हें इकाइयों द्वारा आवश्यकता होने पर जारी किया जायेगा। सरकार ने आगे बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से नवीन उच्च तकनीकी प्रणाली को अपनाया गया था।

हमे उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि 2005-06 से 2009-10 के दौरान विभाग द्वारा मात्रा 5.6 प्रतिशत मांग की ही आपूर्ति की गई थी। इसके फलस्वरूप भण्डार से मदिरा के प्रेषण पर विभाग के नियन्त्रण का अभाव रहा तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1977 के नियम 38 से 50 की अनुपालना नहीं हुई।

5.5.19 संस्थापन प्रभारो की अवसूली

राजस्थान डिस्टलरी नियम, 1977 के नियम 21 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त डिस्टलरी के प्रभार हेतु आबकारी विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। ऐसे अधिकारियों के वेतन का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा परन्तु यदि वार्षिक संस्थापन प्रभार, देय वर्ष के दौरान राज्य के भीतर डिस्टलरी से जिलों को जारी के 10 प्रतिशत एवं राज्य से निर्यातित मदिरा पर देय निर्यात शुल्क के 60 प्रतिशत की राशि से अधिक हो तो अधिक व्यय डिस्टलरी से वसूल किया जायेगा।

तीन जिला आबकारी कार्यालयों¹⁴ के अभिलेखों की मापक जाँच में पाया कि तीन¹⁵ डिस्टलरीज में नियुक्त आबकारी विभाग के अधिकारियों के वर्ष 2005-06 से

¹⁴ अलवर, जयपुर (ग्रामीण) एवं श्रीगंगानगर।

¹⁵ ग्लोबस स्प्रिट्स लिमिटेड बहरोड़ (अलवर), जयपुर डिस्टलरी, कोटपूतली (जयपुर) तथा और राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल डिस्टलरी, श्रीगंगानगर।

2009-10¹⁶ की अवधि के संस्थापन प्रभारों की अधिक लागत राशि ₹ 50.05 लाख की मांग कायम नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप संस्थापन प्रभारों की अधिक लागत ₹ 50.05 लाख की अवसूली रही। जिला आबकारी अधिकारी सीकर के क्षेत्राधिकार में स्थित दो डिस्टिलरीज की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी।

हमारे द्वारा इंगित करने पर, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि जयपुर डिस्टिलरीज के मामलों में वसूली की जा रही है तथा ग्लोबस स्पिरिट्स के मामलों में जिला आबकारी अधिकारी, अलवर को राजस्व प्राप्ति एवं संस्थापन व्यय को जाँचने हेतु निर्देश दिये गये हैं एवं तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। विभाग ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा ने राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल डिस्टिलरी श्रीगंगानगर के विरुद्ध भी आक्षेप बनाया है, जो सही नहीं है क्योंकि संस्थापन प्रभार सम्पूर्ण राजस्थान में प्राप्त राजस्व के परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए था।

हमें उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल देशी मदिरा का विक्रय उसके द्वारा पूरे राजस्थान में स्थापित बंधित भण्डागारों द्वारा करती है जो उसी के द्वारा उत्पादित है जबकि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल डिस्टिलरी शोधित प्रासव व भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उत्पादन करती है। संस्थापन प्रभार का समायोजन, भारत निर्मित विदेशी मदिरा के उस शुल्क के प्रतिशत के विरुद्ध नहीं किया जा सकता जो दूसरी इकाई द्वारा किया गया है। अतः राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल डिस्टिलरी तथा ग्लोबस स्पिरिट्स डिस्टिलरी से वसूली की जानी चाहिए।

5.5.20 सरकारी प्राप्तियों को लेखों से बाहर रखना

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 5 व 7 तथा राजस्थान राज्य कोषागार नियम के नियम 9 के अनुसार सरकारी राजस्व के रूप में कर्मचारी द्वारा प्राप्त या प्रस्तुत सभी सरकारी धनराशि को शीघ्र पूर्ण रूप से कोषागार या बैंक में संचित निधी और/या लोक लेखों में जमा कराना होगा। इसके अलावा, सभी धन संव्यवहारों की प्रविष्टि प्राप्त होते ही रोकड़ पुस्तिका में की जावेगी तथा उसकी शुद्धता कि जांच हेतु कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित की जावेगी।

जिला आबकारी कार्यालय बांरा, जयपुर (शहर), झालावाड़ तथा नागौर के वर्ष 2005-06 से 2009-10 के अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया कि ₹ 22.89 करोड़ के 5,181 बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति जमा, आवेदन फीस, ठेका राशि आदि के प्राप्त किये गये थे। इन ड्राफ्ट्स को सरकारी लेखों में दो से 140 दिनों के विलम्ब से जमा कराया गया।

हमारे द्वारा इंगित करने पर, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि कर्मचारी बन्दोबस्त में व्यस्त थे, इसलिये ड्राफ्ट समय पर जमा नहीं हो सके। भविष्य में ड्राफ्ट समय पर जमा करा दिये जायेंगे।

हम सिफारिश करते हैं कि सरकार आबकारी राजस्व को सरकारी लेखों में जमा कराने की ऐसी समुचित व्यवस्था करे जिससे ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति ना हो।

¹⁶ जयपुर डिस्टिलरी से सम्बन्धित वर्ष 2005-06 से 2007-06 के आंकड़े हमें उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

5.5.21 न्यायालय में प्रकरणों को समय से प्रस्तुत न करना

राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 67(2) में प्रावधान है कि दर्ज अपराधिक प्रकरणों को एक वर्ष व्यतीत होने से पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। निश्चित समयावधि के व्यतीत होने के पश्चात् प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व, सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

हमने पाया कि जिला आबकारी कार्यालय जयपुर (ग्रामीण) में 169 प्रकरणों में से 18 प्रकरण, जो 2007-08 से 2008-09 की अवधि में आबकारी प्रवर्तन थाना जयपुर (ग्रामीण) से सम्बन्धित थे, को समय से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया

गया। हमारे द्वारा इंगित करने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 2011) कि चार प्रकरणों में उचित स्वीकृति मिल चुकी है तथा शेष 14 प्रकरण, स्वीकृति हेतु सरकार को भिजवा दिये गये हैं।

हमने देखा कि प्रकरणों को एक वर्ष में प्रस्तुत करने की कार्यवाही में विलम्ब के कारण उन्हें सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जाना आवश्यक हो गया जिससे दर्ज प्रकरणों में कार्यवाही करने में आगे और विलम्ब हो जायेगा। प्रकरणों को न्यायालय में समय पर प्रस्तुत नहीं करने से अपराधी को न्यायालय से बचने/भागने में मदद मिलती है तथा उसका अपराध साबित करने वाले आवश्यक सबूतों के नष्ट करने की सम्भावना रहती है।

हमारे द्वारा इंगित करने पर, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) कि इस प्रकरण से जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

हम सिफारिश करते हैं कि ऐसे विलम्ब से बचने के लिए उचित निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

5.5.22 आन्तरिक नियन्त्रण

आन्तरिक नियन्त्रण, कानूनों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों के समुचित प्रवर्तन के लिये उचित आश्वासन प्रदान करते हैं। आन्तरिक नियन्त्रण संरचना, त्वरित एवं कुशल सेवाओं के लिये विश्वसनीय वित्तीय और प्रबन्ध सूचना प्रणाली के निर्माण में तथा कर एवं फीस के अपवंचन के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिये मदद करता है। इसके अलावा, आन्तरिक नियन्त्रण के घटकों की पर्याप्तता राजस्व के रिसाव की खामियों को दूर करने में महत्वपूर्ण उपचारात्मक भूमिका निभाते हैं।

5.5.22.1 निगरानी की कमी

राज्य आबकारी विभाग राज्य के कुल कर राजस्व में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान करता है। राजस्थान आबकारी नियमावली, 1988 में अधीनस्थ कार्यालयों के पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण हेतु अतिरिक्त आबकारी आयुक्त से पैट्रोलिंग अधिकारी के स्तर तक निरीक्षण की विस्तारित निरीक्षण व्यवस्था निर्धारित की गई है। मासिक, तिमाही, वार्षिक आदि निरीक्षण के मानक भी निश्चित किये गये हैं। आबकारी आयुक्त के कार्यालय में एक पंजिका, जिसमें प्रत्येक अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षणों का विवरण हो, भी संधारित की जायेगी। प्रत्येक निरीक्षण में उठाये गये बिन्दुओं की अनुपालना जांचने हेतु पृथक से एक पत्रावली रखी जावेगी।

आबकारी आयुक्त के कार्यालय तथा 16 में से पाँच जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जाँच में हमने देखा कि न तो आबकारी आयुक्त कार्यालय में निरीक्षण पंजिका का संधारण किया जा रहा था तथा न ही सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के अभिलेख संधारित किये जा रहे थे। अतः आबकारी आयुक्त के स्तर पर निरीक्षण की निगरानी की क्षमता का आंकलन हमारे द्वारा नहीं किया जा सका।

5.5.22.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

विभाग में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा है जिसका प्रमुख वित्तीय सलाहकार होता है तथा तीन आन्तरिक लेखापरीक्षा दल हैं। प्रत्येक दल में एक या दो सहायक लेखा अधिकारी तथा एक कनिष्ठ लेखाकार होता है। विभाग की आय एवं व्यय का प्रत्येक मद, लेखापरीक्षा का विषय है। आन्तरिक लेखापरीक्षा दल निरीक्षण प्रतिवेदन आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं।

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा जारी एवं निर्णित अनुच्छेदों की वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ लाखों में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	कुल	निपटारा	अन्तिम शेष	निपटारों का प्रतिशत	
	आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुच्छेद) राशि	आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुच्छेद) राशि	आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुच्छेद) राशि	आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुच्छेद) राशि	आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुच्छेद) राशि	आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनुच्छेद
2005-06	194 (1094) 306.52	17 (198) 87.44	211 (1292) 393.96	6 (300) 16.71	205 (992) 391.62	2.84	23.22
2006-07	205 (992) 391.62	3 (29) 187.25	208 (1021) 578.87	11 (180) 48.71	197 (841) 530.16	5.29	1.76
2007-08	197 (841) 530.16	7 (144) 0.89	204 (985) 531.09	10 (82) 4.67	194 (903) 526.38	4.90	8.25
2008-09	194 (903) 526.38	8 (160) 8.80	202 (1063) 535.18	38 (397) 0.38	166 (666) 534.80	18.81	37.35
2009-10	166 (666) 534.80	20 (322) 16.01	186 (988) 550.81	43 (238) 7.51	143 (750) 543.30	23.12	24.09

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि 2005-06 से 2009-10 के दौरान प्रतिवर्ष 40 इकाइयों के विरुद्ध तीन से 20 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई जबकि आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का निस्तारण 2.84 (2005-06) एवं 23.12 (2009-10) प्रतिशत के मध्य तथा अनुच्छेदों का निस्तारण 1.76 (2006-07) एवं 37.35 (2008-09) प्रतिशत के मध्य रहा।

हमारे द्वारा इंगित करने पर, सरकार ने बताया (अगस्त 2011) की कर्मियों की कमी के कारण सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी तथा 2010-11 में रिक्तियों के भरने के बाद केवल 39 इकाइयाँ ही 31 अगस्त 2011 को लेखापरीक्षा हेतु बकाया थी। हम सुझाव देते हैं कि अनुभवी जानकार कर्मचारियों को पदस्थापित किया जावे, जो आन्तरिक लेखापरीक्षा को प्रभावी रूप से सम्पन्न कर सुधार ला सके।

हम सिफारिश करते हैं कि आन्तरिक लेखापरीक्षा नियन्त्रण तंत्र को बेहतर वित्तीय प्रबन्ध हेतु सुदृढ़ किया जावे।

5.5.23 निष्कर्ष

हमने देखा कि विभाग में 10 वर्षों से अधिक से भारी मात्रा में राजस्व बकाया लम्बित है। यद्यपि, यह विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दोहराया गया था, विभाग ने अनाज से प्रासव के न्यूनतम उत्पादन के मापदण्ड तय नहीं किये थे। लाइसेन्स फीस, ब्राण्ड फीस, आबकारी शुल्क तथा ब्राण्ड लेबल फीस का नियमों के विरुद्ध अनारोपण/कम आरोपण के भी कई प्रकरण हमारे ध्यान में आये। इसके अलावा, विभाग ने कई होटलों को हेरिटेज श्रेणी के अधीन मदिरालय लाइसेन्स जारी कर तथा हेरिटेज मदिरा के उत्पादन में डिस्टिलरी को अमान्य क्षति का अनुचित लाभ दिया। विभाग, आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र के समय पर प्रस्तुतीकरण पर निगरानी नहीं रख रहा था। आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा सम्पन्न आन्तरिक लेखापरीक्षा में सुधार हुआ था।


5.5.24 सिफारिशों का सार

सरकार को संबंधित अनुच्छेद के नीचे वर्णित सिफारिशों को लागू करने के साथ-साथ राज्य आबकारी शुल्क के प्रभावी आरोपण एवं संग्रहण हेतु निम्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सरकार विचार करें:

- अनाज से प्रासव के न्यूनतम उत्पादन के मापदण्ड निर्धारण के लिए;
- अनुमत्य क्षति को दूरी के साथ जोड़ने के लिए;
- लाइसेन्सधारी द्वारा अन्य व्यक्ति को पॉवर ऑफ अटॉर्नी देने पर फीस वसूलने के लिए;
- आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुतीकरण के लिए समय सीमा तथा आरोपणीय शास्ति की दर के सम्बन्ध में मार्गदर्शन जारी करने के लिए। इसके अलावा पूर्व में प्रेषित प्रासव/मदिरा की रसीद प्राप्त हो जाने के बाद ही पुनः प्रेषित करने के लिए;
- मध्यसंयम नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मदिरा/चिरे हुए ड़ोडा-पोस्त/भाग के हानिकारक प्रभावों को बड़ी संख्या में लोगों को बताने के लिए विज्ञापित करने के लिए; तथा
- बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के लिए आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए।

अध्याय-VI
कर-इतर प्राप्तियाँ



कार्यकारी सारांश : अध्याय-VI

कर-इतर राजस्व संग्रहण में वृद्धि	वर्ष 2010-11 में राजस्थान सरकार के कर-इतर राजस्व विगत वर्ष के दौरान ₹ 4558.22 करोड़ की तुलना में ₹ 6294.12 करोड़ रहा। विगत वर्ष से वर्ष 2010-11 में कर-इतर राजस्व में 38 प्रतिशत बढ़ोतरी रही।
हमारे द्वारा पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाए गए मामलों पर विभाग द्वारा कम वसूली	अवधि 2005-06 से 2009-10 के दौरान हमने 109 अनुच्छेदों में ₹ 1135.19 करोड़ के निहित राजस्व प्रकरणों को दर्शाया था। उनमें से 73 अनुच्छेदों के लेखापरीक्षा आक्षेपों में समावेशित ₹ 366.29 करोड़ को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और 27 अनुच्छेदों में ₹ 24.52 करोड़ की अब तक वसूली की जा चुकी है। स्वीकार किये गये मामलों में वसूली मात्र सात प्रतिशत रही।
आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों में पाया कि लगभग सभी खनि इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से लम्बित है। यह परिणाम में विभाग में कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण से राजस्व के पर्याप्त रिसाव का प्रभाव पड़ा। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में, विभागीय अधिकारी, प्रणालियों के दुष्क्रियान्वयन, राजस्व अपवंचना/छीजत के क्षेत्रों के प्रति अनभिज्ञ रहे, और इसलिए समय पर सुधारात्मक प्रयास करने का कोई मौका प्राप्त नहीं हुआ।
वर्ष 2010-11 में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2010-11 में हमने खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम, उपनिवेशन, सामान्य प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मापक जाँच की व 3,842 प्रकरणों में ₹ 1,150.61 करोड़ की राशि की राजस्व अवसूली/कम वसूली पाई। खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग ने 2,242 प्रकरणों में ₹ 29.48 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 23.70 करोड़ के 1,738 प्रकरण वर्ष 2010-11 के दौरान एवं शेष पूर्व वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 704 प्रकरणों में ₹ 5.77 करोड़ की वसूली की, जो पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थी तथा वर्ष 2010-11 के स्वीकार किये गये मामलों में कोई वसूली नहीं की गई।

<p>इस अध्याय में हमने क्या उजागर किया है</p>	<p>इस अध्याय में हमने खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम, उपनिवेशन, सामान्य प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमारे ध्यान में आए हुए आक्षेपों में से ₹ 158 करोड़ के राजस्व निर्धारण व संग्रहण की हानि से संबंधित उद्धृत मामलों को प्रस्तुत किया है, जिनमें हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप अप्रधान खनिज के लिए लाईम स्टोन खनन पट्टे की अनियमित स्वीकृति, ऐसे खनन पट्टेधारियों को जिनके पास पूर्व में ही दो खनन पट्टे थे को खनन पट्टा स्वीकृत कर पट्टेदारों को अदेय लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त खनिजों के उत्खनन करने की मात्रा पर नियन्त्रण नहीं था, आठ खनन पट्टाधारकों ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा अधिकृत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन किया, हांलाकि अनाधिकृत उत्खनन ने पर्यावरण और परिस्थितिक संतुलन के लिए गम्भीर खतरा पैदा किया। राजस्व विभाग, वन विभाग, पुलिस व खान विभाग के मध्य समन्वय नहीं था, जिसके कारण अवैध रूप से उत्खनित खनिज (पत्थर) को हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों को निर्गमित किया गया।</p>
<p>हमारे निष्कर्ष</p>	<p>विभाग को अवैध खनन रोकने के लिए उपचारी कदम उठाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जावे कि पट्टेदार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय कर रहा है व इस तरह से वायु प्रदूषण के दौरान अन्य उपाय पूर्वक्षण खनन, परिष्करण या धातु संकर्म व सम्बन्धित गतिविधियों नियन्त्रित व अनुज्ञेय सीमा के भीतर रखा गया। खनन पट्टेधारियों द्वारा उत्खनित खनिजों पर निगरानी रखने के लिये नियन्त्रण तन्त्र होना चाहिए। अवैध खनन को न्यूनतम करने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, पुलिस, वन व खान विभाग के बीच समन्वय होना चाहिए। पट्टेधारी को अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप अनुमति दी जानी चाहिए।</p> <p>विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में व्यवस्था में कमजोरी को दूर किया जा सके एवं हमारे द्वारा पता लगाई गई प्रकृति की कमियों को रोका जा सके।</p>

अध्याय-VI: कर-इतर प्राप्तियाँ

6.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के कर-इतर राजस्व में मुख्य रूप से ब्याज, खानों एवं खनिजों, विभिन्न सामान्य सेवायें, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन और वन्य जीव आदि से प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान संग्रहित कुल राजस्व एवं कर-इतर राजस्व निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य द्वारा संग्रहित कुल राजस्व	राज्य का कुल कर-इतर राजस्व	कर-इतर राजस्व की कुल राजस्व से प्रतिशतता
2006-07	15,038.85	3,430.61	22.8
2007-08	17,328.66	4,053.93	23.4
2008-09	18,832.21	3,888.46	20.6
2009-10	20,972.49	4,558.22	21.7
2010-11	27,053.20	6294.12	23.3

पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के कुल राजस्व में कर-इतर राजस्व का योगदान 20.6 प्रतिशत (2008-09) से 23.4 प्रतिशत (2007-08) के मध्य रहा।

6.2 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को खान प्राप्तियाँ (खनिजों का अवैध खनन व निर्गमन को छोड़कर) राजस्व की बकाया की राशि 64.11 करोड़ थी जिसमें से 21.42 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2011 को राजस्व की बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	1.4.2010 को बकाया का प्रारंभिक शेष	वर्ष 2010-11 के दौरान संग्रहित की गई राशि	31.3.2011 को बकाया का अन्तिम शेष
2005-06 तक	82.17	60.75	21.42
2006-07	90.62	80.76	9.86
2007-08	101.42	91.49	9.93
2008-09	103.17	97.53	5.64
2009-10	119.22	101.96	17.26
योग	496.60	432.49	64.11

पाँच वर्ष से अधिक से बकाया राजस्व ₹ 21.42 करोड़ की वसूली की संभावना कम है।

हमारा सुझाव है कि बकाया की वसूली के लिए सरकार समुचित कार्यवाही करें।

6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से 109 अनुच्छेदों में ₹ 1135.19 करोड़ के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, राजस्व का कम निर्धारण/हानि, कर की गलत दर का लगाना/आरोपण, कर की गलत गणना आदि के प्रकरणों को दर्शाया था। उनमें से 73 अनुच्छेदों के लेखापरीक्षा आक्षेपों में समावेशित ₹ 366.29 करोड़ को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और 27 अनुच्छेदों में ₹ 24.52 करोड़ की अब तक (दिसम्बर 2011) वसूली की जा चुकी है जैसाकि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार्य अनुच्छेद		अनुच्छेद एवं वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2005-06	12	155.77	6	40.51	4	2.09
2006-07	15	34.29	8	3.24	6	1.02
2007-08	13	275.30	10	23.86	5	4.31
2008-09	27	259.67	17	22.01	11	17.04
2009-10						
राजस्व प्राप्तियाँ	5	7.31	4	2.39	1	0.06
खान प्राप्तियाँ	37	402.85	28	274.28	-	-
योग	109	1135.19	73	366.29	27	24.52

स्वीकार्य राशि की तुलना में वसूल की गई राशि कम है क्योंकि कुछ प्रकरणों में वसूली न्यायाधिकारियों द्वारा स्थगित थी, जबकि दूसरे प्रकरणों में इनकी मांग वसूली के विभिन्न स्तरों पर बकाया थी।

6.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि विभागीय संक्रियाओं का संचालन लागू कानूनों, विनियमनों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग के साथ किया जा रहा है, अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पंजिकाओं/लेखा पंजिकाओं का उचित एवं सही ढंग से संधारण कर रहे हैं एवं राजस्व संग्रहण का अभाव/कम संग्रहण या अपवंचना के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों में पाया कि लगभग सभी खनि इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से लम्बित है। अतः आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभाग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ठोस नहीं है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में, विभागीय अधिकारी, प्रणालियों के दुष्क्रियान्वयन, राजस्व अपवंचना/छीजत के क्षेत्रों के प्रति अनभिज्ञ रहे, इसलिए सुधारात्मक प्रयास करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

6.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम, उपनिवेशन, सामान्य प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्ष 2010-11 के दौरान की गई मापक जाँच में 3,842 प्रकरणों में ₹ 1150.61 करोड़ की राशि की राजस्व अवसूली/कम वसूली प्रकट हुई, जो मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
अ. खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग			
1.	अनधिकृत उत्खनन	563	437.38
2.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	174	10.53
3.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	847	3.55
4.	धरोहर राशि का जप्त न करना	79	0.17
5.	अन्य अनियमिततायें	2,151	697.63
ब. उपनिवेशन विभाग			
6.	भूमि की कीमत की त्रुटिपूर्ण गणना	21	0.13
स. सामान्य प्रशासन विभाग			
7.	किराये एवं ब्याज की अवसूली	6	0.49
द. सार्वजनिक निर्माण विभाग			
8.	विभाग द्वारा निविदा बोली दर संशोधित नहीं करने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि	1	0.73
योग		3,842	1150.61

वर्ष 2010-11 के दौरान, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग ने 2,242 प्रकरणों में ₹ 29.48 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 23.70 करोड़ के 1,738 प्रकरण वर्ष 2010-11 के दौरान एवं शेष पूर्व वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 704 प्रकरणों में ₹ 5.77 करोड़ की वसूली की, जो पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थी।

₹ 158.00 करोड़ सन्निहित राशि के कुछ निदर्शी प्रकरण अनुवर्ती अनुच्छेदों 6.7 से 6.10 में दर्शाए गए हैं।

अ. खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग

6.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के अभिलेखों की मापक जाँच में अनेक मामलों में अधिनियम के प्रावधानों/नियमों की पालना नहीं करना, शासकीय आदेशों/प्रक्रियाओं की अवहेलना तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों का पता चला जिनका इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। ये प्रकरण निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई मापक जाँच पर आधारित हैं। खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ताओं द्वारा की गई ऐसी त्रुटियों को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाया जाता है। तथापि ये अनियमितताएँ न केवल विद्यमान रहती हैं बल्कि लेखापरीक्षा होने तक भी इनका पता नहीं चलता है। सरकार को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

6.7 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अवहेलना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (खा.ख.वि.वि.) खनिज रियायत नियम, 1960 (ख.रि.नि.) खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (ख.सं.वि.नि.) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 (रा.अ.ख.रि.नि.) में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

- (1) निर्धारित दरों पर अधिशुल्क का आरोपण;
- (2) अवैध रूप से उत्खनित/भेजे गए खनिजों की कीमत का आरोपण;
- (3) विलम्ब से किये गये भुगतानों पर ब्याज पर आरोपण;
- (4) पट्टे जारी करना; तथा
- (5) खनिजों का संरक्षण।

खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ताओं एवं विभाग के द्वारा अनुच्छेद 6.7.1 से 6.7.16 में उल्लेखित प्रकरणों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 156.65 करोड़ के अधिशुल्क की कम/अवसूली, खनिज कीमत की कम/अवसूली तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

6.7.1 लाईमस्टोन खनन पट्टों की अप्रधान खनिज के लिए अनियमित स्वीकृति

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को खनिजों के संबंध में तथा उससे जुड़े आशयों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों तथा खनन पट्टा मंजूरी की विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदत्त है। इस अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अप्रधान खनिज रियायत के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई।

भारत सरकार ने लाईमस्टोन को भट्टों में भवन सामग्री हेतु चूना बनाने के लिये उपयोग किये जाने पर अप्रधान खनिज घोषित (6 मार्च 1965) किया तथा राज्य सरकारों को रसायनिक विश्लेषण रिपोर्ट से यह संतुष्ट होने पर कि लाईमस्टोन केवल भवन सामग्री हेतु चूना बनाने के लिए उपयुक्त है, केवल अप्रधान खनिज लाईम स्टोन के खनन पट्टों के रूप में स्वीकृत करने हेतु अधिकृत (14 सितम्बर 1989) किया। लाईमस्टोन को परख करने के लिए केवल कैल्सियम आक्साइड 40 प्रतिशत से कम अथवा सिलिकान आक्साइड 16 प्रतिशत से कम हो तथा मैग्नीशियम आक्साइड पाँच प्रतिशत या अधिक होने पर ही अप्रधान खनिज के रूप में विचारणीय होगा। इस हेतु विभाग को प्रतिष्ठित विश्लेषक की रसायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 48 (5) के अनुसार जब खनिज का अविधिक उत्खनन व निर्गमन होता है तो खनिज की कीमत, अधिशुल्क का दस गुना वसूलनीय है।

पांच सहायक खनि अभियन्ता/खनि अभियन्ता कार्यालयों¹ की मापक जाँच के दौरान अधिशुल्क निर्धारणों में हमने पाया (नवम्बर 2010 से जनवरी 2011) कि 35 खनन पट्टे लाईम स्टोन का उपयोग भट्टों में भवन सामग्री हेतु चूना बनाने के लिए किये जाने हेतु स्वीकृत थे। किन्तु खनन पट्टेधारियों द्वारा लाईमस्टोन विभिन्न सीमेंट फ़ैक्ट्रीज व स्टील प्लान्ट्स को सीमेंट व लोहा निर्माण के लिए निर्गमित किया गया जो कि अन्तिम उपयोग की शर्त व खनन पट्टों की शर्तों के विपरीत था। रसायनिक विश्लेषण रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

हमने देखा कि यह तथ्य विभाग के ध्यान में थे लेकिन दोषी खनन पट्टेधारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक प्रकरण में सहायक खनि अभियन्ता, गोटन ने पट्टेधारी को नोटिस (26.9.97) जारी किया कि लाईमस्टोन का सीमेंट फ़ैक्ट्रीज को निर्गमन खनन पट्टे के निबन्धनों व शर्तों के विपरीत है, किन्तु कोई

¹ भीलवाडा, बूंदी द्वितीय, चित्तौड़गढ़, गोटन व निम्बाहेडा।

कार्यवाही नहीं की गई। आगे सहायक खनि अभियन्ता, गोटन स्वयं द्वारा एक खनन पट्टा संख्या 75/90 मै. जे.के. सिन्थेटिक लि. के पक्ष में लाईमस्टोन का उपयोग सीमेंट प्लान्ट में किये जाने हेतु अप्रधान खनिज का स्वीकृत (16.2.1991) किया गया।

खनन पट्टेधारियों द्वारा खनन पट्टों की शर्तों की अवहेलना में खनिज के अन्तिम उपयोग से हटकर, सीमेंट फैक्टरी व स्टील प्लान्ट्स को निर्गमन, का कार्य अवैध था। इस अनियमितता के लिए विभाग भी उत्तरदायी था। इसलिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 48 (5) के अनुसार अवैध रूप से उत्खनित व निर्गमित खनिज की कीमत ₹ 398.47 करोड़ वसूलनीय थी, जो कि वसूल नहीं की गई।

जब हमने ध्यान आकर्षित किया (नवम्बर 2010 से जनवरी 2011) सहायक खनि अभियन्ता, गोटन व खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा ने बताया कि अप्रधान खनन पट्टों से उत्खनित प्रधान खनिज लाईम स्टोन (सीमेंट ग्रेड) का अधिशुल्क वसूल किया गया था। यद्यपि इस संबंध में निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान से निर्देश मांगा गया है। खनि अभियन्ता बूंदी द्वितीय ने बताया कि अप्रधान खनिज लाईम स्टोन (बर्निंग) से उत्खनित लाईमस्टोन को सीमेंट फैक्ट्रीज को इसलिए भेजा गया कि लाईमस्टोन भट्टे बन्द हो गये है। खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ व सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा ने बताया कि उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

हमें प्रतिउत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रधान खनिज के अन्तर्गत सीमेंट फैक्ट्रीज व स्टील प्लान्ट्स को लाईमस्टोन भेजना अनियमित था एवं खनिज के अन्तिम उपयोग से सम्बन्धित खनन पट्टों की शर्तों का उल्लंघन था।

प्रकरण दिसम्बर 2010 व मार्च 2011 में विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित किये गये। हम उनके उत्तर की प्रतिक्षा (दिसम्बर 2011) कर रहे हैं।

6.7.2 पट्टेधारियों को अदेय लाभ

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 11 (2) के प्रावधानानुसार किसी खनिज के लिए खनन पट्टों की संख्या किसी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के क्षेत्राधिकार में दो तक सीमित होगी। आगे, इन नियमों के नियम 72 के अनुसार कोई भी खननपट्टा खदान अनुज्ञप्ति, अल्पावधि अनुमति पत्र अथवा अन्य कोई अनुमति पत्र इन नियमों के प्रावधानों के अन्यथा स्वीकृत नहीं किया जायेगा और यदि स्वीकृत किया जाता है, ये निष्प्रभावी एवं निरर्थक समझा जावेगा।

आठ खनि अभियन्ताओं /सहायक खनि अभियन्ताओं² की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (अगस्त 2010 फरवरी 2011) कि 17 प्रकरणों में ऐसे खनन पट्टाधारियों को खनन पट्टे स्वीकृत/हस्तांतरित

² आमेत, बांसवाड़ा, जालोर, निम्बाहेड़ा, राजसमंद प्रथम, राजसमंद द्वितीय, ऋषभदेव व उदयपुर

कर दिये गये जिनके पास पूर्व में ही दो खनन पट्टे संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के सीधे क्षेत्राधिकार में थे। इन प्रकरणों में विभाग द्वारा अतिरिक्त खननपट्टे दिये जाकर पट्टेधारियों को अदेय लाभ दिया। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान ने भी खनि अभियन्ता, राजसमंद द्वितीय से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 11 (2) की अवहेलना में दो से अधिक खनन पट्टा क्षेत्र स्वीकृत करने के संबंध में जानकारी चाही थी (25 जून 2009)। तथापि, विभाग द्वारा खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ताओं को उनके सीधे क्षेत्राधिकार में स्वीकृत खननपट्टों की संख्या दो तक सीमित रखने के लिए निर्देश जारी नहीं किये। दो से अधिक खननपट्टों की स्वीकृति नियमों की अवहेलना थी तथा इन नियमों के नियम, 72 के अनुसार ये खननपट्टे निष्प्रभावी व निरर्थक थे। अतः 7,37,676 मीट्रिक टन उत्खनिज व निर्गमित खनिज अविधिक था। अविधिक रूप से उत्खनित व निर्गमित खनिज की कीमत की गणना ₹ 104.88 करोड़ होती है।

जब हमने ध्यान आकर्षित किया तो खनि अभियन्ता, उदयपुर, राजसमंद-प्रथम, आमेट, बांसवाड़ा व सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेड़ा ने बताया (अगस्त 2010 से जनवरी 2011) कि इन खननपट्टों को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों व मार्बल पॉलिसी 2002 के अनुसार आवंटित व स्थानान्तरित किया गया है। हमें यह उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि दो से अधिक खननपट्टे स्वीकृत करने के संबंध में मार्बल पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, स्वयं पॉलिसी भी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत बनाई गई है।

खनि अभियन्ता, राजसमंद-द्वितीय व सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव ने बताया (अगस्त 2010 एवं फरवरी 2011) कि प्रकरण का परीक्षण कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जावेगा तथा सहायक खनि अभियन्ता, जालोर ने बताया (सितम्बर 2010) कि प्रकरण को निदेशक/राज्य सरकार को उनकी टिप्पणी हेतु प्रेषित किया गया।

प्रकरण सितम्बर 2010 व मार्च 2011 में विभाग के ध्यान में व राज्य सरकार को सूचित किये गये। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा में है (दिसम्बर 2011)।

6.7.3 अधिशुल्क की हानि

6.7.3.1 अधिशुल्क संग्रहण ठेके को अनियमित खण्डित करने से राजस्व हानि

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 37(2) के अन्तर्गत निष्पादित अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा के अनुबन्ध की शर्त संख्या 2(9) में उल्लेख है कि संविदा की नियमों और शर्तों की पालना में दोष रहने के मामलों में, प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ एक 15 दिवसीय नोटिस जारी करके अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा। इन नियमों के नियम 71(1) में आगे उल्लेखित है कि इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक नोटिस लिखित में व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक से दिया जायेगा।

खनि अभियन्ता, बिजोलिया के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (जनवरी 2011) कि जिला भीलवाडा की तहसील बिजोलिया एवं माण्डलगढ तथा जिला चित्तौड़गढ की तहसील बेंगू के लिए सेण्डस्टोन (पट्टी, फर्शी, काबल्स, ब्लाक्स) का अधिशुल्क एवं तुलाई प्रभार संग्रहण के लिए अवधि दिनांक 12 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के लिए वार्षिक राशि ₹ 9.27 करोड़ पर मै. मातेश्वरी इन्द्राणी कान्ट्रेक्टर्स प्रा.लि. के पक्ष में स्वीकृत (28.3.2008) हुआ। ठेका राशि अग्रिम रूप से 12 बराबर किश्तों में जमा कराई जानी थी। ठेकेदार 12 जून 2009 से 11 जुलाई 2009 की अवधि की किश्त जमा कराने में विफल रहा। अतः खनि अभियन्ता ने अवधि 12 जून 2009 से 11 जुलाई 2009 की देय राशि ₹ 79.06 लाख जमा कराने के लिए एक नोटिस अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट जारी (22 जून 2009) किया। नोटिस की पालना नहीं होने से, प्रतिभूति राशि ₹ 115.88 लाख जब्त करते हुए दिनांक 21 जुलाई 2009 को ठेका खण्डित कर दिया गया। मै. पार्थ नेटवर्क प्रा.लि. को वार्षिक राशि ₹ 8.50 करोड़ पर अवधि 12 दिसम्बर 2009 से 31 मार्च 2011 के लिए एक नया अधिशुल्क संग्रहण ठेका दिया गया। 22 जुलाई 2009 से 11 दिसम्बर 2009 की अन्तराल अवधि के दौरान अधिशुल्क एवं तुलाई प्रभार ₹ 2.18 करोड़ की राशि विभागीय स्तर पर वसूली की गई।

मै. मातेश्वरी इन्द्राणी कान्ट्रेक्टर्स प्रा.लि. द्वारा अधिशुल्क संग्रहण ठेका खण्डित करने व प्रतिभूति राशि जब्त करने के खनि अभियन्ता के आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त निदेशक, खान, उदयपुर के पास की गई अपील (23.07.2009) में बताया कि बकाया के लिए ना तो नोटिस दिया व ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। यह भी उल्लेखित किया कि देय राशि दिनांक 16.7.2009 व 22.7.2009 को जमा करवा दिये थे, अतः ठेका एवं प्रतिभूति राशि बहाल करने की प्रार्थना की गई। अतिरिक्त निदेशक, खान ने उनके निर्णय (10 दिसम्बर 2009) में पाया कि ठेका खण्डित करना उचित नहीं था क्योंकि ठेकेदार द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2009 को ₹ 60 लाख 22 जुलाई 2009 को ₹ 17.25 लाख व दिनांक 24 जुलाई 2009 को शेष ₹ 1.81 लाख पहले से ही जमा कराये जा चुके थे तथा देय का नोटिस भी उसे नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त ठेका अन्य पार्टी को दे दिया गया है, जिसकी बहाली संभव नहीं है, इसलिए जमा प्रतिभूति ₹ 1.16 करोड़ लौटा दी जावे।

इस प्रकार खनि अभियन्ता द्वारा नोटिस जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालना नहीं किये जाने से राज्य सरकार को ₹ 2.85 करोड़³ की हानि वहन करनी पड़ी।

जब हमने इसकी और ध्यान आकर्षित किया तो खनि अभियन्ता ने बताया (जनवरी 2011) कि अनुग्रह अवधि समाप्त होने व पोस्ट ऑफिस द्वारा रजिस्टर्ड एडी, स्वीकार नहीं किये जाने के कारण नोटिस को यूपीसी से भेजा गया। उत्तर

₹

³ (1.16 करोड़ प्रतिभूति राशि + ₹ 1.69 करोड़ विभागीय स्तर पर कम संग्रहित अधिशुल्क)

हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि नियमों के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस अगले दिन भेजा जा सकता था अथवा व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता था। हमारा यह भी मानना है कि प्रतिभूति जमा ₹ 1.16 करोड़ को वापस लौटाने का अतिरिक्त निदेशक खान का आदेश सही नहीं था जबकि ठेकेदार को किशत राशि जमा कराने की देय तिथियाँ ज्ञात थी चाहे खनि अभियन्ता द्वारा मांग की गई अथवा नहीं।

प्रकरण फरवरी 2011 में विभाग के ध्यान में लाया गया व राज्य सरकार को सूचित किया गया। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा में है (दिसम्बर 2011)।

6.7.3.2 बिना रवन्ना खनिज के निर्गमन के कारण राजस्व की हानि

खनि अभियन्ता, करौली व सहायक खनि अभियन्ता, टोंक के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (जून-नवम्बर 2010) कि दो अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों द्वारा संविदा शर्तों की उल्लंघन किया गया तथा बिना रवन्ना खनिज ले जा रहे वाहनों को खनिज कीमत वसूली हेतु खनिज विभाग को सौंपे बिना अधिक अधिशुल्क की वसूली की गई। इसके कारण राज्य सरकार को निम्नानुसार ₹ 79.31 लाख के राजस्व की हानि हुई:

(₹ लाख में)

कार्यालय का नाम	अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार का नाम	ठेके की अवधि	खनिज एवं मात्रा (मी.ट.)	अधिशुल्क की अवैध वसूली की अवधि	ठेकेदार द्वारा अवैधरूप से वसूल किये गये अधिशुल्क की राशि	खनिज की कीमत	राजस्व की कुल हानि
खनि अभियन्ता, करौली	मैसर्स शिवा कॉरपोरेशन इण्डिया लि. जयपुर	23.5.2009 से 31.3.2011	सैण्डस्टोन खण्डा 60385	5/2009 से 3/2010	6.04	60.39	66.42
सहा. खनि अभियन्ता, टोंक	मैसर्स शम्भूदयाल शर्मा	1.4.2008 से 31.3.2009	मेसनरी स्टोन 11713	4/2008 से 7/2008	1.17	11.71	12.89
योग					7.21	72.10	79.31

विभाग द्वारा दोषी अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों के विरुद्ध संविदा के निर्बन्धनों व शर्तों के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जब हमने इस और ध्यान आकर्षित किया (जून एवं नवम्बर 2010) तो खनि अभियन्ता, करौली ने बताया (नवम्बर 2010) कि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत खनन पट्टों से बिना रवन्ना निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन खण्डा पर अधिक अधिशुल्क की वसूली की गई, क्योंकि खनिज विभाग द्वारा खनन पट्टेधारियों को खण्डा के लिए रवन्ना जारी नहीं किये थे। इसलिए ठेकेदार व खनन पट्टाधारी दोषी नहीं है। उत्तर हमें

स्वीकार नहीं है क्योंकि खनिज का बिना रवन्ना निर्गमन अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका संविदा तथा समान रूप से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 48 (5) के अन्तर्गत वर्णित शर्तों के अनुसार अनाधिकृत खनिज के दायरे में आता है। यह प्रकरण खनि अभियन्ता करौली के ध्यान में होने से वह भी इस अनियमितता के लिए उत्तरदायी है। जबकि सहायक खनि अभियन्ता, टोंक ने बताया (जून 2010) कि रिकार्ड की जाँच के बाद कार्यवाही कर ली जावेगी।

प्रकरण जुलाई से दिसम्बर 2010 के दौरान विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को सूचित किये गये। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा में है (दिसम्बर 2011)।

6.7.4 ईट मिट्टी की कीमत की मांग कम/नहीं किया जाना।

ईट मिट्टी रियायत नियमों के अनुसार भट्टा मालिक ईट बनाने के लिए ईट मिट्टी के उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त करेगा। अनुमति कम से कम एक वर्ष एवं अधिकतम पांच वर्ष के लिए होगी। ईट मिट्टी की वार्षिक मीट्रिक टन मात्रा के उपयोग हेतु सूत्र $150 \text{ दिन} \times 3.5 \text{ मीट्रिक टन} \times \text{घोड़ियों की संख्या}$ के अनुसार ईट मिट्टी पर अधिशुल्क की वसूली की जावेगी। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 48 में प्रावधानित है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से निकालता है तो वह निकाले गये खनिज के अधिशुल्क के साथ ही इसका मूल्य भुगतान करने हेतु दायी होगा।

खनि अभियन्ता, अलवर व धौलपुर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया (अगस्त एवं सितम्बर 2010) कि सात भट्टा मालिकों द्वारा अपेक्षित अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना व अधिशुल्क का भुगतान किये बिना ईट मिट्टी का अवैध रूप से उपयोग किया। विभाग द्वारा यद्यपि मौका निरीक्षण के समय पर पाई गई ईटों की वास्तविक मात्रा के आधार पर मांग कायम की गई तथापि

अधिशुल्क सहित वसूलनीय मूल्य ₹ 186.77 लाख थी जिसकी गणना का विवरण निम्नानुसार है

(₹ लाखों में)

क. सं.	कार्यालय का नाम	भट्टा मालिक का नाम	खनिज के अनाधिकृत उत्खनन/ उपयोग की अवधि/ दिनांक	विभाग द्वारा कायम मांग	वसूलनीय राशि
1	खनि अभियन्ता, अलवर	मै. गोविन्दम ब्रिक्स कम्पनी	21.2.2005 से 17.3.2010 (9 निरीक्षण)	33.47	60.29
		श्री मुकेश चन्द जैन	10.5.2006 से 31.3.2010 (6 निरीक्षण)	30.51	56.61
2	खनि अभियन्ता, धौलपुर	मै. आर.एम. ब्रिक्स	15.1.2009	2.52	13.86
		मै. जे.एस. ब्रिक्स	12.2.2009	2.31	12.71
		मै. श्री ब्रिक्स	15.1.2009	2.73	15.01
		मै. सोना ब्रिक्स	9.3.2010	2.42	13.28
		मै. कैला ब्रिक्स	9.3.2010	2.73	15.01
योग				76.69	186.77

जब हमने ध्यान आकर्षित किया (अगस्त एवं सितम्बर 2010) तो खनि, अभियन्ता, अलवर व धौलपुर ने बताया (सितम्बर 2010) कि संबंधित भट्टा मालिकों से निरीक्षण के समय भौतिक रूप से भट्टों में भरी गई ईंटों की वास्तविक संख्या के आधार पर ₹ 63.98 लाख व ₹ 12.71 लाख वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

हमें उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि, ईट मिट्टी रियायत नियमों के अनुसार अधिशुल्क वसूली व ईट भट्टा चलाने के लिए न्यूनतम अवधि एक वर्ष है तथा भट्टों को इनके निरीक्षण में लगातार चलाना मानना चाहिए क्योंकि निरीक्षण के दौरान इन भट्टों को चलता हुआ पाया गया। इसलिए ईट मिट्टी के अनाधिकृत उपयोग के लिए ₹ 186.77 लाख वसूलनीय है, जिसमें ईट मिट्टी रियायत नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में गलत गणना के कारण कम मांग ₹ 69.87 शामिल है। आगे कि विभाग ईट मिट्टी की कीमत की अन्तर राशि वसूल नहीं करके इसके अवैध उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

प्रकरण अक्टुबर 2010 में विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को सूचित किये गये। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा में है (दिसम्बर 2011)।

6.7.5 खनिजों का अवैध उत्पादन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम, 18 (10) के अनुसार पट्टेदार खानों के कार्यकरण तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पट्टेदार के कर्मचारियों की अथवा जनसाधारण की सुविधाओं को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के संबंध में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गये समस्त विद्यमान अधिनियमों तथा नियमों और ऐसे अन्य अधिनियमों अथवा नियमों का जो समय-समय पर लागू किये जाये, का पालन करेगा। मार्बल विकास एवं संरक्षण नियम, 2002 के नियम 16 व 17 में प्रावधान है कि अनुमोदित खनन योजना के बिना कोई व्यक्ति खनन प्रारम्भ नहीं करेगा।

वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) एवं जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के अनुसार खनन पट्टेधारी को निर्धारित अवधि में उत्खनित होने वाले खनिज की मात्रा निश्चित कराते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल (रा.रा.प्र.नि.म.) से संचालन की सहमति प्राप्त करनी है। इसके अलावा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से निकालता है तो सम्बन्धित खनि अभियंता उस उत्खनित खनिज के अधिशुल्क के साथ-साथ मूल्य वसूल कर सकेगा जो प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगा।

6.7.5.1 अप्रधान खनिजों का अवैध उत्पादन

चार खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (दिसम्बर 2010 से मार्च 2011) कि आठ खनन पट्टेधारकों ने रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा

अधिकृत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	ख.अ. कार्यालय का नाम	अवधि	खन्नपट्टा संख्या एवं खनिज	उत्खनित/निर्गमित मात्रा (मै.टन)	रा.रा.प्र.नि.म. से अनुमत्य मात्रा (मै.टन)	अधिक उत्खनित मात्रा (मै.टन)	अनाधिकृत मात्रा पर वसूलनीय राशि
1	सिरोही	2008-10	226/89 मार्बल ब्लॉक	5,734	3,650	2,084	40.11
			मार्बल खन्डा	7,618	-	7,618	50.28
2	सिरोही	2009-10	197/89 मार्बल ब्लॉक	8,686	5,475	3,211	61.81
3	सिरोही	2008-09	120/91 ग्रेनाइट ब्लॉक	1,155	200	955	15.76
			ग्रेनाइट खन्डा	147	-	147	0.97
4	सिरोही	2008-09	483/90 ग्रेनाइट ब्लॉक	4,287	3,650	637	10.51
			ग्रेनाइट खन्डा	755	-	755	4.98
5	सिरोही	2008-09	252/89 ग्रेनाइट ब्लॉक	4,227	3,650	577	9.53
			ग्रेनाइट खन्डा	719	-	719	4.74
6	रामगंजमण्डी	2009-10	136/92 मेसनरी स्टोन	11,555	5,475	6,080	6.69
7	आमेट	2009-10	1198/91 मार्बल ब्लॉक लफर	2,962	840	2,122	40.85
8	जोधपुर	1.07.08 से 2.9.08, 3.9.08 से 31.3.09	347/05 लाइमस्टोन	320	-	320	1.94
			लाइमस्टोन	5,460	1,167	4,293	25.97
योग						29,518	274.14

यद्यपि अनाधिकृत उत्खनन पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए गंभीर खतरों का कारण बनता है, फिर भी संबंधित खनि अभियन्ता द्वारा रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा अधिकृत मात्रा से अधिक के खनना जारी कर दिए गए। विभाग द्वारा भी रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा अधिकृत मात्रा तक खनना जारी करने को सीमित नहीं किया। इस

प्रकार खनन पट्टेधारियों द्वारा अवैध रूप से उत्खनित खनिज 29,518 मीट्रिक टन की कीमत एवं अधिशुल्क हेतु ₹ 2.74 करोड़ वसूलनीय थे।

जब हमने ध्यान आकर्षित किया खनि अभियन्ता सिरोही व जोधपुर ने बताया (फरवरी-मार्च 2011) कि खनन पट्टेधारियों द्वारा वैध रवन्ना से खनिज निर्गमित किए जाने से राजस्व हानि नहीं हुई। जबकि खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी, खनि अभियन्ता, आमेट ने बताया (दिसम्बर 2010 एवं जनवरी 2011) कि मामलों का परीक्षण कर स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जावेगा।

हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा अधिकृत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन व निर्गमन प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण नियमों की अवहेलना में था।

6.7.5.2 अनुमोदित खनन योजना के बिना खनिज उत्खनन

तीन सहायक खनि अभियन्ता/खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान खनन पट्टों की रियायत पत्रावलियों व खनन योजनाओं से हमने पाया (अगस्त- दिसम्बर 2010) कि 9 खनन पट्टाधारकों द्वारा वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान 1065 मीट्रिक टन खनिज मार्बल का मार्बल विकास एवं संरक्षण नियम, 2002 के नियम, 16 व 17 के प्रावधानानुसार अनुमोदित खनन योजना के बिना उत्खनित व निर्गमित किया जो कि इन प्रावधानों का उल्लंघन था। पट्टाधारियों द्वारा उत्पादन के मासिक आंकड़े प्रस्तुत करने के बावजूद खनन योजना के अनुमोदन को सुनिश्चित किये बिना विभाग द्वारा खनिज उत्पादन व निर्गमन के लिए रवन्ना जारी किये गये। बिना अनुमोदित खनन योजना के खनिज मार्बल का उत्पादन अवैध था तथा इस खनिज की कीमत ₹ 170.05 लाख वसूलनीय थी।

उत्तर में खनि अभियन्ता, राजसमंद-द्वितीय ने बताया (अगस्त 2010) कि चूको के कारणों की जाँच की जावेगी। हालांकि खनि अभियन्ता, उदयपुर ने बताया (नवम्बर 2010) कि प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस जारी कर कार्यवाही की जावेगी। सहायक खनि अभियन्ता, बांसवाड़ा ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2010) कि खनिज का निर्गमन रवन्ना पर किया गया है। हम उत्तर स्वीकार नहीं करते क्योंकि बिना अनुमोदित खनन योजना के क्षेत्र से उत्खनित मार्बल के निर्गमन के लिए रवन्ना जारी किया जाना अनियमित था।

इन प्रकरणों को सितम्बर 2010 से जनवरी 2011 में विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को सूचित किये गये। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.5.3 प्रधान खनिज का अवैध उत्पादन

खनिज रियायत नियम के नियम 31 के अन्तर्गत निष्पादित खनन पट्टा संविदा के भाग VII की शर्त संख्या 11 ग के अनुसार पट्टेदार पर्यावरण के संरक्षण के सम्बन्ध में उपाय करेगा एवं साथ ही ऐसे अन्य उपाय करेगा जैसा कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे। खनिज संरक्षण व विकास नियमों के नियम 37 में प्रावधानित है कि पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के धारक द्वारा पूर्वोक्त, खनन, उपकृति या धातुकर्मीय संक्रियाओं व संबंधित गतिविधियों के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखा जावेगा और वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुदेय सीमा के भीतर, रखा जावेगा। इसके अतिरिक्त खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम की धारा 21 (5) के अनुसार दोषी से अवैध रूप से उत्खनित व निस्तारित खनिज के अधिशुल्क के साथ उसके मूल्य की वसूली की जावेगी।

सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान रियायत एवं अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियों से हमने पाया (नवम्बर 2010) कि खनिज रेड ऑकर व चाइनाक्ले के खनन पट्टा संख्या 9/2000 निकट ग्राम हातीपुर के पट्टाधारी को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (रा.रा.प्र.नि.म.) द्वारा खनिज रेड-ऑकर/ चाइनाक्ले के 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन के उत्पादन की अनुमति (21 फरवरी 2007) दी गई। यद्यपि पट्टेदार ने अवधि 01.01.2009 से

30.09.2009 के (273 दिन) के दौरान रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा अनुमत्य मात्रा मात्रा 5,460 मीट्रिक टन (273 x 20) के आदेश का उल्लंघन कर 19,382 मीट्रिक टन खनिज का उत्पादन किया। इस प्रकार अनुमत्य मात्रा से उपर व अतिरिक्त मात्रा 13,922 मीट्रिक टन का अधिक उत्पादन अवैध था जिसकी कीमत ₹ 25.06 लाख (13922 x 180) वसूली योग्य थी। विभाग रवन्ना जारी करते समय रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा अधिकृत मात्रा का ध्यान भी नहीं रखा।

हमारे द्वारा ध्यान में (नवम्बर 2010) लाये जाने पर सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा ने बताया (नवम्बर 2011) कि कार्यवाही कर ली जावेगी।

प्रकरण विभाग एवं सरकार को सूचित किये गये (दिसम्बर 2010 मार्च 2011) हम उनके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.6 वन से खनिज का अनाधिकृत उत्खनन व निर्गमन

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन्य जीवन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्देश (8 अप्रैल 2005) जारी का राज्य में स्थित अरावली पर्वत के वन क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधियों को निषिद्ध किया गया था। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 48 में प्रावधानित है कि अवैध खनन के मामले में उत्खनित व निर्गमित खनिज की अधिशुल्क की वसूली के साथ उसकी कीमत, संदेय अधिशुल्क दरों की दस गुणा वसूल की जावेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने निर्देश जारी (19.6.2000) किये थे कि खान विभाग वन क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधि को वन विभाग के ध्यान में लायेगा।

6.7.6.1 खनि अभियन्ता, अलवर के अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया (अगस्त 2010) कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों व राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के प्रावधानों के विपरीत वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा था। खनि अभियन्ता, अलवर को वरिष्ठ उप प्रबन्धक रीको, भिवाड़ी ने सूचित (3 दिसम्बर 2009) किया कि वन क्षेत्र से उत्खनित खनिज बड़ी मात्रा

में लगभग 800 से 1000 डम्पर प्रतिदिन औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी में से हरियाणा व उत्तरप्रदेश को निर्गमित किया जा रहा है। प्रत्येक डम्पर में लगभग 50 से 60 मैट्रिक टन खनिज चिनाई पत्थर ले जाया जा रहा था। तथ्यों को उपमण्डल अधिकारी, तिजारा (अलवर) एवं खनि अभियन्ता, अलवर द्वारा सत्यापित (3.11.2009) किया गया। खनि अभियन्ता, अलवर ने वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर से वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन गतिविधियों की जाँच के लिए कहा (30.12.09)। खनि अभियन्ता, अलवर द्वारा 5 जून 2008 से 1 मई 2010 के दौरान 25 निरीक्षण किये और वन क्षेत्र में अवैध खनन होने के साक्ष्य पाये। खनि अभियन्ता ने अपनी निरीक्षण टिप्पणी में उल्लेख किया कि वन क्षेत्र में गड्ढे अस्तित्व में थे तथा मजदूर काम कर रहे थे व मशीने तैनात की गई थी। हालांकि, खनि अभियन्ता ने अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा की गणना करने के लिए गड्ढों की माप का उल्लेख नहीं किया। खनि अभियन्ता, अलवर में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कम से कम 1.46 करोड़ मीट्रिक टन (800 डम्परस x 50 मीट्रिक टन x 365 दिन) मैसनरी स्टोन राजस्व, परिवहन, वन, पुलिस एवं खान विभागों में समन्वय के अभाव में अवैध रूप से उत्खनित व निर्गमित किया गया। वर्ष के दौरान इस अवैध उत्खनित व निर्गमित खनिज की अधिशुल्क के साथ कीमत की गणना ₹ 208.78 करोड़ (1,46,00,000 x 13 x 11) होती है। इस कारण राज्य सरकार को ₹ 208.78 करोड़ की हानि के साथ-साथ वन्य जीवन को बड़ी क्षति हुई व वन क्षेत्र व आसपास की आबादी में पारिस्थितिक सन्तुलन की तुलना के लिए गंभीर खतरा पैदा किया।

जब हमने ध्यान आकर्षित किया, खनि अभियन्ता ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2010) तथा वन विभाग, परिवहन विभाग व पुलिस प्रशासन के असहयोग के कारण वन क्षेत्रों से ऐसे खनिज के अनाधिकृत उत्खनन व निर्गमन की रोकने में असमर्थता दर्शायी।

6.7.6.2 खनि अभियन्ता, करोली के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (नवम्बर 2010) कि वन विभाग एवं खान विभाग के संयुक्त निरीक्षण (07.08.09) के अनुसार, वन क्षेत्र से 1,09,455 मीट्रिक टन खनिज सैण्ड स्टोन स्लैब्स का अनाधिकृत उत्खनन एवं निर्गमन किया गया जिसके परिणामस्वरूप अनाधिकृत रूप से उत्खनित व निर्गमित खनिज की कीमत व अधिशुल्क राशि ₹ 6.02 करोड़ (1,09,455 x 50 x 11) की हानि हुई।

जब हमने इसकी ओर ध्यानाकर्षित किया (नवम्बर 2010) तो खनि अभियन्ता ने बताया कि जाँच के पश्चात् स्थिति से लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जावेगा। खनि अभियन्ता द्वारा दिया गया उत्तर सन्तोषप्रद नहीं है क्योंकि खान विभाग व वन विभाग द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की गई। उपर्युक्त प्रकरणों में राज्य सरकार को अधिशुल्क के सहित खनिज की कीमत ₹ 214.80 करोड़ (₹ 208.78 करोड़ + ₹ 6.02 करोड़) से वंचित रहना पड़ा तथा वन्य जीवन व पर्यावरण को गम्भीर खतरा पैदा हुआ।

प्रकरण विभाग व सरकार को सूचित (अक्टूबर 2010 व दिसम्बर 2010) किये गये। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे (दिसम्बर 2011)।

6.7.7 अनाधिकृत रूप से उत्खनित व निर्गमित खनिज की कीमत व अधिशुल्क की मांग कायमी का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 18(9) (ग) व 18 (10) के अनुसार पट्टेदार अथवा अन्य कोई व्यक्ति बिना रवन्ना के खान तथा खदान से खनिज को हटाएगा नहीं अथवा निर्गमन नहीं करेगा अथवा उपयोग में नहीं लाएगा। पट्टेदार खानों के कार्यकरण तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पट्टेदार के कर्मचारियों की अथवा जन-साधारण की सुविधाओं को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये समस्त विद्यमान अधिनियमों तथा नियमों और ऐसे अन्य अधिनियमों अथवा नियमों को जो समय-समय पर लागू किये जाये, का पालना करेगा। इन नियमों के नियम, 48(5) में प्रावधानित है कि जब भी कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के खनिज निकालता है तो अधिशुल्क के साथ खनिज की कीमत वसूल की जावेगी। आगे इन नियमों कि नियम 66 से प्रावधान है कि सरकार को देय कोई राशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान, हमने पाया (दिसम्बर 2010) कि खनिज लाईमस्टोन (बिल्डिंग स्टोन) के लिए एक खनन पट्टा संख्या 20/93 मैसर्स मिलन स्टोन कम्पनी, जुलमी के पक्ष में प्रभावी था। वरिष्ठ खनि कार्यदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट (अप्रैल व जुलाई 2009) में खनन पट्टा क्षेत्र से 8,82,942 टन खनिज की मात्रा का उत्पादन पाया। जबकि पट्टेदार द्वारा विभाग को प्रस्तुत आंकड़ों में मात्र 5,53,199 टन का उत्पादन दर्शाया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बिल्डिंग लाईमस्टोन की अन्तर मात्रा 3,29,743 टन (8,82,942-5,53,199) अनाधिकृत थी। अनाधिकृत उत्खनित खनिज की अन्तर मात्रा की अधिशुल्क सहित कीमत गणना ₹ 27.20 करोड़⁴ होती है।

हमने यह भी पाया कि खान सुरक्षा महानिदेशक, अजमेर ने खान अधिनियम 1952 के नियम 22(क)(2) के अन्तर्गत खनन गतिविधियाँ बन्द करने का आदेश (25 फरवरी 2009) दिया था। बन्दी आदेश वापिस नहीं लिया गया था (दिसम्बर 2010)। लेकिन पट्टेदार ने खनन गतिविधियों पर प्रतिबन्ध के बावजूद उत्पादन जारी रखा, इसलिये खनि अभियन्ता द्वारा एक कानूनी नोटिस (6.1.2010) दिया गया। नोटिस की पालना नहीं होने के कारण प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खननपट्टा रद्द कर दिया गया था।

हमने पाया कि प्रतिबन्ध की अवधि के दौरान विभाग ने खनिज के निर्गमन हेतु रवन्ना जारी किये थे। प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार, पट्टेदार ने मार्च 2009 से मार्च 2010 के दौरान 22,803 टन खनिज लाईमस्टोन का उत्खनन किया जो अवैध था। खनिज की कीमत व अधिशुल्क की गणना ₹ 1.88 करोड़ (22,803 × 75 × 11) होती है।

इस प्रकार पट्टेदार से अवैध रूप से निर्गमित खनिज की कीमत ₹ 29.08 करोड़ (₹ 27.20 करोड़ + ₹ 1.88 करोड़) वसूलनीय है, जिसके लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। विभाग ने जारी रवन्नाओं के विरुद्ध पट्टा क्षेत्र से प्राप्त व निर्गमित वास्तविक खनिज की मात्रा सुनिश्चित नहीं की बावजूद इसके कि पट्टेदार से उत्पादन/निर्गमन की मासिक विवरणीया प्राप्त हो रहे थी।

जब हमने इसे ध्यान आकर्षित किया (दिसम्बर 2010), खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी ने बताया (दिसम्बर 2010) कि प्रकरण निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान को भेजा (13.01.2010) गया था। हमे उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण को लगभग दो वर्ष व्यतीत होने के बाद अवैध रूप से उत्खनित व निर्गमित खनिज की राशि वसूल करने के लिये कार्यवाही/निर्णय नहीं लिया गया था।

प्रकरण जनवरी 2011 में विभाग व सरकार को सूचित किये गये। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

⁴ (3,29,743×75×11)

6.7.8 लोक निर्माण ठेकेदारो द्वारा खनिज का अनाधिकृत उत्खनन व उपयोग

सरकार के आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2001 व 8 अक्टूबर 2008 के अनुसार, लोक निर्माण ठेकेदार निर्माण शुरू करने से पहले सम्बन्धित खनि अभियन्ता से कार्य में उपयोग किये जाने वाले खनिजों के लिए अल्प अवधि अनुमति पत्र प्राप्त करेगा। कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर ठेकेदार कार्य में उपयोग किये खनिजों के अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करेगा। अल्पावधि अनुमति पत्र के बिना निर्माण में खनिज का उपयोग किये जाने के मामले में सम्बन्धित निर्माण विभाग बिना अल्पावधि अनुमति पत्र के उपयोग में लिए गये खनिज की कीमत जमा कराने के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम, 63 के अनुसार यदि ऐसी मात्रा अल्पावधि अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक एवं उपर हो तो उपयोग में लाये गये खनिज की सम्पूर्ण अधिक मात्रा की कीमत वसूल की जावेगी। इन नियमों के नियम 48 के अनुसार खनिज की कीमत संदेय अधिशुल्क दरों की दस गुना होगी।

चार खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान, हमने पाया (जून 2010 व नवम्बर 2010 के बीच) कि 63 निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा 79 निर्माण कार्यों में खनिज मैसनरी स्टोन, बजरी, साधारण मिट्टी, ग्रेवल आदि का उत्खनन/उपयोग या तो अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा

के 25 प्रतिशत से अधिक का किया गया। खनिज की अधिशुल्क के साथ वसूलनीय कीमत ₹ 7.03 करोड़ की नीचे दी गई सारणी के अनुसार वसूली नहीं की गई:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	संख्या		वसूलनीय अधिशुल्क व कीमत राशि	टिप्पणी
		कार्य	ठेकेदार		
1	सहायक खनि अभियन्ता, जालोर	70	57	614.62	निर्माणों में अल्पावधि अनुमति पत्र के बिना खनिज उपयोग
2	सहायक खनि अभियन्ता, जैसलमेर	3	2	50.88	उपरोक्त
3	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक	4	3	9.69	उपरोक्त
4	खनि अभियन्ता, मकराना	2	1	27.53	निर्माणों में अल्पावधि अनुमति पत्र में अधिकृत मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया
योग		79	63	702.72	

जब हमने इस और ध्यानाकर्षित किया (जून 2010 से नवम्बर 2010) सहायक खनि अभियन्ता, जालोर ने बताया कि वसूली के लिये कार्यावाही की जा रही है, जबकि सहायक खनि अभियन्ता, जैसलमेर ने बताया कि सरकार के आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2008 के अनुसार अधिशुल्क नहीं लिया जाना था। सहायक खनि अभियन्ता, टोंक ने बताया कि सरकार के आदेश दिनांक 17.06.1985 के अनुसार दो गुना अधिशुल्क काट लिया गया है जबकि खनि अभियन्ता, मकराना से जबाव प्रतीक्षित रहा। हम सहायक खनि अभियन्ता, जैसलमेर द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार नहीं करते क्योंकि निर्माण शुरू करने से पूर्व अल्पावधि अनुमति-पत्र प्राप्त किया जाना था, हम सहायक खनि अभियन्ता, टोंक के उत्तर में यह भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि सरकारी आदेश दिनांक 17 जून 1985 राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के प्रभाव में आने के बाद निरर्थक हो गया था।

प्रकरण विभाग को भेजे गये व सरकार को सूचित (जुलाई 2010 से नवम्बर 2010) किये गये। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.9 खनन पट्टेधारी द्वारा अनाधिकृत खनन

खान अधिनियम, 1952 की धारा 22(3) व 22 ए(2) में प्रावधानित है कि अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा से सम्बन्धित किसी भी मामले में खान व सुरक्षा के प्रावधानों का पालन करने में खान का मालिक विफल रहता है तो मुख्य निरीक्षक अपने आदेश द्वारा खान में किसी भी व्यक्ति के नियोजन को निषेध कर सकता है। इसके अलावा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम की धारा 21(5) में प्रावधानित है कि जब कभी कोई व्यक्ति अविधिक रूप से किसी खनिज को निकालता है तो राज्य सरकार ऐसा निकाले गये खनिज या अधिशुल्क के सहित उसकी कीमत वसूल कर सकेगी।

खनि अभियन्ता, राजसमन्द द्वितीय के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान अधिशुल्क निर्धारण आदेशों व पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से हमने पाया (अगस्त 2010) कि श्री महेश मन्त्री के पक्ष में खनन पट्टा संख्या 5/98 खनिज सोप स्टोन व डोलामाईट के लिए प्रभावी था। उपनिदेशक खान सुरक्षा,

उदयपुर द्वारा पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण 18 जुलाई 2000 को किया गया और खनन कार्य गतिविधियों के दौरान खान सुरक्षा प्रावधानों का गम्भीर व खतरनाक उल्लंघन पाया गया। इसलिये महानिदेशक, खान सुरक्षा, उदयपुर द्वारा श्रमिकों के नियोजन के लिए एक निषेधात्मक आदेश 19 जुलाई 2000 जारी किया गया। महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा सुधार कार्य शुरू करने के लिए 8 मई 2006 को अनुमति दी और निषेधात्मक आदेश 16 अप्रैल 2008 को हटाया गया।

हमने पाया कि पट्टेदार ने निषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में खनन गतिविधियों को जारी रखा। विभाग ने भी खनिज के उत्खनन/निर्गमन के लिए रवन्ना जारी किए।

निषेधात्मक आदेश की अवधि (19.07.2000 से 08.05.2006) के दौरान उत्खनित व निर्गमित खनिज अवैध था जिसके लिए खनिज की कीमत ₹ 2.49 करोड़ की वसूली की जानी है।

जब हमने इस ओर ध्यानाकर्षित किया, खनि अभियन्ता ने बताया (27 अगस्त 2010) कि पट्टेदार ने कारणों को दूर करने के लिए सुधार कार्य शुरू किया था। खनन कार्य निषिद्ध क्षेत्र में नहीं किया गया था। हम जबाव स्वीकार नहीं करते क्योंकि महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा सुधार कार्य शुरू करने की अनुमति 8 मई 2006 को दी तथा निषेधात्मक आदेश को अन्तिम रूप से 16 अप्रैल 2008 को हटाया गया। अतः 19.07.2000 से 08.05.2006 के दौरान खनिज का उत्खनन अवैध था।

प्रकरण विभाग व सरकार को सूचित (अक्टूबर 2010) किया गया। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा में हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.10 खनिज का अनाधिकृत उत्खनन/निर्गमन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 48 (1) व (5) में प्रावधानित है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुमति के अलावा खनन क्रियाये नहीं करेगा। जब कभी कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकरण के बिना किसी भूमि से कोई खनिज निकालता है और ऐसे निकाले गये खनिज का पहले उपयोग कर लिया है, तो सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता खनिज की कीमत के साथ अधिशुल्क की वसूली कर सकेगा। खनिज का मूल्य प्रचलित दरो पर संदेय अधिशुल्क का 10 गुना होगा। इसके अलावा इन नियमों के नियम 48 (3) में प्रावधानित है कि उप नियम 48(1) का उल्लंघन कारावास से या ₹ 5,000 तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता अभियोजन संस्थापित करने से पहले या बाद में उप नियम 48(1) के उल्लंघन में किये गये अपराध का उसके द्वारा विनिर्दिष्ट राशि के भुगतान पर प्रशमन कर सकेगा। अनाधिकृत खनन के मामले न्यायालय में दर्ज किये जावेंगे या खनिज की कीमत की वसूली शीघ्र की जावेगी। इन नियमों के नियम 18(9) (ग) के अनुसार पट्टेदार अथवा अन्य कोई व्यक्ति बिना रवन्ना के खान तथा खदान से खनिज को हटाएगा नहीं अथवा निर्गमन नहीं करेगा अथवा उपयोग में नहीं लाएगा।

6.7.10.1 खनिज के अनाधिकृत उत्खनन/निर्गमन के विरुद्ध कार्यवाही करने में देरी

खनि अभियन्ता, जोधपुर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (मार्च 2011) कि गड्ढों की माप के आधार पर संगणित 49,909 मीट्रिक टन खण्डा व 34,895 मीट्रिक टन सैण्डस्टोन के अवैध उत्खनन/निर्गमन के 65 प्रकरण अवैध खनन रजिस्टर में अंकित किये गये। पंचनामा बनाए (जून 2009 से फरवरी 2010) जाकर व दोषियों को अवैध रूप से उत्खनित/निर्गमित खनिज की कीमत की वसूली के नोटिस जारी किये गये और 17 मामलो के अतिरिक्त प्राथमिकि दर्ज कराई गई। इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणनानुसार ₹ 2.08⁵ करोड़ खनिज की कीमत के साथ अधिशुल्क वसूलनीय थी।

जब हमने इस ओर ध्यानाकर्षित किया तो खनि अभियन्ता ने बताया (मार्च 2011) कि पंचनामा को अन्तिम रूप देने के बाद वसूली प्रभावित होगी। हम उत्तर स्वीकार नहीं करते क्योंकि पंचनामा बनाए जाने के एक वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के बाद भी राशि वसूल करने का निर्णय लम्बित है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में व सरकार को सूचित (मार्च 2011) किये गये। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.10.2 अनाधिकृत रूप से उत्खनित खनिज की मांग कायम नहीं किया जाना

खनि अभियन्ता, उदयपुर व सहायक खनि अभियन्ता, जालोर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान रियायत पत्रावलियों व पंचनामों से हमने पाया (सितम्बर से नवम्बर 2010) कि चार खनन पट्टाधिरियों द्वारा खननो का दुरुपयोग कर पट्टा क्षेत्र के बाहर से खनिज मार्बल व ग्रेनाइट का उत्खनन व निर्गमन किया गया। खनि अभियन्ता, उदयपुर के मामलों में कीमत वसूली के लिए नोटिस जारी करना नहीं पाया गया। हालांकि सहायक खनि अभियन्ता, जालोर द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाने के बाद नोटिस जारी (22.09.2010) किया गया। निर्गमित अवैध

⁵ (49,909 x 10 x 11 + 34,895 x 40 x 11)

खनिज की वसूलनीय कीमत के साथ अधिशुल्क की गणना ₹ 2.51 करोड़ नीचे दिये विवरणानुसार होती है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	ख.अ./स.ख.अ. कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या/खनिज	अवैध निर्गमित मार्बल की मात्रा (मीट्रिक टन)	वसूलनीय खनिज की कीमत के साथ अधिशुल्क (मी.ट. × 175 × 11)
1.	उदयपुर	649/90 (मार्बल)	4,748	91.40
		880/89 (मार्बल)	3,245	62.47
		406/91 (मार्बल)	4,717	90.81
2.	जालोर	27/98 (ग्रेनाईट)	1,248	5.94
योग				250.62

ध्यानाकर्षित किये जाने (सितम्बर एवं नवम्बर 2010) पर खनि अभियन्ता, उदयपुर ने बताया कि प्रकरण दिनांक 23.10.2009 से निदेशालय स्तर पर लम्बित है, जबकि सहायक खनि अभियन्ता, जालोर ने बताया कि खन्नो के दुरुपयोग के लिए खनिज की कीमत वसूली हेतु 22.09.2010 को नोटिस जारी किये गये।

प्रकरण विभाग के ध्यान में व सरकार को सूचित (अक्टूबर एवं दिसम्बर 2010) किये गये। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.10.3 खनिज मार्बल का अनाधिकृत उत्खनन

खनि अभियन्ता, बीकानेर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (दिसम्बर 2010) कि खनिज मार्बल का एक पट्टा संख्या 64/2000 श्री अमित मोदी के पक्ष में प्रभावशील था। पट्टा क्षेत्र की खनन योजना जून 2004 में तैयार की गई और जून 2006 में अनुमोदित की गई थी। खनन योजना के अनुसार अधिकतम अधिभार 5.5 मीटर था, मार्बल की लफर व खण्डा सहित प्राप्ति 80 प्रतिशत थी जिनमे से खनन के दौरान 10 प्रतिशत खनिज अवरोधित रहता है। खनन योजना के अनुसार दो गड्डों से 10,881 मीट्रिक टन खनिज मार्बल को पहले से उत्खनित व निर्गमित किया जा चुका था। इस प्रकार प्राप्त मार्बल की मात्रा 7,834 मीट्रिक टन (10,881 मीट्रिक टन से 10 प्रतिशत कम कर उसका 80 प्रतिशत) रही। पट्टेदार द्वारा मार्च 2005 तक केवल 2,585 मीट्रिक टन खनिज मार्बल के अधिशुल्क का ही भुगतान किया। अतः 5,249 मीट्रिक टन खनिज मार्बल अवैध निर्गमित हुआ। खनन योजना के अनुसार मार्बल ब्लॉक की प्राप्ति 30 प्रतिशत व शेष खण्डा की थी। इसलिये अनाधिकृत निर्गमित मार्बल ब्लॉक 1,575 मीट्रिक टन व खण्डा 3,675 मीट्रिक टन मात्रा संगणित होती है। अवैध रूप से

निर्गमित खनिज की कीमत के साथ अधिशुल्क की राशि की गणना ₹ 45.33 लाख है जो वसूल नहीं की गई।

जब हमने इसकी ओर ध्यानाकर्षित किया तो खनि अभियन्ता, ने बताया कि खनिज वसूली कारक 20 से 30 प्रतिशत था तथापि, क्षेत्र का निरीक्षण किया जावेगा। हम उत्तर स्वीकार नहीं करते क्योंकि खनिज की प्राप्ति की गणना खनन योजना में दर्शाये मापदण्डों के आधार पर की गई थी, जो कि भू-वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है और विभाग द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई थी।

प्रकरण विभाग एवं सरकार को सूचित किये (फरवरी 2011) गये। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.10.4 अवैध रूप से निर्गमित खनिज कीमत की अवसूली

खनि अभियन्ता, सीकर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने देखा (अक्टूबर 2010) कि प्रधान खनिज लाईमस्टोन का खनन पट्टा संख्या 8/91 तथा अप्रधान खनिज मार्बल के दो खनन पट्टे संख्या 26/93 व 27/93 मैसर्स ओरियेन्टल टाल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में प्रभावशील थे। खनन पट्टा क्षेत्र का सर्वेयर द्वारा 30 जून 2008 व सहायक खनि अभियन्ता द्वारा 01 जुलाई 2008 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि पट्टेदार ने अल्पावधि अनुमति-पत्र प्राप्त किये बिना डम्प साईट से खनिज को निर्गमित किया। खनि अभियन्ता, सीकर ने प्रकरण बना कर निदेशक खान एवं भू-विज्ञान को भेजा (अगस्त 2008)। हालांकि, अवधि 27.06.2008 से 30.06.2008 के दौरान अवैध रूप से निर्गमित 1905 मीट्रिक टन (127 x 15) खनिज की कीमत के साथ अधिशुल्क ₹ 11.53 लाख (1905 x 55 x 11) की 28 माह व्यतीत होने के बाद भी ना तो माँग कायम की गई और ना ही वसूली की गई।

जब हमने इस ओर ध्यानाकर्षित किया, खनि अभियन्ता, सीकर ने अवैधानिक निर्गमित खनिज की राशि जमा कराने के लिए पट्टेदार को विधिक नोटिस जारी (6 जनवरी 2011) किया। विधिक नोटिस के विरुद्ध, पट्टेदार ने सरकार को अपील की। सरकार के आदेश (07 फरवरी 2011) के अनुसार पट्टेदार ने 50 प्रतिशत राशि ₹ 5,44,500 जमा (09 फरवरी 2011) कराई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को सूचित (नवम्बर 2010) किया गया। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.11 शासकीय निर्देशों की पालना नहीं किया जाना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम के नियम, 32 में प्रावधानित है कि अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका निविदा के माध्यम से स्वीकृत किया जा सकता है। राज्य सरकार में मई 1962 में निर्देश जारी किये कि यदि कोई निविदादाता जिसको एक ठेके का आवंटन हुआ है, उसके निष्पादन में चूक करता है तो विभाग उससे अनुबन्ध क्षति की राशि वसूल कर सकता है यदि ऐसा उपबन्ध निविदा सूचना में शामिल किया गया हो।

हमने पाया (नवम्बर 2010) कि खान विभाग द्वारा उपर्युक्त क्षति पूर्ती उपबन्ध को अधिशुल्क संग्रहण ठेके के अनुदान के लिए प्रकाशित निविदा सूचना में शामिल नहीं किया गया था। खनि अभियन्ता, करौली ने 01 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 की

अवधि के लिए खनिज बजरी के अधिशुल्क संग्रहण ठेके के लिए निविदाये आमन्त्रित की। उच्चतम निविदाकार मैसर्स शिवा कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड (ठेकेदार), जिसको ₹ 55.61 लाख वार्षिक दर पर ठेका आवंटित (मार्च 2009) हुआ, से ठेके के निष्पादन में चूक हुई। पुनः निविदा आमन्त्रित कर ठेका फिर से उसी ठेकेदार मैसर्स शिवा कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड को कम राशि ₹ 26.12 लाख वार्षिक पर स्वीकृत (फरवरी 2010) किया गया। आमन्त्रित निविदा सूचना में क्षति पूर्ती उपबन्ध के अभाव में ठेका राशि की कम वसूली से हुई हानि दोषी से वसूल नहीं की जा सकी। इसके अलावा ऐसे चूककर्ता ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया से बाहर करने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति ₹ 6.95 लाख के समायोजन के बावजूद राज्य सरकार को ₹ 22.54 लाख के राजस्व की हानि हुई।

जब हमने इसकी ओर ध्यानाकर्षित किया, खनि अभियन्ता ने बताया (नवम्बर 2010) कि उनके द्वारा निदेशक खान एवं भू-विज्ञान के निर्देशानुसार कार्य किया गया है। हम उत्तर स्वीकार नहीं करते क्योंकि निविदा सूचना में क्षति पूर्ती उपबन्ध को शामिल नहीं करने के कारण हानि हुई थी।

प्रकरण विभाग को व सरकार को सूचित (दिसम्बर 2010) किया गया। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.12 जब्त अमानत राशि की अनियमित वापसी/समायोजन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 35 (ठ) में प्रावधान है कि यदि अस्थायी रूप से चयनित निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा कराने में विफल रहता है, जमा कराई गई अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। आगे इन नियमों के नियम 57 में प्रावधान है कि सरकार द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में कोई लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि और उनमें अकस्मात भूल से उत्पन्न किसी त्रुटि को सही किया जा सकेगा।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान (नि.खा.भू.वि.) के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (जनवरी 2011) कि मैसर्स पार्थ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की अमानत राशि ₹ 20.00 लाख जो तहसील, भीलवाड़ा व सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा क्षेत्र के खनिज मैसनरी स्टोन के अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके के लिए जमा कराई गई थी को

निर्दिष्ट समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने से जब्त (05 मार्च 2009) की गई। अमानत राशि जब्त कराने के आदेश को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 57 के अन्तर्गत नि.खा.भू.वि. द्वारा सुधारा (24 नवम्बर 2009) गया तथा पूर्व की जब्त राशि के लौटाने/समायोजित करने का आदेश इस आधार पर दिया कि निविदादाता मैसनरी स्टोन के स्थान पर खनिज बजरी के लिए निविदा में भाग लेना चाहता था। जब्त अमानत राशि के सुधार का आदेश (24.11.2009) अनियमित था व इससे ठेकेदार को अदेय लाभ दिया गया। इसके अलावा ठेकेदार ने निविदा खोलने के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। अभिलेखों से पता चला कि निविदादाता ने खनिज मैसनरीस्टोन के लिए निविदा प्रस्तुत की तथा निर्दिष्ट समय में प्रतिभूति राशि जमा कराने में विफल रहा। अतः प्रकरण किसी लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि से सम्बन्धित नहीं था, इसलिये जब्त अमानत राशि की वापसी/समायोजन अनियमित था।

जब हमने इस ओर ध्यानाकर्षित किया (जनवरी 2011), नि.खा.भू.वि. ने बताया (जनवरी 2011) कि वापसी/समायोजन का आदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया था। हम जबाव स्वीकार नहीं करते क्योंकि जब्त अमानत राशि ₹ 20.00 लाख की वापसी/समायोजन इन नियमों के नियम 57 के अन्तर्गत अनियमित थी।

प्रकरण फरवरी 2011 में विभाग के ध्यान में लाया गया व सरकार को सूचित किया गया। उनके उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2011) हैं।

6.7.13 पट्टेदार को अदेय अनुग्रह

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 43 (2) व (4) में प्रावधान है कि निदेशक, के किसी आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को सरकार के यहाँ अपील करने का अधिकार होगा। अपील में सरकार द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। इन नियमों के नियम 18 (3) में प्रावधान है कि पट्टेदार वार्षिक स्थिर भाटक का अग्रिम में भुगतान करेगा।

सहायक खनि अभियन्ता, बांसवाड़ा के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान, हमने पाया (दिसम्बर 2010) कि श्री शान्ति लाल मर्डडा के पक्ष में खनिज मार्बल का एक खनन पट्टा संख्या 1/96 प्रभावशील था। पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए 3 दिसम्बर 2003 को

इस आधार पर खण्डित कर दिया गया कि पट्टेदार द्वारा बकाया देय का भुगतान नहीं किया गया था। खान का कब्जा 19 दिसम्बर 2003 को वापस ले लिया गया।

पट्टेदार सरकार के पास पट्टे की बहाली के लिए यह कहते हुए गया कि वह उसके विरुद्ध दर्शाये गये उन सभी बकाया देयताओं को जमा कराने के लिये तैयार था जिसके आधार पर पट्टा खंडित किया गया था। अदालत में अपील पर विचार के बाद उप सचिव, खान ने मामले को प्रति प्रेषित किया (10 जनवरी 2005) और पट्टेदार को बकाया सभी देयताओं के साथ उस पर ब्याज एवं स्थिर भाटक की 50 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में 10 मई 2005 तक जमा कराने के लिए कहा।

पट्टेदार उप सचिव, खान के आदेश दिनांक 10.01.2005 की पालना करने में विफल रहा। बाद में, चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात्, जब आदेश दिनांक 10.01.2005 पहले से ही पूर्णता प्राप्त कर चुका था, पट्टेदार ने देय जमा की अवधि बढ़ाने के लिए उप सचिव, खान को अनुरोध (26.08.2009) किया। उप सचिव, खान ने अपने पिछले आदेश दिनांक 10.01.2005 के समान शर्तों पर पट्टेदार के अनुरोध को स्वीकार (17.09.2009) किया। यह नियमों से असंगत था क्योंकि समान प्राधिकारी द्वारा चार वर्ष से अधिक व्यतीत होने के पश्चात् आदेश की समीक्षा/संशोधन करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं था, विशेष रूप से जब पूर्ववर्ती आदेश अन्तिम रूप से पूर्ण हो चुका था। पट्टेदार ने देय राशि ₹ 15.86 लाख का भुगतान (सितम्बर एवं अक्टूबर 2010) में किया और उसके पक्ष में पट्टा नवीनीकृत कर दिया गया।

इसके अलावा अवधि 11.05.2005 से 12.10.2009 के स्थिर भाटक की राशि ₹ 12.50 लाख ना तो विभाग द्वारा मांग की गई ना ही पट्टेदार द्वारा जमा कराई गई। पट्टेदार के पक्ष में पट्टा जारी रखने के सरकार के निर्णय (10.01.2005)

और फिर पट्टेदार के अनुरोध पर 10.01.2005 के आदेश की पुष्टि (17.09.2009) करने के कारण स्थिर भाटक वसूलनीय था।

इस प्रकार चार वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बाद पट्टेदार का अदेय पक्ष लेकर पट्टे को पुर्नजीवित किया जाना नियमों के अन्तर्गत नहीं था। इसके अलावा 11.05.2005 से 12.10.2009 तक की अवधि का स्थिर भाटक ₹ 12.50 लाख भी पट्टेदार से वसूल नहीं किया गया।

जब हमने इस ओर ध्यानाकर्षित किया (दिसम्बर 2010), सहायक खनि अभियन्ता, बांसवाड़ा ने बताया कि विभाग द्वारा 19.12.2003 को पट्टा क्षेत्र का कब्जा ले लिया गया था और पुनः पट्टेदार को 12.10.2009 को दिया गया। इसलिए उपर्युक्त अवधि के लिए स्थिर भाटक वसूलनीय नहीं था। हम उत्तर स्वीकार नहीं करते क्योंकि पट्टेदार कब्जा लेने के लिए सहमत था तथा सरकार ने भी उसके पक्ष में पट्टा देने के आदेश दिये थे, किन्तु पट्टेदार बकाया जमा कराने में दोषी रहा। इसके अलावा इस मामले में आदेश दिनांक 17.09.2009 के अनुसार पट्टे का नवीनीकरण नियमों के विरुद्ध था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया व सरकार को सूचित (जनवरी 2011) किया गया। उनके उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2011)।

6.7.14 शास्ति की अवसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम, 18 (21) (क) के अनुसार, पट्टे में अन्तर्विष्ट किसी सहमति अथवा शर्त के पट्टेदार द्वारा किसी उल्लंघन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी पट्टे का समापन कर सकेगा, प्रतिभूति जब्त करते हुए कथित परिसर का कब्जा ले सकेगा, अथवा विकल्प में निर्धारित दरों पर शास्ति आरोपित कर सकेगा।

मार्बल/ग्रेनाईट नीति 2002 के अनुसार एक वर्ष की अवधि में मशीनरी तैनात करने में विफल रहने पर, सक्षम अधिकारी वार्षिक स्थिर भाटक के 50 प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान करने पर तैनाती के लिए आगे छः महिने की अवधि की अनुमति दे सकता है।

सहायक खनि अभियन्ता, जैसलमेर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (अक्टूबर 2010) कि 61 खनन पट्टों में सहायक खनि अभियन्ता ने पट्टे की शर्तों/नीति के उल्लंघन पर पट्टेदारों को दिसम्बर 2009 में नोटिस जारी किए। पट्टेदारों ने अक्टूबर 2010 तक उल्लंघन का सुधार नहीं किया। इन मामलों में, न तो खनन पट्टों को समाप्त किया गया न ही शास्ति लगाई गई। वसूलनीय शास्ति राशि की गणना ₹ 11.04 लाख होती है।

जब हमने इस ओर ध्यानाकर्षित किया, सहायक खनि अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 2010) कि प्रत्येक प्रकरण की छानबीन के बाद वसूली के लिये कार्यवाही की जावेगी।

प्रकरण विभाग को व सरकार को सूचित (नवम्बर 2010) किये गये । हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.15 स्टोन क्रेशरों पर उपयोग में लिए खनिज की कीमत की मांग कायम नहीं करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 69 में प्रावधानित है कि कर निर्धारण अधिकारी खनिज का उपयोग करने वाले तथा/अथवा राज्य में खनिज में व्यवहार करने वाले किसी भी पक्षकार को बुला सकेगा और आवश्यक सूचना मांग सकेगा। कोई भी व्यक्ति जो खनिजों का करोबार करता है और उसके द्वारा क्रय की गई, स्टॉक की गई तथा बिक्रीत खनिजों के सही लेखों का संधारण करेगा और ये अभिलेख, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे। इसमें विफल रहने पर कर निर्धारण प्राधिकारी इन नियमों के नियम, 48 (5) के अनुसार व्यापारी से खनिज की कीमत के साथ अधिशुल्क भी वसूल कर सकते हैं। खनिज की कीमत की गणना संदेय अधिशुल्क दरों की दस गुना के रूप में की जावेगी।

खनि अभियन्ता, अजमेर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान, हमने पाया (जुलाई 2010) कि खनि कार्यदेशक द्वारा अक्टूबर 2003 व सितम्बर 2008 के बीच 19 स्टोन क्रेशर्स के निरीक्षण के दौरान 8,810 टन खनिज मैसनरी स्टोन व क्रेशर ग्रेट स्थल पर पाई गई, किन्तु खनिज क्रय के स्रोत क्रेशर मालिकों द्वारा उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी करने के बावजूद भी सूचित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना के अनुसार 8,810 टन खनिज कीमत के साथ अधिशुल्क ₹ 6.64 लाख की मांग कायम नहीं की गई।

जब हमने ध्यानाकर्षित किया (जुलाई 2010), खनि अभियन्ता ने बताया (15.07.2010) कि प्रकरणों का परीक्षण कर वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी। हम उत्तर स्वीकार नहीं करते क्योंकि क्रेशर मालिकों को पहले से ही नोटिस जारी किये हुए हैं किन्तु वसूली पिछले दो से सात साल से प्रतीक्षित थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया व सरकार को सूचित (अगस्त 2010) किया गया। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.16 स्थिर भाटक व ब्याज की मांग कायम नहीं किया जाना

6.7.16.1 संशोधित स्थिर भाटक की अन्तर राशि की मांग कायम नहीं किया जाना

खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम की धारा 9क (2) के अन्तर्गत 13.08.2009 से स्थिर भाटक की दरों में संशोधन किया गया था। उसके अलावा खनिज रियायत नियमों के नियम 64क में प्रावधान है। कि पट्टेदार, देरी से भुगतान की गई राशियों पर देय दिनांक के 60 वे दिन से गणना की गई देरी अवधि के लिए 24 प्रतिशत वार्षिक दर से सामान्य ब्याज, अदा करने का उत्तरदायी होगा।

खनि अभियन्ता, सोजत सिटी के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (फरवरी 2011) कि 11 प्रकरणों में संशोधित दरों के अनुसार स्थिर भाटक की अन्तर मांग राशि ₹ 10.14 लाख कायम नहीं की गई। इस देरी अवधि के लिए ब्याज (31.03.2010 तक गणना) ₹ 1.15 लाख भी वसूली योग्य था।

जब हमने ध्यानाकर्षित किया, खनि अभियन्ता, सोजत सिटी ने उत्तर दिया कि राशि वसूल कर ली जावेगी।

प्रकरण सरकार व विभाग को सूचित (मार्च 2011) किया गया, हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

6.7.16.2 ब्याज की मांग कायम नहीं किया जाना

(i) सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (सितम्बर 2010) कि हालांकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड ने प्रीमियम चार्ज 1028 दिन से 1705 दिन की देरी से जमा कराये, तब भी सहायक खनि अभियन्ता ने विलम्बित जमाओं पर ब्याज राशि ₹ 23.87 लाख का आरोपण एवं वसूली नहीं की।

जब हमने ध्यानाकर्षित किया, विभाग ने बताया (नवम्बर 2011) कि आक्षेपित राशि वसूल कर ली गई है।

(ii) सहायक खनि अभियन्ता, जालोर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया (सितम्बर 2010) कि फ्लोरसपार खनिज के चार खनन पट्टे की धारक मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड ने संशोधित दरों के अनुसार स्थिर भाटक समय पर जमा नहीं कराया। मार्च 2000 से मार्च 2010 की अवधि के लिए स्थिर भाटक 20.09.2010 को जमा कराया गया था। विभाग ने विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज की गणना नहीं की जो ₹ 14.13 लाख होती है।

जब हमने ध्यानाकर्षित किया, सहायक खनि अभियन्ता ने बताया (सितम्बर 2010) कि वसूली की कार्यवाही कर ली जावेगी।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम-61 में प्रावधानित है कि अधिशुल्क, स्थिर भाटक आदि के सम्बन्ध में सभी बकाया राशि पर देय होने की दिनांक से 15 दिन के बाद 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा।

6.7.16.3 54 प्रकरणों में विलम्बित भुगतान पर ₹ 7.30 लाख (31 मार्च 2010 तक संगणित) के ब्याज की मांग कायम नहीं की गई।

जब हमने इस ओर ध्यानाकर्षित किया, सहायक खनि अभियन्ता ने बताया (सितम्बर 2010) कि ब्याज की मांग कायम कर दी गई। हालांकि वसूली का विवरण सूचित नहीं किया गया (मई 2011)।

प्रकरण सरकार व विभाग को सूचित किया गया (अक्टूबर 2010 व नवम्बर 2010)। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

ब. उपनिवेशन विभाग

6.8 विशेष आवंटन में भूमि की कीमत की त्रुटिपूर्ण गणना

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय कृषि भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 13 क (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार सरकारी भूमि के उपलब्ध क्षेत्र व दर को अधिसूचित कर विशेष आवंटन कर सकती है। विशेष आवंटन के तहत भूमि की दरे उस क्षेत्र विशेष में समान प्रकृति की भूमि के जिला स्तरीय समिति दरों में हुई वृद्धि के अनुपात में बढ़ जावेगी।

आयुक्त, उपनिवेशन, जैसलमेर के द्वारा दी गई सूचना व अभिलेखों की मापक जाँच (अगस्त 2010) के दौरान हमने पाया कि आयुक्त ने विशेष आवंटन के लिए भूमि उपलब्ध होने को अधिसूचित (21.12.2001 व 14.12.2007) किया था। उप आयुक्त (उपनिवेशन), जैसलमेर-I ने विशेष आवंटन के 21 प्रकरणों में भूमि की कीमत गलत रूप से आसपास की भूमि की निर्धारित दरों से कम दर से प्रभारित की। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 13.00 लाख से भूमि की कीमत की कम गणना हुई।

जब हमने ध्यानाकर्षित किया (अगस्त 2010), उप आयुक्त, उपनिवेशन, जैसलमेर ने बताया कि सम्बन्धित अभिलेखों से कीमत की समीक्षा कर कार्यवाही की जावेगी।

स. सामान्य प्रशासन विभाग

6.9 सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों और बैंक से किराये की वसूली नहीं किया जाना

सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम, 251 (क) में उल्लेखित है कि जब एक निजी व्यक्ति को आवासीय या गैर आवासीय भवन को किराये पर दिया जावे, किराया मासिक रूप से अग्रिम में समान उद्देश्य के लिए इसी तरह के उपयोग वाले आवास की बाजार दरों पर वसूल किया जावेगा। विभागाध्यक्ष द्वारा पट्टा स्वीकृत किया जाना व निष्पादित किया जाना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग (सम्पदा) ने आदेश जारी (19.01.1998) किया कि बकाया किराये पर 12 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जावेगा। इसके अलावा, राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम के प्रावधानों जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो के अनुसार किराये में वृद्धि की जानी थी किन्तु जहाँ राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू नहीं हो, हर 5 वर्ष बाद किराये में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुनः निर्धारण या 25 प्रतिशत वृद्धि जो भी कम हो की वृद्धि की जावेगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ने बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में स्थित सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों एवं बैंक को किराये पर दिये गये क्षेत्र के किराया का निर्धारण (अक्टूबर 1994) किया।

31 मार्च 2003 के समाप्त वर्ष के लिए, भारत के नियन्त्र व महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के अनुच्छेद 7.4 में सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों व बैंक से किराये की अवसूली का प्रकरण शामिल किया गया तथा इस पर लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान परिचर्चा की गई। जन लेखा समिति

ने गलती करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने की सिफारिश की। सरकार ने (अगस्त 2011) सूचित किया कि प्रकरण बहुत पुराना था और सभी गलती करने वाले अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये थे, इसलिये उनके उपर जिम्मेदारी निर्धारित किया जाना अब सम्भव नहीं है।

सरकार ने आगे सूचित किया कि मन्त्रीमण्डल ने दिनांक 10 अगस्त 2011 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड से वसूलनीय किराया की संशोधित दरों को अनुमोदित किया। मन्त्रीमण्डल के निर्णय के अनुसार किराया संशोधित दरों से पूर्ववर्ती प्रभाव से

वसूल किया जाना था। संशोधित दरों से वसूलनीय किराये का विवरण निम्न तालिका अनुसार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	निगम/कम्पनी का नाम	कब्जा क्षेत्र (वर्ग मी.)	किराये की दर	2/03 से 3/10 वसूलनीय किराया	किराये का भुगतान	बकाया किराया
1.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2,093.85	₹ 20 प्रति बस प्रति ट्रिप	बसों व ट्रिपों की संख्या सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है। विभाग द्वारा निर्धारित की जानी है।		
2.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम,	2225.87	0.29	24.76	शून्य	24.76
3.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	146.00	0.40	2.87	1.35	1.52
4.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	40.12	0.15	6.12 (20.05.06 तक) भवन खाली करा लिया गया	शून्य	6.12
5.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम	159.81	0.30 (फरवरी -मार्च 2003) 0.54 (अप्रैल 2003 से मार्च 2010)	46.09	33.10	12.99
6.	राजस्थान सहकारी डेयरी फंडरेशन लिमिटेड	32.22	0.14	11.70	8.16	3.54
योग				91.54	42.61	48.93

राज्य सरकार ने कोई किराया अनुबन्ध निष्पादन नहीं किया जिसके अभाव में किराये की वसूली होने की सम्भावना कम है। निदेशक, सम्पदा सरकारी भवनों के किराये की वसूली के लिए उत्तरादायी है ने भी समय पर और नियमित रूप से किराये की वसूली के लिए कार्यवाही नहीं की थी। विभाग ने भी दोषी आवासियों से परिसर खाली कराने की कार्यवाही नहीं की थी।

इस प्रकार सरकारी परिसर को बिना पट्टा विलेख निष्पादन के किराये पर देने, बकाया किराये के वसूली प्रकरण में सख्ती से कार्यवाही नहीं करने से सरकार, दरों में पूर्ववर्ती संशोधन के बावजूद ₹ 48.93 लाख के राजस्व से वंचित रही।

द. सार्वजनिक निर्माण विभाग

6.10 विभाग द्वारा निविदा बोली दर संशोधित नहीं करने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि

निविदादाता के साथ निष्पादित करार के उपबन्ध 30 के अनुसार यदि टोल टैक्स की दरें राज्य सरकार द्वारा अनुबन्ध संचालन अवधि के दौरान आरक्षित दर की गणना के आधार पर तुलनात्मक संशोधित की जाती है तो, बोली राशि भी बढ़ी हुई टोल टैक्स की दरों के समान अनुपात में अधिसूचना की दिनांक से संशोधित मानी जावेगी।

राज्य सरकार ने 01 अप्रैल 2009 से टोल टैक्स संग्रहण की दरें संशोधित की, तथापि, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-I भरतपुर द्वारा भरतपुर-मथुरा (राज्य राजमार्ग-01) बाईपास के टोल टैक्स संग्रहण हेतु संशोधित दरों को लेखापरीक्षा दिनांक तक संशोधित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप सरकार को नीचे दिये विवरणानुसार

₹ 73.35 लाख के राजस्व से वंचित रहना पड़ा:

1. बोली दाता के साथ अनुबन्ध के उपबन्ध-30 में प्रावधानित है कि निविदा बोली राशि उसकी अनुपात में संशोधित होगी, जिसमें आरक्षित मूल्य बढ़ाया गया हो व संशोधित दरों पर गणना की गई हो। अधिशाषी अभियन्ता, भरतपुर ने आरक्षित मूल्य ₹ 247.00 लाख से ₹ 289.00 लाख संशोधित नहीं किया जिससे तदनुसार बोलीदाता (श्री शीशाराम) की बोली में ₹ 248.20 लाख से ₹ 290.40 लाख की वृद्धि नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 01 अगस्त 2008 से 31 जुलाई 2009 तक ₹ 14.07 लाख के राजस्व की हानि हुई।

2. निविदा बोली 01 अगस्त 2009 से 04 मार्च 2010 के दौरान लागू नहीं हुई तथा विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर पुरानी दरों से टोल टैक्स की वसूली की गई। इसके परिणामस्वरूप, उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 103.20 लाख के वास्तविक टोल टैक्स संग्रहण से आनुपातिक गणना (01 अगस्त 2008 से 31 जुलाई 2009 के बोली मूल्य पर 17 प्रतिशत) पर ₹ 17.54 लाख की राजस्व की हानि हुई।

3. विभाग द्वारा 05 मार्च 2010 से 04 मार्च 2011 की अवधि के लिए टोल टैक्स संग्रहण ठेका, पुरानी दरों पर आधारित आरक्षित राशि ₹ 200.00 लाख पर संगणित कर ₹ 245.52 लाख पर बोलीदाता (श्री शीशाराम) को दिया गया। यदि विभाग द्वारा संशोधित दर पर आरक्षित मूल्य की गणना की जाती तो बोली मूल्य में संशोधित दरों (17 प्रतिशत) के आधार पर समान रूप से आनुपातिक वृद्धि होती। इस प्रकार सरकार को ₹ 41.74 लाख की राजस्व हानि हुई।

इस प्रकार, विभाग द्वारा टोल टैक्स संग्रहण के लिए संशोधित दरों को लागू नहीं करने से ₹ 73.35 लाख की हानि हुई।

हालांकि अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-1, भरतपुर ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अप्रैल 2011) कि उक्त अधिसूचना (मार्च 2009) देरी से (जनवरी 2011) प्राप्त होने के कारण टोल टैक्स संग्रहण की दरों में वृद्धि की कार्यवाही नहीं की जा सकी। हम उत्तर स्वीकार नहीं करते क्योंकि संशोधित दरें शासकीय राज-पत्र भाग 4(ग) में दिनांक 30 मार्च 2009 को अधिसूचित की गई थी, अतः विभाग को सूचित नहीं होने सम्बन्धी तर्क क्षम्य नहीं थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में एवं सरकार को सूचित (अगस्त 2011) किया गया। हम उनके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2011)।

हिमांशु धर्मदशी

(एच. के. धर्मदर्शी)

जयपुर

दिनांक

02 अप्रैल 2012

महालेखाकार

(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

(विनोद राय)

नई दिल्ली

दिनांक

03 अप्रैल 2012

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अ'

(सन्दर्भ: अनुच्छेद संख्या 1.2.4)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए एवं जन लेखा समिति में चर्चा हेतु 31 दिसम्बर 2011 को बकाया अनुच्छेदों की स्थिति

कर का नाम	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	योग
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	14	11	5	10	8	48
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	2	3	5	10	8	28
मोटर वाहनों पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	6	6	9	3	4	28
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	9	3	4	16
भू-राजस्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	2	1	4	-	3	10
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	-	3	3
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	3	3	4	4	5	19
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	-	5	5
राज्य आबकारी शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	2	5	4	4	2	17
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	-	2	2
खनन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	9	9	9	18	1	46
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	9	18	1	28
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	3	6	4	9	5	27
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	1	-	2	2	5	10
योग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	39	41	39	48	28	195
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	3	3	25	33	28	92

परिशिष्ट 'ब'
(सन्दर्भ: अनुच्छेद संख्या 1.2.4)

31 दिसम्बर 2011 को विभागों से बकाया क्रियान्वित विषयक टिप्पणियों की स्थिति

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित की दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	बकाया क्रियान्वित विषयक टिप्पणियों की संख्या
1	210वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.2003	देवस्थान	1997-98	14
2	89वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	भू-राजस्व	2000-01	3
3	190वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	भू-राजस्व	1999-2000	12
4	193वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	वित्त	2001-02	12
5	251वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान	2001-02	8
6	252वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान	2002-03	10
7	255वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	भू-राजस्व	2003-04	2
8	268वां प्रतिवेदन 2008-09	15.7.2008	सामान्य प्रशासन	2002-03	5
9	270वां प्रतिवेदन 2008-09	15.7.2008	पंजीयन एवं मुद्रांक	2004-05	4
10	51 वां प्रतिवेदन 2010-11	31.8.2010	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग	2005-06 एवं 2006-07	01
11	52 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2003-04	09
12	65 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	देवस्थान	2004-05	13
13	66 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	परिवहन	2005-06	17
14	67 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	परिवहन	2006-07	09
15	87 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	वन	2005-06 एवं 2006-07	06
योग					125

परिशिष्ट 'स'

(सन्दर्भ: अनुच्छेद संख्या 1.3.2.2)

गत पाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित समीक्षाओं में की गई सिफारिशों पर विभागों/सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति दर्शाने वाला विवरण-पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	समीक्षा का नाम	स्वीकार की गई सिफारिशों का विवरण	स्थिति
1	2	3	4
2005-06	राज्य आवकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण	<ol style="list-style-type: none"> कच्चे माल से प्रासव एवं बीयर की न्यूनतम प्राप्ति मानक सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिनियमों/नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। राज्य में चिरे डोडा पोस्ट के उत्पादन के नियंत्रण के संबंध में प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। निविदा प्रक्रिया में बेनामी व्यक्तियों के भाग लेने को रोकने हेतु नियमों में संशोधन हेतु विचार किया जाना चाहिए। श्रेष्ठतर वित्तीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ की जानी चाहिए। 	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया/मापदण्ड निर्धारण के प्रकरण के परीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है।</p> <p>विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि कृषकों को भारी संख्या पर सीमित कार्मिकों द्वारा वास्तविक नियंत्रण करना कठिन था।</p> <p>विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया।</p>
2006-07	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण	<ol style="list-style-type: none"> लोक कार्यालयों द्वारा विभाग को प्रेषित करने हेतु एक विवरणी निर्धारित की जाये जो प्रस्तुत दस्तावेजों की संख्या एवं पाई गई कमी पर हो। कम मुद्रांक कर भुगतान के प्रकरणों, जो उजागर नहीं किए जा रहे हैं, के सम्बन्ध में भी कार्यालयों को उत्तरदायी बनाया जावे। इसके अतिरिक्त डी. आई.जी. द्वारा लोक कार्यालयों के निरीक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित हों। विभाग द्वारा पुनरीक्षण के प्रकरणों के निस्तारण पर निगरानी हेतु विवरणी निर्धारित हो। यह सुनिश्चित हो कि विभाग पंजिकाओं का निरीक्षण करे एवं अधिनिर्णय वाले लंबित प्रकरणों का निपटारा शीघ्र हो। सामयिक विवरणी निर्धारित करके उच्च स्तर पर निगरानी हो। इन प्रकरणों के निपटारे हेतु एक समय सीमा निर्धारित हो। 	<p>विभाग ने बताया कि राशि मुख्यतः राज्य/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों से वसूलनीय थी।</p> <p>विभाग ने बताया कि सम्बन्धित उप पंजीयक से स्पष्टीकरण मांगा गया है।</p> <p>विभाग ने बताया कि समायोजन के लिए बकाया अधिकतर प्रकरणों को निर्णित कर दिया गया है।</p>
	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली	<ol style="list-style-type: none"> डेटा में आपवादिक परिवर्तन किए जाने के अनुश्रवण के उद्देश्य से संव्यवहारों को ढूँढने के लिए लेखापरीक्षा संकेतों को सिस्टम में डिजाईन एवं समाहित किया जाए। मुद्रांक कर की सही राशि के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सोफ्टवेयर के अन्तर्गत आवश्यक नियंत्रणों की प्रोग्रामिंग की जाए। 	<p>उत्तर प्रतीक्षित था।</p> <p>उत्तर प्रतीक्षित था।</p>

1	2	3	4
2007-08	उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि का आवंटन एवं बिक्री	<ol style="list-style-type: none"> 1. सी.ए.डी. से चक प्लान प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन योग्य भूमि को अधिसूचित करने हेतु समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। 2. कृषि कर्मियों के भूमि आवंटन के आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा तय करने तथा गतिशील एवं त्वरित कार्यवाही के लिए नीति बनानी चाहिए। 3. अधिनियम अथवा नियमों में निर्धारित मूल अभिलेखों का प्रत्येक तहसील में संधारण सुनिश्चित करना चाहिए। 4. उपयुक्त उपायों द्वारा सरकारी भूमि को अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराना चाहिए। 5. नियमानुसार आवंटियों से त्वरित वसूली तथा टी. सी.ज. द्वारा धारित भूमि के निस्तारण के साथ अन्य वैधानिक प्रावधानों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु आवधिक विवरणियों एवं अन्य जांचों को निर्धारित कर विभाग के आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए। 	<p>विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि प्रत्येक चक प्लान के प्रस्तावों एवं अधिसूचना को छः माह के अन्दर अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।</p> <p>सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि आवश्यक कार्य करने के लिए कदम उठाये जायेंगे। तथापि, ऐसी कार्यवाही पूर्ण करने के लिए समय सारणी (ढांचा) बनाने के बारे में उत्तर में कुछ नहीं बताया गया।</p> <p>सरकार ने बताया कि सम्बन्धित पंजिकाओं के संधारण हेतु निर्देश जारी किये जा रहे थे।</p>
	राजस्थान के पूर्व शासकों से प्राप्त नजूल सम्पत्तियों का प्रबन्धन एवं निस्तारण	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी नजूल सम्पत्तियों को सम्मिलित करने हेतु सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रणाली/प्रक्रिया बनाने पर विचार करना चाहिए। 2. नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण एवं समुचित प्रबन्धन के लिए उचित विवरणियां निर्धारित करनी चाहिए। 3. मांग व संग्रहण पंजिका के संधारण और बकाया राशियों की मांग कायम करने की प्रणाली को विकसित करने पर विचार करना चाहिए। 4. नजूल सम्पत्तियों को आगे अतिक्रमण और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इनके निस्तारण के लिए समय सीमा निश्चित करनी चाहिए। 5. समितियों द्वारा बैठकों के आयोजन के लिए मानदण्ड एवं इनके द्वारा लिए गए निर्णयों की पालना को मॉनिटर करने हेतु एक विवरणी निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए। 	<p>विभाग ने बताया कि कार्मिकों की कमी के कारण सर्वे नहीं किया जा सका।</p> <p>विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।</p>
2008-09	बिक्री कर से मूल्य परिवर्धित कर में परिवर्तन	<ol style="list-style-type: none"> 1. विवरणी (मू.प.क.-10) में माल के नाम के साथ इसका वर्गीकरण, अनुसूची संख्या एवं अनुसूची की क्रम संख्या भी अंकित की जाये। 2. मू.प.क. को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार द्वारा टैक्स ऑडिट को अनिवार्य किया जाये। 3. आई.टी.सी. के पूर्व आपसी सत्यापन को अनिवार्य किया जाये। 4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर प्राधिकारियों के अभिलेखों से आपसी सत्यापन किये जाने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत क्रियाविधि लागू की जाये। 	<p>प्रपत्रों में वस्तु के नाम के लिए कॉलम जोड़ा गया था।</p> <p>चालू वर्ष में लेखापरीक्षा का कार्य कर लिया जायेगा।</p> <p>अगले वर्ष में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रति-परीक्षण के पश्चात ही दावे स्वीकार किये जायेंगे।</p> <p>सूचनाओं को प्राप्त करते हुए प्रति-परीक्षण करने हेतु सभी वृत्तों को निर्देश जारी किये थे।</p>

1	2	3	4
		<p>5. अपील प्रकरणों का शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए।</p> <p>6. अपराधों के लिए न्यूनतम शास्ति का निर्धारण किया जाये।</p>	<p>एक वर्ष से अधिक से बकाया अपील के प्रकरणों का मार्च 2010 तक निस्तारण कर दिया जायेगा। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में दण्ड के प्रावधानों में विभिन्न अपराधों पर शास्ति के प्रावधान हैं, लेकिन कर प्राधिकारियों के निर्देश पर ही।</p>
	परिवहन विभाग द्वारा कर का आरोपण एवं संग्रहण	<p>1. अस्थायी पंजीयन फीस की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सामयिक विवरणी के माध्यम से अनुश्रवण प्रणाली लागू करनी चाहिए।</p> <p>2. विलम्ब से पंजीकरण के प्रकरण में शास्ति के आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए सामयिक निरीक्षण के माध्यम से प्रणाली विकसित करनी चाहिए।</p> <p>3. निर्धारित दरों से मोटर वाहन कर/विशेष पथकर के संग्रहण एवं कर जमा नहीं कराने/कम जमा कराने के प्रकरणों में शास्ति के आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण प्रणाली शुरू करने पर विचार करना चाहिए।</p> <p>4. आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के कार्य को प्रभावशाली बनाना चाहिए जिससे कि राजस्व छीजत को रोकने एवं अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना के लिये उचित उपाय किये जा सकें।</p>	<p>परिवहन आयुक्त ने लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार करते हुए कहा कि फीस के आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों को परिपत्र जारी किये जायेंगे।</p> <p>विभाग ने लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि प्रशामन फीस बढ़ा दी गई है। शास्ति के आरोपण की कार्यवाही करने के लिए विभाग सहमत था।</p>
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्राप्ति	<p>1. विभाग में बकाया के सही निर्धारण के लिये सामयिक निगरानी प्रक्रिया निर्धारित करने तथा बकाया की त्वरित वसूली सुनिश्चित की जाए।</p> <p>2. संग्रहकर्ता एजेन्सी द्वारा राजस्व को देरी से जमा करने पर ब्याज वसूली के लिये प्रावधान निर्धारित किए जाए।</p> <p>3. अकार्यरत जल मीटरों को बदलने के लिये प्रभावी कदम उठाए जाए।</p> <p>4. अच्छे वित्तीय प्रबन्धन के लिये आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सशक्त किया जाए।</p>	<p>बकाया की सही स्थिति के निर्धारण के लिए प्रयास किये जायेंगे/सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा विश्वास दिलाया कि एम.ओ.यू. में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। बकाया राजस्व पर ब्याज के अनारोपण के प्रकरण को विभाग में देखा जायेगा।</p> <p>सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा विश्वास दिलाया कि चुट्टि वाले मीटरों को बदलने की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए सरकार सहमत थी।</p>

1	2	3	4
2009-10	भूमि के आवंटन/बिक्री और सम्पत्तिवर्तन प्रभागों की वसूली पर निष्पादन लेखापरीक्षा	<ol style="list-style-type: none"> 1 भूमि से सम्बन्धित मामलों में ध्यान आकर्षित करने के लिये भूमि सुधार विभाग की अलग से स्थापना करे; 2 बकाया की सही स्थिति के निर्धारण और इसकी शीघ्र वसूली को सुनिश्चित करने के लिये विभाग में एक सामयिक निगरानी प्रणाली लागू करे; 3 भू-व्यवस्थापन कार्य को सम्पादित करने के लिये प्रभावी निगरानी प्रणाली और भूमि को नापने के लिये एक समान चेन लागू करे; 4 आवंटित उद्देश्य पर उपयोग में नही आ रही सरकारी भूमि का समय पर पुनर्ग्रहण करने के लिये प्रावधानों को बनाये; 5 बिक्री की सम्भावना को सुनिश्चित करने के पश्चात ही नगरीय स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करे; 6 राजकीय भूमि के विक्रय और विक्रय आगम के राजकीय अंश को राजकीय लेखों में तुरन्त जमा करने के लिये एक निगरानी प्रणाली विकसित करे; 7 संपत्तिवर्तन प्रभागों के राजकीय अंश के सत्यापन के लिये सामयिक निरीक्षण करवाये; 8 विभाग द्वारा अच्छे वित्तीय प्रबन्धन के लिये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाये; 9 कम्प्यूटरीकरण के लाभों को प्राप्त करने हेतु भू-अभिलेखों के रखरखाव हेतु विश्वसनीय प्रणाली लागू की जावे । आंकड़ों का सामयिक रक्षण सुनिश्चित किया जावे; और 10 शुद्धता के साथ जमाबन्दी को तैयार करने में देरी को टालने के लिये और नामान्तरण आदेशों को ऑनलाईन अद्यतन करने के लिये एक प्रणाली लागू करे ताकि भू-धारकों द्वारा मांगने पर रिकार्ड्स ऑफ राइट्स को कम्प्यूटरीकृत प्रतियाँ उपलब्ध करवायी जा सके। 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>प्रकरण सरकार के विचाराधीन है।</p> <p>वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>बकाया पैराओं के निस्तारण हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।</p> <p>-</p> <p>-</p>
	खान प्राप्तियों पर एकल प्रतिवेदन	<ol style="list-style-type: none"> 1 राज्य सरकार विक्रय के अयोग्य या अवर श्रेणी खनिजों का भण्डारण इस ढंग से करने पर विचार करे कि उनको भविष्य में आसानी से दुबारा प्राप्त किया जा सके एवं राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में विनिर्दिष्ट अनुसार खनिज का शून्य अपशिष्ट सुनिश्चित किया जा सके। 2 खनिज के अवैध उत्खनन के फलस्वरूप पर्यावरण को हुई क्षति की वसूली एवं क्षेत्र के पुनरुद्धार की लागत वसूली के प्रावधान बनाये जावे। 3 राज्य सरकार को देय राशियों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए टोस प्रणाली विकसित करनी चाहिए। 4 खनिज मद का राजस्व बढ़ाने के लिए पुरानी बकाया राशियों की वसूली के प्रयास किए जावे। 5 व्यवस्था के क्रियान्वयन में कमियों की खोज, राजस्व रिसाव और नियमों एवं अधिनियम के प्रावधानों की पालना हेतु आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जावे। 	<p>डोलोमाईट खनिज के निस्तारण के लिए नीति को संशोधित किया जायेगा।</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>कार्मिकों की कमी के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा बकाया थी।</p>

1	2	3	4
		<p>6 सरकार विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावी सामंजस्य प्रणाली का सृजन करे।</p> <p>7 सरकार खनन पट्टे स्वीकृतियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु समयावधि निर्धारित करे।</p> <p>8 अध्यापित एवं निरस्त खनन पट्टों के मामलों में नये खनन पट्टे स्वीकृत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए। खनन पट्टों की संविदा समय पर निष्पादन हेतु केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।</p> <p>9 सरकार को निविदा सूचनाओं में संविदा नुकसान की भरपाई संबंधी प्रावधान शामिल करना चाहिए।</p> <p>10 सरकार नियमों के अनुसार अधिशुल्क की वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण प्रणाली की स्थापना करे।</p> <p>11 लम्बित अधिशुल्क निर्धारण के मामलों एवं वसूली योग्य अधिशुल्क राशियों की निगरानी करने के लिए तथा गड़ढा माप के आधार पर वास्तविक निर्गमित किए गए खनिज सत्यापन के लिए सरकार सामयिक निर्देशक प्रणाली शुरू करे।</p> <p>12 अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदाओं का गहनता से परीक्षण किया जावे एवं परिस्थितिकी एवं राज्य धन की अभिरक्षा के लिए उचित नीतियां निर्धारित की जावें।</p> <p>13 सरकार खननाओं के दुरुपयोग को रोकने तथा समय सीमा में खनिजों की कीमत वसूली की प्रक्रिया विकसित करे।</p> <p>14 सरकार कमेटी गठन की दखलन्दाजी से दूर रहे तथा अवैध खनन के मामलों को निपटाने के लिए एक उचित विभागीय प्रणाली की स्थापना करे।</p> <p>15 सरकार निर्माण कार्यों में उपयोग किये गये खनिजों की बकाया अधिशुल्क/कीमत ठेकेदारों को अंतिम भुगतान से पहले वसूल करने के लिए एक ठोस प्रणाली विकसित करे। इस उद्देश्य के लिए निर्माण विभाग एवं खनिज विभाग में ठोस आपसी तालमेल सृजन की आवश्यकता है।</p>	<p>राजस्व अभिलेखों सम्बन्धित औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं करने, कलकटरो तथा वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करने आदि के कारण आवेदन बकाया रहे थे।</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>ई-टेंडर सिस्टम अपनाया जायेगा तथा यदि उच्चतम टेण्डर राशि से 10 प्रतिशत तक कम होगा तो दूसरे न्यूनतम टेण्डर को स्वीकार किया जायेगा।</p> <p>मांग कायम की गई है लेकिन वसूली बकाया है।</p> <p>उनके कारखानों की बकाया रॉयल्टी का निर्धारण शीघ्र किया जायेगा।</p> <p>यह सिस्टम का मामला था। राजस्व बढ़ाने के लिए ई.आर.सी. ठेके स्वीकृत किये गये थे। सीमा होम गार्ड आदि की नियुक्ति द्वारा प्रयास किये जायेगे।</p> <p>-</p> <p>तथ्यों का पता लगाने के लिए कमेटी बनायी जायेगी।</p> <p>कार्य में उपयोग में लिए गये सम्पूर्ण खनिजों की मात्रा का विवरण प्राप्त होने के बाद कार्यवाही की जायेगी।</p>

1	2	3	4
		<p>16 सरकार अल्प अवधि अनुमति पत्र में अधिकृत खनिज मात्रा के 10 प्रतिशत से अधिक एवं 25 प्रतिशत अधिक तक के मध्य में खनिज के निर्गमन पर अधिशुल्क वसूली की दरें स्पष्ट रूप से निर्धारित करे।</p>	<p>नियमों में कमियाँ हैं तथा इन्हें उपयुक्तता से संशोधित करने में सहमत है।</p>
		<p>17 सरकार पंचनामों को निर्धारित प्रपत्र में तैयार करने पर विचार करे तथा अवैध खनिज निर्गमन की कीमत के अनुमोदन के लिए समय सीमा निर्धारित करे।</p>	<p>पंचनामों के सत्यापन के बाद कार्यवाही की जायेगी।</p>
		<p>18 सरकार लम्बित अपील मामलों के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर विचार करे।</p>	<p>अपील बकाया रहना एक नियमित प्रक्रिया है। हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपीलें पांच वर्षों से अधिक से बकाया थीं।</p>
		<p>19 सरकार प्रयोगशाला में प्राप्त नमूनों के विश्लेषण एवं परीक्षण के लिए प्रयोगशाला को समुचित साधनों से सुसज्जित करने के लिए ठोस कदम उठाए या विकल्प के रूप में इस कार्य को बाहरी साधनों से कराने पर विचार करे।</p>	<p>कार्मिकों की कमी के कारण जाँच लम्बित रहने में वृद्धि हुई है। नमूनों के विश्लेषण के बकाया को शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।</p>
		<p>20 सरकार क्षेत्र में पूर्वक्षेत्र पर किए गए खर्च तथा खनन पट्टेधारियों से इसकी वसूली का व्यवस्थित एवं अधिकारित अभिलेख संधारित करे।</p>	<p>मैसर्स वोल्केम से बकाया की वसूली करली गई है तथा अन्य लीज होल्डर्स से शेष बकाया की वसूली करली जायेगी।</p>

परिशिष्ट-‘डी’

(सन्दर्भ: अनुच्छेद संख्या 2.14.4 (i))

आगत कर क्रेडिट घटाये बिना कर का गलत आस्थगन का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	व्यवहारी का नाम	निर्धारण वर्ष (निर्धारण का माह)	कुल आउटपुट कर	आगत कर क्रेडिट	शुद्ध देय कर	अनुमत्य आस्थगन का प्रतिशत	आस्थगित किया गया कर	आस्थगित कर	कर आस्थगन का आधिक्य	ब्याज (मार्च 2010 तक संगणित)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-6)	(8)	(9)	(10)	11(10-9)	(12)
1	विशेष-III, जोधपुर	मैसर्स सन सिटी एलोज प्रा.लि., जोधपुर	2006-07 (जून 2008)	99.02	90.59	8.43	30.00	2.53	29.74	27.21	11.43
			2007-08 (सितम्बर 2009)	143.88	101.41	42.47	24.00 (30 एवं 20)	10.19	34.63	24.44	7.33
		मैसर्स इस्कॉन सर्जिकल्स लि., जोधपुर	2006-07 (मार्च 2009)	161.08	15.40	145.68	20.42 (30 एवं 20)	29.75	32.90	3.15	1.32
			2007-08 (फरवरी 2010)	62.96	21.12	41.84	43.00 (50 एवं 40)	17.99	27.13	9.14	2.74
2	वाणिज्यिक कर कार्यालय टोक	मैसर्स अमित इण्डस्ट्रीज निवाई मैसर्स इसुजु गारमेन्ट्स	2007-08 (15.3.2010)	10.52	9.47	1.05	50.48	0.53	5.26	4.73	-
			2007-08 (31.3.2010)	10.92	0.69	10.23	41.06 (50 एवं 40)	4.20	4.49	0.29	-
3	विशेष वृत्त पाली	मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट लि., जे.के. पुरम	2008-09 (सितम्बर 2009)	3112.50	113.31	2999.19	75.00	2249.39	2334.37	84.98	15.30
4	विशेष राजस्थान वृत्त, जयपुर	मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लि.	2006-07 (सितम्बर 2009)	1692.80	41.60	1651.20	75.00	1238.40	1269.60	31.20	13.10
			2007-08 (मार्च 2010)	1697.41	85.16	1612.25	75.00	1209.19	1226.11	16.92	5.08
5	विशेष वृत्त-II, जोधपुर	मैसर्स मिनरल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., जोधपुर	2007-08 (फरवरी 2009)	32.18	16.52	15.66	14.30	2.24	10.79	8.55	2.57
योग				7023.27	495.27	6528.00		4764.41	4975.02	210.61	58.87

